सत्यमेव जयते

भारतीय प्रेस परिषद
PRESS COUNCIL OF INDIA

36वीं वार्षिक रिपोर्ट

1 अप्रैल, 2014 - 31 मार्च, 2015

भारतीय प्रेस परिषद्, नई दिल्ली

भारतीय प्रेस परिषद्

वार्षिक रिपोर्ट
(1 अप्रैल, 2014 - 31 मार्च, 2015)

नई दिल्ली

Printed at : Chandu Press, D-97, Shakarpur, Delhi-110092

भारतीय प्रेस परिषद्

सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ.काम्पलैक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली - 110003
अध्यक्षः न्यायमूर्ति श्री सी.के.प्रसाद

नाम	संगठन, जिसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया	समाचारपत्र
भारतीय भाषायी समाचारपत्रों के सम्पादक (धारा 5 की उप धारा (3) का खंड (क))		
श्री रमेश गुप्ता	ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एडीटर्स कॉन्फ्रेंस और हिंदी समाचारपत्र सम्मेलन	वीकली तेज, उर्दू, नई दिल्ली
श्री बिपिन नेवाड़	ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एडीटर्स कॉन्फ्रेंस और हिंदी समाचारपत्र सम्मेलन	छपते छपते, हिंदी दैनिक, पश्चिम बंगाल
श्री उत्तम चन्द्र शर्मा	हिंदी समाचारपत्र सम्मेलन और ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एडीटर्स कॉन्फ्रेंस	मुजफ्फरनगर बुलेटिन, हिंदी दैनिक, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश
डा. सुमन गुप्ता	हिंदी समाचारपत्र सम्मेलन और ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एडीटर्स कॉन्फ्रेंस	जनमोर्चा, हिंदी दैनिक, फ़ैजाबाद, उत्तर प्रदेश
श्री प्रकाश दुबे	एडीटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया	दैनिक भास्कर, हिंदी दैनिक, नागपुर
अंग्रेजी भाषा के समाचारपत्रों के संपादक (धारा 5 की उपधारा (3)का खंड (क))		
श्री कृष्ण प्रसाद	एडीटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया	आउटलुक (अंग्रेजी), नई दिल्ली
सम्पादकों के अतिरिक्त श्रमजीवी पत्रकार (धारा 5 की उप धारा (3) का खंड (क))		
श्री कौसरी अमरनाथ	इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन, राष्ट्रीय पत्रकार संघ, प्रेस एसोसिएशन और वर्किंग न्यूज़ कैमरामैंस एसोसिएशन	स्वतंत्र पत्रकार, हैदराबाद
श्री प्रभात कुमार दास	इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन, राष्ट्रीय पत्रकार संघ, प्रेस एसोसिएशन और वर्किंग न्यूज़ कैमरामैंस एसोसिएशन	प्रतिदिन (उडिया दैनिक), ओडीशा
श्री राजीव रंजन नाग	प्रेस एसोसिएशन और वर्किंग न्यूज़ कैमरामैंस एसोसिएशन, इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन और राष्ट्रीय पत्रकार संघ	आज समाज, हिंदी दैनिक, नई दिल्ली
श्री प्रजनानंद चौधुरी	राष्ट्रीय पत्रकार संघ, इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन, प्रेस एसोसिएशन और वर्किंग न्यूज़ कैमरामैंस एसोसिएशन	आनन्द बाजार पत्रिका, कोलकाता
श्री एस.एन.सिन्हा	इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन, वर्किंग न्यूज़ कैमरामैंस एसोसिएशन, राष्ट्रीय पत्रकार संघ और प्रेस एसोसिएशन	फोटो पत्रकार (स्वतंत्र पत्रकार), दिल्ली
श्री सोनदीप शंकर	वर्किंग न्यूज़ कैमरामैंस एसोसिएशन, इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन, राष्ट्रीय पत्रकार संघ और प्रेस एसोसिएशन	फोटो पत्रकार, (स्वतंत्र पत्रकार), नई दिल्ली
श्री सी.के.नायक	प्रेस एसोसिएशन, इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन, वर्किंग न्यूज़ कैमरामैंस एसोसिएशन और राष्ट्रीय पत्रकार संघ	दि शिलांग टाइम्स, शिलांग

बड़े, मध्यम और लघु समाचारपत्रों के स्वामी और प्रबंधक (धारा 5 की उप धारा (3) का खंड (ख))

नाम	संगठन, जिसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया	समाचारपत्र
श्री होरमुसजी एन. कामा	इंडियन न्यूज़पेपर सोसायटी	दि बाम्बे समाचार, गुजराती दैनिक, मुम्बई
श्री रवीन्द्र कुमार	इंडियन न्यूज़पेपर सोसायटी	दि स्टेट्समैन, अंग्रेजी दैनिक, कोलकाता
श्री कुंदन रमन लाल व्यास	इंडियन न्यूज़पेपर सोसायटी, एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एडं मीडियम न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया एडं ऑल इंडिया स्मॉल एडं मीडियम न्यूज़पेपर्स फैडरेशन	कच्छ मित्र, गुजराती दैनिक, कच्छ (भुज), गुजरात
श्री गुरिन्दर सिंह	ऑल इंडिया स्मॉल एडं मीडियम न्यूज़पेपर्स फैडरेशन, इंडियन न्यूज़पेपर सोसायटी, और एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एडं मीडियम न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया	इंडियन ऑबजरवर, अंग्रेजी पाक्षिक, नई दिल्ली
श्री विजय कुमार चोपड़ा	इंडियन न्यूज़पेपर सोसायटी, ऑल इंडिया स्मॉल एडं मीडियम न्यूज़पेपर्स फैडरेशन और एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एडं मीडियम न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया	हिन्द समाचार, हिंदी दैनिक, जालंधर
श्री केशव दत्त चंदोला	एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एडं मीडियम न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया, इंडियन न्यूज़पेपर सोसायटी एडं ऑल इंडिया स्मॉल एडं मीडियम न्यूज़पेपर्स फैडरेशन	राजपूत मर्यादा, हिंदी साप्ताहिक, कानपुर

समाचार-एजेंसियों के प्रबंधक (धारा 5 की उप धारा (3) का खंड (ग))

श्री जी. सुधाकर नायर	दि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया	संपादक, दि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, और भारतीय विधिज्ञ परिषद् साहित्य अकादमी से नामित व्यक्ति (धारा 5 की उप धारा (3) का खंड (घ))

श्री पंकज वोहरा	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
श्री रामचन्दर राव एन.	भारतीय विधिज्ञ परिषद्
डा. के. श्रीनिवासराव	साहित्य अकादमी

लोकसभा के अध्यक्ष और राज्य सभा के सभापति द्वारा नामित सांसद (धारा 5 की उप धारा (3) का खंड (ड.))

श्रीमती मीनाक्षी लेखी	(लोक सभा)
*श्री राजीव प्रताप रूडी	(लोक सभा)
श्री जी. हरि	(लोक सभा)
श्री प्रभात झा	(राज्य सभा)
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी	(राज्य सभा)

सचिव : विभा भार्गव

राजपत्र अधिसूचना दिनांक 10.10.2014 द्वारा अधिसूचित 28 सदस्यों के नाम ।
राजपत्र अधिसूचना दिनांक 25.11.2014 द्वारा अध्यक्ष के रूप में नामित न्यायमूर्ति श्री चंद्रमौलि कुमार प्रसाद । न्यायमूर्ति श्री मार्कण्डेय काटजू की अध्यक्ष के रूप में सेवावधि दिनांक 24.11.2014 को समाप्त हुई
श्री राजीव प्रताप रूडी, सदस्य ने संघीय मंत्रिमंडल में कार्यभार संभालने के कारण दिनांक 10.12.2014 को त्यागपत्र दिया ।

विषयसूची

प्राक्कथन

अध्याय I	सामान्य समीक्षा	
	परिषद् की ग्यारहवीं सेवावधि (15 जून, 2011 से 14 जून, 2014) का सार-वृत्त	1
अध्याय II	प्रेस की स्वतंत्रता को खतरे संबंधी शिकायतों में न्यायनिर्णयन	34
अध्याय III	प्रेस के विरूद्ध दर्ज शिकायतों पर न्यायनिर्णयन	42
अध्याय IV	आदर्श प्रत्यायन/विज्ञापन नियम 2014 दिनांक 2.6.2014 को परिषद द्वारा अंगीकृत	54
अध्याय V	परभणी (महाराष्ट्र) में मीडियाकर्मी एवं उसके परिवार के सदस्यों पर हुए एसिड हमले पर रिपोर्ट दिनांक 2.6.2014	64
अध्याय VI	तेलंगाना, वारंगल में मीडियाकर्मियों को खतरे पर रिपोर्ट दिनांक 27.10.2014	67
अध्याय VII	बरवाला, हिसार, हरियाणा में पुलिस द्वारा मीडियाकर्मियों पर हमले के संबंध में रिपोर्ट दिनांक 19.11.2014	76
अध्याय VIII	फैज़ाबाद में हिंसा के दौरान मीडिया पर हुए हमले के संबंध में रिपोर्ट दिनांक 13.3.2015	83
अध्याय IX	परिषद् का वित्त (2014-2015)	103

संलग्नक

क	1 अप्रैल,2014 - 31 मार्च,2015 तक मामलों का विवरण	128
ख	राजपत्र अधिसूचना दिनांक 30.4.2014	129
ग	राजपत्र अधिसूचना दिनांक 10.10.2014	131
घ	राजपत्र अधिसूचना दिनांक 25.11.2014	137
ड.	न्यायनिर्णयन 2014-15 का आलेख	138

च	11वीं सेवावधि के मामलों का विवरण (1 अप्रैल, 2011 - 31 मार्च, 2014)	139
छ	1 अप्रैल, 2011 - 31 मार्च, 2014 तक की अवधि हेतु मामलों के विवरण का आलेख	140
ज	परिषद् की बैठकों में उपस्थिति का विवरण (1 अप्रैल, 2011 - 31 मार्च, 2014)	141
झ	जांच समिति की बैठकों में उपस्थिति का विवरण (1 अप्रैल, 2011 - 31 मार्च, 2014)	142
ञ	प्रेस की स्वतंत्रता को खतरे संबंधी शिकायतों में न्यायनिर्णयों की विषयगत सारणी (2014-15)	143
ट	प्रेस के विरूद्ध दर्ज शिकायतों में न्यायनिर्णयों की विषयगत सारणी (2014-15)	145
ठ	प्रेस की स्वतंत्रता को खतरे संबंधी शिकायतों में न्यायनिर्णयों में रिकॉर्ड किये गये सिद्धांतों की सूची	153
ड	प्रेस के विरूद्ध दर्ज शिकायतों में न्यायनिर्णयों में रिकॉर्ड किये गये सिद्धांतों की सूची	154
ढ	प्रेस एवं पंजीकरण अपील बोर्ड द्वारा पारित आदेशों (2014-15) की विषयसूची	155

प्राक्कथन

हर वर्ष, भारतीय प्रेस परिषद्, प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 के अनुसार, पिछले वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) के दौरान परिषद् की गतिविधियों और भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का विवरण देते हुए वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करती है । यह रिपोर्ट संसद में पेश की जाती है ।

वर्तमान रिपोर्ट 2014-15, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के संरक्षण और प्रेस के स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से परिषद् की गतिविधियों का प्रावरणित विवरण प्रस्तुत करती है । इसमें अप्रैल, 2014 से मार्च, 2015 की समयावधि में प्रेस द्वारा और प्रेस के विरूद्ध दर्ज की गई शिकायतों और प्रेस की स्वतंत्रता को खतरे के संबंध में परिषद् द्वारा दिए गए न्यायनिर्णयों और प्रेस से तथा प्रेस के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है ।

इस रिपोर्ट में जांच समितियों और परिषद् व उसकी अन्य समितियों द्वारा देश के भिन्न-भिन्न भागों में की गईं विभिन्न बैठकों का विश्लेषण भी किया गया है । ये बैठकें सफलतापूर्वक की गईं और इनके कारण प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने में भारतीय प्रेस परिषद् की शक्तियों, कृत्यों और महत्व के संबंध में जनता में व्यापक स्तर पर जागरूकता पैदा हुई है । यह भारत में प्रेस जगत में होने वाली और विश्व प्रेस स्वतंत्रता से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं का भी ब्यौरा देती है । इसके अलावा, इस रिपोर्ट में संपरीक्षित लेखाओं का विवरण भी है ।

यह रिपोर्ट, प्रेस की स्वतंत्रता के संरक्षण और उसके स्तर को बनाए रखने से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर परिषद् की विभिन्न समितियों द्वारा किए गए अध्ययन और उनके द्वारा तैयार की गई रिपोर्टों का संकलन प्रस्तुत करती है । इन रिपोर्टों को अध्यायों के रूप में प्रकाशित किया जाता है जिनमें पणधारकों के लिए बहुमूल्य दिशानिर्देश दिए जाते हैं ।

यह परिषद् की XIIवीं सेवावधि की प्रथम रिपोर्ट है और मैं, परिषद् के उद्देश्यों को प्रभावशाली और क्षमतापूर्वक रूप से पूरा करने में परिषद् के सभी सदस्यों के बहुमूल्य सहयोग के लिए उनका धन्यवाद करता हूं ।

अतः, वार्षिक रिपोर्ट 2014-15 इस आशा से पाठकों के हाथों में प्रस्तुत की जाती है कि यह रिपोर्ट, पत्रकारिता आचरण को बनाए रखते हुए प्रेस की स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए परिषद् के प्रयासों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साबित होगी ।

नई दिल्ली
31 मार्च, 2015

चंद्रमौलि कुमार प्रसाद
अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद्

अध्याय - I
सामान्य समीक्षा

प्रस्तावना

भारतीय प्रेस परिषद् एक अर्ध-न्यायिक सांविधिक स्वायत्त निकाय है, जिसकी स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा प्राधिकारियों तथा प्रेसकर्मियों पर समान अर्ध-न्यायिक कृत्यों के प्रयोजन से, 'प्रेस की स्वतंत्रता के संरक्षण' और 'भारत में समाचारपत्रों और समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखने और उनमें सुधार करने' के दोहरे उद्देश्य से की गई है । इसके एक अध्यक्ष और 28 अन्य सदस्य होते हैं । परंपरा से इसके अध्यक्ष, भारत के उच्चतम न्यायालय के आसीन या सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हैं । इन 28 सदस्यों में से 20 सदस्य प्रेस के विभिन्न खंडों का प्रतिनिधित्व करते हैं और पाठकों के हित को देखते हुए, 8 सदस्य, संसद के दोनों सदनों तथा देश के प्रमुख साहित्यिक व विधिक निकायों जैसे- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय विधिज्ञ परिषद् तथा साहित्य अकादमी का प्रतिनिधित्व करते हैं । परिषद्, अधिनियम के अंतर्गत अपने कार्यों का निर्वाह अपनी निधि से करती है जिसमें परिषद् द्वारा समाचारपत्रों से एकत्रित शुल्क, अन्य प्राप्तियां एवं केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान शामिल हैं । माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्रमौलि कुमार प्रसाद को दिनांक 25.11.2014 से भारतीय प्रेस परिषद् के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है । भारतीय प्रेस परिषद् की 11वीं सेवावधि दिनांक 14.06.2014 को समाप्त हुई और उपर्युक्त खंडों का प्रतिनिधित्व करने वाले 28 सदस्यों के साथ दिनांक 10.10.2014 को इसका पुनर्गठन किया गया ।

संघटन एवं उद्देश्य

भारतीय प्रेस परिषद् की स्थापना प्रथम प्रेस आयोग की सिफारिश पर प्रेस परिषद् अधिनियम, 1965 के अधीन वर्ष 1966 में पहली बार की गई थी । इसकी स्थापना 'प्रेस की स्वतंत्रता के संरक्षण' और 'भारत में समाचारपत्रों और समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखने और उनमें सुधार करने' के दोहरे उद्देश्य से की गई थी । परंतु 1965 के अधिनियम को वर्ष 1975 में निरस्त कर दिया गया और आपातकाल के दौरान प्रेस परिषद् को भी समाप्त कर दिया गया । वर्ष 1978 में लगभग 1965 के अधिनियम के अनुसार ही एक नया अधिनियम बनाया गया और 1979 में इसके अधीन प्रेस परिषद् को पुनः स्थापित किया गया । प्रेस परिषद् की अध्यक्षता, अध्यक्ष महोदय द्वारा की जाती है, जो परंपरा से, भारत के उच्चतम न्यायालय के आसीन या सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हैं । परिषद् के 28 अन्य सदस्य होते हैं जिसमें से 20 सदस्य प्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं, 5 सदस्य संसद के दोनों सदनों से होते हैं, जो पाठकों के हित का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा तीन सदस्य सांस्कृतिक, साहित्यिक व विधिक क्षेत्रों से संबंधित होते हैं तथा क्रमशः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, साहित्य अकादमी और भारतीय विधिज्ञ परिषद् से नामित होते हैं । परिषद् के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्षों का होता है । प्रेस परिषद्

अधिनियम के अनुसार, परिषद्, समाचारपत्रों या प्रेसकर्मियों को वैयक्तिक सदस्यता प्रदान नहीं करती । हालांकि, देश के समाचारपत्रों को अपने दायरे में रखने और न्यायनिर्णायक व सलाहकार की भूमिका निभाने के लिए प्रेस परिषद्, समाचारपत्रों/समाचार एजेंसियों/सामयिकियों से वार्षिक उगाही शुल्क लेती है, जिसे परिषद् के राजस्व में शामिल किया जाता है ।

जैसाकि 1978 के अधिनियम की धारा 13 में बताया गया है, भारतीय प्रेस परिषद् का उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता का संरक्षण और भारत में समाचारपत्रों और समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखना और उनमें सुधार करना है । इस अधिनियम के जरिए परिषद् को सलाहकार की भूमिका भी सौंपी गई है कि यह स्वप्रेरणा से या इस अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन सरकार द्वारा इसे भेजे गए मामलों का अध्ययन करेगी और किसी विधेयक, विधान, कानून या ऐसे अन्य मामलों के संबंध में राय व्यक्त करेगी, जो प्रेस से संबंधित हों और यह सरकार को या संबंधित व्यक्ति को अपनी राय की सूचना देगी । जन-महत्व के मामले में अपने सांविधिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए परिषद्, स्वप्रेरणा से संज्ञान लेगी और घटनास्थल की जांच करने के लिए विशेष समिति का गठन भी कर सकेगी । अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रेस परिषद् को कुछ महत्वपूर्ण कृत्य सौंपे गए हैं, जैसे समाचारपत्रों और समाचार एजेंसियों की स्वतंत्रता बनाए रखने में उनकी सहायता करना, समाचारपत्रों, समाचार एजेंसियों, पत्रकारों के लिए उच्च व्यावसायिक मानदंडों के अनुसार आचार संहिता का निर्माण करना; समाचारपत्रों, समाचार एजेंसियों और पत्रकारों की ओर से यह सुनिश्चित करना कि वे लोक रुचि के मानकों को बनाए रखेंगे और उनमें अपने अधिकारों और कर्त्तव्यों दोनों की समुचित भावना को बढ़ावा देना; ऐसी किसी भी घट ना पर नज़र रखना जिसमें लोक रूचि और लोक महत्व के समाचारों के प्रचार-प्रसार को रोकने की संभावना हो; समाचार एजेंसियों में या समाचारपत्रों के प्रस्तुतीकरण या प्रकाशन में कार्यरत सभी श्रेणियों के लोगों में उचित प्रयोजनमूलक संबंध को बढ़ावा देना; और समाचारपत्रों तथा समाचार एजेंसियों के स्वामित्व के संकेंद्रण या अन्य पहलुओं जैसी घटनाओं पर विचार करना, जिनसे प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ सकता है । भारतीय प्रेस परिषद् की अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं अद्वितीय विशेषता यह है कि यह उन कुछ निकायों में से एक है जिन्हें संसद के अधिनियम के अधीन गठित किया गया है । विश्व के अधिकतम देशों में ऐसे अधिकतर संस्थान या समान निकाय, स्वैच्छिक संगठन हैं या इनकी स्थापना भारतीय प्रेस परिषद् के अस्तित्व में आने के बाद की गयी है । इस तथ्य के बावजूद कि सहायता अनुदान के रूप में इसे सरकार से काफी धनराशि प्राप्त होती है, तथापि यह अपने सांविधिक दायित्वों के निर्वहन में सरकार के नियंत्रण से पूर्णतः कार्यात्मक स्वायत्तता और स्वतंत्रता से कार्य करती है ।

परिषद् की 11वीं सेवावधि का सार-वृत्त

(जून,2011 से जून,2014)

भारतीय प्रेस परिषद् एक सांविधिक अर्ध-न्यायिक स्वायत्त प्राधिकरण है, जिसे प्रेस की स्वतंत्रता के संरक्षण तथा समाचारपत्रों व एजेंसियों के स्तरों को बनाये रखने और उनमें सुधार करने हेतु संसद से अधिदेश प्राप्त है । इसकी 11वीं सेवावधि दिनांक 14.6.2014 को समाप्त

हो रही है । इस सेवावधि के दौरान, माननीय न्यायमूर्ति श्री जी. एन. रॉय, बहुत कम समय के लिए (जून,2011 से अक्टूबर,2011) और माननीय न्यायमूर्ति श्री मार्कण्डेय काटजू (अक्टूबर 2011 से आज तक) परिषद् के अध्यक्ष के पद पर कार्यरत रहे ।

प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 की धारा 5(4) में, प्रत्येक तीन वर्षों में परिषद् के पुर्नगठन का प्रावधान है । परिषद् की ग्यारहवीं तीन वर्षों की सेवावधि, 14 जून, 2014 को समाप्त हो रही है । 12वीं सेवावधि में एसोसिएशनों को अधिसूचित करते हुए राजपत्र अधिसूचना अप्रैल, 2014 में जारी की गई ।

परिषद् की कार्य प्रणाली (15 जून,2011 से 14 जून,2014)

प्रेस की स्वतंत्रता व उसके स्तर से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा के लिए ग्यारहवीं सेवावधि के दौरान पूर्ण परिषद् की 14 बैठकें (दो विशेष बैठकों सहित) हुईं । प्रेस की स्वतंत्रता को बनाये रखने के लिए गतिविधियों की व्यापक सीमा को देखते हुए विभिन्न समितियों के गठन के कारण परिषद् का कार्य कई गुना गढ़ गया है ।

दो जांच समितियां, जो स्थायी समितियां हैं तथा जिनकी अध्यक्षता परिषद् के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, ने परिषद् में प्राप्त शिकायतों के संबंध में जांच करते हुए परिषद् का अधिकतम कार्यभार अपने कंधों पर ले लिया । समीक्षाधीन अवधि के दौरान, दोनों जांच समितियों की 30 बैठकें हुईं और उन्होंने अंतिम न्यायनिर्णयों के लिए परिषद् से संस्तुतियां कीं ।

इस दौरान, परिषद् को कुल 4,397 शिकायतें प्राप्त हुईं । परिषद् ने, ग्यारहवीं सेवावधि के दौरान कुल 3,445 मामलों पर निर्णय लिया जिसमें से 536 मामलों (धारा 13-110 तथा धारा 14-426) पर न्यायनिर्णय लिये गये और शेष 2,915 (धारा 13-581 तथा धारा 14-2334) मामलों को, मौखिक जांच अपेक्षित न होने के कारण बंद कर दिया गया ।

स्व-प्रेरणा से की गयी कार्रवाइयां

परिषद् ने, निम्नलिखित मामलों में मीडियाकर्मियों के विरूद्ध उल्लंघन की घटनाओं तथा प्रेस की स्वतंत्रता को खतरा होने पर स्व-प्रेरणा से संज्ञान लिया :

- जम्मू-कश्मीर में सशस्त्र बलों द्वारा मीडियाकर्मियों को पीटने तथा उन्हें उनके दायित्व का निर्वहन करने से रोकने के संबंध में ।
- मुज़फ्फरनगर के पत्रकार की गिरफ्तारी के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार के विरूद्ध जांच आरंभ की गयी ।
- ''कन्नड़ प्रभा'' और ''जयकिरण'' के कार्यालयों पर कथित हमले, जिसे ''हिंदुस्तान टाइम्स'', ''द हिंदू'' तथा ''द टाइम्स ऑफ इंडिया'' ने अपने अंक दिनांक 3.3.2010 में प्रकाशित किया था, पर जांच ।
- समाचार की आड़ में चुनाव के दौरान पेड समाचार प्रकाशित करने के संबंध में द हिंदुस्तान, हिंदी दैनिक, पटना; हिंदुस्तान; दैनिक जागरण, पटना; प्रभात खबर, रांची;

राष्ट्रीय सहारा, पटना; प्रभात खबर, रांची; राष्ट्रीय सहारा, पटना; पूर्वांचल की राह, सिवान, बिहार; दैनिक आज, पटना तथा दैनिक उद्योग व्यापार टाइम्स, अलीगढ़, उ0 प्र0 के विरूद्ध कार्रवाई ।

- रायपुर में पत्रकार की हत्या के संबंध में ।

परिषद् ने, ये न्यायनिर्णय लेते हुए मीडिया के लिए आचरण संहिता के निर्माण को लेकर कई मार्गदर्शी सिद्धांत विकसित किये हैं । ऐसे ही मार्गदर्शी सिद्धांतों को प्रेस से संबंधित प्राधिकारियों के लाभ के लिए भी तैयार किया गया है । न्याय को घर-घर ले जाने के अपने प्रयास में, परिषद् की जांच समितियों ने चेन्नई, लखनऊ, पुणे, चंडीगढ़, भोपाल, हैदराबाद तथा वाराणसी में अपनी बैठकें कीं, जिससे उस क्षेत्र के मामलों में सुनवाई के लिए वादकारियों का, उनकी शिकायतों के निपटान के लिए, दिल्ली तक आने का सफर बच गया ।

जांच समितियों की संस्तुतियों के आधार पर लिये गये न्यायनिर्णयों के अलावा परिषद् ने, अपनी ग्यारहवीं सेवावधि के दौरान कुछ अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की । परिषद् ने प्रेस की स्वतंत्रता के संरक्षण व उसके स्तर को बनाये रखने से संबंधित महत्त्वपूर्ण मामलों का अध्ययन किया व रिपोर्टें तैयार कीं ।

परिषद् की रिपोर्टें

- गुजरात चुनाव पर रिपोर्ट ।
- कर्नाटक चुनाव पर रिपोर्ट ।
- प्रिंट मीडिया में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की क्षेत्रक सीमाओं की नीति की समीक्षा पर रिपोर्ट ।
- मुंबई में फोटो पत्रकार के सामूहिक बलात्कार की घटना पर रिपोर्ट ।
- ''स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) संशोधन विधेयक 2011'' पर रिपोर्ट ।
- ''मीडिया कंपनियों द्वारा निजी संधियां'' (सेबी) पर रिपोर्ट ।
- जिला उमरिया, मध्य प्रदेश में श्री चंद्रिका राय, पत्रकार और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या पर रिपोर्ट ।
- बिहार में मीडिया पर रिपोर्ट
- तेज़पुर, असम में नियामिया बार्ता के संवाद्दाता, श्री भुपेन नाथ की गिरफ्तारी पर रिपोर्ट।
- पेड समाचारों पर रिपोर्ट ।
- ''मीडिया स्वामित्व से संबंधित मुद्दों'' पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण से प्राप्त परामर्श पत्रों पर रिपोर्ट ।

परामर्शी कृत्य

परिषद् ने सलाहकार की हैसियत से सरकार एवं अन्य प्राधिकारियों के समक्ष बहुत से मुद्दों पर अपने विचार प्रकट किये हैं । उनमें से कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे निम्नलिखित हैं :

- विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग, भारतीय विधि आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली से ज्योतिष विद्या पर विज्ञापन जारी करने के संबंध में प्राप्त पत्र ।
- पेड समाचार पर निर्णय लेने के लिए कुछ ठोस पैरामीटर उपलब्ध कराने हेतु डॉ एस. वाई. कुरैशी, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र ।
- मीडिया द्वारा गणमान्य व्यक्तियों पर हमले की घटनाओं की सनसनीखेज़ रिपोर्ट के संबंध में एमओएस, उपभोक्ता मामले एवं जन वितरण के प्रो0 के. वी. थॉमस का पत्र ।
- प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 एवं इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों व विनियमों में संशोधन- राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली पर एनएससीएस कार्यदल-23 अगस्त, 2012 को बैठक-टिप्पणियों हेतु अनुरोध ।
- डॉ महेंद्र सिंह पी. चौहान, संसद सदस्य के प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बिल, 2012 द्वारा अश्लील, अभद्र व सरोगेट विज्ञापनों तथा रीमिक्स गानों के प्रसारण पर निषेध के संबंध में गैर-सरकारी सदस्य के बिल ।
- प्रेस मीडिया के लिए एक विनियामक निकाय के गठन के संबंध में श्री दिलीप गांधी, संसद सदस्य, लोक सभा से प्राप्त वीआईपी पत्र के संबंध में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त पत्र ।
- पेड समाचार से संबंधित मुद्दे पर सूचना प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति की 47वीं रिपोर्ट पर टिप्पणियों हेतु सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से प्राप्त पत्र ।
- प्रिंट मीडिया में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के संबंध में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से प्राप्त पत्र ।
- मीडिया एवं कला के क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व के संबंध में श्री तरूण विजय, संसद सदस्य के विशिष्ट उल्लेख के उद्धरण की प्रति भेजते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से प्राप्त पत्र ।
- राष्ट्रीय वृद्धजन नीति, 1999 से संबंधित श्री एम. वी. रूपरेला के अभ्यावेदन के संबंध में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से प्राप्त पत्र ।

परिषद द्वारा विचार किए गए अन्य मामले:

- समाचारपत्रों की विधिमान्यता के संबंध में श्री अनिल अग्रवाल, सदस्य, भारतीय प्रेस परिषद् से प्राप्त पत्र ।
- पेड समाचार सिंड्रोम (संलक्षण) पर रिपोर्ट को परिषद् की वेबसाइट पर दर्शाने का केंद्रीय सूचना आयोग का निर्णय दिनांक 19.9.2011 ।
- प्रेस परिषदों की सार्क देशीय संयुक्त समिति का गठन ।
- पेड समाचार सिंड्रोम (संलक्षण) पर भारतीय प्रेस परिषद् के न्यायनिर्णय के आधार पर विधायक को अपात्र ठहराते हुए भारतीय निर्वाचन आयोग का आदेश दिनांक 20.10.2011 ।

- समाचार की अंतर्वस्तु प्रकाशित करने के बजाय बृहद् विज्ञापनों की अंतर्वस्तु प्रकाशित करने के संबंध में श्री कानन एन. एस. मदुरई की दीनामलार के विरूद्ध शिकायत ।
- प्रेस परिषद् (वित्तीय शक्ति का प्रत्यायोजन) विनियम, 1983 में संशोधन।
- भारतीय प्रेस परिषद् की वित्तीय स्वायत्ता का प्रस्ताव ।
- प्रेस स्वतंत्रता आयोग, दक्षिणी अफ्रीका प्रतिनिधिमंडल का भारत शोध मिशन पर दिनांक 23.11.2011 को दौरा ।
- सैन्य गतिविधियों की रिपोर्टिंग पर रोक लगाते हुए इलाहबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ न्यायपीठ का आदेश दिनांक 10.4.2012 ।
- प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 में प्रस्तावित संशोधन ।
- 17 अप्रैल,2012 को लैटिन अमरीका के प्रतिनिधिमंडल का और दिनांक 24.4.2012 को बर्मा के मीडियाकर्मियों का दौरा ।
- माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निदेश पर बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए तैयार किये गये दिशानिर्देश ।
- 29 जून, 2012 को म्यानमार मीडिया प्रतिनिधिमंडल के भारतीय प्रेस परिषद् के दौरे की रिपोर्ट ।
- सार्क का मीडिया विनियामक निकाय महासंघ ।
- 26 अगस्त,2012 के संडे टाइम्स में प्रकाशित आपत्तिजनक विज्ञापन ।
- विकलांगों के कल्याण से संबंधित समाचारों की रिपोर्टिंग हेतु दिशानिर्देश तैयार करना।
- मुक्त प्रेस एवं श्रमजीवी पत्रकारों की सुरक्षा तथा मीडिया परिषद् की स्थापना के संबंध में राष्ट्रीय पत्रकार संघ और दिल्ली पत्रकार संघ से प्राप्त पत्र ।
- डीएवीपी द्वारा समाचारपत्रों के वर्गीकरण को चुनौती ।
- केंद्र/राज्य सरकारों द्वारा समाचारापत्रों को विज्ञापन जारी न किये जाने के संबंध में माननीय अध्यक्ष, भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा जारी प्रेस नोट ।
- पेड समाचार की परिभाषा को प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 में शामिल करना।
- श्री तरूण तेजपाल एवं छत्तीसगढ़ इत्यादि में पत्रकार की हत्या के संबंध में सदस्यों द्वारा उठाया गया मुद्दा ।
- प्रत्येक समाचार के लिए संपादक को जिम्मेदार ठहराने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय ।
- परिषद् के विचार के लिए लेवेज़न रिपोर्ट ।
- विदेशी समाचार एजेंसियों को भारत में लॉस/बॉस खोलने की अनुमति न देते हुए नीति संबंधी निर्णय की समीक्षा का प्रस्ताव ।
- भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के मुद्दे पर अंतर-मंत्रालयी अनुवीक्षण (मॉनिटरिंग) समिति का गठन ।

मामले, जिनके प्रेस परिषद् के अधिदेश के अंतर्गत होने के कारण माननीय अध्यक्ष महोदय ने सीधे निपटान किया :

1. माननीय अध्यक्ष महोदय ने माननीय प्रधानमंत्री को परिषद् के कर्त्तव्यों के अधिक प्रभावशाली तरीके से निर्वहन हेतु प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 में संशोधन करते हुए और अधिनियम की सीमा बढ़ा कर इलैक्ट्रॉनिक मीडिया को शामिल करने के लिए प्रेस परिषद् को और अधिक शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध करते हुए पत्र दिनांक 11.10.2011 लिखा।
2. माननीय अध्यक्ष महोदय ने कैबिनेट सचिव तथा सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार को समाचारपत्रों/ पत्रिकाओं को सरकारी विज्ञापनों व नोटिसों के लिए जल्द-से-जल्द भुगतान करने को कहते हुए पत्र दिनांक 24.11.2011 लिखा ।
3. माननीय अध्यक्ष महोदय ने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री को श्रीनगर में कुछ कश्मीरी पत्रकारों पर हमले के संबंध में पत्र दिनांक 1.12.2011 लिखा ।
4. माननीय अध्यक्ष महोदय ने पत्रकारों पर हमले के संबंध में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को पत्र दिनांक 26.12.2011 लिखा ।
5. माननीय अध्यक्ष महोदय ने पत्रकारों के उत्पीड़न के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार को पत्र दिनांक 18.1.2012 तथा उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र दिनांक 17.2.2011 लिखा ।
6. पत्रकारों पर शारीरिक हमलों के कारण प्रेस की स्वतंत्रता को हो रहे खतरे को देखते हुए प्रेस प्रकाशनी दिनांक 3.2.2011 जारी की गयी तथा उसकी प्रति प्रेस संगठनों के साथ-साथ सभी मुख्यमंत्रियों, मुख्य सचिवों, सूचना विभाग के सचिवों तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री को पृष्ठांकित की गयी ।

विश्व प्रेस निकायों के साथ विचार-विमर्श

परिषद् ने विश्व के विभिन्न भागों की प्रेस/मीडिया परिषदों तथा इसी प्रकार के निकायों से संपर्क बनाये रखा ताकि प्रेस की स्वतंत्रता के संरक्षण को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जा सके तथा उसके नीति का विश्वव्यापी उन्नयन हो । इन प्रयासों के एक हिस्से के रूप में, परिषद् के अध्यक्ष महोदय ने 30 मई-1 जून, 2012 तक पैरिस में ग्लोबल एडिटर्स नेटवर्क (जीईएन) द्वारा आयोजित विश्वस्तरीय समाचार शिखर-सम्मेलन 2012 में भाग लिया ।

परिषद् के अध्यक्ष (माननीय न्यायमूर्ति श्री जी. एन. रॉय) ने प्रेस परिषदों के विश्व संघ, जोकि विश्व के विभिन्न भागों की प्रेस परिषदों व इसी प्रकार के अन्य निकायों का छत्र संगठन है, के अध्यक्ष होने के नाते वाक् स्वतंत्रता और जिम्मेदार प्रेस की स्वतंत्रता की मुहिम चलाने के लिए वचनबद्ध होने के कारण ''अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा मानवाधिकार'' पर 28-29 अप्रैल,2011 को नई दिल्ली में दो दिन की अंतर्राष्ट्रीय विचारगोष्ठी का आयोजन किया । इस विचारगोष्ठी की अनुवर्ती रिपोर्ट, जिसे दिल्ली घोषणा कहा गया, तैयार की गयी ।

दक्षिणी अफ्रीका प्रेस स्वतंत्रता आयोग - प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 23.11.2011 को भारत शोध मिशन पर दौरा किया ।

राष्ट्रीय प्रेस दिवस समारोह

''सार्वजनिक जवाबदेही तंत्र के रूप में मीडिया'' पर राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 2011 की संगोष्ठी ।

''मीडिया की स्वतंत्रता'' पर राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 2012 की संगोष्ठी तथा प्रिंट पत्रकारिता में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार भी संस्थापित किए गए ।

''जनहित सेवा में मीडिया की भूमिका'' पर राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 2013 की संगोष्ठी तथा प्रिंट पत्रकारिता में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिए गए ।

परिषद् ने सफलतापूर्वक हिंदी एवं अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में अपनी त्रैमासिक गृह पत्रिकायें प्रकाशित कीं, जिनमें प्रेस जगत की गतिविधियों/महत्त्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी दी गयी और इस सेवावधि के अंत में कई पत्रिकाओं को परिषद् की वेबसाइट पर अपलोड करवाने का निर्णय लिया गया ।

प्रेस पंजीकरण अपील बोर्ड (पीआरएबी)

भारतीय प्रेस परिषद् को संसद द्वारा प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम,1867 की धारा 8(ग) के अंतर्गत अपील प्राधिकरण के रूप में कार्य करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गयी है तथा बोर्ड में, परिषद् के अध्यक्ष तथा परिषद् के एक अन्य सदस्य होते हैं । जून,2011 से जून,2014 के बीच बोर्ड ने 8 बैठकें कीं, 24 अपीलों पर कार्रवाई की तथा 13 अपीलों का निपटान किया गया । बोर्ड ने एक पुनर्विचार याचिका मंजूर की और तीन को खारिज कर दिया ।

राजभाषा का प्रचार

परिषद् के न्यायनिर्णय एवं अन्य घोषणाओं को द्विभाषी रूप में तैयार किया गया और जनता के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

परिषद् की कार्यप्रणाली
1 अप्रैल,2014 से 31 मार्च,2015

भारतीय प्रेस परिषद् का XIIवीं सेवावधि के लिए पुनर्गठन

प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 में, हर तीन वर्ष में परिषद् के पुनर्गठन का प्रावधान है । परिषद् की XIवीं तीन वर्षीय सेवावधि 14 जून, 2014 को समाप्त हुई ।

परिषद् ने, निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए 23.4.2014 को हुई बैठक में उन एसोसिएशनों के नामों को अंतिम रूप दिया जिन्हें मान्यता दी जानी थी । तत्पश्चात्, दिनांक 30.4.2014 को परिषद् के सदस्यों के नामांकन हेतु पैनल बनाने के उद्देश्य से एसोसिएशनों

व समाचार एजेंसियों को अधिसूचित करते हुए शासकीय राजपत्रित अधिसूचना जारी की गयी (संलग्नक-ख)।

प्रेस परिषद् (सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया) नियम, 1978 के अनुसार, अधिनियम में विनिर्दिष्ट (घ) व (ड.) श्रेणियों के सदस्यों के शेष आठ नामों के साथ अधिसूचित संघों/समाचार एजेंसियों द्वारा दर्ज किए गए पैनलों में से प्रेस के प्रतिनिधियों के रूप में चुने गये 20 सदस्यों के नाम, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को राजपत्र में अधिसूचित करने हेतु भेजे गये । राजपत्र अधिसूचना दिनांक 10.10.2014 द्वारा 10 अक्टूबर, 2014 से 12वीं तीन वर्षीय सेवावधि के लिए प्रेस परिषद् का पुनर्गठन किया गया । **(संलग्नक ग) प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 की धारा 5(3)(ड.) के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामांकित श्री राजीव प्रताप रूडी ने दिनांक 10.12.2014 को अपना त्यागपत्र दे दिया ।**

अध्यक्ष के नामांकन हेतु प्रेस परिषद् के नामिती का चयन

प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 के प्रावधान के अनुसार, अध्यक्ष का नामांकन एक समिति द्वारा किया जाता है जिसमें राज्य सभा के सभापति, लोक सभा का अध्यक्ष और प्रेस परिषद् के सदस्यों में से एक सदस्य शामिल होते हैं । परिषद् ने अध्यक्ष के चयन हेतु नामांकन समिति में परिषद् के एक नामिति के चयन के लिए 27 अक्टूबर, 2014 को नई दिल्ली में बैठक की। प्रेस परिषद् के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से श्री एस. एन. सिन्हा को, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए समिति में उनके नामिति के रूप में चुना । उनका नाम राज्य सभा के सभापति को भेजा गया ।

नए अध्यक्ष

पदस्थ अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री मार्कण्डेय काटजू की सेवावधि 4 अक्टूबर, 2014 को समाप्त हो गई । न्यायमूर्ति श्री काटजू अधिनियम की धारा 6(1) के प्रावधान के अंतर्गत 24 नवंबर, 2014 तक अध्यक्ष के पद पर कार्यरत रहे और फिर केंद्र सरकार ने राजपत्र अधिसूचना दिनांक 25 नवंबर, 2014 द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्रमौलि कुमार प्रसाद के तीन वर्ष की सेवावधि के लिए नामांकन को अधिसूचित किया । (संलग्नक-घ)

परिषद् और उसकी समितियों की बैठकें

परिषद् अपने सांविधिक दायित्व का निर्वाह, प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 की धारा 8(1) के अनुसार करती है, जिसके अनुसार ''परिषद्, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के पालन के प्रयोजन के लिए अपने सदस्यों में से साधारण या विशेष प्रयोजन के लिए ऐसी समितियों का

गठन कर सकेगी जैसी वह आवश्यक समझे और इस प्रकार गठित प्रत्येक समिति ऐसे कृत्यों का पालन करेगी जो परिषद् उसे सौंपे ।''

सौंपे गये कार्यों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 की धारा 8(1) के अनुसार कार्य के निर्वहन के उद्देश्य से परिषद् के सदस्यों द्वारा समय-समय पर सामान्य व विशिष्ट कारणों से समितियों का गठन किया जाता है ।

सामान्यतः सभी समितियों, जैसे स्थायी समितियों व तदर्थ समितियों की अध्यक्षता परिषद् के अध्यक्ष महोदय द्वारा की जाती है, हालांकि कभी-कभी उसके सदस्यों में से किसी एक की अध्यक्षता में उप-समितियों का भी गठन किया जाता है । परिषद् की समितियां, खास तौर पर दो जांच समितियां, परिषद् का अधिकतम कार्यभार उठा लेती हैं । समीक्षाधीन अवधि में परिषद् की दोनों जांच समितियों का गठन निम्नलिखित है :

जांच समिति – I	**जांच समिति – II**
1. श्री रमेश गुप्ता	1. श्री बिपिन नेवाड़
2. श्री उत्तम चंद्र शर्मा	2. डॉ सुमन गुप्ता
3. श्री प्रकाश दुबे	3. श्री कृष्ण प्रसाद
4. श्री प्रभात कुमार दास	4. श्री कोसरी अमरनाथ
5. श्री राजीव रंजन नाग	5. श्री सी. के. नायक
6. श्री एस. एन. सिन्हा	6. श्री सोनदीप शंकर
7. श्री प्रजनानंद चौधुरी	7. श्री होरमुसजी एन. कामा
8. श्री रवीन्द्र कुमार	8. श्री गुरिन्दर सिंह
9. श्री कुंदन रमन लाल व्यास	9. श्री विजय कुमार चोपड़ा
10. श्री केशव दत्त चंदोला	10. श्री जी. सुधाकर नायर
11. श्री पंकज वोहरा	11. श्री रामचन्दर राव एन.
12. डॉ के. श्रीनिवासराव	12. श्रीमती मीनाक्षी लेखी, संसद सदस्य
13. श्री प्रभात झा, संसद सदस्य	13. श्री जी. हरि, संसद सदस्य
14. श्री राजीव प्रताप रूडी, संसद सदस्य।	14. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी, संसद सदस्य

अध्यक्ष द्वारा जिन जांच समितियों की अध्यक्षता की गई, उन समितियों ने परिषद् को प्राप्त शिकायतों के संबंध में जांच आरंभ करके परिषद् के कार्यभार की बड़ी मात्रा अपने ऊपर ले ली । जांच समितियों की कार्यवाही आम जनता के लिए खुली थी । मामलों के पक्षकारों को

संगत साक्ष्य मौखिक या लिखित रूप में रखने की अनुमति दी गई थी । उन्हें वकीलों/अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के द्वारा प्रतिनिधित्व करने की भी अनुमति दी गई थी । वित्तीय वर्ष के दौरान हुई आठ बैठकों में, समितियों ने कुल 78 मामलों पर विचार किया और कथित मामले में अंतिम न्यायनिर्णय के लिए सिफारिशें की गयीं । तीन मामले परिषद् द्वारा सीधे न्यायनिर्णीत किए गए ।

परिषद् की रिपोर्टें

1. मॉडल प्रत्यायन/विज्ञापन नियमावली-2014 पर रिपोर्ट । परिषद् ने दिनांक 2.6.2014 को इस रिपोर्ट को अंगीकृत किया और इस वार्षिक रिपोर्ट के अध्याय-IV में शामिल किया गया है ।
2. परभणी, महाराष्ट्र में रिपोर्टर और उसके परिवार के सदस्यों पर एसिड हमले पर रिपोर्ट । परिषद् ने दिनांक 2.6.2014 को इस रिपोर्ट को अंगीकृत किया और इस वार्षिक रिपोर्ट के अध्याय-V में शामिल किया गया है ।
3. तेलंगाना वारंगल, में मीडियाकर्मियों को खतरे पर रिपोर्ट । परिषद् ने दिनांक 27.10.2014 को इस रिपोर्ट को अंगीकृत किया और इस वार्षिक रिपोर्ट के अध्याय-VI में शामिल किया गया है ।
4. बरवाला, हिसार, हरियाणा में पुलिस द्वारा मीडियाकर्मियों पर हमले के संबंध में रिपोर्ट। परिषद् ने दिनांक 19.12.2014 को इस रिपोर्ट को अंगीकृत किया और इस वार्षिक रिपोर्ट के अध्याय-VII में शामिल किया गया है ।
5. फैज़ाबाद में हिंसा के दौरान मीडिया पर हमले के संबंध में रिपोर्ट । परिषद् ने दिनांक 13.3.2015 को इस रिपोर्ट को अंगीकृत किया और इस वार्षिक रिपोर्ट के अध्याय-VIII में शामिल किया गया है ।

महत्वपूर्ण उप-समितियां और तथ्य खोजी समितियां, जिन्होंने समीक्षाधीन अवधि के दौरान अपने कार्यों का निर्वाह किया :

1. समाचारपत्रों, साक्षी दैनिक और नमस्ते तेलंगाना के रिपोर्टरों को हैदराबाद में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के शासकीय प्रेस-सम्मेलनों में उपस्थित होने से रोकने के संबंध में जांच हेतु उप-समिति ।
2. विज्ञापन के मुद्दे की जांच हेतु उप-समिति ।
3. प्रत्यायन के मुद्दे की जांच हेतु उप-समिति ।
4. नवंबर, 2014 तथा जनवरी, 2015 में अज्ञात हमलावरों द्वारा अलग-अलग हमलों में श्री एमएनवी शंकर, आंध्र प्रभा दैनिक के अंशकालिक संवाद्दाता की हत्या तथा श्री जी. स्टीफन बाबू, संपादक, क्राइम टुडे, आंध्र प्रदेश पर हमले की जांच हेतु तथ्य खोजी समिति।
5. जम्मू-कश्मीर में अंतर्वादियों पर रिपोर्ट की जांच हेतु उप-समिति ।
6. पत्रकारों की सुरक्षा पर उप-समिति ।

7. आरएनआई के कार्यकलापों, कार्य-प्रणाली और शीर्षक संबंधी पुनर्विलोकन के संबंध में उप-समिति।

8. गोवा में जिला स्तर पर प्रत्यायन से संबंधित समस्याओं पर उप-समिति ।

9. वित्तीय दृष्टिकोण से छोटे एवं मध्यम समाचारपत्रों के मुद्दे की जांच बनाम छोटे एवं मध्यम समाचारपत्र विकास वित्तीय निगम के गठन हेतु उप-समिति ।

सलाहकारी कार्य

परिषद् ने अपनी सलाहकार की हैसियत से सरकार और अन्य प्राधिकरणों को विभिन्न मुद्दों के बारे में अपने विचार व्यक्त किए । इनमें से कुछ महत्वपूर्ण विचार इस प्रकार थेः

(1) यूनेस्को के कार्यपालक बोर्ड के 2-14 अप्रैल, 2014 तक होने वाले 194वें सत्र हेतुः- ड्यूटी के समय मारे गये पत्रकार का स्टेटस ।

(2) बीजिंग घोषणा के अनुपालन तथा कार्रवाई हेतु प्लैटफॉर्म के परिपेक्ष्य में राष्ट्रीय समीक्षा - महिला केंद्रित मीडिया कार्यनीतिक उद्देश्य के संबंध में ।

(3) मीडिया कानून पर दस्तावेज़ों के संबंध में भारतीय विधि आयोग से पत्र ।

भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष ने परिषद् को एक परामर्श-पत्र भेजा जिसमें मीडिया कानून पर कई मुद्दे उठाए गए थे । प्रतिक्रियाओं का केंद्र निम्नानुसार थाः

i) तीसरे प्रेस आयोग की स्थापना तथा सांविधिक विनियामक का निर्माण ।

ii) लोक प्राधिकरण का निर्माण/मीडिया परिषद् की स्थापना ।

iii) पेड समाचार की घटना को दण्डनीय निर्वाचक अनाचार बनाने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन।

iv) प्रेस परिषद् अधिनियम में संशोधन के जरिये प्रेस परिषद् का सशक्तिकरण।

v) प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अब सोशल मीडिया के जरिये मत सर्वेक्षण का विनियमन।

(4) ''देश में समाचारपत्रों व अन्य किसी प्रकार की मीडिया द्वारा महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों पर रिपोर्टिंग हेतु एक ठोस नीति बनाने की मांग'' के संबंध में श्री बस्वराज पाटिल, संसद सदस्य द्वारा विशेष उल्लेख बनाम राज्य में मीडिया की कार्यप्रणाली ।

(5) जम्मू-कश्मीर में अंतर्वादियों पर तैयार की गयी रिपोर्ट की संस्तुतियों के संबंध में जम्मू-कश्मीर सरकार को सलाह देने हेतु पत्र बनाम राज्य में मीडिया की कार्यप्रणाली ।

(6) वर्ष 2013-14 की अल्पसंख्यक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट में मंत्रालय संबंधी मामले की संस्तुतियों पर रिपोर्टिंग पर जारी किये गये कार्रवाई ज्ञापन के संबंध में अल्पसंख्यक मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन को भेजते हुए भारत सरकार से प्राप्त पत्र ।

(7) पत्रकारों के लिए सुरक्षित वातावरण में कार्य करने से संबंधित सार्वदेशिक आवर्ती समीक्षा की संस्तुतियों के संबंध में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से प्राप्त पत्र ।

(8) बीबीसी के वृत्तचित्र 'भारत की बेटी' के प्रसारण/उसके संबंध में समाचार रिपोर्टिंग के संबंध में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से प्राप्त पत्र ।

परिषद् में भारत सरकार से प्राप्त पत्र दिनांक 4.3.2015 पर गौर किया जिसमें किसी भी प्रकार के वृत्तचित्र के प्रसारण पर नियंत्रण रखते हुए मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, दिल्ली के आदेशों का सम्मान करने के लिए प्रिंट मीडिया को परामर्शिका जारी करने हेतु परिषद् से कहा गया था । परिषद् ने गौर किया कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस मामले पर विचार करते हुए रिकॉर्ड किया था किः

''जहां सभी प्रकार के, चाहे वह प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सक्षम अधिकारिता प्राप्त न्यायालय के निदेशों से बाध्य हैं । किसी भी प्रकार की परामर्शिका, जिसे भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा जारी करने की मांग की गई है, के प्रेस की स्वतंत्रता पर दूरगामी परिणाम होंगे । अतः इस पत्र को परिषद् की 13 मार्च, 2015 को होने वाली बैठक में रखा जाए ताकि उस पर विचार किया जा सके ।''

परिषद् ने माननीय अध्यक्ष महोदय के इस मामले पर परामर्शिका जारी न करने के निर्णय का स्वागत किया । इस मामले पर चर्चा करने के पश्चात्, परिषद् ने यह पारित किया किः

''**हालांकि मीडिया, सक्षम अधिकारिता प्राप्त न्यायालय के निदेशों से बाध्य है, परिषद् का यह मानना है कि किसी प्रकाशन या फिल्म को पढ़े या देखे जाने से पहले उसकी उपयुक्तता के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, पूर्व-सेंसर व्यवस्था के समान है तथा इससे बचना चाहिए।**''

परिषद् के समक्ष शिकायतें

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, परिषद् में कुल 1249 शिकायतें प्राप्त हुईं । इनमें से, 199 शिकायतें प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लंघन करने के संबंध में प्रेस द्वारा सरकारी प्राधिकारियों के विरूद्ध दर्ज की गयीं और 1050 शिकायतें पत्रकारिता नीति भंग करने पर प्रेस के विरूद्ध दर्ज की गयीं । पिछले वर्ष के लंबित मामलों के साथ कुल 2191 मामले परिषद् के निपटान के लिए रखे हुए थे । इनमें से 930 मामले या तो न्यायनिर्णय द्वारा या अध्यक्ष की मध्यस्थता से निपटान किए जाने के कारण अध्यक्ष द्वारा संक्षिप्त निपटान करके या जांच हेतु पर्याप्त आधार की कमी के कारण या जारी न रखे जाने, वापस लेने या मामलों के न्यायाधीन होने के कारण निपटा दिये गये । इन मामलों में से तीन मामले परिषद् के सम्मुख सीधे न्यायनिर्णय के लिए प्रस्तुत किए गए। कुल मिलाकर 1261 मामलों पर वर्ष के अंत में कार्रवाई चल रही थी । शिकायतों के प्राप्त होने और उनके निपटान का एक संक्षिप्त विवरण **अनुबंध-क** पर दिया गया है ।

प्रेस और पंजीकरण अपील बोर्ड

प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 की धारा 8ग के अधीन भारतीय प्रेस परिषद् को उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन घोषणा को प्रमाणित न किए जाने या उक्त अधिनियम की धारा 8(ख) के अधीन बाद में इसे रद्द किए जाने के मेजिस्ट्रेट के आदेशों पर अपीलीय क्षेत्राधिकार सौंपा गया है । इस बोर्ड में भारतीय प्रेस परिषद् के अध्यक्ष और भारतीय प्रेस परिषद् के सदस्यों में से परिषद् द्वारा नामित किया जाने वाला अन्य सदस्य होता है। बोर्ड जिसकी अध्यक्षता भारतीय प्रेस परिषद् के अध्यक्ष ने की, ने दिनांक 10.10.2014 को प्रेस परिषद् के पुनर्गठन पर बोर्ड के सदस्यों के रूप में श्री के. डी. चंदोला और श्री रमेश गुप्ता के साथ अपनी कार्रवाई आरंभ कर दी । अपीलों का विवरण अनुबंध-ढ में दिया गया है ।

राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2014

इस वर्ष, राष्ट्रीय प्रेस दिवस समारोह ''**सार्वजनिक मामलों में पारदर्शिताः प्रेस की भूमिका**'' विषय पर केंद्रित था । समारोह का उद्घाटन माननीय न्यायमूर्ति श्री एम.एन.वेंकट चलैया, भारत के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा किया गया । कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, माननीय राज्यमंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ-साथ माननीय श्री प्रकाश जावड़ेकर, पर्यावरण एवं वन तथा जलवायु परिवर्तन (स्व.प्र.) समारोह के मुख्य अतिथि थे । इस दिन देश भर से प्राप्त होने वाले लेखों को विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट पत्रकारिता हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान किये गये । इस अवसर को स्मरणीय बनाने के लिए कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, माननीय राज्यमंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्मारिका का विमोचन किया गया ।

विश्व प्रेस निकायों के साथ विचार-विमर्श

22 सितंबर, 2014 को नेपाल प्रेस परिषद् की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर शांतिपूर्ण पत्रकारिता को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में अपना सहयोग देने के लिए भारतीय प्रेस परिषद् के माननीय अध्यक्ष महोदय के नेपाल दौरे के दौरान काठमांडू, नेपाल में भारतीय प्रेस परिषद् और नेपाल प्रेस परिषद् के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये । प्रेस परिषद् ने अपनी दिनांक 27.10.2014 की बैठक में पत्रकारिता नीति व उसकी स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए विश्वभर में प्रेस परिषदों व ऐसे समान निकायों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विचार-विमर्श करने का निर्णय लिया ।

राजभाषा - हिंदी दिवस समारोह

राजभाषा नियम, 1976 (यथासंशोधित 1987) की धारा 10(4) के अंतर्गन भारतीय प्रेस परिषद् के कार्यालय को 80% कार्य हिंदी में करने का लक्ष्य प्राप्त करने पर अधिसूचित किया गया है।

कार्यालय में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए सभी कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और इसके लिए प्रत्येक तिमाही में परिषद् की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं । साथ ही, परिषद् के कर्मचारियों के लाभ के लिए हर तिमाही में हिंदी कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती हैं । इसके अतिरिक्त परिषद् के कर्मचारियों को हिंदी शिक्षण योजना के अधीन नियमित प्रशिक्षण दिलवाया जाता है जैसे हिंदी टंकण, हिंदी भाषा (प्राज्ञ, प्रवीण, प्रबोध) प्रशिक्षण तथा कंप्यूटरों पर हिंदी का प्रयोग करने के लिए बेसिक प्रशिक्षण आदि ।

दिनांक 12.09.2014 से 26.09.2014 तक हिंदी पखवाड़ा मनाते हुए, परिषद् के सचिवालय में हिंदी दिवस का मुख्य समारोह 26 सितंबर, 2014 को आयोजित किया गया । इस अवसर पर कर्मचारियों को 'हिंदी की वाणी' नामक वृत्तचित्र दिखाया गया । इस अवसर को स्मरणीय बनाने के लिए भारतीय प्रेस परिषद् के माननीय अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री मार्कण्डेय काटजू और परिषद् के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने परिषद् में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अपने संदेश दिए और विचार व्यक्त किए । समारोह के दौरान, परिषद् के कर्मचारियों को कार्यालय में हिंदी को बढ़ावा देने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए हिंदी प्रोत्साहन योजना के अधीन पुरस्कार और प्रमाणपत्र दिए गए और ऐसे कर्मचारियों को भी प्रमाणपत्र दिए गए, जिन्होंने हिंदी टंकण और हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत अच्छा प्रदर्शन किया था । हिंदी में वार्षिक रिपोर्ट के प्रकाशन के अलावा परिषद् के न्यायनिर्णय और अन्य घोषणाएं द्विभाषिक रूप से दर्ज की गईं और उन्हें जनता के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

पारदर्शी तंत्र

भारतीय प्रेस परिषद् की सचिव महोदया, कार्यालय की मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं। परिषद् की सतर्कता व्यवस्था, जिसमें उपसचिव, अवर सचिव (प्रशा.) तथा अनुभाग अधिकारी (प्रशा.) शामिल हैं, ने सीधे ही परिषद् के अध्यक्ष तथा सचिव (सीवीओ) की देखरेख में कार्य किया। परिषद् के सचिवालय में भ्रष्टाचार को रोकने या उसका विरोध करने के लिए इसके द्वारा नियमित व आकस्मिक जांच की गयी।

शिकायत निवारण प्रक्रिया का कार्य आंतरिक व बाह्य स्तर पर चल रहा है, जिसमें शिकायत निदेशक शामिल हैं जोकि भारतीय प्रेस परिषद् की सचिव महोदया हैं। पीड़ित व्यक्ति, जो अपनी शिकायत के संबंध में शिकायत निदेशक से मिलना चाहते हैं, हर बुधवार को, शाम 4 बजे से 5 बजे तक कार्यालय में मिल सकते हैं। कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण कर्मचारियों के शिकायत अधिकारी द्वारा किया जाता है जोकि परिषद् की उपसचिव महोदया हैं।

परिषद् का नागरिक चार्टर, जिसमें इस संगठन की सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं दी जाती हैं, परिषद् की वेबसाइट पर उपलब्ध है। नागरिकों/मुवक्किलों की संतुष्टि के स्तर पर प्रतिपुष्टि हेतु परिषद् द्वारा समय-समय पर समीक्षाएं/आंतरिक व बाह्य मूल्यांकन किए जाएंगे।

आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत नौ आवेदन प्राप्त हुए और अप्रैल, 2014 से मार्च, 2015 तक आठ आवेदनों को समाप्त कर दिया गया।

परिषद् के सचिवालय में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/ विकलांगों इत्यादि के लिए भारत सरकार की आरक्षण नीति को लागू किया गया है।

अन्य गतिविधियां

इस वर्ष भारतीय प्रेस परिषद् के दस कर्मचारियों ने 24-27 मार्च, 2015 तक इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय इंडोर स्टेडियम, नई दिल्ली में हुई अखिल भारतीय अंतर-मीडिया बैडमिंटन प्रतियोगिता, 2015 में भाग लिया जिसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के बैडमिंटन क्लब द्वारा आयोजित किया गया था। इस प्रतियोगिता में, श्रीमती ईशा गर्ग, सहायक ने वूमैन सिंगल्स में प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा श्रीमती कविता ढींगरा, आशुलिपिक ग्रेड 'डी' व सुश्री मोनिका शर्मा, निम्न श्रेणी लिपिक ने वूमैन डबल्स में तीसरा स्थान प्राप्त किया। अन्य प्रतिभागियों को सहभागिता प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।

उगाही शुल्क

भारतीय प्रेष परिषद् ने अपनी 12वीं सेवावधि में प्राथमिकता के आधार पर उगाही की बकाया राशि की वसूली तथा उगाही की दरें, जिन्हें आखिरी बार वर्ष 1988 में परिशोधित किया गया था, बढ़ाने की संभावना का पता लगाने के लिए वित्त समिति का गठन किया जिसमें श्री रवींद्र कुमार (संयोजक) तथा सर्व/श्री एस.एन. सिन्हा, सी.के. नायक, कृष्ण प्रसाद, सोनदीप शंकर व प्रजनानंद चौधुरी शामिल थे। इस वित्तीय वर्ष (2014-15) में, वित्त समिति की तीन बैठकें हुईं और उसका मानना है कि इस मामले पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से परामर्श करते हुए परिषद् का संपूर्णतावादी दृष्टिकोण आवश्यक है। आगे, समिति ने कहा कि बंद कर दिये गये समाचारपत्रों पर अत्यधिक राशि खर्च करना सही नहीं है और उसे लगता है कि यदि ऐसे समाचारपत्र, प्रेस परिषद् की बाध्यता का पालन किये बिना सरकारी विज्ञापन प्राप्त करते रहे तो उनके कारण बहुत से समाचारपत्रों को स्वतंत्रता व वित्तीय सक्षमता से समझौता करना पड़ेगा जो इस स्तर पर विज्ञापन/प्रत्यायन प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं।

आगे, वित्त समिति ने निर्णय लिया कि बकाया राशि की वसूली और समाचारपत्रों पर लगाए जा रहे उगाही शुल्क के दर का परिशोधन जल्द-से-जल्द किया जाना चाहिए क्योंकि नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने भी बढ़ती बकाया राशि और उसे रोकने के उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया है।

सदस्यों का त्यागपत्र

समीक्षित वर्ष के अंतर्गत, श्री राजीव प्रताप रूड़ी, संसद सदस्य (लोकसभा) जिन्हें राजपत्र अधिसूचना दिनांक 10 अक्टूबर, 2014 द्वारा प्रेस परिषद् अधिनियम की धारा 5(3)(ङ) के अंतर्गत

बारहवीं सेवावधि के सदस्य के रूप में नामांकित किया गया था, ने अन्य वचनबद्धताओं के कारण दिनांक 10.12.2014 को त्यागपत्र दे दिया।

प्रेस की स्थिति - भारत

नीचे ऐसी रिपोर्टों का संकलन दिया जा रहा है, जिनमें वर्ष 2014-15 के दौरान भारतीय प्रेस में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख किया गया है।

निर्वाचन आयोग (ईसी) ने नेशनल ओपीनियन पोल पर स्पष्टतः रोक लगा दी थी और मीडिया से कहा था कि ओपीनियन पोल के आधार पर एक्जिट पोल को न दिखाए क्योंकि इससे निर्वाचन क्षेत्र के स्तर पर किए जा रहे कार्य में 'व्यवधान' होता है। निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा कि ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में ओपीनियन पोल को न तो दिखायें और न ही प्रकाशित करें, जिन्होंने मतदान कर दिया है । लेकिन ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में इसे दिखाया या प्रकाशित किया जा सकता है, जहां अभी मतदान नहीं हुआ है। ओपीनियन पोल दिखाने वाले एनडीटीवी सहित छह समाचार चैनलों के नामों का उल्लेख करते हुए, निर्वाचन आयोग ने कहा कि ओपीनियन पोल के परिणाम के प्रसारण से उन निर्वाचन क्षेत्रों में एक्जिट पोल का प्रसारण हो जाता है, जहां निर्वाचन हो चुका है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि यह लोक प्रतिनिधित्व (पीआर) अधिनियम की धारा 126 का उल्लंघन है, जिसमें एक्जिट पोल का प्रकाशन और प्रसारण निषिद्ध है। **(द हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, दिनांक 17 अप्रैल 2014)**

सूचना और प्रसारण मंत्री, प्रकाश जावड़ेकर ने जैसे ही इस मंत्रालय का कार्यभार संभाला, उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार प्रेस की स्वतंत्रता बनाए रखेगी, जो 'लोकतंत्र का मूल है'। जावड़ेकर ने यह भी कहा कि 'मीडिया ने पहले भी स्व-नियंत्रण का परीक्षण किया है और वह अपनी जिम्मेदारी को समझता है। सरकार उन पर किसी प्रकार का विनियम नहीं थोपना चाहती है'। उन्होंने यह भी कहा कि ''हम इस बात में विश्वास रखते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र का मूल है और लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए हम प्रेस की इस स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि इससे लोगों के पास विभिन्न मतों वाले अलग-अलग विचारों को चुनने का विकल्प होता है'। **(द हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, दिनांक 28 मई 2014)**

उपभोक्ताओं के अनुकूल वातावरण में प्रसारण विनियामक भारतीय संचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) ने केबल ऑपरेटरों को निदेश दिया है कि वे उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करते समय, अदायगी और प्राप्ति ऑनलाइन करने पर उपभोक्ताओं को बिल भेजें, लेकिन इसके आदेशों का अनुपालन संतोषजनक तरीके से नहीं किए जाने के बारे में निम्नलिखित रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। ये निदेश उन क्षेत्रों पर लागू होते हैं, जहां डीजीटाइजेशन लागू कर दिया गया है। **(द टाइम्स ऑफ इंडिया नई दिल्ली, दिनांक 29 मई 2014)**

संचार और प्रसारण विनियामक प्राधिकरण इस संबंध में जल्दी ही दिशा-निर्देश जारी करेगा कि कुछ मीडिया गृह राजनीतिज्ञों के साथ किस हद तक जुड़े हुए हैं और मीडिया

तथा उनके संपादकीय विभागों में निगमित निवेश के बीच किस प्रकार की लक्ष्मण रेखा खींची जानी चाहिए। इन दिशा-निर्देशों में पेड-न्यूज का मुद्दा भी शामिल होगा। मीडिया के संबंध में आयोजित बैठकों में की गई सिफारिशों के इन भागों को भारतीय संचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई), सूचना और प्रसारण मंत्रालय को भेजेगा। **(द इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, दिनांक 1 अगस्त 2014)**

एनडीए सरकार ने ऐसे कपटपूर्ण विज्ञापनों को समाप्त करने की कोशिश की है, जिनमें प्रसारण-तंत्र पर विषय-वस्तु के लिए अदा करने वाले प्रायोजक भी शामिल हैं। लेकिन जो इसके अपराधी हैं उन्हें समाप्त करने के लिए एक विशिष्ट तरीका अपनाया गया है। गलत तरीके से चैनलों को समाप्त करने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में होहल्ला को रोकने की बजाए सरकार ने भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) का गठन विज्ञापनों पर नजर रखने के लिए किया है, ताकि वे अपनी सीमा में काम करें। सूत्रों के अनुसार सरकार एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन करना चाहती है, जो एएससीआई के साथ मिलकर कार्य करेगी, ताकि शरारतपूर्ण विज्ञापनों पर रोक लगाई जा सके और ऐसे अपराधियों पर कठोर कार्रवाई की जा सके, जो एएससीआई की वर्तमान परिपाटियों का पालन न करे। **(द इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, दिनांक 12 अगस्त 2014)**

प्रसार भारती के मुख्य कार्यपालक अधिकारी जवाहर सिरकार ने इस बात का विरोध करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय को एकबार पुनः लिखा है कि लोक प्रसारक अपने क्रिया-कलापों के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं और उन्हें उनके कार्यों के लिए उसी स्थिति में जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, यदि वे समाचार प्रभाग को मानीटर करते हों। 8 अगस्त को हाल ही में एक पत्र भेजा गया था, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि दूरदर्शन समाचारों के महानिदेशक एसएम खान की ''अभी तैनाती नहीं की गई है। इस पत्र में श्री सिरकार ने महानिदेशक, आकाशवाणी समाचार और दूरदर्शन से प्राप्त कई अभ्यावेदनों की ओर ध्यान आकर्षित किया था। इसमें ''हाल ही में किए गए स्थानांतरणों के संबंध में यह कहा गया था कि प्रसार भारती में कार्यरत समाचार यूनिटों से परामर्श किए बिना ही यह कार्य किया गया है''।

श्री सिरकार के अनुसार भारतीय सूचना सेवा (आईआईएस) की तैनाती और स्थानांतरण के संबंध में उनके द्वारा दिए गए सुझावों की आकाशवाणी और दूरदर्शन के समाचार प्रभागों ने उपेक्षा की है। **(द हिंदू नई दिल्ली, दिनांक 12 अगस्त 2014)**

भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई), राजनीतिक दलों, धार्मिक निकायों तथा सरकारी सहायता प्राप्त प्रतिष्ठानों और संबद्ध प्रतिष्ठानों को प्रसारण और टेलीविजन चैनल वितरण क्षेत्रों से बाहर रखना चाहता है। टीआरएआई ने ऐसे कई प्रतिष्ठानों को इस क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए समुचित प्रस्ताव भी दिए हैं, जिनका इन क्षेत्रों में पहले ही आधार है। मीडिया के स्वामित्व के संबंध में उनके द्वारा हाल ही में की गई सिफारिश में इस बात का उल्लेख है कि टीआरएआई ऐसे विधान की मांग करता है, जो मीडिया संबंधी कार्य में लगे ऐसे प्रतिष्ठानों की प्रतिभागिता को विनियमित करे और इस बात पर बल देता है कि

जब तक ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाता तब तक एक कार्यपालक आदेश के जरिए उन्हें अयोग्य घोषित किया जाय। मीडिया के स्वामित्व को प्राप्त करने के लिए ऐसे कुछ प्रतिष्ठानों द्वारा नकली स्वामियों का उपयोग करने की बात स्वीकार करते हुए, टीआरएआई ने कहा कि इस पर भी रोक लगनी चाहिए। **(द हिंदू नई दिल्ली, दिनांक 13 अगस्त 2014)**

दूर संचार और प्रसारण क्षेत्र के प्राधिकरण ने कहा कि मीडिया गृहों में निगम क्षेत्र के निवेश को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, ताकि प्रेस की संपादकीयता की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जा सके। ''मीडिया के स्वामित्व से संबंधित मुद्दों'' के संबंध में अपनी सिफारिश देते समय भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण ने यह नोट किया कि मीडिया में निगमों के प्रवेश के संबंध में हितों का टकराव होने, स्वामित्व पर प्रतिबंध लगने के आधार पर सरकार और विनियामक द्वारा इन पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। इन सिफारिशों में प्रिंट और टेलीवीजन के भारतीय समाचार मीडिया द्वारा उठाए जाने वाले जोखिमों का स्पष्ट मूल्यांकन किया गया है, लेकिन यह निष्कर्ष दिया गया है कि इन्हें सरकारी नियंत्रण के माध्यम से नियंत्रित किए जाने की बजाए स्व-नियंत्रण के माध्यम से ही निपटाया जा सकता है।

- स्वामित्व का निर्धारण कुल शेयर पूंजी के कम से कम 20 प्रतिशत शेयर धारण करने पर किया जाए।
- नियंत्रण का निर्धारण कम से कम 50 प्रतिशत मतदान के अधिकार और निदेशक मंडल में 50 प्रतिशत से अधिक सदस्यों की नियुक्ति के आधार पर किया जाए।
- एक एकल स्वतंत्र मीडिया विनियामक प्राधिकरण होना चाहिए, जिसमें टीवी और प्रिंट मीडिया के प्रतिष्ठित गैर मीडिया कार्मिक प्रमुख रूप से होने चाहिए, ताकि ''पेड न्यूज'', ''प्राइवेट न्यूज'' और ''संपादकीय स्वतंत्रता से संबंधित मुद्दों'' को नियंत्रित किया जा सके। **(द इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, दिनांक 13 अगस्त 2014)**

टीआरएआई ने सिफारिश की है कि आकाशवाणी से समाचार और समसामयिक घटनाओं के प्रसारण के लिए सामुदायिक रेडियो स्टेशन की अनुमति दी जानी चाहिए। इस प्रयास से ऐसे सामुदायिक रेडियो ऑपरेटरों को प्रसन्नता होगी, जो काफी समय से इसकी मांग कर रहे हैं। टीआरएआई द्वारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय को भेजी गई सिफारिशों में लाइसेंस की अवधि 5 वर्ष तक रहने की बात और उसे और 5 साल तक बढ़ाए जाने की संभावना भी शामिल है। विनियामक ने मंत्रालय से यह भी कहा है कि एक ऐसी एकल पटल प्रणाली स्थापित की जाए, जो मंत्रालय में आवेदन-पत्र दाखिल करने की अवस्था से, डब्ल्यू पीसी द्वारा वायरलैस ऑपरेटिंग लाइसेंस दिए जाने और करार पर हस्ताक्षर किए जाने तक की संपूर्ण प्रक्रिया को पुनः तैयार और एकीकृत करे। **(द टाइम्स ऑफ इंडिया नई दिल्ली, दिनांक 23 अगस्त 2014)**

भारतीय विज्ञापन मानक परिषद् (एएससीआई) ने भारतीय चिकित्सा परिषद् (एमसीआई) को ऐसे चिकित्सकों की एक सूची दी है, जो समाचारपत्रों में और टेलीवीजन पर विज्ञापन देते हैं और भ्रामक, झूठे और अप्रमाणित दावे करते हैं। भारतीय चिकित्सा परिषद ने भारतीय विज्ञापन मानक परिषद् को निदेश दिया है कि वह भारतीय चिकित्सा पंजीकरण से ऐसे दोषी चिकित्सकों के विवरण प्राप्त करे और उसने राज्य चिकित्सा परिषद् (एसएमसी) को भी अनुदेश दिया है कि

वह इस संबंध में आगे जांच करे और छह माह के अंदर ऐसे चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई करे। **(द टाइम्स ऑफ इंडिया नई दिल्ली, दिनांक 21 सितंबर 2014)**

गोआ के मुख्यमंत्री, मनोहर परिकर ने सुझाव दिया है कि मीडिया को निर्णय लेने की प्रक्रिया से दूर रखा जाना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों में भ्रम पैदा होगा। भारतीय औद्योगिक परिसंघ (सीआईआई) और इसके सहभागीदार 'पनजी फर्स्ट' द्वारा आयोजित 'नॉलेज कनेक्ट' परियोजना में बोलते समय परिकर ने इसके संयोजकों को सलाह दी है कि वे निर्णय लेने की प्रक्रिया को मीडिया के दायरे से बाहर रखें। उन्होंने यह भी दावा किया कि ''मीडिया तथ्यों को तोड़-मरोड़ देता है और लोगों में भ्रम पैदा करता है'। उन्होंने इस बात के लिए मीडिया की आलोचना की है कि वह (मीडिया) बिना सोचे-समझे और बुनियादी वास्तविकताओं को समझे बिना आलोचना करता है। **(द टाइम्स ऑफ इंडिया नई दिल्ली, दिनांक 22 सितंबर 2014)**

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को लिखा है कि वे सरकारी निर्णयों और नीतिगत पहलों से संबंधित सभी प्रमुख समाचार दें और ये समाचार प्राइवेट टीवी चैनलों और न्यूज एजेंसियों से पहले केवल राज्य के स्वामित्व की आकाशवाणी (एआईआर) और राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन (डीडी) को ही दें। सरकारी निर्णयों और नीतिगत पहलों के बारे में किसी भी महत्वपूर्ण घोषणा की जानकारी प्राइवेट न्यूज चैनलों और एजेंसियों से पहले आकाशवाणी / डीडी न्यूज के समाचार सेवा प्रभाग को दें। **(द हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, दिनांक 22 सितंबर 2014)**

भारत के संपादकों के संघ ने एनडीए सरकार से कहा है कि वह पत्रकारों के साथ ''व्यापक पहुंच बनाए और उनके साथ क्रिया-कलापों में अधिक भाग लें''। इस संघ द्वारा जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि ''वरिष्ठ स्तर से नीचे के स्तर पर देश में इकतरफा संव्यवहार है और इसमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी और प्रोद्योगिकी की जानकारी भी कम है लेकिन यह बड़ी मात्रा में पाठकों, दर्शकों, सरफर्स और श्रोताओं के लिए कोई उत्तर नहीं हो सकता है। लोकतांत्रिक व्यवहार में वाद-विवाद संवाद और चर्चा अनिवार्य अंग होते हैं''। उन्होंने यह भी कहा कि ''प्रधानमंत्री कार्यालय में मीडिया इंटरफेस की स्थापना करने में हो रहे विलंब से कार्यालयों में मंत्रियों और अधिकारियों तक पहुंच सीमित होती है और इससे देश में और विदेश में सूचना का प्रवाह कम होता है''। उसने यह भी कहा कि शुरू-शुरू में ऐसा प्रतीत हुआ कि सरकार ने लोकतांत्रिक संवाद और दायित्व के मापदंडों का समाधान कर लिया है। **(द टाइम्स ऑफ इंडिया नई दिल्ली, दिनांक 24 सितंबर 2014)**

मीडिया द्वारा न्यायालय की अवहेलना, निंदा, विचारण, निजता और पेड न्यूज ऐसे कुछ मुद्दे हैं, जिन पर विधि आयोग द्वारा गठित मीडिया कानून के आधार पर परामर्श करके घिसी-पिटी चर्चा होती है। उच्च मीडिया कार्मिक, विधिवेता और अन्य महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर इस परामर्श में भाग लेंगे। इस परामर्श का उद्देश्य मीडिया कानून के मुद्दों पर अपनी रिपोर्ट देने

से पहले यह आयोग उद्योग और सरकार के विभिन्न स्टेक होल्डरों के विचार आमंत्रित करेगा। इसमें स्व-विनियमन बनाम सांविधिक विनियमन, एक्जिट पोल और सामाजिक मीडिया पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। **(द हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, दिनांक 24 सितंबर 2014)**

मीडिया सिंहावलोकन

वयोवृद्ध फोटो जर्नलिस्ट रमेश चंद्र पांडेय का निधन हो गया है। वे 87 वर्ष के थे। उन्होंने मीडिया के क्षेत्र में 5 दशकों तक कार्य किया। श्री पांडे ने यूपीआई, राउटर्स, यूएनआई और मनोरमा में कार्य किया और 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध को व्यापक रूप से कवर किया। उन्होंने वर्ष 1967 में ईरान के पूर्व शासक मोहम्मद रज़ा पहलवी की ताजपोशी, बीटल के ऋषिकेस दौरे, वर्ष 1969 में संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की भारत की राजकीय यात्रा, 1971 के बांग्लादेश युद्ध, आपातकाल के वर्षों, 1980 में हेलीकॉप्टर के टकराने से संजय गांधी की मृत्यु होने और वर्ष 1983 में ऑपरेशन ब्लू स्टार की घटनाओं को भी कवर किया था। **(द हिंदू नई दिल्ली, 18 अप्रैल 2014)**

वरिष्ठ पत्रकार और लेखक श्री शिव कुमार गोयल की 75 वर्ष की आयु में अपने निवास स्थान पर मृत्यु हो गई। वे कुछ सप्ताह से बीमार थे। **(जनसत्ता, नई दिल्ली, दिनांक 30 अप्रैल 2014)**

वयोवृद्ध पत्रकार पद्म भूषण बलराज पुरी का लंबी बीमारी के बाद सरकारी मेडिकल कॉलेज में निधन हो गया है। वे 86 वर्ष के थे। वे अपने पीछे अपनी पत्नी, पुत्री और पत्रकार पुत्र लव पुरी को छोड़ गए हैं। **(द हिंदू नई दिल्ली, 31 अगस्त 2014)**

द हिंदुस्तान टाइम्स और उसके सहायक प्रकाशन मिंट को पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए रामनाथ गोइन्का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिंदुस्तान टाइम्स के कुनाल पुरोहित को सिविक रिपोर्टिंग 2012 के लिए प्रकाश कार्डली स्मारक पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार उन्हें नगर विकास योजना के भाग के रूप में जमीन के वर्तमान उपयोग को चिन्हित करने में अपनाए जाने वाले तरीकों के जरिए मुंबई में की गई हजारों ''भूलों'' को उजागर करने के संबंध में रिपोर्टिंग करने के लिए प्रदान किया गया । हिंदुस्तान टाइम्स के सहयोगी प्रकाशन मिंट को कई पुरस्कार प्रदान किए गए और अनिल पद्मनाभन और कोर्डेलिया जेंकिंस ने वर्ष 2011 का अनकवरिंग इंडियन इनविजिबल पुरस्कार प्रदान किया है, दिनेश उनीकृष्णन को वर्ष 2011 का माइक्रोफाइनेंस संबंधी उनकी रिपोर्टिंग के लिए कारोबार और आर्थिक पत्रकारिता का पुरस्कार दिया गया और निरंजन राज्याध्यक्ष को वर्ष 2012 के लिए अर्थव्यवस्था संबंधी टिप्पणी और संव्यवहारी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया। **(द हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, दिनांक 10 सितंबर 2014)**

टाइम्स ऑफ इंडिया के महान भारतीय कार्टूनिस्ट श्री आर.के. लक्ष्मण के सभी प्रमुख अंग फेल होने के बाद 94 वर्ष की आयु में पुणे के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया।

उनका दैनिक कार्टून ''यू सेड इट'' टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रमुख पृष्ठ पर 50 वर्ष से अधिक तक प्रकाशित होता रहा। उन्हें ऐसे ''सामान्य व्यक्ति'' के चित्रकार के रूप में सबसे अधिक जाना जाता है, जिसकी 8 फुट लंबी कांस्य प्रतिमा दिसंबर 2001 में पुणे में स्थापित की गई। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार उनके दैनिक कार्टून राजनीतिक नेताओं पर व्यंग्य करने के लिए भी जाने जाते थे, जिसमें वे किसी को भी नहीं छोड़ते थे। लक्ष्मण द्वारा तैयार किए गए कार्टूनों में एक कार्टून पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी था, जिसके संबंध में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कार्टूनिस्ट श्री लक्ष्मण को फोन करके उन्हें अचंभे में डाल दिया था। उन्होंने कार्टूनिस्ट श्री लक्ष्मण से कोई शिकायत नहीं की, अपितु उनसे उस कार्टून की एक प्रति हस्ताक्षर करके फ्रेम करने के लिए मांगी थी। वर्ष 2005 में सरकार ने लक्ष्मण को भारतीय नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। **(टाइम्स ऑफ इंडिया का ऑन लाइन अंक, नई दिल्ली, दिनांक 26 जनवरी 2015)**

पारिवारिक सूत्रों के अनुसार फोटो पत्रकार कृष्ण मुरारी 'किशन' का एक प्राइवेट अस्पताल में निधन हो गया। उनके सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। वर्ष 1978 में जमशेदपुर में और वर्ष 1989 में भागलपुर में सांप्रदायिक दंगों को कवर करने के लिए उनकी प्रशंसा की गई। किशन ने नई दिल्ली के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली''। **(द इंडियन एक्सप्रेस नई दिल्ली, दिनांक 3 फरवरी 2015)**

वरिष्ठ पत्रकार दिप्तोश मंजूमदार का दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में निधन हो गया। वे 55 वर्ष के थे। मंजूमदार न्यूज एक्स के राष्ट्रीय मामलों के संपादक थे। उन्हें मृत्यु से 15 दिन पहले ही ब्लड कैंसर होने का पता चला। मंजूमदार पहले कलकत्ता और नई दिल्ली ब्यूरो में 'टेलीग्राफ' से जुड़े हुए थे। वे सीएनएन-आईएनवी के राष्ट्रीय विषयों के संपादक भी थे। **(द टेलीग्राफ, कलकत्ता दिनांक 9 फरवरी 2015)**

वयोवृद्ध पत्रकार और कार्टूनिस्ट राजेंद्र पुरी का 16 फरवरी 2015 को निधन हो गया। 80 वर्षीय पुरी कुछ समय से बीमार चल रहे थे। वे लगभग छह दशकों तक द स्टेट्समैन से जुड़े रहे। **(द स्टेट्समेन, नई दिल्ली दिनांक 17 फरवरी 2015)**

तेलंगाना सरकार की पत्रकारों को हैदराबाद में राज्य सचिवालय में प्रवेश न करने देने की योजना चारों ओर फैल गई, क्योंकि तेलंगाना सरकार ने सचिवालय में पत्रकारों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया है, इसलिए मीडिया कार्मिकों ने सचिवालय में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के कार्यालय के सामने विरोध करने के लिए धरना दिया। प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया दोनों के पत्रकारों का एक शिष्टमंडल राज्य सरकार के सांस्कृतिक कार्य सलाहकार, के.वी. रमन्ना चारी से मिला। उन्होंने श्री चारी को एक ज्ञापन भी दिया, जिसमें इस बात की मांग की गई कि मीडिया को सचिवालय में बिना किसी रोक-टोक के आने-जाने दिया जाय। **(द पायनियर, नई दिल्ली दिनांक 21 फरवरी 2015)**

प्रतिष्ठित विश्व प्रेस फोटो पुरस्कार के आयोजकों ने प्रविष्टि के बाद प्रमुख पुरस्कार को रोक दिया। यह पुरस्कार ग्रीटी वेल्जियन इण्डस्ट्रियल टाउन, चारलेरोई के चित्रांकन के लिए दिया जाना था। इस चित्रांकन को गहन चर्चा के बाद छवि खराब करने का दोषी पाया गया। विश्व प्रेस फोटो (डब्ल्यूपीपी) ने एक बयान में कहा कि गियोवनी ट्राइलो को उनकी सीरीज के

लिए प्रदान किया गया कंटेंम्परेरी इशू वर्ल्ड प्रेस पुरस्कार 2015 को 'भ्रामक सूचना के आधार पर वापस ले लिया गया था''। इस बयान में कहा गया कि यह कहानी प्रविष्टि के नियमों के अनुसार नहीं है, इसलिए यह पुरस्कार रद्द किया जाना चाहिए। यह स्पष्ट किया गया कि उन्हें इस बात का पता चला कि उनमें से एक फोटो वास्तव में ब्रूसेल्स में लिया गया था। वर्ल्ड प्रेस फोटो ने कहा कि गियोबनी ट्रोइलो को उनकी सीरीज द डार्क हार्ट ऑफ यूरोप के लिए प्रदान किया गया 2015 का पुरस्कार वापस ले लिया गया था। **(द एशियन एज, नई दिल्ली दिनांक 3 मार्च 2015)**

श्री विनोद मेहता का 8 मार्च 2015 को निधन हो गया। लंबी बीमारी के बाद उनकी मृत्यु से पत्रकारिता का एक युग समाप्त हो गया है। विनोद मेहता विज्ञापन जगत से पत्रकारिता में आए थे। मुंबई में अपने शुरू के वर्षों में जब उन्होंने डेबोनियर की शुरूआत की, तब सब कुछ ठीक-ठाक था। लेकिन जब वे सबसे पहले द इंडियन पोस्ट समाचार पत्रकारिता में, तब द इनडिपेंडेंट में और अंततः पायनियर में समाचार-पत्रकारिता में आए तो धीरे-धीरे काम सीखने में उन्हें काफी समय लग गया। यह उन्होंने अपनी लागत पर किया था। समाचार-पत्र के स्वामी, राजनीतिज्ञों के नाजुक अहंकार का जोखिम लेने के लिए हमेशा इच्छुक नहीं होते हैं। लेकिन अंत तक उन्होंने कभी भी अपनी हार नहीं मानी। **(द हिंदू, नई दिल्ली दिनांक 9 मार्च 2015)**

हमला

द न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए) ने चेन्नई में हेड लाइंस टुडे और टाइम्स नाउ चैनल के पत्रकारों और कैमरामैनों पर हमले की निंदा की है। यह हमला उस समय किया गया, जब वे एमके स्टालिन के अपने दल के पद से तथाकथित त्यागपत्र के समाचार को कवर कर रहे थे। **(द स्टेट्समेन, नई दिल्ली दिनांक 20 मई 2014)**

असम के पत्रकार भाइयों ने टीवी पत्रकार को गिरफ्तार करने के लिए सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश प्रकट किया है। पत्रकार पर प्रतिबंधित सशस्त्र लोगों के साथ निकट और अनैतिक संबंध बनाए रखने का संदेह था। असम के विभिन्न फॉर्मों के मीडिया कार्मिकों ने पुलिस से अनुरोध किया कि वे जैखलांग ब्रह्मा, कोकरा झार के न्यूज लाइफ चैनल के पत्रकार को छोड़ दे। पुलिस का दावा था कि ब्रह्मा एनडीएफबी उग्रवादियों को काउंटर इंसरजेंसी ऑपरेशन में सुरक्षा बलों के संचलन के बारे में सूचना दे रहा था। पुलिस ने ब्रह्मा के लैपटॉप और दो सैल फोन उसके कोकरा झार स्थित आवास से जब्त किए थे। **(द स्टेट्समेन, नई दिल्ली दिनांक 5 सितंबर 2014)**

द कमेटी टु प्रोटेक्ट जर्नलिस्टस (सीपीजे) ने श्री जैखलांग ब्रहम्मा, कोकरा झार के टेलीवीजन पत्रकार को गिरफ्तार किए जाने पर चिंता व्यक्त की है। श्री जैखलांग ब्रहम्मा को ''सशस्त्र उग्रवादियों के साथ आपत्तिजनक संबंध'' रखने के लिए 2 सितंबर को असम पुलिस ने गिरफ्तार किया था और वह 16 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में रहा। पश्चिमी असम के कोकरा झार के एक और टेलीवीजन पत्रकार (रिनॉय बसु मतरी) को भी इसी प्रकार के आरोप में राज्य पुलिस द्वारा गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है, जो गुवाहाटी के दूसरे सैटेलाइट चैनल न्यूज टाइम असम में कार्यरत था। **(द स्टेट्समेन, नई दिल्ली दिनांक 10 सितंबर 2015)**

तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव द्वारा मीडिया को धमकी दी गई थी, जिसकी सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, भारतीय प्रैस परिषद और उद्योग निकायों द्वारा आलोचना की गई थी। उन्होंने भाषा के संबंध में आपत्ति उठाई थी और इसे बोलने की आजादी पर खतरा बताया था। हैदराबाद में बोलते हुए जावड़ेकर ने कहा कि दादागिरी' का प्रयोग मीडिया को धमकाने की बजाए विकास के कार्यों के लिए किया जाना चाहिए। **(द टाइम्स ऑफ इंडिया नई दिल्ली दिनांक 12 सितंबर 2014)**

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने बहुत आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने मीडिया की गर्दन तोड़ने और उसे दस फीट गहरे गड्ढे में दफन करने की बात की थी, जिससे राष्ट्रीय मीडिया नाराज हो गया। संपादकों के संघ ने मीडिया समूह पर तेलंगाना में रोक लगाने के खिलाफ भारी आपत्ति उठाई थी और आरोप लगाया है कि उनका व्यवहार मीडिया के प्रति अलोकतांत्रिक और अनैतिक है। भारत के संपादकों के संघ के अध्यक्ष एन. रवि ने, के. चंद्रशेखर की बात को आपत्तिजनक बताया था। भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष न्यायमूर्ति मार्कण्डेय काटजू ने भी यह कहते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री को प्रताड़ित किया था कि के. चंद्रशेखर का बयान अनुचित और अस्वीकार्य है। श्री काटजू ने कहा कि ''मुख्यमंत्री का यह बयान मेरी राय में बहुत ही अनुचित, बहुत ही आपत्तिजनक और लोक तंत्र में पूर्णतः अस्वीकार्य है। विशेषतः तब जबकि यह ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है, जो उच्च सांविधिक पद पर प्रतिष्ठित है''। तेलंगाना के मुख्यमंत्री की टिप्पणी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर सीधा हमला है। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने कहा कि उनके द्वारा दी गई धमकी से हमें बहुत धक्का लगा है। **(द पायनियर, नई दिल्ली दिनांक 12 सितंबर 2014)**

आज असम के विभिन्न भागों के पत्रकारों ने हाल ही में सिटी पुलिस स्टेशन में एक महिला रिपोर्टर पर पुलिस के अत्याचारों के खिलाफ प्रदर्शन किया है। उनमें से कईयों को उस समय गिरफ्तार किया गया, जब वे असम सचिवालय के सामने धरना प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे थे।

इस बीच असम के मुख्यमंत्री श्री तरुण गगोई ने इस घटना की जांच के आदेश दिए और मुख्य सचिव राजीव बोरा से कहा कि वे इस मामले की जांच करें, जिसमें एक पत्रकार के साथ तथाकथित दुर्व्यवहार किया गया है और एक माह के अंदर इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें''। **(द स्टेट्समेन, नई दिल्ली दिनांक 3 फरवरी 2015)**

न्यायिक मामले

दिल्ली उच्च न्यायालय ने समाचार रिपोर्ट को प्रसारित करने से जीटीवी को रोकने के ब्लेंकेट ऑर्डर के संबंध में बड़े उद्योगपति और विधि निर्माता जिंदल के तर्क को स्वीकार करने से इंकार कर दिया, जो तथाकथित रूप से अपमानजनक था। न्यायमूर्ति वीके शाली ने कहा कि जिंदल और उसकी कंपनी जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल) ''इस बात का समाधान नहीं कर पाए कि उन्हें प्रथम दृष्टया यह अच्छा मामला लगा'' और उन्होंने उनके तर्क को निपटा दिया लेकिन न्यायालय ने जीटीवी को निदेश दिया कि वे न्यूज प्रसारण मानक प्राधिकरण (एनबीएसए) के दिशा-निर्देशों का पालन करें, क्योंकि उसी के अनुसार वे उस स्थिति

में जिंदल और जेएसपीएल के विचारों को प्राप्त कर पायेंगे, यदि वे उनकी कंपनी से संबधित किसी कार्यक्रम को प्रसारित करना चाहें। हो सकता है कि यह प्रकाशन वास्तविक न हो, न ही वह पूरी तरह से और स्थाई रूप से सत्य हो या हो सकता है कि वह मिथ्या या आपत्तिजनक हो और उन व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील हो, जिनके खिलाफ ऐसे आरोप लगाए गए हैं, लेकिन उन सबको साथ मिलाने के लिए यह कोई आधार नहीं है। **(द ट्रिब्यून, चंडीगढ़ दिनांक 2 अप्रैल 2014)**

एक निर्णय में जिसके अनुसार स्टिंग ऑपरेशन करने वाले पत्रकारों और अन्यों को सावधान किया गया है, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो ऐसे ऑपरेशंस के पीछे हों, उन्हें आपराधिक मुकद्दमे से बचाव के लिए कोई सुविधा नहीं मिल सकती है, बशर्ते कि उनकी कार्रवाई से इस बात का पता चलता हो कि उन्होंने प्रथमदृष्ट्या कोई अपराध किया है। उनका यह कृत्य केवल इसलिए विलोपित नहीं किया जा सकता है कि उन्होंने जो कुछ किया वह अपेक्षाकृत बड़े जनसमुदाय के हित में था। मुख्य न्यायमूर्ति पी. सदाशिवम के नेतृत्व वाली पीठ ने इस बात के महत्व पर विचार किया, क्योंकि देश में स्टिंग ऑपरेशन को विनियमित करने के लिए कोई कानून नहीं है। यह निर्णय प्रत्यक्षतः ऐसे मामलों के संबंध में था, जिसमें आर्थिक लालच या अन्य पक्षपात करने के लिए किसी व्यक्ति को 'एक्सपोज' किया गया हो। न्यायालय ने इन प्रश्नों पर भी विचार किया कि स्टिंग ऑपरेशन करने वाला व्यक्ति अपराध का दोषी ठहराया जाए या नहीं? यह बात संपूर्ण प्रक्रिया से पृथक नहीं है या इसे माफ कर दिया जाए, चूंकि इस कृत्य का उद्देश्य ऐसे गंभीर अपराध के मुख्य अपराधी को एक्सपोज करना है जो लोकहित के लिए हानिकारक हों। न्यायालय ने इस प्रश्न पर भी विचार किया कि क्या स्टिंग ऑपरेशन करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला यह अपराध प्रारंभिक हो और इसमें यह समझा जाना चाहिए कि इसमें कोई अपराध की भावना नहीं थी और यह 'मुख्य दोषी' द्वारा अन्य अपराध करने की शुरूआत करने के लिए ही था। **(द इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली दिनांक 25 अप्रैल 2014)**

एक वकील द्वारा दायर किए गए वाद के संबंध में सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक और यू-ट्यूब को दिल्ली न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किए गए थे, इसमें वकील ने मजलिस-ए-इतिहादुल एमएलए अकबरुद्दीन उबेशी द्वारा आंध्रप्रदेश में दिसंबर 2012 में दिए गए आपत्तिजनक घृणा फैलाने वाले भाषण को हटाने का अनुरोध किया गया था। सिविल न्यायाधीश विक्रम वैद ने नोटिस जारी करके 5 जून तक उनके उत्तर मांगे हैं। याचिकाकर्ता ने अपने वाद में कहा कि हालांकि ओवैसी को इस प्रकार के घृणा फैलाने वाले भाषण के लिए पिछले वर्ष पहले ही अपराधियों की सूची में रखा गया था, फिर भी उसके भाषण का वीडियो अभी भी **facebook.com, youtube.com** और 4 टीवी, जो एक न्यूज चैनल है, की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उसे भी न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया है। उसने कहा कि अब उसने वाद दायर कर दिया है, जब उसे हाल ही में वेबसाइट पर यह वीडियो मिला और उसने उसे आपत्तिजनक पाया। वीडियो को वेबसाइट से हटाने का निदेश चाहने और इसी प्रकार के धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली किसी अन्य विषय-वस्तु के संबंध में याचिकाकर्ता ने कहा कि ''प्रतिवादी की वेबसाइट को कोई भी देख सकता है और इसका वीडियो लिंक खुला है और उसे देखने के बाद कोई भी टिप्पणी कर सकता है''। उसने कहा कि ''दर्शकों द्वारा की गईं टिप्पणियां भी बहुत आपत्तिजनक हैं''। न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी (वेबसाइट) ''के कृत्य-अकृत्य से पंथनिरपेक्ष भारत में

सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिल रहा है। केवल वादी ही नहीं अपितु पंथ-निरपेक्षता, सामाजिकता और लोकतांत्रिक भारत में विश्वास रखने वाले सभी नागरिक इस वीडियो से व्यथित हैं'' न्यायालय को बताया गया । **(द हिंदू, नई दिल्ली दिनांक 27 अप्रैल 2014)**

उच्चतम न्यायालय ने सेवानिवृत्त कर्नाटक संवर्ग के आईएएस अधिकारी बी ए हरीश गौड़ा के तर्क को स्वीकार किया है, जिसमें उन्होंने स्थानीय पत्रिका में 1998 में उनके खिलाफ तथाकथित मानहानिपरक लेखों की श्रृंखला लिखने के लिए तीन पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर और सी नगप्पन की पीठ ने गौड़ा द्वारा दायर की गई विशेष अनुमति याचिका की सुनवाई करने का निर्णय लिया, जिसमें पिछले दिसंबर में पारित कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी और दोष सिद्ध व्यक्तियों का दंड बढ़ाने की मांग की गई थी। **(डेकन हेरल्ड, बंगलौर दिनांक 29 अप्रैल 2014)**

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह नीरा राडिया टेप से उत्पन्न निजता के अधिकार के मुद्दे पर पहले सुनवाई करेगा और बाद में इस टेलीफोन वार्ता में काट-छांट किए जाने के आपराधिक संकेतों की संभावना का पता लगाएगा। न्यायमूर्ति जी.एस. सिंघवी (अब सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा पारित 17 अक्टूबर के आदेश में सीबीआई की जांच की संभावना है, जिसमें मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी और टाटा की अध्यक्षता वाले बड़े कार्पोरेट घरानों के साथ जुड़ी कुछ उच्च मूल्य के लेन-देन हुए हैं। न्यायमूर्ति एच.एल दत्तू, जे.एस. खेहर और आर. के. अग्रवाल की पीठ ने कहा कि रतन टाटा, टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष द्वारा उठाया गया निजता के आधार का मुद्दा और अधिक महत्वपूर्ण है और वे इस याचिका पर सुनवाई पूरी करना चाहेंगे। **(द टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली दिनांक 30 अप्रैल 2014)**

क्या मीडिया द्वारा समानांतर मुकद्दमा चलाने की प्रक्रिया की अनुमति उस स्थिति में दी जा सकती है, जब दोषी के मूल अधिकारों को रौंदा जा रहा हो और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष निर्णय करने की प्रक्रिया में बाधा डाली जा रही हो? मीडिया द्वारा मुकद्दमा चलाए जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए, जिसमें जांच एजेंसियों और अभियोजन अधिकारियों द्वारा साक्ष्य संबंधी जटिल तथ्यों के साथ प्रायः प्रस्तुत किए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय ने आपराधिक मामलों को कवर करने और जांच एजेंसियों द्वारा संक्षिप्त विवरण दिए जाने के संबंध में मीडिया के लिए दिशा-निदेश तैयार करने के बारे में निर्णय दिया है। एक तीन न्यायाधीशों की पीठ ने, जिसकी अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायमूर्ति आर.एम. लोढा ने की, इस मुद्दे को ''गंभीर बताया है और कहा कि न्यायालय कुछ ऐसे दिशा-निदेशों पर विचार करेगा, ताकि सभी स्टेक होल्डरों के अधिकार और हितों में संतुलन बनाया जा सके। न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और रोहिंटन एफ नेरीमन वाली पीठ ने भी यह नोट किया कि सर्वोच्च न्यायालय को मीडिया द्वारा मुकद्दमा चलाए जाने की बढ़ती हुई घटनाओं के मुद्दे पर ध्यान देने और पुलिस तथा अभियोजकों द्वारा मुहैया कराई गई सूचना के आधार पर दोषी व्यक्ति की सार्वजनिक निंदा करने पर भी ध्यान देना चाहिए। भले ही वह मुकद्दमा निपटा दिया गया हो। ''यह बहुत गंभीर मामला है. . . . . विशेष रूप से मीडिया पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों को विवरण दे रही है। पीठ ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, जिससे जांच और छान-बीन की गुप्तता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। इसके लिए कुछ रोकों

की आवश्यकता है, चूंकि ये सब संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार) के अंतर्गत आते हैं। यह भी कहा गया कि ''क्या मीडिया द्वारा समानांतर मुकद्दमे की प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति उस स्थिति में दी जा सकती है, जब कोई मुकद्दमा पहले ही न्यायालय में चल रहा हो? हम समझते हैं कि इससे मुकद्दमे की संपूर्ण प्रक्रिया और दोषी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। चल रही जांच के दौरान अधिकारियों द्वारा मीडिया को विवरण नहीं देना चाहिए''। मीडिया के सामने पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की परेड करने को भी अनुमोदित नहीं किया गया है। न्यायालय ने यह भी कहा कि भले ही धारा 161 (पुलिस के सामने) और धारा 164 (न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने) के अधीन दिया गया दोषी का बयान मीडिया को जारी किया जा रहा हो। **(द इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली दिनांक 29 अगस्त 2014)**

साइबराबाद पुलिस के साइबर क्राइम इकाई ने तेलुगू टीवी चैनल के खिलाफ मुकद्दमा दायर किया है। यह मुकद्दमा सांप गैंग के लोगों द्वारा अपने शिकार को डराने का वीडियो प्रसारित किया है। संदेह है कि इस वीडियो को उस गैंग द्वारा रिकॉर्ड किया गया है, जब वे अपने शिकार पर हमला करते हैं। पुलिस ने एक ऐसे पत्रकार के खिलाफ मुकद्दमा दायर किया है, जिसने अपने वट्सएप एकाउंट का उपयोग करके वीडियो प्रसारित किया है। लेकिन पुलिस अभी ऐसे दो बड़े टीवी चैनलों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, जिन्होंने इस वीडियो की कॉपी की है और अपने न्यूज बुलेटिन के दौरान इसे प्रसारित किया है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि शिकार हुए ऐसे लोगों के संबंधियों द्वारा शिकायत दर्ज करने के बाद मुकद्दमा दायर किया गया है। उन्होंने यह जानने के बाद पुलिस से संपर्क किया कि टीवी चैनलों द्वारा इस वीडियो को प्रसारित किया जा रहा है। पुलिस ने शीघ्र ही उस चैनल के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज कर दिया, जिसने सबसे पहले यह वीडियो प्रसारित किया था। **(डेकन क्रोनिकल, हैदराबाद दिनांक 02 सितंबर 2014)**

गुवाहाटी : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोकराझार के न्यायालय द्वारा कोकराझार के गिरफ्तार किए गए टेलीवीजन पत्रकार जैखलांग ब्रह्मा को 16 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। न्यायालय ने उसकी जमानत की अर्जी को भी अस्वीकार कर दिया। उसे 5 दिन की पुलिस हिरासत की अवधि पूरी करने के बाद न्यायालय में पेश किया गया। श्री ब्रह्मा को 2 सितंबर की रात्रि को गिरफ्तार किया गया था, उस पर सुरक्षा बलों के संचलन के बारे में उग्रवादियों को सूचना ''मुहैया कराने'' और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोरोलेंड (सांग विजित) के लोगों को उकसाने और बेकसूर लोगों, स्रोतों या मुखबिरों की हत्या में शामिल होने का आरोप था। लेकिन पत्रकार ने इन आरोपों से इंकार किया है। **(द हिंदू, नई दिल्ली दिनांक 9 सितंबर 2014)**

बंबई उच्च न्यायालय ने आज महाराष्ट्र सरकार और पुलिस को कठोर कदम उठाने से रोका है, जिसमें फ्रेंच मैग्जीन चार्ली हेब्डो के बीच में उर्दू दैनिक के संपादक को पैगंबर मोहम्मद का कार्टून छापने के खिलाफ उसे गिरफ्तार करना भी शामिल है। सीरिन दलवी, उर्दू समाचार पत्र अवधनामा के संपादक द्वारा दायर की गई याचिका पर न्यायमूर्ति रंजीत मोरे और अनुजा प्रभु देसाई की खंडपीठ द्वारा अंतरिम आदेश पारित किया गया था। इस उर्दू दैनिक के मुंबई संस्करण को पिछले माह कार्टून का प्रकाशन किए जाने के बाद बंद कर दिया गया था। 46 वर्षीय दलवी, मुंब्रा में निवास करता है, जो ठाणे जिले के नजदीक

है। उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज किए गए मामले को समाप्त करने का अनुरोध किया है और कार्टून के प्रकाशन के बाद उसके खिलाफ दायर किए गए सभी मामलों को एक साथ मिलाने के लिए कहा है। ऐसा उन्होंने अपने खिलाफ सरकारी या और पुलिस की कठोर कार्रवाई न करने के लिए निदेश देने का अनुरोध करने के लिए कहा, जिसमें गिरफ्तारी भी शामिल है। **(द स्टेट्समेन, नई दिल्ली 10 फरवरी 2015)**

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दो पीआईएल पर कोई निदेश जारी करने से इंकार कर दिया है। इस पीआईएल में 16 दिसंबर 2012 दिल्ली गैंग रेप की डॉक्यूमेंट्री पर से प्रतिबंध उठाने की मांग की गई थी। यह मांग यह कहते हुए की गई थी कि इससे मुकद्दमे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि न्यायाधीश भी ''किसी बाह्य अंतरिक्ष से नहीं है''। इस बात को स्वीकार करते हुए कि न्यायाधीश भी मीडिया द्वारा ''अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित थे''। अतः न्यायमूर्ति बदर डुरेज़ अहमद और संजीव सचदेवा की पीठ ने कहा कि ''न्यायाधीश भी आदमी होते हैं। हम बाह्य अंतरिक्ष से नहीं हैं''। पीठ ने यह भी कहा कि ''हमारी राय में यह डॉक्यूमेंट्री तब तक नहीं दिखाई जानी चाहिए, जब तक उच्चतम न्यायालय इस मामले में अंतिम निर्णय न दे दे''। कोर्ट ने कहा कि इस डॉक्यूमेंट्री के संबंध में उसे ''प्रथम दृष्ट्या कोई आपत्ति नहीं है'', लेकिन उसने सुझाव दिया कि इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने के लिए ''तब तक इंतजार किया जाना चाहिए, जब तक उच्चतम न्यायालय मामले में निर्णय देता है''। उस डॉक्यूमेंट्री को, जिसमें पीड़ित व्यक्ति के परिवार, दोष सिद्ध मुकेश सिंह और बचाव वकीलों का साक्षात्कार है, उसे बीबीसी ने पिछले सप्ताह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिखा दिया था। विचारण (ट्रायल) न्यायालय द्वारा 4 मार्च को आदेश जारी करने के बाद सरकार ने भारत में इस डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण पर रोक लगा दी थी। **(द इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली 13 मार्च 2015)**

विश्व मीडिया भारतीय प्रेस

ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया के वित्तीय समाचार पत्र ने संयोग से अपने समाचार पत्र के शीर्षक पर ''वर्ल्ड इज फक्ट'' लिखा था, जिसके लिए उन्होंने इस गलती वाले संस्करण के संबंध में अपने पाठकों से माफी मांगी। सम्मानित आस्ट्रेलियन फाइनेंसियल रिव्यू में प्रधान संपादक माइकल इस्टर्च बर्री के संदेश में यह बात लिखी थी, जिसके संबंध में उन्होंने बताया कि यह उत्पादन और मुद्रण की गलती के कारण हुआ। ''द आस्ट्रलियन फाइनेंसियल रिव्यू'' ने अपने समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ पर वास्तव में अस्वीकार्य बात लिखने के लिए अपने पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई पाठकों से क्षमा मांगी। **(द एशियन ऐज, नई दिल्ली दिनांक 29 अप्रैल 2014)**

संयुक्त राज्य अमरीका

पत्रकारों और समाचार प्रकाशनों के लिए संसाधनों को और उपयोगी बनाने हेतु फेसबुक में की जाने वाली एक कोशिश में एफबी न्यूज वायर में एक सामाजिक नेटवर्किंग साइट शुरू की गई, जिसमें पत्रकारों को सत्यापित और वास्तविक समय वाले समाचार उपयोग के लिए दिए जाने का वचन दिया गया है। एनडी मेखिल, समाचार निदेशक और फेसबुक के मीडिया

भागीदार ने इस बात का उल्लेख किया कि ''फेसबुक के पेज का चयन हाथ से करना होगा और पत्रकार पूरे फेसबुक के प्लेटफार्म से समाचार कहानी को सत्यापित करेंगे''।

एफबी न्यूज वायर ने न्यूज कॉर्प स्वामित्व के स्टोरीफुल, जो एक न्यूज एजेंसी है, के साथ मिलकर इसकी शुरूआत की है, जिसमें सोशल नेटवर्क पर समाचारों का एकीकृत आदान प्रदान किया जाता है।

एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि ''एफबी न्यूज वायर महत्वपूर्ण समाचारों को एकत्र करेगा और उसे फेसबुक के प्रयोक्ता अपने अकाउंट्स के जरिए सार्वजनिक तौर पर एक दूसरे को देंगे, जिनमें मीडिया के फोटोज और वीडियोज तथा उस आधार पर प्रयोक्ताओं को अद्यतन जानकारी भी देंगे, जहां से यह समाचार फैला है''।

एफबी न्यूज वायर विश्व की कहानियों को शामिल करेगा, जिनमें अंग्रेजी भाषा से भिन्न भाषा की कहानियां भी शामिल होंगी।

न्यूज वायर को लेना आसान है। ठीक ऐसे ही ''जैसे एफबी न्यूज वायर के पृष्ठ को लेना है और ये कहानियां आपके समाचार शुल्क में दिखाई देंगी।

फेसबुक एक ट्विटर भी जारी कर रहा है, जिसके माध्यम से सेवा प्रदान की जाएगी। जिसे @एफबी न्यूज वायर कहा जाएगा। इसके साथ मीडिया रिपोर्टें भी दी जाएंगी। **(द हिंदू, नई दिल्ली दिनांक 26 अप्रैल 2014)**

पाकिस्तान

अंतर सेवा जनसंपर्क (आईएसपीआर) के बाद महानिदेशक ने जिओ टीवी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी है, क्योंकि उसने आईएसआई की छवि खराब की है। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान इलैक्ट्रॉनिक मीडिया रेगूलेटरी अथॉरिटी (पीईएमआरए) को एक आवेदन-पत्र दिया है, जिसमें उस कंपनी अर्थात् स्वतंत्र मीडिया कार्पोरेशन, जो जिओ को चलाता है के लाइसेंस को निलंबित करने की मांग की गई है।

इस आवेदन-पत्र में मंत्री ने पीईएमआरए अध्यादेश और नियमों के अधीन कार्रवाई करने की मांग की है। यह मांग ''राज्य संस्था (आईएसआई) और इसके अधिकारियों की सत्यनिष्ठा को कम आंकने और उनकी छवि को खराब करने के झूठे और अपमानजनक अभियान के कारण की गई है''।

पीईएमआरई ने इस आवेदन पत्र की समीक्षा करने के लिए एक तीन-सदस्यीय समिति नियुक्त की है। समाचार रिपोर्ट में कहा गया है कि यह समिति इस न्यूज चैनल को एक अवसर देगी कि वह निर्णय लेने से पहले अपने विचार प्रस्तुत करे।

जीओ के एंकर हमीद मीर पर गोली चलाने के तत्काल बाद आवेदन-पत्र में आरोप लगाया गया है कि जिओ न्यूज चैनल पर ''एक खतरनाक अभियान शुरू कर दिया गया है, जो निंदनीय और अपमानजनक है। इसमें राज्य संस्था के कार्य के खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए हैं, जो कि पाकिस्तान की सुरक्षा सर्वोच्च सत्ता और अंखडता के लिए कार्य करती है। यह संस्था है इंटर सर्विसेज इंटेलीजेंस (आईएसआई) और इसके डीजी लेफ्टिनेंट जनरल मुहम्मद ज़हीर-उल

इस्लाम''। इसमें यह बात भी उठाई गई है कि विदेशी मीडिया, विशेषतः भारतीय चैनलों ने इस समाचार को ले लिया और इसे बढ़-चढ़कर पेश किया।

जिओ को फटकार लगाई गई है कि ''यह जिओ के संपादकीय दल और प्रबंधन की या जिओ के मॉनीटरिंग स्टाफ की असफलता है, इसलिए उसे समाचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपमानजनक विचारों को जानबूझकर प्रसारित किए जाने पर नियंत्रण लगाया जाना चाहिए। यह इसके लाइसेंस की शर्तों को भंग करना और आचरण संहिता का उल्लंघन समझा जाएगा। **(द हिंदू, नई दिल्ली दिनांक 24 अप्रैल 2014)**

एक अधिकारी ने कहा है कि पाकिस्तान पुलिस ने ऐसे कार्यक्रम को दिखाने के लिए जिओ टीवी के मालिक शकील-उर-रहमान और जंग मीडिया समूह के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है, जिसमें खुदा की निंदा वाला तथाकथित समाचार प्रसारित किया गया है।

जिओ चैनल ने वीना मलिक नामक विवादास्पद अभिनेत्री के हास्यास्पद विवाह समारोह को प्रदर्शित किया और इसके बैक ग्राउण्ड में धार्मिक गाना गाया गया।

पंजाब प्रांत में ओकारा के जिला और सेशन जज ने आदेश दिया है कि जिओ मीडिया समूह के मालिक रहमान, एंकर शेषतान लोधी, अभिनेत्री वीना, उसके पति अशद खटक और इस कार्यक्रम में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए।

पुलिस अधिकारी राना अजीज ने कहा कि वीना, उसके पति अशद और कार्यक्रम का आयोजन करने वाले लोधी के नाम राजधानी इस्लामाबाद के मार्गल्ला थाने में दर्ज मामले में भी लिए गए थे।

उन्होंने कहा कि उन पर पाकिस्तान दंड संहिता की दफा 295 ए, 295 सी और 298 स के अधीन आरोप तय किए गए हैं, जो धर्म का अपमान करने से संबंधित हैं और दफा 7 के अधीन आरोप तय किए गए हैं, जो आतंकवाद विरोधी कृत्य से संबंधित हैं।

वीना ने हाल ही में विवाह किया है और यह चैनल उनके इस समारोह को मना रहा है।

पैगंबर की एक पुत्री के विवाह के अवसर पर किए गए गुणगान के बारे में विभिन्न मौलवियों और दक्षिणपंथी समूह ने कहा कि जिस तरीके से यह गाना बजाया गया वह हास्यास्पद था और इस हास्यास्पद विवाह से मुसलमानों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंची । **(द पायनियर, नई दिल्ली दिनांक 19 मई 2014)**

इस सप्ताह के शुरू में पाकिस्तान इलैक्ट्रॉनिक मीडिया रेगूलेटरी अथॉरिटी (पीईएमआरए) की एक समिति ने यह घोषणा की है कि आम राय से यह निर्णय लिया गया है कि जिओ न्यूज चैनल को एक सप्ताह के लिए बंद कर दिया जाए। यह देश का सबसे अधिक देखा जाने वाला न्यूज चैनल है। पीईएमआरए से शीघ्र ही दूसरी घोषणा की गई कि इसकी अपनी समिति ने गैर-कानूनी तरीके से काम किया है और इस प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। इस भ्रम से ऐसा पता चलता है कि इस मामले में काफी हाथा-पाई हुई है और इस बात का किसी को पता नहीं है कि यह कब शुरू हुई ।

जिओ उस समय से संकट में है जब से इसके स्टार एंकर हमीद मीर को अप्रैल में करांची की एक भीड़भाड़ वाली गली में छह बार गोली मारी गई।

मीर पर पिछले कुछ वर्षों में कई बार हमले हुए और ये हमले एक प्रकार से देश के पत्रकारों पर हुए। चुप रहने की बजाए मीर और उसके चैनल ने देश की प्रमुख इंटेलीजेंस एजेंसी, आईएसआई और इसके प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल जहीर-उल इस्लाम पर आरोप लगाया कि वे इस हमले के लिए जिम्मेदार हैं। इस आरोप को महत्वपूर्ण समझा गया।

एकता का कोई संकेत नहीं

ऐसा प्रतीत होता है कि पाकिस्तान में मीडिया पूरी तरह से नियंत्रित है। यह आरोप लगाया गया है कि मीडिया केवल आईएसआई या सैनिक स्थापना की दया पर ही कार्य नहीं करता, अपितु इस मुद्दे पर ये अलग-अलग विचार भी रखते हैं। चूंकि ये आरोप जिओ द्वारा लगाए गए हैं। अतः इस संगठन पर मौखिक हमले किए जाते हैं और एआरबाई तथा एक्सप्रेस न्यूज जैसे प्रतिद्वंदी समाचार चैनलों द्वारा इस पर आरोप भी लगाए जाते हैं। इन समाचार चैनलों ने आईएसआई और सैनिक स्थापना का पक्ष लिया है।

पाकिस्तान में हाल में घटित घटनाओं ने एक ऐसी कमजोर तस्वीर पेश की है, जिससे समग्र मीडिया शक्तिहीन और विभाजित प्रतीत होती है। सूचना से ऐसा पता चलता है कि यह संगठित रहने में असफल रही है। करांची पत्रकार संघ के महाप्रबंधक जमाली ने कहा कि ''हमले के खिलाफ एकजुट रहने के बजाय मीडिया हाउस आईएसआई या सरकार से मिल गए हैं''। **(द हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली दिनांक 25 मई 2014)**

जिओ टीवी नेटवर्क के मालिक जंग समूह ने इस बात पर खेद प्रकट किया कि देश की सेना, शक्तिशाली एसपीवाई एजेंसी आईएसआई और इसके प्रमुख एंकर हमीद मीर की हत्या की कोशिश का आरोप उन्हीं के खिलाफ लगा रहे हैं।

इंग्लिश दैनिक द न्यूज और उर्दू समाचार पत्र जंग में सोमवार को एक माफीनामा प्रकाशित किया गया है। इसके संबंध में मीडिया समूह ने स्पष्ट किया कि वे पाकिस्तान के बलों और इसके नेतृत्व का सम्मान करते हैं। इस माफीनामे में कहा गया है कि ''हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए उनके बलिदान की हम हमेशा सराहना करते हैं''। मीडिया समूह ने इस पत्र में कहा है कि ''काफी चिंतन, संपादकीय वाद-विवाद, फीड बैक और प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सभी दलों के साथ बातचीत करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि 19 अप्रैल को हमीद मीर पर किए गए दुखद और कमजोर हमले के तत्काल बाद हमने यह खबर व्यापक रूप से पीड़ादायक और भावात्मक तरीके से प्रकाशित की है''।

इसमें यह बात स्वीकार की गई है कि इस घटना का विवरण भ्रामक, विषम और असंगत था, जिससे ऐसा पता चलता था कि यह एक ऐसा अभियान है, जो वर्तमान में मीडिया में चलाया जा रहा है। डॉन न्यूज ने बताया कि इस समूह ने आईएसआई, इसके प्रमुख लेफ्टिनेंट जर्नल ज़हीर-उल इस्लाम, उनके परिवार, पाकिस्तानी सेना और टीवी के बहुत से दर्शकों से इस बात के लिए माफी मांगी कि उनको इससे गहरा आघात पहुंचा है।

जंग समूह ने यह स्पष्ट किया कि ये आरोप किसी संस्था द्वारा नहीं लगाए गए हैं, अपितु मीर द्वारा स्वयं लगाए गए हैं और अंत में उनके भाई द्वारा करांची में उनके जीवन पर किए गए हमले की कोशिश के बाद लगाए गए हैं। **(मेल टुडे, नई दिल्ली दिनांक 28 मई 2014)**

द ट्रिब्यून ने लिखा है कि इसी माह की 8 तारीख को जमींदार के प्रकाशक को माननीय मोहम्मद सफी और तीन अन्य मुसलमान सज्जनों के सामने उपायुक्त द्वारा चेतावनी दी गई है। जमींदार पत्र प्रेस अधिनियम के अधीन हाल ही में की गई जब्तगी के बाद पुनः कार्य शुरू किया है। उपायुक्त ने कुछ ऐसे लेखों के संबंध में यह चेतावनी दी है, जो 25,26 और 27 फरवरी के उसके अंक में प्रकाशित किए गए हैं, जिन्हें सरकार आपत्तिजनक समझती है। इस बात का उल्लेख करते हुए एक पत्र भी उन्हें सौंपा गया कि यदि यह समाचार पत्र इन लेखों में किए गए गलत बातों में सुधार करने से इंकार करता है तो सरकार उनके इस आचरण को साक्ष्य के रूप में मानेगी और उन पर उचित कार्रवाई करेगी। **(द स्टेट्समेन, नई दिल्ली दिनांक 18 अगस्त 2014)**

यूनाइटेड किंगडम

द टाइम्स ने बताया कि विद्रोही अपहरणकर्ताओं द्वारा गोली चलाए जाने और पीटे जाने के बाद टर्की से दो ब्रिटिश पत्रकारों को वापस लाया जा रहा है। इनका उस समय अपहरण किया गया था, जब वे सीरियाई टकराव को कवर कर रहे थे।

द टाइम्स के लेखक एंथनी लॉयड के पैर पर उस समय दो गोली चलाई गईं, जब वे गंभीर रूप से पीटे गए घायल बंधक जैखिल को बचाकर वापस लाने का प्रयास कर रहे थे।

न्यूज समाचार पत्र के अनुसार अंततः उन्हें स्थानीय विद्रोही कमांडर के आदेशों से मुक्त कर दिया गया और सीरियाई अस्पताल में उपचार करवाने के बाद बुधवार को वे टर्की की सीमा पार करने में सफल रहे।

इन दोनों ने कई दिन अलेपो से रिपोर्टिंग करके बिताए और जब वे बंदी बनाए गए उस समय वे बुधवार को प्रातःकाल टर्की की सीमा से लौट रहे थे। **(द पायनियर, नई दिल्ली दिनांक 16 मई 2014)**

ब्रिटिश मीडिया ने उस फोटोग्राफ पर चुप्पी साध ली, जिसमें प्रिंस विलियम की पत्नी केटे का अधोभाग नग्न दिखाया गया था, हालांकि इस चित्र का उपयोग अन्य देशों में किया जा रहा है।

रूपर्ट मरडॉक के एक ऑस्ट्रेलियाई समाचार पत्र ने यह लिखते हुए फोटोग्राफ प्रकाशित किया कि इस फोटो को प्रकाशित करने से ब्रिटिश प्रेस द्वारा 'बेतुका' रोक लगाने से उसने इंकार कर दिया।

जर्मनी में बड़ी मात्रा में बिकने वाले समाचार-पत्र 'बिल्ड' के बाद सिडनी के दैनिक टेलीग्राफ में उस दिन यह फोटो प्रकाशित किया गया। बिल्ड इस फोटोग्राफ को प्रकाशित करने वाला पहला समाचार-पत्र बन गया।

बिल्ड में इस फोटोग्राफ के साथ यह भी लिखा गया था कि भावी क्वीन के ''नितंभ बहुत सुंदर हैं''। इसमें डचेज ऑफ कैमरीज की नीली और सफेद गर्मियों की ड्रेस उस समय हवा के झोंके से उठ गई, जब शाही जोड़ा सिडनी के पश्चिम में स्थित ब्लू माउंटेन में हेलीकॉप्टर से उतर रहा था।

ब्रिटिश प्रेस ने शुरू में डेली मेल के साथ बिल्ड के प्रति नाराजगी व्यक्त की और इस पर ''निजता भंग का आरोप लगाया'', जबकि इसके साथ ही प्रकाशित शीर्षक को ''अपरिष्कृत'' बताया।

डेलीमेल ने इसे दूसरी तरह से लिया। इस चित्र को आपत्तिजनक रूप से प्रदर्शित करते हुए ऑस्ट्रेलिया में जन्मे कॉलम लेखक अमंदा प्लेटेल ने यह बात भी लिखी कि केटे को चाहिए कि वह दूसरी किस्म की ड्रेस पहने, ताकि ''कपड़ों के कारण उनको दूसरी बार शर्मिंदगी न झेलनी पड़े''।

द टाइम्स के कॉलम लेखक कारोल मिडग्ले ने इस बीच कहा कि इस चित्र का उपयोग करने के संबंध में विदेशी समाचार पत्रों द्वारा लिया गया निर्णय ''फूहड़'' और ''भड़काऊ'' था और इसे इस प्रकार आकर्षित करने के लिए दर्शाया गया है, ताकि लोग उसके नीचे (उसकी स्कर्ट के नीचे) और कुछ भी देखने की अपेक्षा करें। **(द एशियन ऐज, नई दिल्ली, दिनांक 29 मई 2014)**

लीबिया

मेडिक्स ने कहा कि लीबिया के जेहादियों के समाचार-पत्र के संपादक और समालोचक को पूर्वी नगर में सोमवार को गोली मार दी गई थी क्योंकि बेनगाजी में इस्लामवादियों की बड़ी पकड़ है। उन्होंने कहा कि मेफताह बाउजिद, साप्ताहिक समाचार पत्र बर्निक के संपादक की मेडीटेरानीन नगर के बीचोबीच गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाउजिद प्रायः टेलीवीजन पर जाकर इस्लामिक उग्रवादियों की आलोचना करता था, जिसके कारण उसके जीवन को खतरा था। पूर्व विद्रोही विशेषतः इस्लाम में विश्वास रखने वाले लोगों ने बेनगाइजी में घातक हमले का आरोप लगाया है। यह नगर पूर्वी लीबिया में है, जहां आंदोलन का जन्म हुआ है। **(द हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली दिनांक 27 मई 2014)**

रूस

मास्को के एक न्यायालय ने पत्रकार अन्ना पोलिटकोवस्काया की हत्या में शामिल होने के कारण पांच लोगों पर दोष सिद्ध किया, जिनमें से तीन को पिछले विचारण में दोष-मुक्त कर दिया गया था। जूरी के निर्णय में यह पाया गया कि रुस्तम मखमुडोवा वह व्यक्ति था, जिसने वर्ष 2006 में पोलिटकोवस्काया की मास्को अपार्टमेंट बिल्डिंग की सीढ़ियों में उसकी गोली मारकर हत्या की थी और अन्य चार लोगों में उसके दो भाई, उसके चाचा और पूर्व पुलिसमेन शामिल थे।

दोनों भाइयों और पुलिसमेन को वर्ष 2009 के विचारण में दोष-मुक्त कर दिया गया था, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने नये विचारण का आदेश दिया। ऐसी संभावना है कि न्यायाधीश इन पांचों व्यक्तियों को सजा सुनाएगा और हो सकता है कि इन पांचों को आजीवन कारावास हो। पोलिटकोवस्काया, नोवाया गाजेटा समाचार पत्र में कार्य करती थी और उसने क्रेमनिल और चेचन्या में उसकी नीतियों की कठोर आलोचना की थी। मखमूडोवस और उनके चाचा चेचेन मूल के हैं। प्राधिकारियों को ऐसे किसी व्यक्ति का पता नहीं चला जो, हत्या का आदेश देने के लिए जिम्मेदार हो। शेरजी मार्किन, रूस की जांच समिति के प्रवक्ता का आरआईए नोवोस्टी स्टेट न्यूज एजेंसी द्वारा यह कहते हुए उल्लेख किया गया है कि यह उस व्यक्ति का पता लगाने के लिए ''व्यापक उपाय'' कर रहा है। **(द एशियन ऐज, नई दिल्ली दिनांक 22 मई 2014)**

अध्याय - II
प्रेस की स्वतंत्रता को खतरे संबंधी शिकायतों में न्यायनिर्णयन

भारतीय प्रेस परिषद् को संविधि द्वारा अधिदेश प्राप्त है कि वह ऐसी घटनाओं का निरीक्षण करे जिनसे प्रेस की स्वतंत्रता के अतिक्रमण की संभावना हो । यह खतरा किसी भी स्रोत से पैदा हो सकता है, चाहे वह समाज में रहने वाले लोग हों, राजनीतिक पार्टियां और उनके प्रतिनिधि हों या सरकारी प्राधिकारी या उग्रवादी हों या यहां तक कि स्वयं प्रेस में भी कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके साथ संपादकीय-प्रबंधन संबंधी झगड़ा हो।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान ऐसे 199 नए मामले दर्ज किए गए जबकि पिछले वर्ष के 121 मामले लंबित थे । अतः कुल मिलाकर 320 मामलों पर परिषद् द्वारा विचार करने की आवश्यक थी । इनमें से न्याय-निर्णयों के द्वारा 15 मामलों का निपटान किया गया जिनमें वे दो मामले भी शामिल थे जिनपर परिषद् द्वारा सीधे विचार किया गया । जबकि 188 मामले जांच के लिए पर्याप्त आधार की कमी या संबद्ध प्राधिकारियों द्वारा संतोषजनक सुधार कर दिए जाने के कारण या परिषद् के अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के कारण या न्यायाधीन होने या शिकायतकर्ताओं की ओर से जारी न रखे जाने पर खारिज या समाप्त कर दिये गये । शेष 117 मामलों पर समीक्षाधीन अवधि के अंत में कार्रवाई चल रही थी।

इस अध्याय के अंतर्गत उन शिकायतों पर न्याय-निर्णयनों का विश्लेषण किया गया है जिनमें प्राधिकारियों द्वारा शारीरिक या मौखिक धमकियां देकर या रियायत और विशेषाधिकार देने से मना करके प्रेस की स्वतंत्रता में कटौती के प्रयास का आरोप लगाया गया था ।

शिकायतकर्ताओं की श्रेणियां

क.	अंग्रेज़ी प्रेस
ख.	भारतीय भाषायी प्रेस
ग.	पत्रकार संगठन/समाचार एजेंसियां
घ.	स्वतः प्रेरणा से कार्रवाई

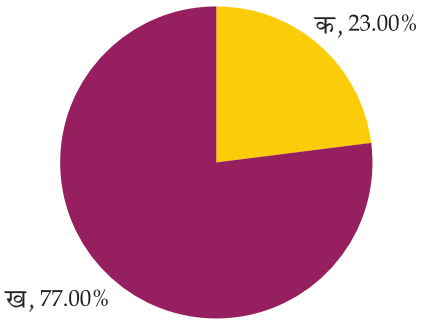

प्रतिवादियों की श्रेणियां

क.	पुलिस/सरकारी प्राधिकरण
ख.	सूचना विभाग
ग.	संस्थान/निजी कंपनियां/समाचारपत्र प्रबंधन
घ.	गैर सरकारी कर्मी
ङ	सार्वजनिक व्यक्ति

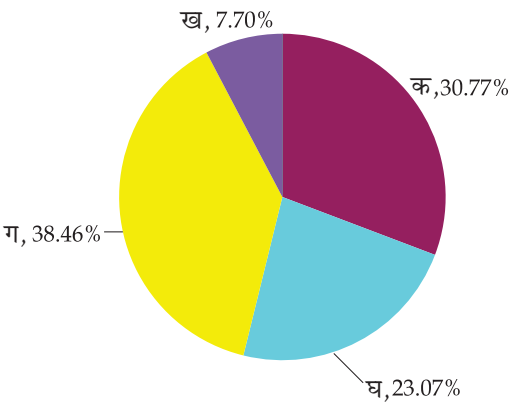

शिकायतकर्ता प्रकाशनों का राज्यवार वितरण

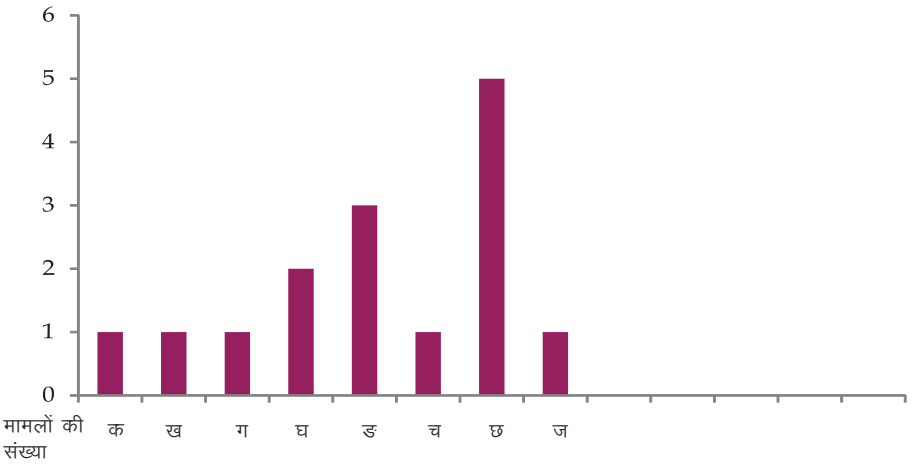

संक्षिप्तियों का विवरण

मामलों की कुल संख्या : 15

जिसमें परिषद् द्वारा प्रत्यक्ष रूप से न्याय-निर्णीत दो मामले शामिल हैं

क	आंध्रप्रदेश	1
ख	बिहार	1
ग	छत्तीसगढ़	1
घ	हरियाणा	2
ड.	दिल्ली	3
च	मध्य प्रदेश	1
छ	उत्तर प्रदेश	5
ज	पंजाब	1

समाचारकर्मियों का उत्पीड़न

पत्रकारों के उत्पीड़न के मामले बढ़ते जा रहे हैं । ऐसे मामलों में विशेष रूप से वहां बढ़ोतरी होती है जहां प्राधिकारी व सैन्यवादी एक दूसरे के विरूद्ध हों । प्रेस को दोनों ओर के दबाव के सामने झुकना पड़ता है । कार्यपालक तंत्र की उचित आलोचना और राष्ट्रविरोधी अपराधियों व समाज-विरोधी तत्वों के बारे में समाचार प्रकाशित करने के प्रतिशोधस्वरूप पत्रकारों पर हमले किए जाते हैं, उन्हें झूठे मामलों में फंसाया जाता है, उनकी प्रेस/घर पर छापे मारे जाते हैं, उनका अपहरण किया जाता है और चरम स्थितियों में उनकी हत्या भी कर दी जाती है । इस प्रकार, प्रेस को कई बार अपने व्यावसायिक कर्त्तव्यों को ईमानदारी से निभाने पर कठोर परिणाम भुगतने पड़ते हैं । पत्रकारों के मानवाधिकार का उल्लंघन कम होने के स्थान पर बढ़ता ही जा रहा है । पत्रकारों को उनके व्यावसायिक दायित्वों के विधिसम्मत निर्वाह करने पर उन्हें किसी प्रकार के शारीरिक हमले या नुकसान से बचाने के लिए प्राधिकारी कर्त्तव्यबद्ध है ।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान परिषद् ने ऐसे कुल **7** मामलों पर न्याय-निर्णयन दिया । सभी मामलों को गुण-दोष के आधार पर खारिज किया गया । नीचे दिया गया आलेख इस स्थिति को और स्पष्ट करता है ।

समाचारकर्मियों का उत्पीड़न

मामलों की कुल संख्या : 7

क.	अनुमोदित	-
ख.	अस्वीकृत	-
ग.	आश्वासन/निपटान/संशोधित	-
घ.	जारी न रखने/प्रत्याहरण/ न्यायाधीन/निराधार होने के कारण बंद	7

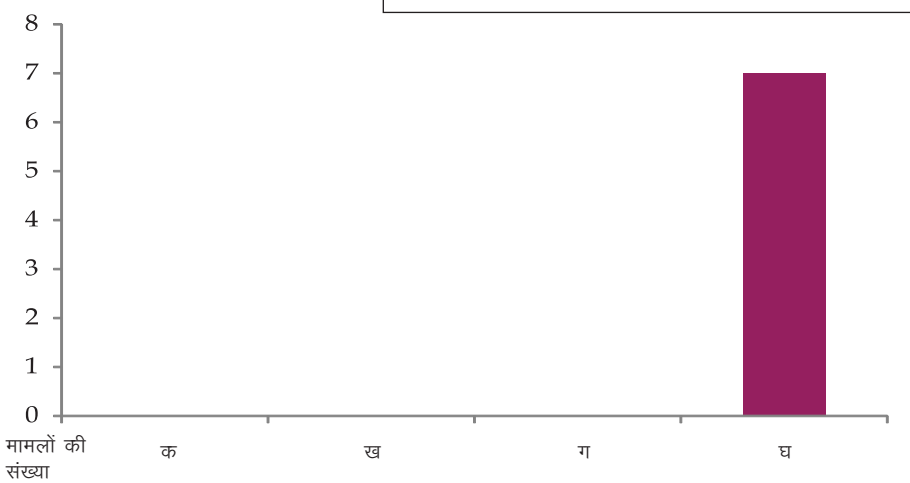

प्रेस को सुविधाएं

प्रत्यायन, सरकारी विज्ञापन इत्यादि जैसी सुविधाएं समाचारपत्रों का आधार स्तंभ हैं। जहां प्रत्यायन से समाचारों को एकत्रित करने और उनके प्रचार-प्रसार में सहायता मिलती है, वहां सरकार द्वारा आम जनता की बेहतरी के लिए नीतियों व योजनाओं से संबंधित विज्ञापन जारी करने से समाचारपत्रों को वित्तीय सहायता मिलती है । ऐसा न होने पर समाचारपत्र के अस्तित्व के लिए बहुत बड़ी बाधा हो जाती है । परिषद् ने अवलोकन किया है कि कई बार समाचारपत्रों को ये सुविधाएं देने के लिए जिम्मेदार प्राधिकारी अपने पक्ष में समाचार प्रकाशित करने के लिए समाचारपत्रों का दुरूपयोग करते हैं । इसके कारण छोटे और मध्यम श्रेणी के क्षेत्रीय समाचारपत्रों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है ।

उपर्युक्त सुविधाओं के पक्षपातपूर्ण प्रत्याहरण/सुविधायें देने से इंकार करने के विरूद्ध भारी मात्रा में शिकायतें प्राप्त हुई हैं परंतु सभी को न्यायनिर्णयन के स्तर तक जारी नहीं रखा गया है । इस उपश्रेणी के अंतर्गत 6 न्याय-निर्णयों में से केवल एक मामले को प्रतिवादियों द्वारा आश्वासन दिये जाने पर समाप्त कर दिया गया जबकि पांच मामलों को गुण-दोष के आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया । नीचे दिया गया आलेख इस स्थिति को और अधिक स्पष्ट करता है।

प्रेस को सुविधायें

मामलों की कुल संख्या : 6

क.	अनुमोदित	-
ख.	अस्वीकृत	-
ग.	आश्वासन/निपटान/संशोधित	1
घ.	जारी न रखने/प्रत्याहरण/ न्यायाधीन/निराधार होने के कारण बंद	5

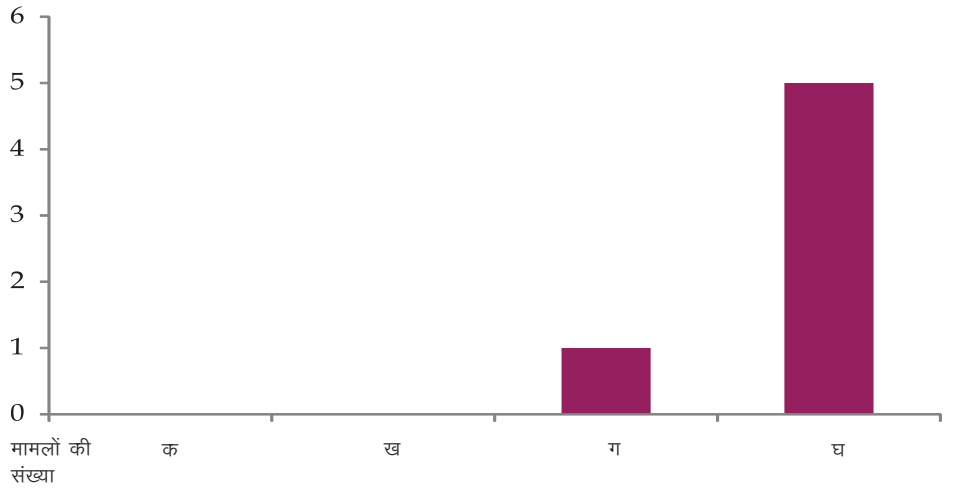

अध्याय - III

प्रेस के विरूद्ध दर्ज की गयी शिकायतों में न्याय-निर्णय

भारतीय प्रेस परिषद् की स्थापना केवल प्रेस की आज़ादी को सुरक्षित रखने के लिए ही नहीं अपितु भारत में समाचारपत्रों और समाचार एजेंसियों के स्तर को बनाए रखने और उनमें सुधार लाने के लिए भी की गई है । भारत में समाचारपत्रों और समाचार एजेंसियों के स्तर को बनाए रखने और उनमें सुधार लाने के लिए परिषद् द्वारा समाचारपत्रों, समाचार एजेंसियों और पत्रकारों की ओर से जनरूचि के उच्च स्तरों को बनाए रखना सुनिश्चित करने और नागरिकों के अधिकारों और कर्त्तव्यों के प्रति उन्हें जागरूक बनाने और पत्रकारिता के व्यवसाय में लगे सभी लोगों में जिम्मेदारी और जन सेवा की भावना को प्रोत्साहित करने तथा समाचारपत्रों के उत्पादन और प्रकाशन में लगे सभी श्रेणियों के लोगों या न्यूज़ एजेंसियों आदि के बीच उचित व्यावसायिक संबंधों को बढ़ाने के लिए आचार संहिता बनाने की आवश्यकता है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, परिषद् को प्रेस के विरूद्ध 105 नई शिकायतें प्राप्त हुईं थीं, जिनमें उन पर पत्रकारिता के मानदंडों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था । इसके अतिरिक्त, पिछले वर्ष के 821 मामले लंबित थे । अतः परिषद् को कुल मिलाकर 1871 शिकायतों पर विचार करना था जोकि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्रेस के विरूद्ध दर्ज की गयी थीं। इनमें से, 727 मामले न्याय-निर्णयों के ज़रिये या दोनों पक्षों की संतुष्टि से निपटाये जाने या कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार की कमी के कारण या शिकायतों को जारी न रखने के कारण प्रारंभिक स्तर पर ही समाप्त कर दिये गये । अतः समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के अंत में इस श्रेणी में 1144 मामले लंबित थे ।

शिकायतकर्ताओं की श्रेणियां

क.	सरकारी प्राधिकरण/सरकारी अधिकारी
ख.	गैर सरकारी व्यक्ति
ग.	संस्थान/निजी कंपनियां/समाचारपत्र संघ
घ.	सार्वजनिक व्यक्ति
ङ	स्व-प्रेरणा से कार्रवाई

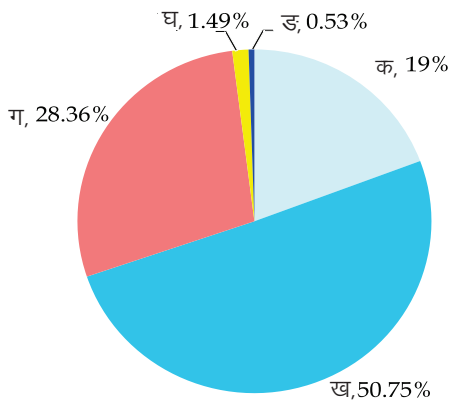

प्रतिवादियों की श्रेणियॉ

क.	अंग्रेजी प्रेस
ख.	भारतीय भाषाई प्रेस

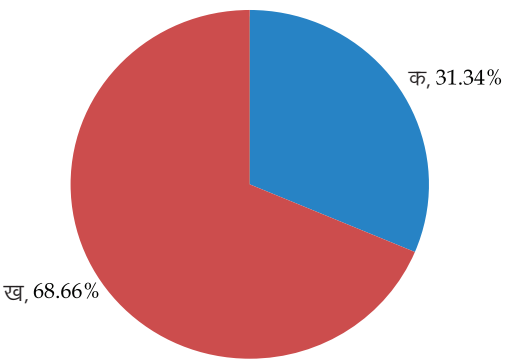

प्रतिवादी प्रकाशनों का राज्यवार वितरण

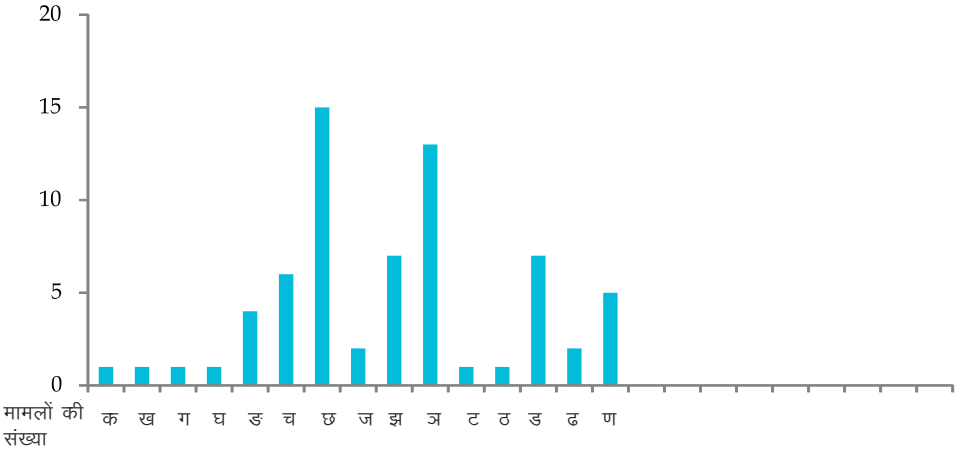

संक्षिप्तियों का विवरण

मामलों की कुल संख्या : 67

(जिसमें परिषद् द्वारा प्रत्यक्ष रूप से न्याय-निर्णीत एक मामला शामिल है)

क	आंध्रप्रदेश	1
ख	गोवा	1
ग	हरियाणा	1
घ	केरल	1
ड.	गुजरात	4
च	मध्य प्रदेश	6
छ	दिल्ली	15
ज	छत्तीसगढ़	2
झ	राजस्थान	7
ञ	उत्तर प्रदेश	13
ट	तमिलनाडु	1
ठ	हिमाचल प्रदेश	1
ड	महाराष्ट्र	7
ढ	पश्चिम बंगाल	2
ण	पंजाब	5

सिद्धांत और प्रकाशन

परिषद् ने पत्रकारिता के संबंध में स्पष्ट मानदंड तय किये हैं ताकि प्रेस अपने दायित्व का स्वस्थ तरीके से निर्वहन कर सके और पाठकों के प्रति उसका सही दृष्टिकोण हो।

जब समाचारपत्रों में गलत रिपोर्ट, लेख आदि प्रकाशित किए जाते हैं, तो इससे व्यक्ति या सरकारी अधिकारी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है या जब गलत स्रोत के आधार पर रिपोर्टिंग की जाती है या दुर्भावना से कोई लेख/समाचार प्रकाशित किया जाता है तब पीडित व्यक्ति खंडन भेजता है या अपनी बात को प्रत्युत्तर के माध्यम से देते हुए तथ्यों को स्पष्ट करता है। उसे तत्काल और समुचित प्रमुखता के साथ प्रकाशित करने के लिए समाचारपत्रों के तैयार न होने पर पीडित पक्षकार/व्यक्ति परिषद् का दरवाज़ा खटखटाते हैं । प्रेस परिषद् अपने न्यायनिर्णयों के माध्यम से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का उस सम्मान और प्रतिष्ठा को बनाए रखने में प्रेस की मदद करती है जिसे पाने के वह योग्य है।

इस वर्ष परिषद् को समाचारपत्रों के विरूद्ध कई मामले प्राप्त हुए है, जिनमें प्रतिवादी समाचारपत्रों द्वारा शिकायतकर्ताओं का प्रत्युत्तर/उत्तर/प्रतिवाद प्रकाशित न करने पर शिकायतकर्ता प्रमुख रूप से व्यथित थे। इस वर्ष दिये गये 14 न्याय-निर्णयन इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इनमें से एक मामले को सही ठहराया गया और उसमें समुचित निदेश दिए गए जबकि चार शिकायतें, प्रतिवादियों द्वारा संशोधन का प्रस्ताव देने पर समाप्त कर दी गयीं । शेष 19 शिकायतों के जारी न रखे जाने, वापस लेने या मामले के न्यायाधीन हो जाने के कारण उनपर कार्रवाई बंद कर दी गयी। निम्न चार्ट स्थिति को और स्पष्ट करता है।

सिद्धांत और प्रकाशन

मामलों की कुल संख्या : 24

क.	अनुमोदित	1
ख.	अस्वीकृत	-
ग.	आश्वासन/निपटान/संशोधित	4
घ.	जारी न रखने/प्रत्याहरण/न्यायाधीन/ निराधार होने पर बंद	19

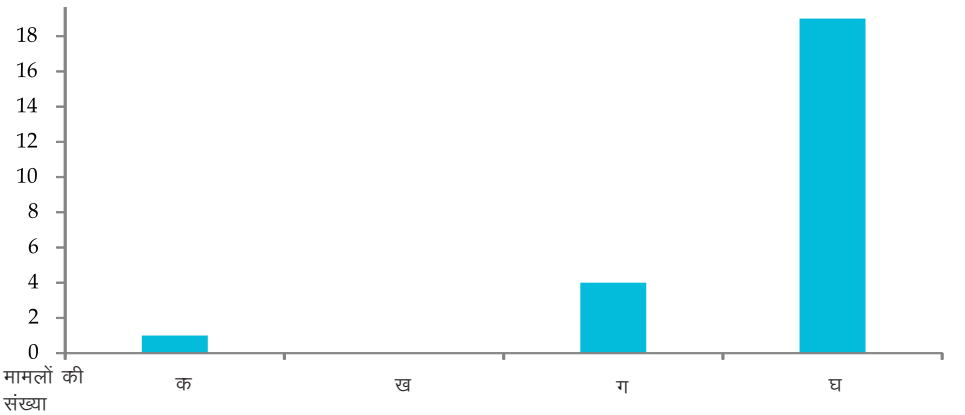

प्रेस और मानहानि

पत्रकार, लोक सेवक, प्रमुख व्यक्तियों और अन्य लोगों या समाज में फैले भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने के लिए उत्साहित रहते हैं । ऐसा करते समय वे अक्सर समुचित टिप्पणी की सीमा पार कर जाते हैं और मानहानि कानून का उल्लंघन कर देते हैं । वास्तव में, पत्रकारों/ समाचारपत्रों के खिलाफ परिषद् को प्राप्त 65% से अधिक शिकायतों में यह आरोप लगाया जाता है कि संबंधित प्रकाशन झूठा और मानहानिकारक है । अतः समाचारपत्रों के रिपोर्टरों, संपादकों, मुद्रकों और प्रकाशकों के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें कम से कम कानून के उन पहलुओं का प्रारंभिक ज्ञान अवश्य हो, जो विशेष रूप से मीडिया के हित में हों, जैसे मानहानि कानून।

परिषद् ने पाया है कि कई बार प्रेस, समाचारपत्रों के कॉलमों के माध्यम से किसी व्यक्ति/ संस्था को बदनाम करके निजी कारण या व्यक्तिगत लालच और लोलुपतावश कार्य करते हैं । इस प्रकार की प्रवृत्ति छोटे या कभी-कभार प्रकाशित किये जाने वाले समाचारपत्रों में अपेक्षाकृत अधिक है । किसी व्यक्ति/संस्था के खिलाफ मानहानिकारक लेख व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण प्रतिशोध लेने, पैसे के लिए भयादोहित करने या संबंधित व्यक्तियों/संस्थाओं से कुछ अन्य लाभ लेने के लिए प्रकाशित किए जाते हैं ।

परिषद् ने कथित मानहानिकारक प्रकाशनों के संबंध में इस वर्ष 38 शिकायतों पर न्यायनिर्णय दिये । इनमें से, नौ मामलों में प्रेस को पत्रकारिता आचरण का उल्लंघन करने पर दोषी माना गया । पांच मामलों में परिषद् के कारण दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया जबकि 25 शिकायतें आरोपों को सिद्ध करने में असफल रहने या मामले के न्यायाधीन होने पर या पक्षकारों को सुनने के बाद कोई कार्रवाई अपेक्षित न होने पर निपटा दी गयी हैं । निम्न चार्ट स्थिति को और स्पष्ट करता है ।

प्रेस और मानहानि

मामलों की कुल संख्याः 39

क.	अनुमोदित	9
ख.	अस्वीकृत	-
ग.	आश्वासन/निपटान/संशोधित	5
घ.	जारी न रखने/प्रत्याहरण/न्यायाधीन/ निराधार होने पर बंद	25

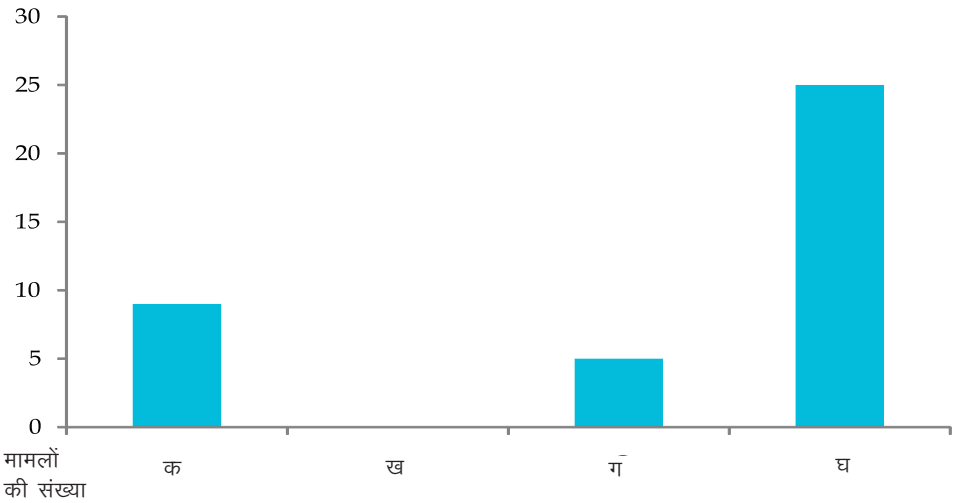

प्रेस और नैतिकता

समाचारपत्रों या लेखों में अश्लील भाषा का प्रयोग करना और किसी महिला की अपमानजनक तरीके से फोटो प्रकाशित करना आमतौर पर भारतीय मूल्यों के प्रतिकूल है। इसलिए संपादक से अपेक्षा की जाती है कि वह जिम्मेदारी से कार्रवाई करे और ऐसे प्रकाशनों की सावधानी से संवीक्षा सुनिश्चित करके उन्हें युक्तियुक्त तरीके से प्रकाशित करे । मीडिया के कुछ वर्ग यह दावा करते हैं कि वे समय के साथ चल रहे हैं । उस समय वे यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार की सामग्री आम जनता के सांस्कृतिक लोकाचार के प्रतिकूल है । उन्हें लक्षित पाठकों और व्यापक स्तर पर समाज के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए सामग्री की उपयुक्तता को परखना चाहिए।

वह सामग्री जो पाठकों के हित में नहीं है और केवल युवा वर्ग की विषयासक्ति को उकसाकर उन्हें गुमराह करे, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। भारतीय दंड संहिता में इस प्रकार की लोक शालीनता और नैतिकता से संबंधित अपराधों के संबंध में धारा 292 तथा 292क जोड़ी गई हैं । इस प्रकार के अन्य कई प्रावधान भी हैं जिनमें दंडनीय कार्रवाई का प्रावधान किया गया है । लेकिन स्व-विनियमन दंडात्मक कार्रवाई से ऊपर है ।

परिषद् ने दो मामलों में न्यायनिर्णय दिया, जिनमें प्रकाशनों में अश्लीलता का प्रश्न उठाया गया था । लोक रूचि के खिलाफ अपराध और समाचारपत्र के खिलाफ नैतिकता का आरोप एक मामले में सही ठहराया गया जबकि एक मामले को गुण-दोष के आधार पर खारिज किया गया। निम्नलिखित आलेख स्थिति को और स्पष्ट करता है।

प्रेस और नैतिकता

मामलों की कुल संख्या : 2

क.	अनुमोदित	1
ख.	अस्वीकृत	-
ग.	आश्वासन/निपटान/संशोधित	-
घ.	जारी न रखने/प्रत्याहरण/न्यायाधीन/ निराधार होने के कारण बंद	1

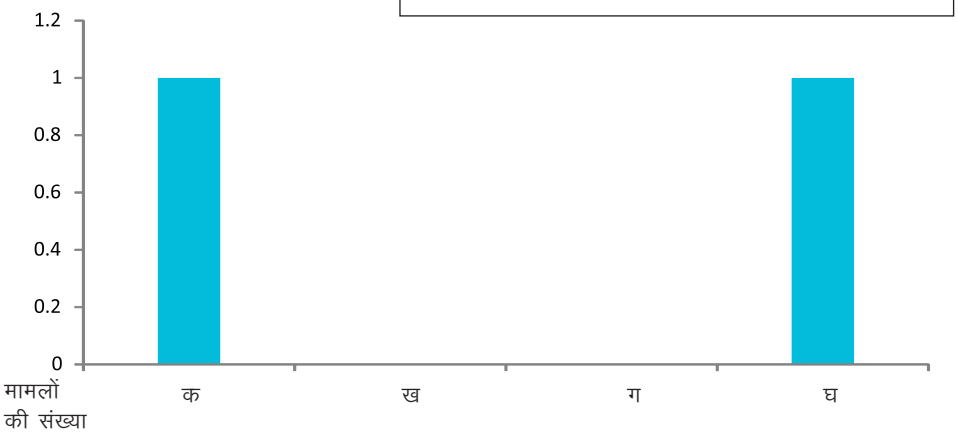

सांप्रदायिक, जातीय, राष्ट्र-विरोधी तथा पंथ-विरोधी लेख

इस बात को स्वीकार करते हुए कि प्रेस, जिसको अभिव्यक्ति की सर्वाधिक स्वतंत्रता है, वह विभिन्न संप्रदायों और धार्मिक वर्गों के बीच मित्रतापूर्ण और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने के लिए सही दिशा में लोगों को शिक्षित करने तथा जनता की राय बनाने में बहुत बड़ी और प्रमुख भूमिका अदा करता है, ये भारतीय राजनीतिक जीवन के ताने-बाने हैं और राष्ट्रीय एकता के लिए देश के सर्वोत्तम विचार रखने वाले लोगों की चेतना का आइना है । भारतीय प्रेस परिषद् का विचार है कि यदि प्रेस अपनी रिपोर्टिंग में या अपनी टिप्पणियों में या सांप्रदायिकता संबंधी मामलों में समुचित मापदंडों और मानकों का सख्ती से पालन नहीं करती है तो इससे सांप्रदायिक शांति और सौहार्द में व्यवधान होगा और राष्ट्रीय एकता भंग होगी और इससे उद्देश्य ही पूरा नहीं होगा ।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, परिषद् ने इस श्रेणी के अंतर्गत एक शिकायत पर न्यायनिर्णय दिया जिसे पर्याप्त आधार न होने पर खारिज कर दिया गया । निम्न चार्ट स्थिति को और स्पष्ट करता है ।

सांप्रदायिक, जातीय, राष्ट्र-विरोधी तथा पंथ-विरोधी लेख

मामलों की कुल संख्या : 1

क.	अनुमोदित	-
ख.	अस्वीकृत	-
ग.	आश्वासन/निपटान/संशोधित	-
घ.	जारी न रखने/प्रत्याहरण/न्यायाधीन/ निराधार होने के कारण बंद	1

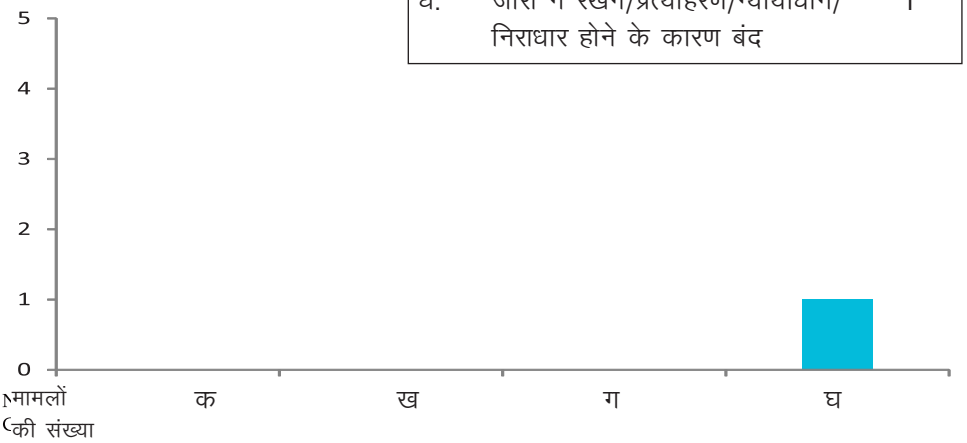

अध्याय-IV

आदर्श प्रत्यायन/विज्ञापन नियमावली - 2014

दिनांक 2.6.2014

1. भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा तैयार की गई यह नियमावली केंद्रीय और राज्य सरकारों की प्रत्यायन नियमावली को तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिए दिशानिर्देश के रूप में कार्य करेगी। यह आदर्श नियमावली प्रत्यायन को सुनिश्चित करने के लिए - केंद्र/राज्य सरकार से संबंधित समाचारों को कवर करने के लिए तैयार की गई है। इसे प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता सहित लोकहित में निष्पक्षता, पारदर्शिता के साथ स्वीकृत और नवीकृत किया गया है।

2. परिभाषाएं :

(i) प्रत्यायन : प्रत्यायन से तात्पर्य है मीडिया संगठनों के संवाद्दाताओं/संपादकों को दी जाने वाली मान्यता (जैसाकि उप-खंड IV में परिभाषित किया गया है) ताकि वे समाचार सामग्री, लिखित और चित्रित तक पहुंच बना सकें, समाचार एकत्र करने के लिए मुख्यालयों और अन्य केंद्रों में सरकारी कार्यालयों और अधिकारियों से संपर्क बना सकें, सरकार के क्रियाकलापों के कानूनों, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रेस विज्ञप्तियों, पृष्ठभूमि लेखों आदि तक पहुंच बना सकें और सरकारी समारोहों, प्रेस कांफरेंस, सांविधिक समारोहों और सरकार के अंय क्रियाकलापों में बिना किसी रुकावट के निमंत्रण प्राप्त कर सकें और प्रवेश कर सकें तथा उन्हें समाचार एकत्र करने से संबंधित यात्रा, अनुसंधान दस्तावेज आदि के रूप में सुविधा मिल सके। समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार यह प्रत्यायन पूरे देश, राज्य, नगर, जिला या तहसील में उपलब्ध होना चाहिए।

(ii) संवाद्दाता : संवाद्दाता से तात्पर्य समाचारपत्र, पत्रिका, न्यूज एजेंसी, टेलीविजन चैनल, रेडियो संगठन या न्यूज पोर्टल द्वारा नियोजित श्रमजीवी पत्रकार से है ताकि वह इस नियमावली के खंड 2 (iv) में यथापरिभाषित समाचारपत्र, पत्रिका, टेलीविजन चैनल, रेडियो संगठन या समाचार पोर्टल के लिए नियमित रूप से समाचारों को एकत्र और फाइल कर सके। प्रिंट मीडिया के श्रमजीवी पत्रकार की परिभाषा में समाचारपत्र, पत्रिकाएं और समाचार एजेंसियां भी शामिल हैं और उनकी सामांयतः वही परिभाषा होगी, जो श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम में दी गई है।

(iii) कैमरामैन : कैमरामैन से तात्पर्य समाचार घटनाओं का चित्र या वीडियोग्राफ लेने के लिए मीडिया संगठनों द्वारा नियोजित फोटो और टेलीविजन कैमरामैन से है।

(iv) संपादक : संपादक से तात्पर्य समाचारपत्र, पत्रिका, टेलीविजन चैनल, रेडियो संगठन, समाचार पोर्टल के संपादक से है, जो उस संगठन के समाचारों के चयन और संपादकीय नीति का प्रभारी होता है। इसमें एडिटर इन चीफ, प्रबंध संपादक, कार्यपालक संपादक, स्थानीय संपादक और विषय-वस्तु प्रमुख भी शामिल है।

(v) मीडिया संगठन : मीडिया संगठन से तात्पर्य पीआरबी अधिनियम, टेलीविजन चैनलों के लिए अपलिंकिंग गाइडलाइंस और एफएम स्टेशन, प्रसार भारती अधिनियम आदि जैसे संगत कानून और नियमों के अधीन भारत सरकार/राज्य सरकारी एजेंसियों द्वारा मान्यताप्राप्त समाचारपत्र, पत्रिका, टेलीविजन चैनल, रेडियो संगठन, न्यूज पोर्टल से है।

(क) समाचार मीडिया में समाचारपत्र, तार सेवा, बेतार सेवा, समाचार एजेंसी, समाचार फीचर एजेंसी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एजेंसी, समाचारों वाला न्यूज पोर्टल और सार्वजनिक समाचार की टिप्पणियां भी शामिल होंगी।

(ख) समाचारपत्र की वही परिभाषा होगी, जो प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 में दी गई है। दैनिक समाचारपत्र सप्ताह में कम से कम पांच दिन प्रकाशित किया जाएगा, साप्ताहिक और पाक्षिक समाचारपत्र के वर्ष में कम से कम क्रमशः 45 या 22 अंक होंगे।

(ग) न्यूज एजेंसी तार और बेतार संगठन होगा, जो कई मीडिया संगठनों को, जिनमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों शामिल हैं, को हर पल या दैनिक आधार पर समाचार देगी।

(घ) न्यूज फीचर एजेंसियां ऐसी एजेंसियां होंगी, जो साप्ताहिक या पाक्षिक आधार पर समाचार संगठनों को वर्तमान कार्यों के आधार पर समाचार और फीचर भेजेंगी।

(ड.) रेडियो संगठन से तात्पर्य ऐसे मीडिया संगठन से है, जो न्यूज बुलेटिन का प्रसारण करता है और समसामयिक कार्यक्रम चलाता है, जिसमें आकाशवाणी भी शामिल है जो प्रसार भारती अधिनियम के अधीन कार्य करता है।

(च) टेलीविजन चैनल का वही अर्थ होगा, जैसाकि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अधीन समाचार और समसामयिक चैनलों की अनुमति दी जाती है।

(छ) टेलीविजन और रेडियो न्यूज एजेंसी मीडिया संगठन होंगे, जो टेलीविजन चैनलों और रेडियो स्टेशनों को न्यूज क्लिप देंगे।

(ज) विदेशी समाचारपत्र और विदेशी समाचार एजेंसियां मीडिया संगठन होंगे, जो क्रमशः खंड 2(ख) और 2(ग) में निर्धारित मापदंडों को व्यापक रूप से पूरा करते हैं ।

(झ) विदेशी टेलीविजन चैनल ऐसे मीडिया संगठन होंगे, जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के समाचार और समसामयिक चैनलों के लिए दिशानिर्देशों में निर्धारित मापदंडों को व्यापक रूप से पूरा करते हैं ।

(ञ) समाचार पोर्टल समाचार वेबसाइट हैं, जो लगातार समाचार कवरेज और समसामयिक फीचरों को उपलब्ध करती हैं।

(vi) **प्रत्यायन कार्ड :** पीआईबी या राज्य सूचना विभाग ऐसे सभी संवाद्दाताओं और संपादकों को फोटो पहचानपत्र जारी करेंगे, जिन्हें समिति द्वारा प्रत्यायन दिया गया है और जब कभी आवश्यक हो, इस कार्ड को केंद्रीय और राज्य सरकारों के सभी परिसरों में प्रवेश के लिए प्राधिकृत किया जाएगा जिससे उन्हें आगंतुक पास प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(vii) **समिति :** प्रत्यायन पर विचार करने और मंजूर करने के लिए तथा प्रत्यायित संवाददाताओं और समाचार संगठनों द्वारा समाचार एकत्र करने की सुविधा के लिए कार्रवाई करने की सिफारिश करने के लिए सरकार द्वारा गठित समिति। राज्य सरकारें स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार जिला या तहसील (मंडल) स्तरीय प्रत्यायन समिति गठित करेंगी।

प्रेस प्रत्यायन समिति एक स्थायी संगठन होगा, जिसकी सदस्यता प्रत्येक दो वर्ष में बदली जाएगी। समिति के कार्यों में कोई विराम नहीं होगा और सरकार की यह जिम्मेदारी होगी कि वह यह सुनिश्चित करे कि नए सदस्यों का नामांकन पिछली समिति के कार्यकाल की समाप्ति से पहले राजपत्र में प्रकाशित किए जाएं। यदि सरकार नए सदस्यों का नामांकन नहीं कर पाती है तो पुरानी समिति तब तक बनी रहेगी जब तक कि नई समिति का गठन किया जाता है।

4 (क) प्रेस प्रत्यायन समिति में कम से कम 9 सदस्य होंगे, जो राष्ट्रीय/राज्य स्तर के संपादकों, संवाद्दाताओं, कैमरामैनों और कार्टूनिस्टों के रूप में विभिन्न मान्यताप्राप्त मुख्य मीडिया संगठनों का प्रतिनिधित्व करेंगे। इन संगठनों में प्रतिनिधि शामिल होंगे और केंद्र या राज्य में पत्रकारों की श्रेणी की सदस्यता का उचित प्रतिनिधित्व करेंगे।

(ख) केंद्र या राज्य सरकार द्वारा गठित प्रत्येक प्रत्यायन समिति में भारतीय प्रेस परिषद् का प्रतिनिधि होगा। बेहतर होगा कि इसमें ऐसा सदस्य शामिल हो, जो यथास्थिति राज्य या नगर विशेष में रहता हो।

(ग) कोई भी सदस्य लगातार दो कार्यकाल तक नहीं बना रहेगा।

5. महानिदेशक, मीडिया और संचार केंद्रीय प्रेस प्रत्यायन समिति के सदस्य-सचिव होंगे और राज्य सरकार के सूचना निदेशक/आयुक्त राज्य स्तरीय प्रत्यायन समिति के सदस्य-सचिव होंगे। जिला या मंडल स्तरीय समिति में जिला सूचना/जन संपर्क अधिकारी सदस्य-सचिव होंगे। सदस्य-सचिव समिति की बैठकों को आयोजित करने, कार्यसूची तय करने और समिति के निर्णयों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होगा।

6. समिति का अध्यक्ष कोई ऐसा वरिष्ठ पत्रकार होगा, जिसे केंद्र या राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाए। अध्यक्ष को संबंधित सरकार के प्रत्यायित संवाद्दाता के रूप में कम

से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और वह लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए पात्र नहीं होना चाहिए।

7. इस समिति की बैठकें तिमाही में या यदि आवश्यक हो तो बार-बार होंगी। समिति की बैठक का कोरम कुल सदस्यता का 50 प्रतिशत होगा। बैठकों के लिए कम से कम 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा, बशर्ते कि अध्यक्ष इस बात से संतुष्ट हो कि असाधारण परिस्थितियों के कारण बैठक कम समय के नोटिस पर भी बुलाई जानी चाहिए। ऐसी स्थिति में भी ऐसी असाधारण बैठक का निर्णय अस्थायी रूप से विधिमान्य होगा, बशर्ते कि उसे 15 दिन के नोटिस के बाद बुलाई जाने वाली समिति की बैठक में स्वीकार न किया जाए।

8. समिति में समाचारपत्रों, न्यूज एजेंसियों, पत्रिकाओं, टी वी चैनल, रेडियो संगठनों, समाचार पोर्टल को शामिल किया जाएगा, बशर्ते कि वे यथास्थिति अपने पाठकों, खरीदारों, दर्शकों, श्रोताओं को समसामयिक समाचार देने के आधारभूत मापदंड को पूरा करते हों। उन्हें अपनी विषय-वस्तु का कम से कम 50 प्रतिशत सामान्य जनता की रुचि के समाचारों/टिप्पणियों के रूप में देना चाहिए। इस संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा कि किसी समाचार की विषय-वस्तु इस 50 प्रतिशत को पूरा करती है या नहीं। इन संगठनों ने संगठन के रूप में प्रत्यायन के लिए पात्र होने से कम से कम 6 महीने पहले की अवधि तक समाचार संगठन के रूप में कार्य किया हो। लेकिन यदि किसी प्रकाशन ने अपने प्रकाशन की अवधि में परिवर्तन कर दिया हो, लेकिन वह सामान्य जनता की रुचि के समाचार/टिप्पणियों के रूप में कम से कम 50 प्रतिशत विषय-वस्तु को प्रकाशित करता रहता है तो उसकी सदस्यता बनी रहेगी। समिति द्वारा मान्यता दिए जाने के लिए आवेदन करने वाले सभी समाचारपत्र/पत्रिकाएं भारतीय प्रेस परिषद् से बेबाकी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे।

9. लेकिन यदि समिति सर्वसम्मति से इस बात से संतुष्ट हो कि किसी समाचार संगठन को उसके प्रचालन के दिन से ही अस्थायी प्रत्यायन की आवश्यकता है तो समिति ऐसे आवेदक संगठन को थोड़ी संख्या में प्रत्यायन दे सकती है जिसका वह स्थायी दावा नहीं करेगा। ऐसे संगठन को दी गई अनुमति उस स्थिति में वापस ली जाएगी, यदि वह कार्य करना बंद कर देता है या समसामयिक समाचारों का प्रसार बंद कर देता है। संगठन का यह कर्त्तव्य है कि वह उस स्थिति में सरकार को सूचित करे, यदि यह बंद किया जा रहा हो या गैर-समाचारों को लेकर विषय-वस्तु में परिवर्तन किया जा रहा हो।

10. समाचारपत्रों और पत्रिकाओं के परिचालन, खरीदारों की संख्या और न्यूज एजेंसियों के कुल कारोबार, टी वी चैनलों और रेडियो संगठनों के कुल कारोबार, उसके पृष्ठों के प्रभावी होने और न्यूज पोर्टल के कुल कारोबार के आधार पर समिति ऐसे संपादकों, संवाददाताओं, फोटोग्राफरों, कार्टूनिस्टों, कार्टोग्राफरों, टी वी कैमरामैनों, रेडियो कार्यपालकों आदि की

संख्या निर्धारित करेगी, जिन्हें सरकार द्वारा प्रत्यायन दिया जा सकता है। लेकिन यदि संगठन इन मापदंडों के बढ़ने या घटने का प्रमाण देता है तो समिति तदनुसार उसे कोटा देगी।

11. भारत सरकार से संपादक/ संवाद्दाता/ कार्टूनिस्ट/ कार्टोग्राफर या फोटोग्राफर/ टी वी कैमरामैन/रेडियो कार्यपालक के प्रत्यायन के आवेदनपत्र पर विचार करने के लिए किसी समाचार संगठन में कम से कम 5 वर्ष का ऐसा अनुभव अपेक्षित है, जिसे समिति स्वीकार करे। राज्य या जिला स्तर पर राज्य सरकार से प्रत्यायन के लिए कम से कम तीन वर्ष का अनुभव अपेक्षित है।

12. प्रत्यायन के प्रयोजन के लिए संपादकों को ऐसा माना जाना चाहिए कि वे समाचार एकत्र करने के कार्य में लगे हैं और उन्हें प्रत्यायन दिया जाना चाहिए। समिति स्वयं यह संतुष्टि करेगी कि आवेदक समाचार संगठन में पूर्णतः नियोजित है। समिति अपनी संतुष्टि करने के लिए समाचार क्लिपिंग, वीडियो क्लिप, रेडियो क्लिप आदि की मांग कर सकती है। इसके अलावा, वह नियोजन प्रमाणपत्र मांग सकती है, जो संपादक द्वारा जारी किया जाने वाला इस आशय का प्रमाणपत्र होता है कि आवेदक समाचार रिपोर्टिंग के कार्य में लगा हुआ है। समिति विज्ञापन या बिक्री का कार्य करने वाले लोगों को प्रत्यायन नहीं देगी, जो यह दावा करते हैं कि वे भी संवाद्दाता हैं।

13. अपनी यह संतुष्टि होने पर कि आवेदक एक प्रत्यायित संवाद्दाता बनने की पात्रता को पूरा करता है, समिति प्रत्यायन दिए जाने की अनुमति देगी, बशर्ते कि समाचार संगठन का कोटा उपलब्ध हो।

14. समिति द्वारा अनुमोदन दिए जाने की तारीख से 15 दिन के अंदर सरकार संबंधित पत्रकार को प्रत्यायन कार्ड जारी कर देगी।

15. यदि समिति किसी मीडिया संगठन या मीडिया संगठन की ओर से किसी पत्रकार के प्रत्यायन संबंधी आवेदनपत्र को अस्वीकार कर देती है तो आवेदक संगठन/व्यक्ति को अस्वीकृति के कारणों के बारे में लिखित में सूचित किया जाएगा। आवेदक संगठन/व्यक्ति अपने आवेदनपत्र में संशोधन कर सकता है या समिति के समक्ष पुनर्विचार के लिए अन्य संगत तथ्यों को रख सकता है। लेकिन ऐसे पुनर्विचार के बाद समिति का निर्णय अंतिम होगा।

16. समिति स्वतंत्र लेखन करने वाले वरिष्ठ पत्रकारों को प्रत्यायन दे सकती है, बशर्ते कि वे समाचार संगठनों की ओर से कम से कम 15 वर्ष तक प्रत्यायित संवाद्दाता रहे हों और बशर्ते कि वे यह प्रमाण दिखा सकें कि उनका मुख्य व्यवसाय पत्रकारिता है और वे पत्रकारिता से ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं।

17. समिति ऐसे पत्रकारों को विशेष प्रत्यायन दे सकती है, जिन्होंने प्रत्यायित संवाद्दाताओं के रूप में लंबी और विशिष्ट सेवा की हो, बशर्ते कि वे 58 वर्ष से अधिक आयु के हों

और कम से कम 15 वर्ष की अवधि तक प्रत्यायित रहे हों और अपनी सेवा की मान्यता के समय सक्रिय रूप से पत्रकारिता से जुड़े हों।

18. संपादकों, संवाद्दाताओं, काटूर्निस्टों, कार्टोग्राफरों, फोटोग्राफरों, टीवी कैमरामैनों, रेडियो कार्यपालकों आदि को जारी किया जाने वाला प्रत्यायन कार्ड दो वर्ष की अवधि तक मान्य होगा। समिति के सामान्य निदेश के अनुसार प्रेस सूचना ब्यूरो या संबंधित राज्य सरकारी विभाग सभी प्रत्यायित पत्रकारों के प्रत्यायन का दो वर्ष में एक बार नवीकरण करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि एक दिन के लिए भी उन्हें सुविधा से वंचित नहीं रखा गया है।

19. यदि कोई संवाद्दाता एक से अधिक संगठन के लिए कार्य करता है और अतिरिक्त प्रत्यायन के लिए आवेदनपत्र देता है तो समिति उसे अतिरिक्त प्रत्यायन दिए जाने के कारणों को रिकार्ड करने के बाद अतिरिक्त प्रत्यायन दे सकती है।

20. सभी सरकारी मंत्रालय, विभाग, उपक्रम और अन्य विंग प्रत्यायित पत्रकारों को पहुंच और सूचना उपलब्ध कराएंगे और समाचारों के प्रसार के संबंध में वे प्रत्यायित पत्रकारों के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे।

21. समिति प्रत्यायन वापस ले सकती है बशर्ते कि -

(i) संपादक समिति को सूचित करता है कि पत्रकारों को संगठन के अंदर कार्य पुनः सौंप दिया गया है,

(ii) संपादक समिति को सूचित करता है कि समाचार संगठन को बंद कर दिया गया है/या वह विषय-वस्तु का 50 प्रतिशत समाचार के रूप में प्रकाशित नहीं कर रहा है।

(iii) पत्रकार अब समाचार संगठन का कर्मचारी नहीं रहा है।

(iv) यदि भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा पत्रकार की व्यावसायिक कदाचार के लिए कम से कम दो बार परिनिंदा की गई है।

(v) यदि समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची हो कि पत्रकार ने प्रत्यायन सुविधा का गंभीर रूप से दुरुपयोग किया है तो उस पत्रकार को आरोपों का उत्तर देने का एक अवसर दिया जाएगा और समिति प्रत्यायन की वापसी के कारणों को रिकार्ड करेगी।

परंतुकः चूंकि पत्रकार को संविधान का संरक्षण प्राप्त होता है, अतः प्रत्यायन समिति यह सुनिश्चित करेगी कि केंद्र या राज्य सरकार या ऐसे किसी राजनीतिज्ञ या अधिकारी द्वारा प्रत्यायन को दुर्भावना या ओझे कारणों से रद्द नहीं किया जाता है, जिसे पत्रकार से इसलिए मनमुटाव हो गया हो कि उसने अप्रिय समाचार प्रकाशित किया था। किसी मीडिया संगठन

या पत्रकार को प्रत्यायन से केवल इसलिए वंचित नहीं किया जाएगा कि उसने ऐसा समाचार प्रकाशित किया है जिसके बारे में यह दावा किया गया हो कि वह शासकीय दृष्टि से गुप्त था या उसने ऐसी रिपोर्टें प्रकाशित की है, जो सरकार या उसके मंत्रियों या अधिकारियों के अनुकूल नहीं है।

22. समाचार संगठनों और पत्रकारों द्वारा प्रत्यायन दिए जाने या वापस लिए जाने से संबंधित आवेदनपत्रों पर विचार करने के अलावा, समिति समाचार संगठनों और पत्रकारों को अतिरिक्त सुविधाएं देने के उपायों पर चर्चा करेगी और उनकी सिफारिश करेगी ताकि समाचार प्रसार की गुणवत्ता में सुधार हो सके।

23. न्यूज़ पोर्टल, समाचारपत्रों, पत्रिकाओं, समाचार एजेंसियों, टेलीविज़न और रेडियो संगठन के संपादकों द्वारा प्रतिनियुक्त संपादकों/पत्रकारों को, जिन्हें राज्य प्रत्यायन समिति द्वारा प्रत्यायित किया गया हो, उनकी पात्रता पर नई दिल्ली में उनके मुख्यालयों में और राज्य की राजधानी/राजधानियों में उनके कार्यालयों में भारत सरकार के प्रत्यायन के लिए विचार किया जाएगा, भले ही वे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निवास नहीं करते हों। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि भारत सरकार से संबंधित समाचार सभी क्षेत्रों में प्रसारित किए जाते हैं और संपूर्ण भारत के संपादकों/प्रत्यायित पत्रकारों की भारत सरकार की सूचना और कार्यालयों तक पहुंच है।

24. एक राज्य से अधिक राज्यों/पूर्वोत्तर जैसे राज्यों के समूह के समाचारों को कवर करने वाले पत्रकार सभी राज्यों/पूर्वोत्तर जैसे राज्यों के समूह में प्रत्यायन के लिए पात्र होंगे, बशर्ते कि संपादक एक से अधिक राज्यों में प्रत्यायन की आवश्यकता के बारे में एक प्रमाणपत्र दे, जिसमें इसे उचित ठहराया गया हो।

25. सरकार संबंधित मंत्रालय की वेबसाइट में इन नियमों को डालेगी ताकि ये समाचार संगठनों, पत्रकारों और आम जनता के संदर्भ के लिए उपलब्ध रहें। समाचार संगठनों/पत्रकारों को शामिल करने के संबंध में समिति का निर्णय, उस निर्णय के कार्यान्वयन के तत्काल बाद नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाएगा।

आदर्श विज्ञापन नीति संबंधी दिशानिर्देश - 2014

प्रस्तावना : संसद द्वारा वर्ष 1978 में पारित कानून के अधीन भारतीय प्रेस परिषद् प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने और भारत में समाचारपत्रों तथा समाचार एजेंसियों के मानकों में सुधार करने का कार्य करती है। इस संबंध में प्रेस परिषद् अधिनियम की धारा 13 (1) के खंड (ड.) द्वारा और समर्थन दिया गया है, जिसके अनुसार परिषद् ''आम जनता के हित और महत्व के समाचारों की आपूर्ति और प्रसार को नियंत्रित करने के लिए संभावित

समीक्षा और विकास कर सकती है''। कई ऐसे अवसर आए हैं जब भारतीय प्रेस परिषद् ने विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा विज्ञापनों को ऐसे अनुचित रूप से देने या मनमाने तरीके से मना करने की शिकायतों पर कार्रवाई की है, जिनमें समाचारपत्रों, विशेष रूप से छोटी श्रेणी के समाचारपत्रों की आर्थिक व्यवहार्यता पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

इन शिकायतों का निपटान करते समय परिषद् ने प्रायः यह पाया है कि सरकारी प्राधिकारी को चाहिए कि वे अपने खिलाफ आलोचनात्मक लेखों के कारण विज्ञापन जारी करने के मामले में समाचारपत्र के साथ भेदभाव न करें। विज्ञापनों को जारी करने का कार्य तदर्थ आधार पर नहीं किया जाना चाहिए अपितु कुछ युक्तियुक्त मापदंडों के आधार पर तैयार की गई अधिसूचित नीति के आधार पर किया जाना चाहिए। इस मामले में राजनीतिक सोच का कोई महत्व नहीं होना चाहिए। विज्ञापनों का वितरण जहां तक संभव हो, उचित होना चाहिए, लेकिन छोटे समाचारपत्रों पर, जो सरकारी विज्ञापनों से प्राप्त राजस्व पर जीवित रहते हैं, सरकारी अधिकारियों द्वारा विशेष विचार करने की आवश्यकता है। हालांकि समाचारपत्रों द्वारा विज्ञापनों का किसी अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है, तथापि उन्हें नियंत्रण अधिकारियों की इच्छा और विवेक पर जारी करने की अनुमति भी नहीं दी जा सकती।

इस पृष्ठभूमि में भारतीय प्रेस परिषद् ने मूल तत्वों को तैयार करने के प्रश्न पर विचार किया है, जो केंद्र और राज्य सरकारों की ऐसी विज्ञापन नीति होगी, जिसे वे अपनाएंगे। इन आदर्श दिशानिर्देशों में केंद्र और राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, प्रशासन द्वारा विज्ञापन जारी करने के संबंध में और उनके वितरण दरों के निर्धारण और अदायगी तथा उनके सुचारु संचलन के संबंध में व्यापक सिद्धांत के रूप में समान रूप से लागू करने का प्रस्ताव है।

मापदंड

(1) भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय में पंजीकृत समाचारपत्र विज्ञापन जारी करने के संबंध में अनुमोदित सूची में शामिल किए जाने के पात्र होंगे।

(2) विज्ञापन केवल उन्हीं समाचारपत्रों को जारी किए जाएंगे जिन्हें विज्ञापन जारी करने के लिए केंद्र/राज्य सरकार की अनुमोदित सूची में शामिल किया गया हो। अनुमोदित सूची तैयार करने के लिए एक समिति होगी, जिसमें सरकारी अधिकारियों और मीडिया संबंधी व्यक्तियों के गैर-सरकारी लोग शामिल होंगे। विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों को जारी करने के लिए समाचारपत्रों का चयन करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकारियों को निम्नलिखित मापदंडों के द्वारा मार्गदर्शन दिया जाना चाहिएः

(क) समाचारपत्रों को उस स्थिति में विज्ञापन के लिए पात्र समझा जाएगा, यदि वे चार माह से नियमित रूप से और बिना किसी रुकावट के प्रकाशित किए जा रहे हैं।

(ख) विज्ञापन चाहने वाले समाचारपत्रों को प्रकाशन की अवधि और नियमितता,

प्रकाशन के आकार, प्रिंटिंग की व्यवस्था, संपादकीय और प्रबंधन संबंधी व्यवस्था के बारे में राज्य और केंद्र सरकार द्वारा पहले ही निर्धारित अपेक्षित योग्यताओं को पूरा करना चाहिए।

(ग) विज्ञापन जारी करते समय समाचारपत्र के परिचालन को भी महत्व दिया जाता है। जिन स्रोतों से प्रामाणिक परिचालन के आंकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं, वे इस प्रकार हैं:

(i) भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक,

(ii) परिचालन का ऑडिट ब्यूरो, और

(iii) सनदी लेखाकार, जो वार्षिक परिचालन के विवरण को प्रमाणित करता है।

इन स्रोतों में से किसी एक के माध्यम से प्राप्त आंकड़े समाचारपत्र को सूची में शामिल किए जाने के संबंध में परिचालन के निर्धारण के लिए स्वीकार किए जाने चाहिए और किसी अन्य पक्षकार को उपर्युक्त तीन में से किसी एक द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र पर प्रश्न नहीं उठाना चाहिए।

(घ) सरकार द्वारा बिलों की अदायगी विज्ञापन के प्रकाशन के 45 से 60 दिनों की अवधि के अंदर की जानी चाहिए। अदायगी प्रचलित उचित वाणिज्यिक दर पर की जानी चाहिए और बड़ी मात्रा में विज्ञापन जारी करने के मूल्य के रूप में 20 प्रतिशत कमीशन घटाया जाना चाहिए।

(ङ) क्षेत्रीय विषयवस्तु को प्रकाशित करने वाले छोटे समाचारपत्रों को कुछ प्राथमिकता देना वांछनीय होगा ।

(च) पूर्वोत्तर, जनजातीय क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र तथा भाषायी समूहों द्वारा चलाए जा रहे छोटे समाचारपत्र जैसे दूरदराज से प्रकाशित किए जाने वाले भाषायी समाचारपत्रों/पत्रिकाओं को भी उपयुक्त महत्व दिया जा सकता है।

(छ) जहां तक संभव हो, राजनीतिक दलों के संगठनों को सरकारी प्राधिकारियों द्वारा अनुचित रूप से संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए।

सामान्य :

विज्ञापनों की सूची में शामिल करने के लिए पात्र समाचारपत्रों की सूची को ऐसा सार्वजनिक दस्तावेज़ बनाया जाना चाहिए, जो अनुरोध करने पर उपलब्ध हो जाए। यह सूची भारतीय प्रेस परिषद्, भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक और मान्यताप्राप्त समाचारपत्र संघों को भी आवधिक रूप से भेजी जानी चाहिए।

विज्ञापन जारी करने की अनुमोदित सूची में शामिल करने/शामिल नहीं करने/ हटाए जाने से संबंधित सभी विवाद एक स्वतंत्र निकाय को भेजे जाने चाहिए, जिसमें भारत सरकार और सामाजिक-पत्रकारिता के क्षेत्र के ऐसे सदस्यों, जिनका कोई हितबद्ध न

हो, के प्रतिनिधि होंगे। विकल्प के रूप में यह विवाद प्रेस और पंजीकरण अपील बोर्ड के प्रतिमान पर गठित किए गए निकाय को भेजा जा सका है, जिसमें भारतीय प्रेस परिषद् के अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य हो सकते हैं।

ये दिशानिर्देश सर्वांगीण नहीं हैं क्योंकि इनमें सीमित प्रकार के मुद्दे शामिल हैं। इन्हें भेदभाव की ऐसी किसी संभावना को कम करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है जिनसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

अध्याय-V
मीडियाकर्मी एवं उनके परिवार के सदस्यों पर एसिड हमले पर रिपोर्ट दिनांक 2.6.2014

घटनाक्रम

महाराष्ट्र के मराठवाड़ा परिक्षेत्र में परभणी जिले के पूर्णा तालुका में स्वतंत्र पत्रकार दिनेश सदाशिवराव चौधरी विगत 20 वर्षों से पत्रकारिता करते हैं। दिनेश चौधरी ने दै. तरूण भारत, दै. सामना, दै. आनंद नगरी आदि प्रमुख समाचारपत्रों में पत्रकारिता की है। फिलहाल वे दै. तरूण भारत के संवाद्दाता हैं। दिनेश चौधरी ने अवैध गुटखा तस्करों के खिलाफ दै. तरूण भारत व दै. सामना में खबरें प्रकाशित की हैं। जिसके कारण 12 मार्च 2013 को दिनेश चौधरी के तिलक रोड स्थित निवास स्थान पर रात 11.30 बजे चार लोगों ने तेजाब के साथ हमला किया और चौधरी के मुख्य द्वार के उपरवाले खुले भाग से तेजाब फेंका जो सीमा चौधरी तथा उनकी पत्नी सौ. अरूणा व बेटी रश्मी के मुंह, छाती, हात, पीठ व पेट पर गिरा। जिसमें चौधरी का पूरा परिवार गंभीर रूप से जख्मी हुआ। पुलिस ने इस संबंध में पूर्णा पुलिस थाने में 50/2013 धारा 307, 326, 120 (ब), 34 के तहत अपराध दर्ज किया और पंडित दामोधर वालकर, मुंजा विश्वनाथ दरगु, अनिल बंडू अप्पा, कुरकुले तथा स. हबीब स. हसन को गिरफ्तार किया। जबकि मुख्य षड़यंत्रकारी व गुटखा तस्करी का सरगना सै. अली स. हसन उर्फ डॉन अभी तक फरार है। पुलिस ने सै. अली को पकड़ने मुंबई, नासिक, औरंगाबाद, हैदराबाद, अजमेर, उत्तर प्रदेश आदि ठिकानों पर टीमें भेजी, परंतु, वह अभी तक गिरफ्त से बाहर है।

समिति का दौरा व जांच

इस मामले की जांच करने गठित समिति के सदस्य के रूप में मैंने परभणी का दौरा किया व दिनेश चौधरी तथा उनके परिवार से मुलाकात की, इस हमले को लेकर परभणी के जिला पुलिस अधीक्षक संदीप पाटिल, जिलाधिकारी वानखेड़े, अन्न व आपूर्ति विभाग के जिलाधिकारी आर.डी. कोकडवार तथा जिले के पत्रकारों के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी व पत्रकारों से भेंट की, जांच में जो तथ्य सामने आये वे बड़े चौंकाने वाले हैं।

इस हमले का मुख्य आरोपी सै. अली सै. हसन उर्फ डॉन यह अवैध गुटखा तस्करी का एक प्रमुख सरगना है जो कांग्रेस पार्टी का शहराध्यक्ष भी है। सै. अली ने ही यह हमला करवाया तथा हमले से दो दिनों पूर्व से वह आंध्र प्रदेश में बैठकर मोबाइल से हमले के षड़यंत्र को अंजाम दे रहा था। खतरनाक आपराधिक पृष्ठभूमि का सै. अली हमले के समय मोबाइल से हमलावरों के संपर्क में था। सै. अली ने इसके लिए अलग-अलग 10 से अधिक सिम कार्ड इस्तेमाल किये।

इस हमले के अन्य चार आरोपियों में से दो की गहरी आपराधिक पृष्ठभूमि है। इनके खिलाफ पूर्णा पुलिस स्टेशन में वर्ष 2007 से वर्ष 2013 तक मारपीट, चोरी, रंगदारी, अवैध वसूली हत्या की कोशिश आदि अपराध दर्ज है।

दिनेश चौधरी पर इस भयावह और कातिलाना हमले के बाद पूरे राज्य और विशेषकर मराठवाड़ा क्षेत्र में न केवल पत्रकार जगत बल्कि आमजनों में भी खलबली मच गयी, परभणी में मराठवाडा के कई पत्रकार संगठनों की ओर से मोर्चे, धरने और आंदोलन भी किए गए। पूर्णा तालुका 'बंद' रखा गया।

खतरनाक परिस्थिति

मराठवाड़ा में पत्रकारिता के दौरान पत्रकारों के समक्ष बड़ी गंभीर और खतरनाक परिस्थिति है। मैंने परभणी में बहुजन पत्रकार संघ, जिलास्तरीय शासनमान्य संपादक संघ, पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती के निमंत्रक, मराठी पत्रकार परिषद् आदि के पदाधिकारियों और सदस्यों से बात की। पत्रकारों का कहना था कि वहां की पुलिस पिछले कई अर्से से माफिया और गुटखा तस्कारों से मिली है। **पत्रकार दहशत और डर के वातावरण में जी रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले एक वर्ष में 64 पत्रकारों पर हमले हुए हैं। वर्ष 2013 में कुल 15 पत्रकारों पर अब तक हमले हो चुके हैं। अधिकांश हमलावर राजनीतिक पार्टी से जुड़े पदाधिकारी व कार्यकर्ता हैं।** यह भी उल्लेखनीय है कि परभणी के पत्रकारों ने गुटखा तस्करों के खिलाफ कई खबरें प्रकाशित की परंतु अन्न व आपूर्ति विभाग के अधिकारी ने मुझे जो रिपोर्ट सौंपी उसमें उन्होंने बताया कि दो जिलों में 27 जुलाई 2012 से अब तक केवल 29 जगहों पर कार्रवाई की गयी जिसमें से अधिकांश कार्रवाई पान टपरी और छोटे दुकानदारों पर है, इस अधिकारी ने बड़ी बेशर्मी से कहा कि उनके विभाग में केवल 2 अधिकारी हैं और स्टाफ की कमी है इसलिए वे कार्रवाई नहीं कर सकते।

मराठवाड़ा में पिछले कुछ महिनों में पत्रकारों के खिलाफ ब्लैकमेलिंग के भी कुछ अपराध दर्ज किए गए, वहां के दर्जनों पत्रकारों का कहना था कि लगभग सभी आरोप बेबुनियाद और झूठे हैं तथा माफियाओं और तस्करों के खिलाफ लगातार छप रही खबरों के कारण राजनीतिक पार्टियों की मिलीभगत से यह सब कुछ कराया जा रहा है। इस संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक संदीप पाटिल ने मुझे बताया कि केवल एक माह पूर्व उनका परभणी तबादला हुआ है और वे नये सिरे से पत्रकारों के खिलाफ दर्ज मामलों की जांच करवाकर झूठे अपराध वापिस लेंगे। समिती तथ पत्रकार संगठनों की मांग व दबाव के बाद मुख्य षड़यंत्रकारी सै. अली को पुलिस ने फरार घोषित कर उसकी संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है।

समीक्षा और कार्रवाई की आवश्यकता

इस संपूर्ण मामले की प्राथमिक रिपोर्ट में मुझे जो तथ्य पता चले उनके अनुसार महाराष्ट्र में पत्रकार व उसके परिवार पर तेजाब से हमले की संभवतः यह पहली घटना है, इस हमले से पत्रकारों का मनोबल भी टूटा है, महाराष्ट्र में पत्रकारों पर हो रहे लगातार हमलों के कारण यहां का पत्रकार खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है, राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री बार-बार बयान देते हैं कि राज्य में पत्रकार की सुरक्षा के लिए कड़ा कानून बनाया जाएगा लेकिन सरकार जानबूझकर इस पर टालमटोल कर रही है, महाराष्ट्र में पत्रकारों पर हो रहे लगातार हमलों को रोकने के लिए कड़े कानून बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास लगभग 7-8 वर्षों से प्रलंबित है। पिछले एक वर्ष में 120 पत्रकारों पर हुए हमले इस बात का प्रमाण है कि महाराष्ट्र में पत्रकारों की सुरक्षा तथा खुले व सुरक्षित वातावरण में पत्रकारिता हेतु भारतीय प्रेस परिषद् को समुचित आदेश देने की आवश्यकता है। मुझे यह भी लगता है कि महाराष्ट्र में पत्रकारों पर हो रहे लगातार हमले व भयमुक्त वातावरण की जानकारी हेतु इस समिति की और विस्तारित कर इसकी समय मर्यादा बढ़ानी चाहिए तथा समिति को यह भी अधिकार होने चाहिए कि वह महाराष्ट्र के अन्य कुछ जिलों का दौरा करे व राज्य के पुलिस तथा सूचना व जनसंपर्क विभाग के महासंचालक सहित संबंधित अन्य उच्च अधिकारियों से भी भेंट कर स्थिति की जानकारी ले।

अध्याय-VI
तेलंगाना, वारंगल में मीडियाकर्मियों को खतरो के संबंध में रिपोर्ट-दिनांक 27.10.2014

9 सितंबर, 2014 को वारंगल शहर में माननीय मुख्यमंत्री, श्री के. चंद्रशेखर राव द्वारा कथित रूप से की गयी टिप्पणी पर भारतीय प्रेस परिषद्(पीसीआई) के अध्यक्ष ने 12 सितंबर,2014 को जारी किये गये आदेश में तेलंगाना में मीडिया को खतरे पर छानबीन हेतु वरिष्ठ पत्रकारों, राजीव रंजन नाग(संयोजक), कृष्ण प्रसाद(सदस्य) तथा के. अमरनाथ(सदस्य) की तीन सदस्ययी समिति का गठन किया ।

समिति को निम्नलिखित की जांच करने और उपचारी उपायों का सुझाव देने का अधिदेश दिया गयाः

1. क्या तेलंगाना के मुख्यमंत्री का यह कथन था, जैसाकि उनपर आरोप लगाया गया था, कि वह मीडियाकर्मियों की गर्दन मरोड़ देंगे और उन्हें गाड़ देंगे तथा यदि उन्हें तेलंगाना में रहना है तो, उन्हें तेलंगाना के लोगों को सलाम करना होगा, और क्या यह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क), (ड.) व (छ) का उल्लंघन करता है?

2. क्या तेलंगाना में मीडिया और उसकी मुक्त कार्यप्रणाली को कोई खतरा है?

3. तेलंगाना में जनता के प्रति अपने कर्त्तव्य का पालन करते हुए मीडिया की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय क्या हैं i

समिति ने 16 सितंबर, 2014 को हैदराबाद और 17 सितंबर, 2014 को वारंगल का दौरा किया ।

हैदराबाद के होटल टूरिस्ट प्लाज़ा में इसकी जांच की गयी । प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के सौ से अधिक पत्रकार व पत्रकार संघ इस जांच में उपस्थित थे और उन्होंने अपने विचार व्यक्त किये । उनमें से कुछ ने जांच संबंधी बिंदुओं पर लिखित ज्ञापन भी दिया । वारंगल में, समिति, जिला कलक्टर व जिला मजिस्ट्रेट से उनके कार्यालय में मिली । तत्पश्चात्, कलक्टरी समिति हॉल में सार्वजनिक सुनवाई हुई । प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के लगभग सौ पत्रकारों, जिनमें श्रमजीवी पत्रकार निकायों के प्रतिनिधि भी शामिल थे, ने जांच संबंधी बिंदुओं पर अपने विचार व्यक्त किये ।

हैदराबाद और वारंगल, दोनों में, सुनवाई के दौरान राज्य के सूचना एवं जन-संपर्क कर्मी उपस्थित थे । पारदर्शिता और खुलेपन के साथ इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने यह सुनवाई की गयी । दोनों सुनवाइयों में, तेलंगाना श्रमजीवी पत्रकार संघ (टीयूडब्ल्यूजे),

जिसके अध्यक्ष श्री आलम नारायणा हैं, के प्रतिनिधियों ने गठित भारतीय प्रेस परिषद् समिति, जिसमें एक सदस्य मूल रूप से सीमांध्र क्षेत्र का रहने वाला था, के सामने संकेतिक आरक्षण अभिव्यक्त किया । हालांकि, संयोजक ने उनकी आपत्ति को नामंजूर करते हुए जांच को आगे बढ़ाया ।

हैदराबाद में सुनवाई

मीडिया के बहुत-से प्रतिनिधियों ने 16 जून से 9 सितंबर, 2014 के बीच हुई घटनाओं को विस्तार से सुनाया । समिति को उस सीडी की प्रतियां उपलब्ध करवाई गयी थीं जिसमें मुख्यमंत्री की टिप्पणी थी । किसी भी मीडियाकर्मी, मीडिया सदन, पत्रकार संघ या उसके प्रतिनिधि ने इस बात को नहीं नकारा कि मुख्यमंत्री ने यह टिप्पणी की थी ।

बिंदु सं0 1 पर भारतीय पत्रकार संघ (आईजेयू) और उससे संबद्ध तेलंगाना श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रतिनिधियों ने कहा कि बयान, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिये जाने का आरोप लगाया गया था, सही था ।

संघों ने कहा कि न तो मुख्यमंत्री ने और न ही उनके प्रवक्ताओं ने उस बयान को नकारा है, जिन्हें मुख्यमंत्री द्वारा दिये जाने का आरोप लगाया गया था ।

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये बयान के चश्मदीद गवाहों के साथ-साथ वीडियो और ऑडियो साक्ष्य भी मौजूद थे ।

उनका दृढ़तापूर्वक यह मानना था कि मुख्यमंत्री ने जानबूझकर और गलत इरादे से मीडिया को धमकाया है ताकि वह उनकी नीतियों, कार्यक्रमों व कार्रवाइयों की आलोचनात्मक रूप से संवीक्षा न करें और किसी अन्य मीडिया अथवा किसी अन्य को यह कार्य सौंप दिया जाये।

आईजेयू और उससे संबद्ध संघ के प्रतिनिधियों ने इस बात को स्वीकार किया कि तेलंगाना विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधियों की निंदा करते हुए और उनका मज़ाक उड़ाते हुए टीवी9 न्यूज़ चैनल द्वारा प्रसारित आपत्तिजनक कार्यक्रम ''बुलेट न्यूज़'' अशालीन, अनैतिक व अरूचिकर था । उन्होंने कहा कि उन्होंने तत्काल ही उस कार्यक्रम की निंदा की ।

जब तेलंगाना विधानसभा में इस मामले को उठाया गया तो सदन ने इस कार्यक्रम की निंदा की और मामले को उचित कार्रवाई के लिए अध्यक्ष के पास भिजवा दिया । 120 दिन बाद भी, इन दोनों चैनलों की किस्मत का फैसला किये बिना इस मामले में अध्यक्ष का निर्णय अभी लंबित है।

परन्तु.....

संघों ने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने अप्रत्यक्ष रूप से मल्टीपल सिस्टम ऑपरेटरों (एमएसओ) को 16 जून से टीवी9 और एबीएन आंध्र ज्योति न्यूज़ चैनलों के प्रसारण से अलग रहना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया ।

उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा एमएसओ को उनकी गैर-कानूनी कार्रवाई जारी रखने के लिए दिये गये प्रत्यक्ष प्रोत्साहन की ओर संकेत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने एमएसओ को ''तेलंगाना विरोधी'' चैनलों को ब्लॉक करने की उनकी कार्रवाई के लिए सलाम किया है ।

उन्होंने कहा कि एमएसओ को विधानसभा में मुख्यमंत्री के भाषण से संकेत मिल गया था और उन्होंने उसी समय दोनों चैनलों के प्रसारण को रोक दिया क्योंकि वह सत्ता विरोधी पक्ष प्रतीत हो रहा था ।

उन्हें लगा कि दोनों चैनलों के प्रसारण को रोकने के बाद, तेलंगाना राज्य में मीडिया संस्थानों, जिनमें से अधिकतर आंशिक राजधानी हैदराबाद में स्थित हैं, के प्रबंधक डरा हुआ महसूस कर रहे हैं ।

आईजेयू और उससे संबद्ध टीयूडब्ल्यूजे प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष, के. श्रीनिवास रेड्डी, जो पूर्वमय दो सेवावधि के लिए भारतीय प्रेस परिषद् के सदस्य थे, ने कहा कि उन्होंने पत्रकार के रूप में 18 आंध्र प्रदेश सरकारों की कवरेज की है । श्री रेड्डी ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था, मीडिया की स्वतंत्रता के लिए सबसे मुश्किल समय था ।

श्री रेड्डी ने दृढ़ता से कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री की कार्यवाहियों और बयानों ने संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क), (ड.) तथा (छ) का उल्लंघन किया ।

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा भारतीय प्रेस परिषद् के सदस्य, श्री एन रामचंद्र राव ने भी इस विचार को दोहराया, उनका मानना था कि संवैधानिक कार्यालय में अधिकारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहिए जिससे संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन हो।

टीवी9 के प्रतिनिधियों ने यह आरोप लगाया कि एमएसओ ने नोटिस दिये बिना और कोई कारण दिये बिना ही 16 जून, 2014 से तेलंगाना में उनके चैनल का प्रसारण रोक दिया । 45 प्रतिशत राज्स्व का घाटा हो गया और 428 कर्मचारियों की नौकरियां खतरे में थीं ।

संघीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को दी गयी प्रस्तुतियां व्यर्थ रहीं । राज्य सरकार ने टेलीकॉम डिस्प्यूट्स एंड सेटलमेंट्स एपीलेट ट्रिब्यूनल (टीडीएसएटी) से प्राप्त आदेशों को नज़र अंदाज़ कर दिया ।

श्री जी. एस. राममोहन, सह संपादक, एबीएन आंध्र ज्योति ने कहा कि मुख्यमंत्री की धमकियों ने मीडिया जगत में यह डर पैदा कर दिया कि राज्य सरकार ने निगरानी शुरू कर दी है और कुल मिलाकर मीडिया की स्वतंत्रता को खतरा था ।

तेलंगाना समाचार संघ (जेएसी), आईजेयू और इससे संबद्ध टीयूडब्ल्यूजे तथा राज्य बीजेपी के श्री के. कृष्ण सागर राव से अन्य अभ्यावेदन प्राप्त हुए । सभी ने इस घटना को गंभीर व मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला कहा है ।

हालांकि तेलंगाना श्रमजीवी पत्रकार संघ (टीयूडब्ल्यूजे), जिसके अध्यक्ष श्री आलम नारायणा हैं, जो तेलंगाना प्रेस अकादमी के भी अध्यक्ष हैं और तेलंगाना सरकार के तत्वावधान में कैबिनेट मंत्री स्तर के हैं, ने यह स्वीकार करते हुए कि मुख्यमंत्री ने वह टिप्पणी की थी जिनका उनपर आरोप लगाया गया था, ने दावा किया कि मुख्यमंत्री, एक न्यूज़ चैनल द्वारा एक कार्यक्रम के प्रसारण के जरिये तेलंगाना की जनता की आहत भावनाओं को दर्शा रहे थे ।

उन्होंने कहा कि मीडिया व मीडियाकर्मियों को मुख्यमंत्री के रंगीन वार्तालाप व स्थानीय भाषा के मुहावरेदार प्रयोग को धमकी नहीं समझना चाहिए।

उन्होंने इस आरोप पर अस्वीकृति व्यक्त की, कि मुख्यमंत्री का बयान मीडिया की स्वतंत्रता को खतरा था और उसे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क), (ड.) तथा (छ) का उल्लंघन नहीं मानना चाहिए।

उनका मानना था कि तेलंगाना सरकार की ओर से मीडिया को कोई धमकी नहीं दी गयी । इसके विपरीत, आंध्र प्रदेश के प्रबंधकों से तेलंगाना के पत्रकारों को खतरा था ।

(संयोगवश, टीवी9 और आंध्र ज्योति, दोनों को बढ़ावा देने वाले आंध्र प्रदेश आवासीय क्षेत्र के निवासी हैं, हालांकि वे पिछले कुछ दशकों से हैदराबाद से ही कार्य कर रहे हैं ।)

वहां उपस्थित कुछ वरिष्ठ पत्रकारों ने भी खुलेआम तेलंगाना के मुख्यमंत्री की इस कार्रवाई का पक्ष लिया । उन्होंने कहा कि तेलुगु कवि कालोजी नारायण राव की याद में आयोजित कार्यक्रम के अवसर, जहां मुख्यमंत्री ने टिप्पणी की थी, और परिपेक्ष्य पर गौर किया जाना चाहिए । मुख्यमंत्री की टिप्पणियों को शाब्दिक अर्थ में नहीं लेना चाहिए ।

वारंगल में सुनवाई

जिला मजिस्ट्रेट, श्री जी. किशन, आईएएस, जो 9 सितंबर, 2014 को वारंगल में उपस्थित थे, ने यह स्वीकार किया कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने मीडिया को कथित रूप से धमकाते हुए वह बयान दिया था जिसका उनपर आरोप लगाया गया था ।

हालांकि जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि वार्तालाप के दौरान की गयी टिप्पणियों को शाब्दिक अर्थ में नहीं लेना चाहिए और उन्हें धमकी नहीं मानना चाहिए ।

उन्होंने मुख्यमंत्री, जिन्हें एक सार्वजनिक बैठक में भाषण देना था, के समक्ष विरोध करने वाले कुछ पत्रकारों को हिरासत में लेने की कार्रवाई को सही ठहराया ।

उन्होंने यह दावा करते हुए इस कार्रवाई को सही ठहराया कि कानून और व्यवस्था बनाये रखना तथा मुख्यमंत्री की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, जिला मजिस्ट्रेट के रूप में उनकी जिम्मेदारी है ।

तत्पश्चात्, कलक्टरी परिसर, जहां भारतीय प्रेस परिषद् की सुनवाई हुई थी, में स्थानीय पत्रकारों ने घटना का शब्दशः विवरण दिया ।

उनका मानना था कि मुख्यमंत्री ने केवल उन दो चैनलों को ही धमकी नहीं दी थी, बल्कि उन्होंने सामान्य तौर पर संपूर्ण मीडिया जगत पर निशाना लगाया था ।

उन्होंने कहा कि हाल-ही-में बनाये गये राज्य में बाज़ार व सरकारी तंत्र के कारण मीडिया बहुत दबाव में है ।

उनका यह मानना था कि मुख्यमंत्री की धमकी के बाद, स्थानीय पत्रकार डर कर जी रहे थे और राज्य द्वारा कड़ी कार्रवाई से डरे हुए थे ।

पिछले तीन महीनों में, हैदराबाद के मुख्य बाज़ार में इन दोनों न्यूज़ चैनलों की टीआरपी दरें बहुत कम हो गयी थीं ।

उन्होंने कहा कि दोनों चैनलों के 500 से अधिक कर्मचारियों को डर था कि यदि यह रोक कुछ और समय तक लगी रही तो उनकी छंटनी की जा सकती है ।

हालांकि, कुछ पत्रकारों ने दावा किया कि चाहे मीडिया को अभी न धमकाया गया हो, परंतु लगभग पिछले तीन वर्षों से यह हो रहा है । उन्होंने कहा कि वे उन मीडिया घरानों के प्रबंधकों के कारण दबाव में थे जो तेलंगाना में हो रहे संघर्ष को दबाने में आंध्र सरकार का साथ दे रहे हैं।

टीयूडब्ल्यूजे, जिसके अध्यक्ष आलम नारायणा हैं, व कुछ अन्य व्यक्तियों के प्रति निष्ठा रखने वाले सदस्यों के अलावा तेलंगाना राज्य में मीडिया की सुरक्षा के लिए जो उपाय किये जाने आवश्यक हैं, उनके संबंध में यह कहा गया कि सामान्य रूप से सरकार और विशेष रूप से मुख्यमंत्री को मीडिया संस्थाओं व पत्रकारों के बीच आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए ।

अधिकतर पत्रकारों ने दावा किया कि मुख्यमंत्री की टिप्पणी, कि यदि वे तेलंगाना जिसमें हैदराबाद भी शामिल है, हालांकि तकनीकी रूप से यह अगले दस वर्षों के लिए आंशिक राजधानी है, में रहना चाहते हैं तो उन्हें तेलंगाना के लोगों को सलाम करना चाहिए, से श्रमजीवी पत्रकारों के पास गलत संकेत पहुंचा, विशेष रूप से उन्हें, जो आंध्र प्रदेश में पैदा हुए थे और तेलंगाना में काम कर रहे हैं ।

उन्होंने कहा कि शासक संस्था व पूर्व तेलंगाना पत्रकार फोरम, जोकि टीयूडब्ल्यूजे में तब्दील हो गयी थी, के संकीर्णता से ग्रस्त नेताओं ने 'तेलंगाना के लोगों के लिए तेलंगाना' और 'तेलंगाना के पत्रकारों के लिए तेलंगाना मीडिया' जैसे कथन कहे, जोकि मुक्त मीडिया के विकास और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए सहायक नहीं थे । पत्रकार जगत में यह

आशा थी कि मुख्यमंत्री, के चंद्रशेखर राव, जिन्हें एक लंबे संघर्ष के बाद तेलंगाना राज्य प्राप्त हुआ था, परिपक्वतापूर्ण व्यवहार करेंगे । परंतु मीडिया के विरूद्ध उनके द्वारा की गयी हाल-ही-की टिप्पणियों ने न केवल मीडिया जगत बल्कि जनता में भी उनके प्रति दृष्टिकोण को बदल दिया है ।

पत्रकार आश्चर्यचकित थे कि मुख्यमंत्री, उस मीडिया के विरूद्ध बयान कैसे दे सकते थे, जिसने अलग तेलंगाना का राज्य बनाने के लिए उनके संघर्ष के दिनों में सकारात्मक व महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी थी । उनका मानना था कि उनकी टिप्पणियां गैर जिम्मेदाराना, अस्वीकार्य व अवांछनीय थीं ।

समिति की सामान्य टिप्पणियां

(1) वे व्यक्ति जिनका सार्वजनिक जीवन है और जो सत्ता में हैं, उनसे आशा की जाती है कि वे संयम में रहें और जिम्मेदार एवं गरिमापूर्ण व्यवहार करें । राज्य के मुख्यमंत्री से यह आशा की जाती है कि वे अत्यधिक जिम्मेदार व लोकतंत्रीय व्यवहार करें ।

हालांकि, 9 सितंबर, 2014 को जिस प्रकार मुख्यमंत्री, के. चंद्रशेखर राव ने मीडिया, जिसने तेलंगाना नामक नये राज्य को बनाने के उनके सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी, को धमकाया था, वह लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के विरूद्ध है, अतः अस्वीकार्य है ।

समिति की चिंता यह थी कि मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से एमएसओ को टीवी9 और एबीएन आंध्र ज्योति का प्रसारण रोकने के लिए धन्यवाद किया और उन्हें सलाम किया। आगे, उन्होंने धमकाया कि यदि मीडिया में अभी भी सुधार नहीं आया तो वे उसे सबक सिखायेंगे।

माननीय मुख्यमंत्री ने कहा (असल तेलुगु से अनूदित):

''यदि कोई तेलंगाना, उसकी विधानसभा या उसकी संस्कृति की निंदा करने या उसके आत्म सम्मान को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा, हम उनकी गर्दन तोड़ देंगे । सावधान । नहीं तो हम तुम्हें 10 किलोमीटर नीचे गाड़ देंगे (ज़मीन के नीचे).....''

''हम मीडिया को खेल नहीं खेलने देंगे । यदि तुम इससे ज्यादा करोगे, तो इससे ज्यादा भुगतोगे । मैं मुख्यमंत्री होने के नाते बता रहा हूं, यदि तुम यहां रहना चाहते हो, तो हमें सलाम करो और रहो । हमारे तेलंगाना के लोगों का सम्मान करो और यहां रहो ।''

समिति ने इस बात को स्वीकार किया है कि यह धमकियां केवल दो चैनलों, टीवी9 और एबीएन आंध्र ज्योति तक सीमित नहीं थीं बल्कि तेलंगाना में संपूर्ण मीडिया के लिए थीं । समिति का यह मानना है कि मुख्यमंत्री द्वारा दी गयी धमकियों में न केवल मीडिया पर हमला किया गया है बल्कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क), (ड.) तथा (छ) का उल्लंघन भी किया गया है।

समिति का मानना है कि मुख्यमंत्री द्वारा पत्रकारों के जन्म स्थान के आधार पर राज्य से उन्हें निर्वासित करने की धमकी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1),

(छ) का उल्लंघन किया है, जिसके अनुसार, व्यक्ति को देश में कहीं भी रहने का अधिकार है ।

एक राज्य के मुख्यमंत्री को भारत के संविधान के अनुबंधों के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए और समिति यह आशा करती है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री भविष्य में विधि नियमों का पालन करेंगे और पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे तथा मीडिया व पत्रकारों को नहीं धमकायेंगे।

यदि मीडिया अपनी हद पार करता है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में इससे निपटने के लिए बहुत से प्रावधान किये गये हैं । तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री इन उपयों का पालन करने के लिए स्वतंत्र थे । परंतु जिस प्रकार उन्होंने मीडिया को धमकाया, वह अवांछनीय था और जिस उच्च पद पर वे विद्यमान हैं, उसे शोभा नहीं देता ।

(2) लोकतंत्र में मीडिया को हित प्रहरी के रूप में देखा जाता है और उससे जिम्मेदार पत्रकारिता और शिष्टता व जनता की महत्वाकांक्षा के अनुसार अपने कर्त्तव्य के निर्वाह की आशा की जाती है । हालांकि राज्य के लोगों, जिनमें कुछ पत्रकार भी शामिल हैं, जिन्होंने समिति के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किये थे, की राय यह थी कि टीवी9 ने एमएलए और तेलंगाना राज्य के मंत्रियों का चरित्र गलत तरीके से दर्शाया था ।

टीवी न्यूज़ चैनलों को रचनात्मक कार्यक्रमों को दर्शाने की स्वतंत्रता है परंतु वे व्यंग्य के नाम पर लोकतांत्रिक समाज में जनता के प्रतिनिधि के चरित्र हनन का अधिकार का दावा नहीं कर सकते । आपत्तिजनक कार्यक्रम के प्रसारण से पहले संपादकीय स्तर पर अधिक सख्ती की जानी चाहिए थी ।

समिति विधायकों की भावनाओं को समझती है । न्यूज़ चैनल ने स्वयं अपनी गलती स्वीकार की, अध्यक्ष को लिखित माफीनामा भेजा और 24 घंटे चैनल की टिंगण पट्टी पर माफीनामा चलाये रखा । समिति का मानना था कि इस मामले को यहीं छोड़ देना चाहिए था।

यह मामला, विधानसभा की विशेषाधिकार समिति का मामला बन गया था परंतु घटना के 120 दिन बाद भी अध्यक्ष का निर्णय अभी प्राप्त नहीं हुआ है । इसके कारण अत्यधिक राजस्व मंदी के दौरान न्यूज़ चैनलों के लिए वित्त संबंधी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं ।

दोनों सुनवाइयों में पत्रकारों ने इसके कारण बताये कि टीवी9 पर रोक क्यों लगायी गयी थी । समिति ने गौर किया कि इस बात का कोई स्पष्ट कारण नहीं दिया गया कि एबीएन आंध्र ज्योति के साथ इसी प्रकार का व्यवहार क्यों किया गया था ।

समिति के निष्कर्ष

समिति के समक्ष पेश किये गये साक्ष्यों व दी गयी दलीलों के आधार पर निस्संदेह यह साबित किया गया है किः

1. तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने एक सार्वजनिक मंच से यह कहा था, जैसाकि उनपर आरोप लगाया गया था कि वह मीडियाकर्मियों की गर्दन तोड़ देंगे और उन्हें गाड़ देंगे तथा यदि

उन्हें तेलंगाना में रहना है तो, उन्हें तेलंगाना के लोगों को सलाम करना होगा । तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक मंच से यह बयान देकर संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क), (ड.) व (छ) का उल्लंघन किया है । आवेशपूर्ण वातावरण में काव्यात्मक अभिव्यंजना के रूप में सोद्देश्यपूर्ण टिप्पणियां करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता ।

2. तेलंगाना राज्य में हैदराबाद एवं अन्य स्थानों में कार्यरत पत्रकारों, प्रबंधनों व मीडिया घरानों, विशेष रूप से वे, जो आंध्र प्रदेश आवासीय क्षेत्र के निवासी हैं, ने हाल-ही-की घटनाओं के बाद महसूस किया है कि उन्हें डराया-धमकाया गया, जहां राज्य सरकार को प्रचार-प्रसार रोक कर मीडिया की स्वतंत्रता पर नियंत्रण रखने की मांग करने वाले तत्वों को एकत्रित करने हेतु इच्छुक भागीदार या मूक दर्शक के रूप में देखा गया है ।

3. राज्य सभा, सूचना एवं प्रसारण राज्यसंघ मंत्रालय तथा दूरसंचार विवाद निपटारा एवं अपील अधिकरण के हस्तक्षेप के बावजूद दोनों न्यूज़ चैनलों के प्रसारण पर लगातार लगायी गयी रोक, मीडिया घरानों और मीडिया वृत्तिकों का कारोबार चलाने के लिए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु बनाये गये विधि नियमों व उनमें निहित शक्तियों के प्रयोग पर अनिच्छा प्रकट करते हुए राज्य सरकार के अनादर को दर्शाती है ।

4. समिति का मानना है कि सत्ता के समर्थन के बिना एमएसओ के लिए दोनों चैनलों के प्रसारण पर रोक जारी रखना संभव नहीं था । दूरसंचार विवाद निपटारा एवं अपील अधिकरण द्वारा उनकी कार्रवाई गैर-कानूनी घोषित करने के बाद सिटीकेबल व डिजीकेबल ऑपरेटरों द्वारा फिर से प्रसारण शुरू करने और कुछ ही घंटों में रोक देने से यह स्पष्ट था ।

संस्तुतियां

1. भारतीय प्रेस परिषद् और भारत सरकार को तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री को यह बात समझानी चाहिए कि मीडिया या मीडिया संबंधी व्यक्तियों को धमकाना, भारत के संविधान की सुरक्षा के लिए कार्यालय में उनके द्वारा ली गयी शपथ का उल्लंघन है और उन्हें नियमों का पालन करना चाहिए ।

2. तेलंगाना के मुख्यमंत्री को निदेश दिया जाना चाहिए कि वे पत्रकारों के विरूद्ध भड़काऊ बयान देने और मूल निवास या आवास स्तर के आधार पर उन संगठनों का समर्थन करने और उन्हें सलाम करने के लिए स्वयं पर नियंत्रण रखें, जो जनता तक सूचना प्रवाह चाहती हैं ।

3. तेलंगाना राज्य सरकार को ऐसा वातावरण बनाने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का निदेश दिया जाना चाहिए जहां प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार, राजकीय अधिकारियों के प्रतिशोध व गैर-राजकीय अधिकारियों के 'कारोबारी आतंकवाद' की तलवार से डरे बिना, मुक्त एवं सही पत्रकारिता कर सकें ।

4. विरोध करने पर पत्रकारों के विरूद्ध दर्ज किये गये सभी मामलों को वापिस लिया जाना चाहिए या उन्हें जल्द-से-जल्द समाप्त किया जाना चाहिए । पत्रकारों पर हमले के लिए जिम्मेदार और हैदराबाद व वारंगल में महिला पत्रकारों से दुर्व्यवहार करने वाले पुलिसकर्मियों के विरूद्ध तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए । उन फोटोग्राफरों और वीडियोग्राफरों को मुआवज़ा दिया जाना चाहिए जिनके उपकरण को पुलिस द्वारा की गयी कार्रवाई के दौरान नुकसान पहुंचाया था ।

5. राज्य सरकार को पत्रकारों के आवास के आधार पर उनसे भेदभाव नहीं करना चाहिए।

6. टीवी9 और एबीएन आंध्र ज्योति को गैर-कानूनी ढंग से बंद करने की कार्रवाई को एमएसओ द्वारा वापिस लेने के लिए राज्य सरकार को, जैसाकि संविधान में लिखा गया है, मीडिया की स्वतंत्रता और जनता के जानकारी के अधिकार के हित में तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए ।

7. प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया संगठनों को जनहित में कार्य करने वाले पत्रकारों की संपादकीय संवीक्षा के लिए कडे तंत्र की व्यवस्था करनी चाहिए ।

संयोजक ने सूचना एवं जन-संपर्क आयुक्त, श्री चंद्रवदन, आईएएस के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि समिति को, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया को सार्वजनिक सुनवाई की कार्यवाहियों को कवर करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए जब तक ऐसा न हो कि वह राज्य सरकार को उलझन में डाल दे कि पत्रकारों ने इस आधार पर प्रतिकूल आलोचना की, कि भारतीय प्रेस परिषद् बंद कमरों में सुनवाई करने में विश्वास नहीं रखती । ऐसा करना राज्य के लोगों तक गलत संदेश पहुंचायेगा और भारतीय प्रेस परिषद् की परिपाटी, जो पारदर्शिता में विश्वास रखती है, के भी विरूद्ध होगा ।

समिति ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक से समिति को संदर्भ हेतु दिये गये बिंदुओं पर उनके विचार जानने के लिए मिलने की मांग की । उन्होंने दोनों दिन मिलने के लिए पुष्टि की प्रतीक्षा की परंतु वह व्यर्थ रही ।

समिति ने हैदराबाद और वारंगल में सूचना एवं जन-संपर्क विभाग, तेलंगाना सरकार द्वारा उनके रहने और आने-जाने के लिए की गयी व्यवस्था के लिए उनकी सराहना रिकॉर्ड की ।

समिति ने उन पत्रकारों के साहस को सराहा जिन्होंने डरे बिना अपने विचार व्यक्त किये।

अध्याय-VII

बरवाला, हिसार, हरियाणा में पुलिस द्वारा मीडियाकर्मियों पर हमले के संबंध में रिपोर्ट दिनांक 19.11.2014

भारतीय प्रेस परिषद् के अध्यक्ष ने दिनांक 19 नवम्बर, 2014 को जारी किये गये आदेश में चार सदस्ययी तथ्य खोजी समिति का गठन किया है जिसमें सोनदीप शंकर (संयोजक), कौसरी अमरनाथ, राजीव रंजन नाग तथा कृष्ण प्रसाद (सदस्य) शामिल हैं जोकि दिनांक 18 नवम्बर, 2014 को हिसार जिले के बरवाला में हरियाणा पुलिस द्वारा मीडियाकर्मियों के विरूद्ध बड़े स्तर पर की गयी हिंसा तथा मीडिया उपस्करों को तोड़े जाने से संबंधित रिपोर्टों की जांच करेंगे।

समिति ने 120 से अधिक मीडियाकर्मियों, जिनमें वे भी शामिल हैं जिन पर हमला किया गया था या जिनके कैमरों या अन्य उपस्करों को नुकसान पहुंचाया गया था, से मिलकर बातचीत करने के लिए 21 नवंबर, 2014 से 23 नवंबर, 2014 तक चंडीगढ़, बरवाला और हिसार का दौरा किया ।

समिति ने ऐसी ही सुनवाई दिनांक 25 नवंबर को नई दिल्ली में की थी । सभी पत्रकारों को मुक्त रूप से बोलने और यदि आवश्यक हो, तो लिखित ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया गया ।

हरियाणा राज्य सरकार का विचार जानने के लिए समिति, हरियाणा के मुख्यमंत्री, श्री मनोहर लाल खट्टर, महानिदेशक, हरियाणा पुलिस, श्री एस एन वशिष्ट, महानिरीक्षक, हिसार परिसर, श्री अनिल राव तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हिसार, श्री सत्येंद्र कुमार गुप्ता एवं अन्य से मिली ।

समिति का मुख्य निष्कर्ष यह है कि मीडियाकर्मियों तथा उनके उपस्करों पर हमला, ''संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के अंतर्गत मीडिया को दी गयी मूलभूत स्वतंत्रता का प्रथम दृष्ट्या, उल्लंघन है'' ।

घटना

क्रमवार घटनायें, जिनमें मीडिया पर घातक हमला किया गया है, हमारी सुनवाइयों के आधार पर निम्नलिखित हैं:

'बाबा' रामपाल जो स्वयं को भगवान मानता था, के विरूद्ध पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा गैर-ज़मानती वारंट जारी करने के बाद उसकी गिरफ्तारी का अनुमान लगाते हुए मीडिया दलों ने बरवाला में सतलोक आश्रम के बाहर खुले में शिविर लगाये हुए थे ।

आश्रमवासियों से मिल रही लगातार धमकियों को देखते हुए, मीडिया को आश्रम के द्वार से 500 मीटर की दूरी पर पुलिस मोर्चाबंदी के पीछे रखा गया ।

18 नवम्बर, 2014 को आश्रम के मुख्य द्वार के बाहर हरियाणा पुलिस बल तैनात था । आश्रम के अंदर हिंसा व पुलिस पर हमले को भांपते हुए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया ।

मीडिया को हरियाणा पुलिस द्वारा की गयी मोर्चाबंदी से आगे कहीं भी जाने की अनुमति नहीं थी।

जब पुलिस ने पानी की धार मारने व बुल्डोज़र चलाने की अपनी कार्रवाई आरंभ की, तो कई मीडियाकर्मियों ने प्रवेश की स्वीकृति के लिए चंडीगढ़ में डीजीपी को हस्तक्षेप के लिए बुलाया । डीजीपी ने लिखित आदेश के लिए समय की कमी के कारण मौखिक अनुमति दे दी।

मीडिया को उस स्थान पर, जहां यह कार्रवाई चल रही थी, लाने के लिए तत्काल 86 मीडियाकर्मियों की सूची तैयार की गयी और पुलिस को दी गयी तथा डीएसपी के पद पर कार्यरत अधिकारी (जिनकी पहचान नहीं हो पायी) को मीडिया की सहायता के लिए भेजा गया, जहां कार्रवाई चल रही थी ।

कई मीडियाकर्मियों के अनुसार, एक बार वे अंदर चले गये तो फिर वे डीएसपी को कहीं भी नहीं ढूंढ पाये।

आश्रमवासियों, जिनमें औरतें व बच्चे भी शामिल थे, के द्वारा मानव ढाल बनाये जाने के कारण आश्रम के बाहर बहुत गंभीर परिस्थिति पैदा हो गयी जिसे पेशेवर रूप से तोड़ने के लिए हरियाणा पुलिस प्रशिक्षित नहीं थी ।

पुलिस ने इस गतिरोध को तोड़ने के लिए पानी की धारें चलायीं और लाठी चार्ज किया जिसके कारण खलबली मच गयी और स्थिति बदतर हो गयी । जब कई कैमरामैन तस्वीरें ले रहे थे, तो पुलिस ने पीछे से उन पर लाठियों से वार किया । जब ये कैमरामैन, पुलिसवालों को अपने मीडिया पहचान-पत्र दिखाने के लिए पलटे, तो उन्हें बुरी तरह पीटा गया और वे घायल हो गये ।

सभी पत्रकारों के अनुसार समिति को यह जानकारी प्राप्त हुई किः

- ''पुलिस प्राधिकारियों से समुचित अनुमति लेने के बावजूद मीडिया पर हमला किया गया।''
- ''पुलिस ने विशिष्ट रूप से पत्रकारों पर पीछे से वार किया और उन्हें बार-बार लाठियों व रॉड से पीटा गया ।''
- ''मीडियाकर्मियों के कैमरों को जानबूझकर नष्ट किया गया और उनके मैमोरी कार्ड निकाल दिये गये ।''
- ''कई मीडियाकर्मियों के मोबाइल फोन छीन लिये गये ताकि वे पहुंच न सकें ।''

घटनास्थल पर कोई भी जिला कर्मी या वरिष्ठ पुलिस कर्मी मौजूद नहीं था ।

गवाह

चार बार सुनवाई के समय मीडियाकर्मी, जिनमें से कुछ चश्मदीद गवाह भी थे, के बयान निम्नलिखित हैं:

टीवी टुडे नेटवर्क के कैमरामैन शकील अहमद: 18 नवम्बर को सुबह लगभग 11:30 बजे, जब पुलिस गुस्साये लोगों को रोक नहीं पा रही थी, तो मैं आश्रम से कुछ दूरी पर पुलिसकर्मी, जो गुस्साये लोगों के साथ व्यस्त थे, के पीछे से इसे कवर कर रहा था ।

जब यह सब चल रहा था, तो अचानक एक पुलिसकर्मी ने पीछे से अपनी छड़ी से मुझे ज़ोर से मारा और कैमरा फेंक देने को कहा । जब मैंने ऐसा नहीं किया तो उसने मेरे हाथ, पांव और पीठ पर मारा और बार-बार कैमरा फेंक देने को कहा । मैं वहां से खेतों की ओर भाग गया और किसी तरह अपनी ओबी वैन तक पहुंच गया । रास्ते में 3 अन्य पुलिसकर्मियों ने मेरे हाथ में कैमरा देखकर, मुझे थप्पड़ लगाये । मुझे बुरी तरह पीटा गया था और मेरे हाथ, पांव व पीठ में बहुत दर्द हो रहा था । मीडिया में कार्य करते हुए मेरे पिछले 30 वर्षों में, यह सबसे भयानक हमला था ।

हिसार में समाचारपत्र नभचोर के फोटोग्राफर, बंसीलाल का लिखित बयान: ''मैं, कुछ दूरी पर, सोनी ए-58 कैमरा से तस्वीरें ले रहा था जब कुछ पुलिसकर्मी मेरी ओर भागते हुए आये और मेरा कैमरा व कैमरा बैग छीन लिया जिसमें मेरा प्रेस कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एटीएम कार्ड, मोबाइल चार्जर और 1,530 रूपये थे । मुझे सोंटे (डंडे) से मारा गया जिससे मेरी बायीं बाह टूट गयी और मेरे शरीर पर कई चोटें आयीं । पुलिसकर्मी चिल्ला रहे थे कि वे मुझे तस्वीरें लेने के कारण सबक सिखा रहे थे । फोटोग्राफर बंसीलाल तब तक कोई काम नहीं कर सकता जब तक उसका प्लास्टर न उतर जाये जिसके लिए उसे लगभग अगले छः हफ्तों तक इंतज़ार करना पड़ेगा ।''

ईटीवी न्यूज़, हिसार के कैमरामैन सुरेंद्र सिंह का 32 जीबी मैमोरी कार्ड वाला पैनासॉनिक पी2 कैमरा और मोबाइल फोन खो गया । जब सुरेंद्र सिंह आश्रम से थोड़ी दूरी पर तस्वीरें खींच रहे थे, तो उन्हें सोंटे से बुरी तरह पीटा गया जिसके कारण उन्हें आंतरिक घाव और चोटें आई हैं । सुरेंद्र सिंह को हिसार में जनरल अस्पताल में भर्ती किया गया और उनके घावों व उपस्कर के खो जाने के समाचार को समाचारपत्रों में प्रकाशित किया गया ।

एबीपी न्यूज़ से रिपोर्टर नपिंदर सिंह ब्रार के साथ कैमरामैन सुमित कालेर छः दिन से हिसार में थे । आगे, कालेर का कहना है कि ''मैं उस स्थान से समाचार कवर कर रहा था जहां हमें रिपोर्टिंग करने की अनुमति दी गयी थी और अचानक हम पर हमला हुआ । अचानक पुलिस ने हमें पीछे मुड़ने का आदेश दिया और हमने धीरे-धीरे खिसकने की कोशिश की । हमने वहां से भागने का भी प्रयास किया परंतु मैं वहां फंस गया क्योंकि पांच पुलिसकर्मियों ने मुझे घेर लिया और मुझे मारते रहे । ज़बरदस्ती मेरा पैनासॉनिक कैमरा छीन लिया गया और जब वह वापिस दिया गया तो उसमें कार्ड नहीं था । वह इतनी बुरी हालत में वापिस किया गया कि अब उसका

इस्तेमाल नहीं किया जा सकता । मेरी बायीं बाह तोड़ दी गयी । डॉक्टरों ने मेरी टूटी बाह को ठीक करने के लिए उसमें प्लेट डाली है । 20 नवम्बर 2014 को मेरा ऑपरेशन हुआ । इस बड़े घाव, जिसके कारण मैं कभी भी कोई भारी सामान नहीं उठा पाउंगा, के अलावा, मेरे पूरे शरीर पर बहुत सी चोटें आयी हैं । यहां तक कि हमारे अलावा हमारे ड्राइवर दलविंदर पर भी बहुत से पुलिसकर्मियों ने हमला किया और उसे भी अस्पताल में भर्ती कराया गया ।''

ईटीवी, चंडीगढ़ के बंसी धर का कहना है कि उनके कैमरामैन को न केवल पीटा गया बल्कि जब वह नीचे गिर गया, तो उसके पैरों के तलवों पर भी चोट पहुंचायी गयी ।

एनडीटीवी, नई दिल्ली के सिद्धार्थ पांडे ने कहा कि पुलिस, शायद, आश्रम में महिला सहवासियों द्वारा उनकी बहुत सी महिला सहकर्मियों पर हमले के बाद अपना संतुलन खो बैठी।

मीडियाकर्मियों के उपर्युक्त सभी बयान एक-से हैं । यह मीडियाकर्मियों पर किया गया सुनियोजित हमला प्रतीत होता है । पुलिस ने मीडियाकर्मियों को घटनास्थल पर लाने के बाद उन्हें वहां से हटाने में केवल 30 मिनट का समय लिया ।

ऐसा लगता है कि पुलिस नहीं चाहती थी कि मीडियाकर्मी इस घटना के गवाह बनें, खास तौर पर महिलाओं और बच्चों पर पानी की धार व लाठी चार्ज की उनकी कार्रवाई का, जिनका प्रयोग आश्रम प्राधिकारियों द्वारा ''मानव ढाल'' के रूप में किया जा रहा था ।

पुलिस के विचार

पुलिस महानिदेशक एस. एन. वशिष्ट ने कहा कि उन्होंने कुछ टीवी प्रतिनिधियों, जो वहां मौजूद थे, के साथ फोन पर हुई बातचीत पर कार्रवाई करते हुए आईजीपी अनिल कुमार को 'मौखिक' रूप से अनुमति दी थी कि वे मीडिया को मोर्चाबंदी के आगे कवर करने की अनुमति दें क्योंकि लिखित आदेश में काफी समय लग जाता ।

उन्होंने कहा कि उन्होंने मीडियाकर्मियों के साथ मार-पीट पर गंभीर रूप से खेद व्यक्त किया क्योंकि इस घटना के कारण ''भारत में अत्यधिक व्यावसायिक रूप से किये गये ऑपरेशनों में से एक'', जिसमें एक भी गोली नहीं चलायी गयी, के बाद हरियाणा पुलिस को उसके हिस्से की ख्याति नहीं मिली ।

उन्होंने बार-बार इस बात को दोहराया कि मीडिया पर हमला एक सामूहिक असफलता होने के बजाय ''वैयक्तिक असफलता'' थी ।

डीजीपी ने मीडिया पर हमले और आश्रम के 20,000 सहवासियों की दुर्दशा में नैतिक समानता देखने की मांग की थी । ''एनएचआरसी भी मीडिया पर हमले के बारे में जांच कर रहा है । क्या हमले में घायल हुए मीडियाकर्मियों की जान, 20,000 लोगों की जान से ज्यादा ज़रूरी है।''

आगे, इस हमले के संबंध में ज़ोर दिये जाने पर, डीजीपी ने कहा कि इस मामले की विभागीय जांच की जायेगी और यदि कोई दोषी पाया गया तो उसे सज़ा भी दी जायेगी ।

उनकी ओर से, पुलिस महानिरीक्षक अनिल राव ने कहा कि इस प्रकार के ऑपरेशनों में, एक घटना या कार्रवाई (मीडिया के विरूद्ध) को अलग करना और उसे संपूर्ण ऑपरेशन से हटाना अनुचित होगा ।

हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री, मनोहर लाल खट्टर ने डीजीपी के विचारों को दोहराया और कहा कि वह निर्णय की घोषणा करने से पहले विभागीय जांच की प्रतीक्षा करेंगे । परंतु उन्होंने पुनः आश्वासन दिया कि उनकी सरकार मीडिया के प्रति संवेदनशील थी ।

सामान्य टिप्पणियां

टीवी चैनल, उन व्यक्तियों की परेशान करने वाली तस्वीरें प्रसारित कर रहे थे, जो पुलिसकर्मियों द्वारा अत्यंत अमानवीय तरीके से घटनास्थल से बाहर घसीटे जाने के कारण पुलिस की इस कार्रवाई में घायल हो गये थे । हरियाणा पुलिस ने मीडिया को उनके कर्त्तव्य का निर्वाह करने से रोकने के लिए असंवैधानिक व अमानवीय युक्तियां कीं ।

पुलिस एवं स्थानीय प्रशासन, परिस्थितियों को ठीक करने में असफल रहे और उन्होंने अपने कर्त्तव्यों का पालन कर रहे मीडियाकर्मियों के विरूद्ध अमानवीय हिंसा का सहारा लेते हुए उपद्रवियों जैसा व्यवहार किया । यह प्रशिक्षण व अनुशासन की कमी और मानवाधिकारों की पूर्ण अवहेलना दर्शाता है ।

अधीक्षक पद के आईपीएस अधिकारी पर लगातार किये जाने वाले हमले की घटना, हरियाणा पुलिस की अनुशासनहीनता दर्शाती है ।

घटना के समय उपस्थित वरिष्ठ अधिकारियों, आईजीपी अनिल राव तथा एसपी सत्येंद्र कुमार गुप्ता का आचरण अपेक्षानुकूल एवं विश्वस्त नहीं था और उनमें आत्म-विश्वास भी नहीं था ।

समिति यह जानकर स्तब्ध रह गई कि चार दिन बाद भी पुलिसकर्मी मीडियाकर्मियों के घायल होने की बात को नकार रहे थे । दूसरी ओर, पुलिस, इस मामले को गुप्त रखने और सत्य को मुख्यमंत्री व राज्य के उच्चाधिकारियों से भी छिपाने में व्यस्त थी ।

थाना, बरवाला ने मीडियाकर्मियों की एफआईआर उस दिन अर्थात् 23 नवंबर, 2014 को भी स्वीकार करने से मना कर दिया जिस दिन समिति के सदस्यों ने हिसार का दौरा किया था । समिति के इस बात की ओर डीजीपी का ध्यानाकर्षित किये जाने के बाद ही उन्होंने एसपी को सभी एफआईआर वैयक्तिक रूप से स्वीकार करने का आदेश दिया है ।

निष्कर्ष

1) डीएसपी पद के पुलिस अधिकारी, जिन्हें मीडिया के आगे चलने और कवरेज के दौरान उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया था, का अचानक गायब हो जाना, डीजीपी के इस दावे का खण्डन करता है कि यह एक आकस्मिक हमला या ''वैयक्तिक असफलता'' थी ।

2) पुलिस की वर्दी पहने लंबे-चौड़े व्यक्तियों द्वारा मीडियाकर्मियों पर कठोरता से किये गये हमलों की आवृत्ति तथा उनके उपस्करों को पहुंचाया गया नुकसान इस मान्यता की पुष्टि करता है कि यह मीडिया की स्वतंत्रता पर ''जानबूझकर किया गया, पूर्व-निर्धारित व सुनियोजित'' हमला था ।

3) पुलिसकर्मियों ने, जिस आसानी से और बिना चूके वो मेमोरी कार्ड निकाल लिये जिसमें हमले की फूटेज थी, दर्शाता है कि उन पुलिसकर्मियों को पंक्तिबद्ध किया गया था जो भलीभांति जानते थे कि टीवी कैमरा किस प्रकार चलता है, ताकि टीवी मीडिया को इस घटना को कवर करने के उनके कर्त्तव्य का निर्वाह करने से रोका जा सके ।

4) पुलिस द्वारा घायल मीडियाकर्मियों को ऐंबुलेंस सुविधा उपलब्ध करवाने से मना करना, आउटडोर ब्रॉडकास्ट (ओबी) वैन तथा मीडियाकर्मियों की मोटरसाइकिलों को पहुंचाया गया नुकसान और उन्हें दी गयी मौखिक धमकियों के तरीके से पता चलता है कि पुलिस के इस ऑपरेशन के दौरान मीडिया को दूर रखने के लिए पूर्व-निर्धारित कार्रवाई में उसे लक्ष्य बनाया गया था ।

5) बरवाला में पुलिस द्वारा ऐसे स्थानीय मीडियाकर्मियों, जो बहुत दिनों तक हमले से प्रभावित रहे थे, की शिकायतें व एफआईआर दर्ज करने से किया गया इंकार यह दर्शाता है कि जब तक डीजीपी प्रेस परिषद् की टीम के दौरा करने के बाद ने एसपी को केंद्रक (नॉडल) अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं कर दिया, तब तक हरियाणा पुलिस ने इस घटना को गंभीरता से नहीं लिया ।

6) जिस समय मीडिया पर हमला किया गया और उन्हें घटनास्थल से निकाला गया, उन संगीन पांच घंटों की, जब तक यह ऑपरेशन चला, टीवी फूटेज न होने के कारण यह बताना नामुमकिन है कि असल में आश्रम में क्या हुआ था और इससे कितने लोग प्रभावित हुए थे ।

संस्तुतियां

1. प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जांच ।
2. अभियुक्त पुलिसकर्मियों का निलंबन और स्थानांतरण ।
3. घटना के दौरान तोड़े गये कैमरे एवं अन्य उपस्करों के लिए मुआवज़ा ।
4. घायल मीडियाकर्मियों को मुआवज़ा ।

5. एसएचओ बरवाला का निलंबन/स्थानांतरण ।

6. स्थानीय आईजी/एसएसपी का तत्काल स्थानांतरण ।

7. मीडियाकर्मियों पर हमले के लिए जिम्मेदार पुलिसकर्मियों की पहचान और उनका निलंबन तथा उनके मामलों पर जल्द-से-जल्द निर्णय ।

8. मीडियाकर्मियों द्वारा उचित धाराओं के अंतर्गत दर्ज की गयी एफआईआर ।

9. हिसार जिला मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण और

10. मीडियाकर्मियों पर थोपे गये झूठे मामलों को तत्काल वापिस लेना चाहिए।

अध्याय – VIII

फैजाबाद मे हुई हिंसा के दौरान मीडिया पर हुए हमले पर रिपोर्ट-दिनांक 13.03.2015

प्रेस परिषद् के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री मार्कण्डेय काटजू ने सुश्री तीस्ता सीतलवाड़, संयुक्त संपादक, कम्युनिज्म कम्वैट, सबरंग कम्युनिकेशन एण्ड पब्लिशिंग प्रा0 लि0 जुहू मुम्बई की शिकायत जो फैजाबाद में 24 अक्टूबर 2012 तथा उसके बाद चौक भदरसा, रूदौली या अन्य स्थानों पर हुई साम्प्रदायिक हिंसा, आगजनी, लूटपाट, 'आपकी ताकत' समाचार पत्र के कार्यालय में हुई घटनाओं तथा संवाद माध्यमों के गैरपेशेवराना प्रवृतियों के संबंध में थी पर दिनांक 30.10.2012 को भारतीय प्रेस परिषद् के माननीय सदस्य, श्री शीतला सिंह की एकल सदस्यीय समिति का गठन प्रेस परिषद् अधिनियम- 1978 की धारा 8(1) के अन्तर्गत किया।

समिति ने अपने कई जांच सत्र आयोजित किए और सभी प्रेस मीडिया संगठनों, पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारियों, दंगा प्रभावित व्यक्तियों एवं अन्य पक्षकारों को सुना तथा सभी घटनाओं की विडियोग्राफी भी की।

आपकी ताकत (साप्ताहिक) पर हमला

आपकी ताकत के संपादक श्री मंजर मेंहदी के पत्र दिनांक 7.11.2012 के अनुसार वह 24 अक्टूबर को रात्रि के लगभग 11 बजे चौक आये तो उस समय चारों ओर अंधेरा था। चौक में दुकानें जल रही थीं। फायर ब्रिगेड की गाड़िया आग बुझा रही थी । उन्होंने डी.एम., एस.पी. जो उस समय मौजूद थे, से अपने साथ मस्जिद के ऊपर चलने का आग्रह किया, वह अपने आफिस को देखना चाहते थे जिसमें लूटपाट हुई थी। दोनों आला अफसरों के साथ अयोध्या के विधायक और सपा के जिलाध्यक्ष भी मस्जिद के ऊपर आ गये, उनके आफिस के पास शीशे का काम करने वाले शदाब की दूकान पूरी तरह जला दी गयी थी। उनके आफिस में रखे कम्प्यूटर, कैमरा और लैपटाप वगैरह दंगाई लूट ले गये थे, आफिस के अंदर जमकर तोड़फोड़ की गयी थी। श्री मंजर मेंहदी के अनुसार 24 अक्टूबर 2012 का दंगा पूरी तरह सुनियोजित था। मुसलमानों की दुकानें चुन-चुनकर जलायी गयीं। आपकी ताकत के आफिस पर संपादक की जो नेम प्लेट लगी थी उसे निशाना बनाया गया था। उनका यह भी कहना है कि उनकी किसी से दुश्मनी नहीं हैं। अखबार 'आपकी ताकत' एक साथ हिन्दी, उर्दु में निकलता है जिसका नारा भी है कि 'हिन्दू-मुस्लिम दो भाई' और 'हिन्दी-उर्दू दो बहनें' हैं। इस घटना का मुख्य उद्देश्य उनका मुस्लिम संप्रदाय का होना ही है। वे 'आपकी ताकत' के 29 नवम्बर के अंक में दंगे का कारण लड़की छेड़े जाने की घटना बताया जाता है। न तो किसी को उसका नाम मालूम है न पता और न लड़की या उसके परिवार की ओर से कोई शिकायत ही पुलिस में दर्ज कराई गई हैं। उनका मानना है कि चूंकि मुसलमानों की दुकानें चुन-चुनकर जलाई गयी थीं इसलिए यह

घटना भी देश के दुश्मन जो उनके भी दुश्मन हो सकते हैं सांप्रदायिक कारणों से उनके कार्यालय पर भी हमले हुए। उनका कहना है कि वह हमेशा राष्ट्रीय एकता, आपसी सौहार्द व भाई-चारे के लिए अखबार में लिखते रहते हैं और साथ ही अपनी संस्था गुलदस्ता प्रोडक्शन सोसायटी के बैनर तले आपसी भाई-चारे का कार्यक्रम भी कराते रहते है। वे इससे इंकार करते है कि घटना उनके किसी लेखन पर की गयी प्रतिक्रिया थी बल्कि वे यही कहते हैं कि ऐसा केवल सांप्रदायिक कारणों से ही किया गया।

समाचारपत्रों की भूमिका तथा उनके द्वारा प्रस्तुत तथ्यों, विचारों तथा टिप्पणियों की घटनाओं के विवरण का क्रमवार सलंग्न क, ख, व ग पर देखा जाए ।

राज्य सरकार का सहयोग

जांच में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जांच के संबंध में विज्ञप्तियों को समाचारपत्रों में विज्ञापन के रूप में छपवाने, सुनवाई स्थल के लिए कार्यालय उपलब्ध करवाने, सुनवाई तथा दौरों के लिए सरकारी वाहन की व्यवस्था करने एवं प्रत्येक घटना की वीडियोग्राफी की व्यवस्था भी की गई।

समिति के सहायक के रूप में सूचना विभाग के एक कर्मचारी की नियुक्ति की गयी। मुख्यमंत्री और सरकार के प्रयासों के कारण ही निलंबित अधिकारी तथा स्थानांतरित जिला अधिकारी समिति के समक्ष बयान देने आये। पुलिस अधीक्षक (नगर) सुभाष वगेत को अपना प्रतिनिधि बनाकर समिति के समक्ष जवाब देने के लिए भेजा। इस प्रकार मुख्यमंत्री और राज्य सरकार का समिति को पूर्ण सहयोग मिला।

निष्कर्ष

1. फैजाबाद के आपकी ताकत साप्ताहिक पत्र पर हमला किसी लेखन, विचार के कारण नहीं बल्कि सांप्रदायिक उपद्रव के समय संपादक का धर्म और जाति थी।

2. समाचारपत्रों की गैरपेशेवारान रिपोर्ट का कारण समाचार पत्रों का सांप्रदायिकता से बचने तथा एसे दंगों की रिपोर्टिंग के लिए निर्धारित आचार संहिता का पालन न करने की प्रवृत्ति थी।

सुझाव एवं संस्तुतियां

फैज़ाबाद सांप्रदायिक उपद्रवों की संबंधित रिपोर्ट के दो भाग है एक 'आपकी ताकत' जो कि फैजाबाद में मस्जिद के ऊपरी भाग में स्थित है पर हमला और समाचारपत्रों की गैर जिम्मेदाराना रिपोर्ट तथा इसके कारणों की खोज जिससे भविष्य में पुनरावृत्ति न हो। मामले की जांच के दौरान यह तथ्य स्पष्ट रूप से उजागर हुआ है कि फैजाबाद और आसपास के क्षेत्रों में उपद्रव, समाचारपत्र पर हमला, और समाचारपत्रों की गैर पेशेवाराना रिपोर्ट, ये तीनों प्रकरण आपस में जुडे. हैं इन्हें अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि 'आपकी ताकत' समाचारपत्र के

संपादक श्री मंजर मेहंदी का कहना है कि उनके कार्यालय पर हमला, तोड़-फोड़ और आगजनी के कारण कोई समाचारपत्र का प्रकाशित लेखन, रिपोर्ट या विचार नहीं बल्कि उनका एक खास सांप्रदाय का होना था । इसी के साथ ही समाचारपत्रों पर भी यह आरोप था कि उनकी दो महीनों की रिपोर्ट, जिसके कई अंश अभिलेखों में सलंग्न हैं, के द्वारा अल्पसंख्यकों के खिलाफ प्रणनित थी इसलिए ये पूरी घटना एक दूसरे पर अन्योनाश्रित लगती हैं इसलिए प्रेस से जुड़ी रिपोर्ट को और सांप्रदायिक दंगों को अलग-अलग नहीं किया जा सकता हैं । इसलिए प्रेस परिषद् के लिए सुविधाजनक यही होगा कि वह समाचारपत्रों जिन्होने परिषद् द्वारा तैयार किए गए मानकों और आचार संहिता का उल्लघंन किया हैं, जिसके फलस्वरूप सांप्रदायिक उपद्रव की स्थिति आयी इसके लिए समाचारपत्रों द्वारा सांप्रदायिक दंगों या सांप्रदियकता उभारने के संबंध में निर्मित आचार सहिंता के पालन के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए तथा जिन समाचारपत्रों पर इनके उल्लघंन का आरोप है उन्हें भविष्य में पत्रकारों को जब सुविधाएं देने का प्रश्न हो तो उनकी इस भूमिका पर भी विचार किया जाए। राज्य सरकार इनके अनुपालन तथा इसकी स्थिति से निपटने के लिए कोई नियम या कानून बना सकती हैं। जहाँ तक प्रशासन के अधिकारियों की भूमिका और व्यवहार का संबंध है वो अंश भी राज्य सरकार को सौंप अपने विवेक के अनुसार निर्णय करने के लिए छोड़ दिया जाए।

संलग्नक - क

दिनांक 21 सितम्बर 2012 की रात्रि में विख्यात देवकाली मंदिर से तीन मूर्तियां चोरी हो गयी थीं। इस सम्बन्ध में मुकदमा अपराध संख्या 3262 दिनांक 22.9.12 कोतवाली फैजाबाद में दर्ज हुआ। दिनांक 22.9.12 को मूर्तियों की चोरी के विरोध में श्री लल्लू सिंह, पूर्व विधायक, श्री राम चन्द्र यादव, विधायक, श्री अशोक कसौधन एवं अन्य द्वारा धरना दिया गया जिसके सम्बन्ध में हिन्दुस्तान समाचार पत्र के दिनांक-23.9.12 के अंक में समाचार प्रकाशित हुआ। दिनांक 23.9.12 को हिन्दुस्तान समाचार पत्र में डा. राम विलास वेदान्ती, पूर्व सांसद का यह बयान प्रकाशित हुआ कि यदि मंदिर के आसपास निवास करने वाले एक विशेष वर्ग के लोगों को खंगाला जाये तो इसका खुलासा हो जायेगा। मूर्तियों की चोरी को हिन्दुओं की भावनाओं और धर्म पर हमला बताया गया। विश्व हिन्दू महासंघ के जिला अध्यक्ष, मनीष कुमार और हिन्दू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष, शंभूनाथ जायसवाल ने भी अपने-अपने संगठनों की बैठक की। श्री लल्लू सिंह, पूर्व विधायक और श्री विजय गुप्ता, अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, फैजाबाद द्वारा बंद का आहवान किया गया। दिनांक 23.9.12 को आयोजित बंद में केन्द्र दुर्गा पूजा समिति और हिन्दू युवा वाहिनी सहित अनेक व्यक्तियों ने इस बंद में भाग लिया। फैजाबाद चौक सब्जी मण्डी में बंद आयोजन कर्ताओं और मुस्लिम दुकानदारों के बीच झड़प भी हुई जिसमें पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। इस सम्बन्ध में दिनांक 24.9.12 को समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हुए।

दिनांक 21.9.12 से 12.10.12 तक प्रतिदिन मूर्ति चोरी की घटना के विरोध में धरना एवं प्रदर्शन आयोजित हुए। इन आयोजनों के दौरान ये बार-बार दोहराया गया कि मूर्तियों की चोरी हिन्दुत्व पर हमला है। आन्दोलन कार्यों पर पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाये गये और मंदिरों

के कपाट भी बन्द किये गये। कोतवाली का घेराव किया गया और मौन जुलूस निकाले गये। प्रतिदिन इस प्रकार के प्रदर्शन हुए जिनके समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए। हिन्दुस्तान समाचारपत्र के दिनांक 26, 27, 28, व 30.9.12 के अंकों में समाचार प्रकाशित हुए। दिनांक 2 अक्टूबर और 7 अक्टूबर को भी हिन्दुस्तान समाचार पत्र में समाचार प्रकाशित हुए।

दिनांक 13.10.12 को हिन्दू युवा वाहिनी के अध्यक्ष, सांसद योगी आदित्य नाथ ने देवकाली मंदिर पर अनेक धर्माचार्यों के साथ जनसभा की जिसमें उन्होंने कहा कि मूर्तियों की चोरी हिन्दुत्व पर हमला है और सूबे में हिन्दू विरोधी सरकार है। इस दौरान उन्होंने अनेक उत्तेजक बातें कही, उत्तेजक गीत भी गाये। उन्होंने कहा कि आस्था पर चोट की जा रही है। जगह-जगह अपमानित किया जा रहा है। हिन्दू निरीह व कमजोर हो गया है जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हमारे बीच रहकर पूरी सुविधा लेने वाले हमारी आस्था पर प्रहार कर रहे हैं। ऐसे लोगों को पहचानना होगा। अयोध्या में गुलामी का प्रतीक ढांचा ढह गया तो धर्मनिरपेक्ष दलों ने खूब रोना रोया। कश्मीर में हिन्दुओं का उत्पीड़न इन लोगों को नहीं दिख रहा है। असम में मुंहतोड़ जवाब दिया गया तो धर्मनिरपेक्षता खतरे में पड़ गयी।

श्री वेदान्ती, पूर्व सांसद ने कहा कि रामजन्मभूमि पर भी आतंकी हमले से इसी पार्टी के झंडे लगे वाहन से आतंकवादी और विस्फोटक पहुंचाये गये थे, पुलिस ने चालक को वैसे ही छोड़ दिया।

योगी आदित्यनाथ श्री वेदान्ती और अन्य द्वारा दिये गये उक्त बयानों का प्रकाशन दिनांक 14 अक्टूबर 2012 को समाचार-पत्र अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान और राष्ट्रीय सहारा में हुआ। पूर्व सांसद डा. राम विलास वेदान्ती ने कहा की सपा के शासनकाल में हिन्दुओं की आस्था पर चोट करने वाली घटनाएं बढ़ जाती हैं। उन्होंने कहा कि मूर्ति चोरी में किसी आतंकवादी संगठन के हाथ होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। चाणक्य परिषद के संरक्षक कृपा निधान तिवारी ने आत्मदाह की धमकी दी। दिनांक 15 अक्टूबर को प्रदर्शन कर रैली निकाली गयी।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि दिनांक 21 सितम्बर 2012 की रात्रि में मूर्ति चोरी होने के बाद से श्री लल्लू सिंह, पूर्व विधायक, भाजपा, रामचन्द्र यादव, विधायक, भाजपा व अशोक कसौधन अध्यक्ष, नगर पालिका, रुदौली अन्य ने धरना प्रदर्शन जुलूस अयोजित किये जिसमें भाजपा सांसद योगी आदित्यनाथ जो कि हिन्दू युवा वाहिनी के अध्यक्ष हैं और पूर्व सांसद श्री वेदान्ती ने हिस्सा लिया। इन सभी ने अपने भाषणों और बयानों में मूर्ति चोरी को मुसलमानों से जोड़ा और सपा सरकार को भी निशाना बनाया इससे भोली भाली जनता में मुस्लिम विरोधी संदेश गया और नफरत फैली जिसने 24 अक्टूबर 2012 को घातक रूप अख्तियार किया। मूर्ति चोरी की घटना समान रूप से वैसी ही घटना थी जैसी अन्य मंदिरों से मूर्ति चोरी की घंटनाएं होती है। और जिनमें अपराधियों को पकड़ने के लिए कानून अपना काम करता है परन्तु उनका सांप्रदायिक हिंसा और नफरत फैलाने के लिए उपयोग नहीं होता है परन्तु देवकाली मंदिर की मूर्तियों की चोरी को हिंदू आस्था पर हमला और आतंकवादियों के हाथ होने की संभावना बताकर सपा सरकार पर निशाना साधा गया। वह राजनीति

से प्रेरित था और उसका कोई औचित्य नहीं था यह सब कुछ सोची समझी योजना के तहत किया गया प्रतीत होता है ताकि राजनीतिक लाभ उठाया जा सके।

इस सम्बन्ध में श्री के.पी. सिंह भी मीडिया की भूमिका पर सवाल उठाते हैं जिनकी शिकायत संलग्न है।

जहां तक 24 अक्टूबर 2012 को आरंभ होने वाली घटनाओं जिसमें अल्वाना, बिगनियापुर, शुजागंज, भदरसा और ग्रामीण क्षेत्रों तारुन, बीकापुर तथा इनायतनगर थाना क्षेत्रों में हुई घटनाओं का संबन्ध है इस संबन्ध में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-

दिनांक 24 अक्टूबर की क्रमवार घटनाएं:-

अल्हवाना

दिनांक 24 अक्टूबर 2012 को रुदौली थानान्तर्गत पवन कुमार द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 1014 सन 12 अन्तर्गत धारा 147,323,427,506 आई.पी.सी. इम्तियाज व 15 अन्य के विरुद्ध दर्ज कराया गया। इस रिपोर्ट पर प्रार्थी के रूप में रमेश चन्द्र राजकुमार, संजीव कुमार व अन्य कई व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किये हैं। मूर्ति विसर्जन जुलूस का संयोजक रमेश चन्द्र है जिसने स्वयं को बजरंग दल का सदस्य बताया है।

रिपोर्ट के अनुसार 24 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे जब टैक्टर ट्राली इम्तियाज के घर के सामने पहुंची तो एक छोटा बच्चा रोने लगा और जैसे ही ट्राली से उतरने लगा तो इम्तियाज ने कहा कि ट्राली आगे नहीं बढ़ेगी और रिपोर्ट में नामजद मुसलमान लड़के ट्राली पर चढ़ गये और सभी मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया और महिलाओं व बच्चों की पिटाई की।

उपरोक्त रिपोर्ट में इम्तियाज द्वारा टैक्टर ट्राली रोकने का जो कारण वादी पवन कुमार द्वारा बताया गया वह सामान्य बुद्धि से परे है। बच्चे के रोने से इम्तियाज को क्या परेशानी हुई वह समझ में नहीं आती। प्रतीत होता है कि यह पवन कुमार द्वारा गढ़ी गयी कहानी है (दूसरे रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि सभी मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया) यह सत्य नहीं क्योंकि घटना की जो विडियो फिल्म समिति के समक्ष साक्ष्य के रूप में श्री असद हयात द्वारा प्रस्तुत की गयी उसको अवलोकित किया गया जिसमें यह पाया गया कि दुर्गा प्रतिमा ट्राली पर सुरक्षित खड़ी है और क्षतिग्रस्त नहीं है। यह प्रतिमा अल्हवाना में प्राइमरी स्कूल के पास खड़ी है जो इम्तियाज का निवास पार करने के बाद ग्राम के बाहरी हिस्से में है। इस प्रकार वादी पवन कुमार का यह आरोप झूठा है कि रिपोर्ट में नामित मुसलमान लड़के ट्राली पर चढ़ गये और सभी मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसी घटना के संबंध में श्री वाई.पी. सिंह, प्रभारी निरीक्षक, रुदौली द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 1015 अन्तर्गत धारा 147,148,149,307,332,333,353,336, 435, 504,506,120बी दर्ज कराई गयी है जिसमें कृष्णदत्त पाठक रामचन्द्र यादव विधायक और उक्त पवन कुमार सहित 17 अन्य को अभियुक्त बनाया गया है। इस रिपोर्ट में उल्लेख किया

गया है कि विधायक राम चन्द्र यादव ने रुदौली और अनेक स्थानों पर यह अफवाह फैला कर रोड जाम करवा दिया कि अल्हवाना में मुसलमानों ने दुर्गा प्रतिमा को खंडित कर दिया है और जुलूस नहीं निकलने दे रहे हैं। वादी ने यह भी कहा है कि जब समय करीब साढ़े तीन बजे दोपहर वह अल्हवाना गांव पहुंचे तो दुर्गा प्रतिमा ट्राली पर गांव के बाहर स्थित प्राइमरी स्कूल के पास खड़ी थी वह क्षतिग्रस्त नहीं थी। परन्तु समझाने के बावजूद वह लोग नहीं माने और धीरे धीरे आस पास के गावों से दो तीन हजार आदमी आ गये और कृष्ण दत्त पाठक व उक्त पवन कुमार सहित अन्य सभी नामित अभियुक्त मुसलमानों की बस्ती में घुसने लगे जिन्हें कृष्णदत्त पाठक साम्प्रदायिक नफरत भरे हिंसा करने के लिए उक्साने वाले भाषण दे रहे थे और उसने कहा यदि पुलिस आगे बढ़ने से रोके तो पुलिस को ही मारो। अभियुक्तों ने हमला कर दिया पुलिस वालों को मारा-पीटा, घायल किया और उनके वाहनों को भी जलाया गया तथा भागते हुए मूर्ति जो खड़ी थी उसको लेकर चले गये। कोतवाल रुदौली के अनुसार कृष्णदत्त पाठक गुजरात से सम्बन्ध रखते हैं।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि मूर्ति सुरक्षित खड़ी थी जिसके खंडित होने की अफवाह पवन कुमार और अन्य अभियुक्तों द्वारा फैलाई गई और हिंसा की गयी। इस प्रकार साबित है कि विधायक राम चन्द्र यादव द्वारा अभियुक्त पवन कुमार, कृष्ण दत्त पाठक व अन्य अभियुक्तों के साथ दंगे की साजिश रची। समिति द्वारा दिनांक 24.11.2012 को श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह प्रभारी निरीक्षक का बयान दर्ज किया है जिन्होंने अपने द्वारा दर्ज कराई गयी रिपोर्ट में उल्लिखित विवरण को दोहराया और उसका समर्थन किया।

मोहम्मद अली, पुत्र, इम्तियाज द्वारा उक्त घटना के सम्बन्ध में मुकदमा अपराध संख्या 1018 सन् 12 अन्तर्गत धारा 143,295,क,427,504,336,506,452, आई.पी.सी. उक्त पवन कुमार व 52 अन्य के विरुद्ध दर्ज कराई है जिसमें कहा गया है कि अभियुक्तगण लगभग दो बजे दिन में आए, गांव में मुसलमानों के घरों में तोड़ फोड़ व लूटपाट की तथा उन पर मस्जिद के एक गुम्बद को क्षतिग्रस्त करने का आरोप है।

घटनाएं-भेलसर, बिगिनिया पुर, शुजागंज

अल्हवाना की घटना के पश्चात विधायक राम चन्द्र यादव और अशोक कसौधन चेयरमैन रुदौली के इशारे पर भेलसर चौराहे पर मुसलमानों की दुकानों, मकानों को लूटा व जलाया गया। उनके वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया। राहगीरों को पीटा गया। इस सम्बन्ध में असीम अख्तर द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 1016 सन् 12 अन्तर्गत धारा 147,336,427,504 आई.पी. सी. थाना रुदौली में दर्ज कराया गया। इसमें विधायक राम चन्द्र यादव, और अशोक कसौधन, अध्यक्ष सहित 21 अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज कराया है। मुकदमा अपराध संख्या 1020 सन्12 मौलाना मोहम्मद आसिफ अध्यक्ष मस्जिद भेलसर द्वारा थाना रुदौली अन्तर्गत धारा 143,295 क, 427,336,323, आई.पी.सी. रोशन पासवान व पचपन अन्य नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज कराया कि अभियुक्तों ने 4 बजे दिन में मस्जिद पर पथराव किया व मुसलमानों की दुकानों को तोड़ा। इन दोनों की मुकदमे की विवेचना प्रचलित है। प्रभारी निरीक्षक, श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह

ने अपने बयान में कहा है कि दंगाइयों ने भेलसर तिराहे, नेशनल रोड तिराहे पर जाम लगाया जिसको पुलिस अधीक्षक व जिला अधिकारी द्वारा खुलवाया गया जिसकी प्रतिक्रिया में बिगिनियापुर पर मुसलमानों की गुमटियों को पलट दिया व दो छप्परों में आग लगा दी। विगिनिया पुर की 24 अक्टूबर 2012 की इस घटना के सम्बन्ध में रियाज अहमद द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 1019 अन्तर्गत धरा 143, 295, 29क, 427,504,436,336 आ.पी.सी. हरी शरण और 27 अन्य नामजद अभियुक्तों के खिलाफ दर्ज कराया है जिसमें कहा गया है कि नामजद अभियुक्तों द्वारा रियाज अहमद और 25 अन्य मुसलमानों की दुकानों को लूटा तोड़ा और उनमें आग लगा दी, मस्जिद को भी क्षति पहुंचायी और मुसलमानों को जिन्दा जलाने की कोशिश की। पीड़ित दुकानदारों के नाम जुबैर, नईम, शेर मोहम्मद, शमीम हयात, अलकलीम अमीम वसीम, अतीक, आशिक अली, हाशिम, अलीम हनीफ हसीब कल्लू, अकबर अली, मुनीर अहमद द्वारा अन्तर्गत धारा 143,506,295क, आई.पी.सी. थाना रुदौली में विनोद सिंह व 7 अन्य नामजद के खिलाफ दर्ज कराई है कि दिनांक 24.10.12 को अभियुक्तों ने मस्जिद को जाने वाली बिजली की लाइन के खम्भों को गिरा दिया और पेड़ों को काट कर सड़क पर जाम लगाया तथा मुसलमानों व इस्लाम विरोधी नारे लगाए तथा जान से मारने की धमकी दी।

ग्राम अल्हवाना भेलसर चौराहा, बिगिनियापुर और शुजागंज की घटनाएं एक ही सूत्राधार से जुड़ी हैं जो कि विधायक रुदौली और अध्यक्ष रुदौली है जिनके सहायक पवन कुमार, कृष्णदत्त पाठक और दूसरे अन्य व्यक्ति हैं जिन्हें दर्ज कराये गये मुकदमों में अभियुक्त बनाया गया है। श्री राम चन्द्र यादव की भूमिका दंगे की साजिश के मुख्य सूत्रधार के रूप में सामने आती है। देवकाली मंदिर से मूर्तियां चोरी होने के बाद सर्वप्रथम धरना आयोजित करने वाले भी वही थे।

भदरसा कस्बा और ग्रामीण क्षेत्र की घटनाएं

भदरसा में दिनांक 24.10.12 को शाम 4 बजे तक पूरी तरह शांती थी तथा सांप्रदायिक तनाव नहीं था। शाम साढ़े पांच बजे बाजार में जब मूर्ति विसर्जन जुलूस निकल रहा था तब अफरा-तफरी मच गयी। उसके बाद जो हुआ उसके संबंध में परस्पर विरोधी तथ्य सामने आये हैं। अनुराग गुप्ता द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 684 सन् 12 अन्तर्गत धारा 147,148,149,506,302, आई.पी.सी. दर्ज कराया गया जिसमें सद्दू कुरैशी सहित 13 को अभियुक्त बनाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बड़ी मस्जिद के पास नामजद अभियुक्तों ने ललकार कर कहा कि इन लोगों को जान से मार दो और किसी को छोड़ना नहीं। इस पर इकबाल ने दुर्गा प्रसाद को पकड़ कर खींच लिया और सिद्दू ने पीठ में चाकू मार दिया और लोगों ने ईंट गुम्मा बरसाना शुरु कर दिया। दुर्गा प्रसाद की मृत्यु हो गयी। अनुराग गुप्ता की इस रिपोर्ट से क्रास वर्जन में तौहीद, पुत्र, जब्बार द्वारा सी.आर.पी.सी. धरा-156(3) के अंतर्गत न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया गया है कि थाने पर उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि जुलूस के दौरान गुप्पी नाम का लड़का अफवाह फैलाने लगा कि रुदौली के आस पास मूर्ति तोड़ दी गयी है और रामबोध सोनी, रामू सोनी, भगवती प्रसाद उर्फ दयालू-भोला मास्टर उर्फ भगवती गुप्ता और अन्य लोग भी आ गये और कहने लगे कि रुदौली के विधायक जी ने कहा है कि जुलूस रोक लो, विसर्जन मत करो। माता जी का मुसलमानों ने अपमान किया हैं। इस पर इन लोगों ने तौहीद व अन्य लोगों

की दुकानों पर पथराव लूटपाट व आगजनी करने लगे। तौहीद के मना करने पर उपर्युक्त लोगों ने ललकारा और कहा कि सालों को जान से मार डाला तब गुप्पी तौहीद को जान से मारने की नीयत से आगे बढ़ा, तौहीद पीछे हट गया और चाकू तौहीद के बराबर में खड़े दुर्गा प्रसार को लगा जिससे उनकी मौत हो गयी। इस घटना को बहुत से लोगों ने देखा और तौहीद व अन्य लोगों की दुकानों को जलाकर राख कर दिया गया। थानाध्यक्ष पूरा कलन्दर श्री चन्द्रभान यादव द्वारा मुकद्मा अपराध संख्या 686/12 अन्तर्गत धारा 144,147,148,149,296,332,35,323, 307,436,427,153क आई.पी.सी.दर्ज कराया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें मालूम पड़ा कि जामा मस्जिद के पास दो अलग अलग संप्रदाय के लोगों में आपस में गाली गलौज व लड़ाई झगड़ा हो रहा है और जब वहां पहुंचा तो पता चला कि दुर्गा प्रसाद को कुछ लोगों ने चाकू मार दिया है। दोनों संप्रदाय के लोगों ने दुकानों, मकानों में आगजनी की और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को जला दिया। उपर्युक्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि थाना अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद की हत्या के समय मौजूद नहीं थे और जब घटना स्थल पर पहुंचे तब तक दुर्गा प्रसाद को चाकू लग चुका था। परन्तु यह चाकू किसने मारा उन्हें किसी ने नहीं बताया जबकि मृतक के परिवारजन मौजूद थे और अस्पताल ले जा रहे थे। इसी कारण हत्यारों के नाम का उल्लेख नहीं किया गया। अनुराग गुप्ता द्वारा दर्ज कराई गयी रिपोर्ट से हत्या के उद्देश्य का पता नहीं चलता। नामजद किये गए किसी भी मुस्लिम अभियुक्त का कोई विवाद या दुश्मनी दुर्गा प्रसाद से नहीं थी जो हमले का कारण बनती। इस मामले में कोई दूसरा व्यक्ति घायल हुआ इसका पता किसी रिपोर्ट तथा अन्वेषण से नहीं चलता। इसलिए पूरे प्रकरण की गहन जांच होनी आवश्यक है। दुकानों में आगजनी व लूटपाट के सम्बन्ध में आरिफ द्वारा मुकद्मा अपराध संख्या 687 सन् 12 अन्तर्गत धारा 147, 336, 394, 427 आई.पी.सी. सचिन, रामबोध सोनी, भगवति उर्फ भोला भगवती उर्फ दयालू रामू, सहित 44 नामजद व 400-500 अज्ञात के विरुद्ध दर्ज कराया है कि इन अभियुक्तों द्वारा बाजार में लगभग 40 मुसलमानों की दूकानों को लूटा और उनमें आग लगा दी। इन सभी के नामों का उल्लेख एफ.आई.आर. में किया गया है। प्रशासन द्वारा भदरसा कस्बे के अन्तर्गत लूटपाट और आगजनी के पीड़ितों की जो सूची प्रकाशित की गयी है उसमें कुल पीड़ित 42 व्यक्ति मुसलमान हैं जो दिनांक 24 अक्टूबर की शाम को घटित हिंसा में प्रभावित हुए। जबकि लक्ष्मी प्रसाद और मिथलेश की गुमटी दुकान मुसलमानों की जलती दुकानों से आग पकड़ कर जल गयी। अम्बिका की दुकान में जो तोड़फोड़ हुई प्रशासन ने उसका कुल क्षति आकलन एक हजार रूपये किया है। चन्दन की बिस्कुट की दुकान भी इसी तरह प्रभावित हुई। इन चारों हिन्दू व्यक्तियों द्वारा किसी भी मुसलमान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गयी है। दिनांक 24 अक्टूबर की हिंसा में भदरसा कस्बे के बाहर और नन्दी ग्राम (भरतकुण्ड) में 11 मुसलमानों के घरों व दुकानों में लूटपाट व आगजनी की गयी इस प्रकार पीड़ित मुसलमानों की संख्या 50 से ऊपर है जो भदरसा कस्बे में 24 अक्टूबर की हिंसा में प्रभावित हुए। मुसलमानों ने क्यों जुलूस पर हमला किया इसका कोई संतोषजनक उत्तर अनुराग गुप्ता और थानाध्यक्ष द्वारा दर्ज कराई गयी रिपोर्टों से नहीं मिलता क्योंकि खुद ही हमला कर के अपने ही साम्प्रदाय के 50 से अधिक मकान व दुकानों में लूटपाट व आगजनी की घटनायें झेलना संभव नहीं है। इसलिए मुसलमानों द्वारा जुलूस पर हमला करने और दुर्गा प्रसाद की हत्या करने की गहन जांच की जानी

चाहिए। अग्निशमन अधिकारी द्वारा अपने बयान में भरतकुंड में इलाहाबाद रोड पर अग्निशमन यान और सरकारी बस जलाने का आरोप दुर्गावाहिनी दल के लोगों पर लगाया है।

भदरसा की 24 अक्टूबर की घटनाओं का प्रभाव

दिनांक 26 अक्टूबर 12 को थाना पूरा कलन्दर की जनरल डायरी की एंट्री नम्बर 20 में उल्लेख किया गया है कि समाचारपत्र दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, अमर उजाला में प्रकाशित खबरों को पढ़कर भदरसा व आस पास के क्षेत्र के विभिन्न सम्प्रदायों में एक दूसरे सम्प्रादय के लोगों में जनाक्रोष व्याप्त हो गया है तथा जनमानस में भय का वातावरण बना हुआ है। साम्प्रदायिक सद्भावना कायम नहीं हो पा रही है क्षेत्र के सामान्य जन समुदाय में लोकव्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गयी है। आज भी कस्बा भदरसा व आस पास की सड़के भय व आतंक के कारण सुनसान हैं। दिनांक 24 व 25 अक्टूबर को हुई घटनाओं के सम्बन्ध में पीड़ितों द्वारा कई रिपोर्ट दर्ज कराई गयी है। मोहम्मद इस्माइल द्वारा मुकद्मा अपराध संख्या 699 सन 12 समशुद्दीन द्वारा मुकद्मा अपराध संख्या 701 सन् 12 अब्दुल वहीद द्वारा मुकद्मा अपराध संख्या 701ए सन 12 इस्राइल खां द्वारा मुकद्मा अपराध संख्या 701बी और शौकत उल्ला द्वारा मुकद्मा अपराध संख्या 688ए मुहम्मद इश्तियाक द्वारा मुकद्मा अपराध संख्या 688 सन् 12 दर्ज कराया गया है। दिनांक 27.10.12 को एंट्री नम्बर 14 समय 14:30 पर एस.ओ. चन्द्रभान यादव द्वारा दिनांक 26 अक्टूबर की रात्रि को घटित घटनाओं का उल्लेख किया गया है जिसमें लिखा है कि फतेहपुर, जिवपुर, कैलकेशव पुर, मिर्जापुर निमौली, मीराजैन, बभगन, आदि गांव में भी आगजनी व उपद्रव की सूचना फोन पर लगातार आ रही थी। मोहल्ले फुलवरिया में चारों दिशाओं से एक दो मील के अंदर झोपड़ियों व मकानों में आग लगा दी गयी थी और उत्तेजित करने वाले नारे और आग की लपट दिखायी पड़ रही थी। पुलिस बल व अधिकारी 2 हजार उपद्रवियों से घिरे थे। इसी समय सूचना मिल रही थी कि लालपुर में एक सेक्शन ड्यूटी पर मौजूद पी. ए. सी एक हजार उपद्रवियों से घिर गयी है।

थाना अध्यक्ष द्वारा जो उपरोक्त उल्लेख किया गया है उससे यह प्रश्न पैदा होता है कि भदरसा और आस पास के ग्रामीण क्षेत्रों में दिनांक 24 अक्टूबर की रात्रि में ही प्रशासन द्वारा कर्फ्यू क्यों नहीं लगाया गया और क्यों उपद्रवियों को अवसर मिला कि उन्होंने जमकर लूटपाट व आगजनी की।

अनवरी द्वारा मुकद्मा अपराध संख्या 697ए, असगर द्वारा मुकद्मा अपराध संख्या 700 सन् 12, अब्दुल कयूम द्वारा मुकद्मा अपराध संख्या 700ए सन्12, श्रीमती एहमदुल द्वारा मुकद्मा अपराध संख्या 700बी सन् 12, आएशा खातून द्वारा मुकद्मा अपराध संख्या 700 सी, शाहजहां द्वारा मुकद्मा अपराध संख्या 700डी, श्रीमती नाजरीन द्वारा मुकद्मा अपराध संख्या 687 सन् 12, जिन्नतुल निशा द्वारा मुकद्मा अपराध संख्या 698 सन् 12 दर्ज कराए गए और चांद अली तथा इनाम अली ने भी अपनी रिपोर्ट दर्ज करने के प्रार्थना पत्र दिये। ग्राम करमा कोड़री में मोहम्मद रियाज की गुमटी को जलाया गया जिसकी आग से सटी हुई हरीश कुमार की गुमटी भी जल गयी। मोहसिन पुर अकवारा चौराहे पर जीमरुल पत्नी हनीफ की बिसात खाने की गुमटी को जलाया गया। इन घटनाओं के संबंध में इनकी रिपोर्ट थाना पूरा कलंदर पर दर्ज नहीं की

गयी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को 5 नवम्बर 12 को भेजे रजिस्टर्ड पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और इन्हें कोई अंतरिम मुआवजा नहीं मिला।

थाना तारुन, थाना बीकापुर की घटनाएं

थाना बीकापुर अन्तर्गत शकील अहमद द्वारा मुकद्मा अपराध संख्या 670 सन 12 लुट्टर शुक्ला व 15 अन्य नामजद व 150 अज्ञात के विरुद्ध दर्ज कराया कि उन अभियुक्तों ने 11 मुसलमानों की दुकानों व मकानों में आग लगा दी। जो गांव उमरपुर और रुरु चौराहे पर थे। मुकद्मा अपराध संख्या 669 सन् 12 अब्दुल सलाम द्वारा थाना बीकापुर में दर्ज कराई गई जिसमें अशोक गुप्ता सियाराम निषाद और अन्य को अभियुक्त बनाया गया। थाना बीकापुर के अन्तर्गत राम पूरे, बजाज बबुरिहा, ओंधा, तेंदुआमाफी, तोरोमाफी, शेरपुर इछौरी, शेरपुर कोतवाली, दशरथपुर ग्रामों में भी आगजनी की घटनाएं हुईं। थाना तारून अन्तर्गत ग्राम बरावं, परमानन्दपुर, गयासपुर, रामपुर भगन में भी आगजनी और लूटपाट हुई। तहसील मिल्कीपुर के ग्राम सेमरा चिखड़ी और ग्राम पलिया लोहानी में भी आगजनी की गयी। थाना तारुन में तिलकाराम द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गयी जिसमें कहा गया कि दंगाइयों मोहम्मद अमीम के मकान टेंट हाउस और दो दुकानों में लूटपाट और आगजनी की। थाना तारुन और बीकापुर अन्तर्गत लूटपाट व आगजनी की घटनाएं उपरोक्त हुईं वह सोची समझी साजिश के तहत मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से की गयीं। इन घटनाओं के दंगाइयों व अभियुक्तों द्वारा उन साजिश कर्ताओं के मकसद को पूरा किया जिन्होंने थाना पूरा कलंदर अन्तर्गत भदरसा व उसके ग्रामीण क्षेत्रों, थाना रुदौली अन्तर्गत अल्हवाना, बिगिनियांपुर, भेलसर और शुजागंज में लूटपाट आगजनी की घटनाएं कारित कीं। इस संबंध में समिति ने सभी स्थानों की वीडियो फोटो कराई गयी है जो रिपोर्ट के साथ संलग्न है। यह कार्य श्री शलभ कुमार कश्यप,सहायक लेखाकार, उ.प्र. सूचना विभाग द्वारा की गयी है।

थाना इनायतनगर की घटनाएं

दिनांक 25 अक्टूबर 2012 को शाहगंज में सांप्रदायिक दंगाइयों द्वारा मोहम्मद उमर की हत्या कर दी गयी। और इस घटना में उमर का पुत्र मारुफ घायल हुआ जिसके द्वारा मुकद्मा अपराध संख्या 879 सन 12 अन्तर्गत धारा 147, 148,149,323,504,506, 302, 120बी आई. पी.सी. दर्ज कराया गया। जिसमें 21 व्यक्तियों को नामजद किया। रिपोर्ट के अनुसार 25.10.12 को जब वह खेत पर अपने पिता मो. उमर के साथ काम कर रहा था तो नामजद अभियुक्त वहां आए और मारने पीटने लगे जिससे उमर की मौके पर ही मौत हो गयी और वह जान बचाकर भाग आया। इस घटना से पूर्व की घटनाएं इस प्रकार हैः-

मिश्री लाल द्वारा मुकद्मा अपराध संख्या 877 सन 12 अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 308 दर्ज कराया गया जिसमें कहा गया कि दिनांक 23 अक्टूबर की रात्रि में शकील और अन्य 7 नामजद मुसलमानों ने उसके लड़के पर जानलेवा हमला करके उसे घायल कर दिया। इसी के दूसरे वर्जन के रूप में एस ओ श्री राम स्वरूप कमल द्वारा रिपोर्ट मुकद्मा अपराध संख्या 878 सन 12 दर्ज कराई गयी जिसमें कहा गया कि दिनांक 23 अक्टूबर की रात को उन्होंने देखा

कि 100-150 आदमी मिश्री लाल के साथ शकील के घर पर पथराव कर रहे हैं और शकील के घर वाले छत से मिश्रीलाल आदि पर पथराव कर रहे है। दोनों पक्षों को समझाया गया परन्तु मिश्रीलाल और उनके साथी नहीं माने। अगले दिन दिनांक 24 अक्टूबर को 5 दुर्गा पूजा कमेटियों द्वारा निर्णय लिया गया कि जब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक वे मूर्ति विसर्जन नहीं करेंगे। ए.डी.एम प्रशासन श्री राजेश कुमार एस.पी आर.ए. श्री सुभाष सिंह बघेल एडी एम, बीकापुर, श्री आर पी मिश्रा और एडीमए, मिल्कीपुर द्वारा सुलह के प्रयास किये गये परन्तु दुर्गापूजा कमेटियों के पदाधिकारी नहीं माने और उन्होंने बाजार बन्द कराना शुरु कर दिया और यह आरोप लगाया कि मोहल्ला फीलखाना की तरफ से मुसलमानों ने पत्थर फेंका जिससे लोग भड़क उठे और पुलिस तथा पी.ए.सी. की मौजूदगी में मुसलमानों की दुकानों व घरों में लूटपाट व आगजनी शुरू कर दी। इस घटना के संबन्ध में समाचारपत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 26.10.12 के पेज 4 पर समाचार प्रकाशित हुआ है। इस घटना के बाद पुलिस द्वारा केवल मारुफ की और उमर की हत्या के संबन्ध में रिपोर्ट दर्ज की गयी और किसी भी मुसलमान व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी जिनकी दुकानों व मकानों को जलाया गया जबकि पीड़ित लोग रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए चक्कर काटते रहे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को इन पीड़ितों द्वारा अपने प्रार्थनापत्र भेजे गये जिन्हें उनके आदेश पर मुकद्मा अपराध संख्या 879 की विवेचना में शामिल कर लिया गया। पीड़ित बख्तियार, शकील, कलीमउल्लाह, जमील अकबर, हामिद इदरीस, नबी अहमद, जाकिर शरीफ, मुबीन छेदी, इश्तियाक और शहनाज को राज्य सरकार से अन्तरिम सहायता राशि तो प्राप्त हो गयी परन्तु कोशिशों के बावजूद वे अपनी रिपोर्ट दर्ज नहीं करा सके। पीड़ित गुफरान, मुख्तार, तारिक, रईस, समी, अतीक, मुकीम और शुजा को कोई अंतरिम सहायता राशि प्राप्त नहीं हुई और न ही इनकी रिपोर्ट दर्ज की गयी। विवेचना अधिकारी ने घटना के संबन्ध में हामिद, कलीमउल्लाह, नबी इदरीस, मुन्ना छेदी, अनवर, शकील, जलील, शहनाज, बख्तियार, जाकिर, मुबीन, गुफरान, तारिक, लतीफ, कलीम, अतीक के बयान धारा 161 के अंतर्गत दर्ज किये। शकील, कलीम, रऊफ, जाकिर, शफीक, गुफरान, मुख्तार, कलीमउल्लह, मुबीन शौनिंग सेंटर, जमली, अकबर, मुकीम, ताकिर, इदरीस, अतीक, हामिद इदरीस दुकानों व मकानों के फोटो ग्राम विवेचना में शामिल किये। विवेचना अधिकारी ने दिनांक 5.11.12 केस डायरी में लिखा है कि पीड़ितों द्वारा रिपोर्ट दर्ज करने के जो प्रार्थनापत्र पुलिस अधीक्षक को भेजे गये वह आधारहीन और विवेचना को भटकाने वाले हैं। विवेचना अधिकारी द्वारा 20 व्यक्तियों के शपथपत्रों पर विश्वास कर लिया गया जिसमें उन्होंने कहा कि उमर की हत्या बनिया लोगों ने नहीं की वह केवल नारेबाजी और तोड़फोड़ में रहे जबकि उमर की हत्या लुनिया टोला ने की। केस डायरी दिनांक 21.11.12 में इन शपथ पत्रों का उल्लेख हैं। संपूर्ण केस डायरी श्री असद हयात द्वारा जांच समिति को उपलब्ध कराई गयी है। विवेचना अधिकारी द्वारा बनिया वर्ग के अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल नहीं की गयी है जबकि मारुफ और उनके गवाहों द्वारा उक्त व्यक्तियों को हत्या में शामिल बताया जा रहा है। इस प्रकार विवेचना निष्पक्ष रूप से नहीं की गयी है। विधायक राम चन्द्र यादव द्वारा प्रेस कांफ्रेंस दिनांक 3 नवम्बर 2012 को की गयी जिसमें एल आई यू की रिपोर्ट की कापी बांटी गयी जिसमें लिखा है कि मुआवजे के लालच में मुसलमानों ने

अपनी दुकानें स्वयं जलायीं। प्रश्न यह है कि एल आई यू को प्राप्त सूचना का क्या आधार है? साथ ही पुलिस की गोपनीय रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से बांटने तथा उसे उपलब्ध कराने की मंशा का अन्दाज किया जा सकता है। उक्त एल आई यू रिपोर्ट की प्रति जांच समिति के रिकार्ड में है। इस प्रकार शाहगंज की घटनाओं से निम्न निष्कर्ष निकलते हैः-1-दिनांक 24 अक्टूबर 2012 को 5 दुर्गापूजा कमेटियों द्वारा मांग पर अड़े रहना और मूर्ति विसर्जन न करना अनुचित था और सम्भवतः यह कार्य सांप्रदायिकता और नफरत पैदा करके कानून व्यवस्था को चौपट करने वाला था। 2- यह अफवाह झूठी उड़ाई गयी कि मोहल्ला फीलखाना की तरफ से मुसलमानों ने पत्थर फेंके जिसके बाद लोग भड़क उठे जिसके कारण दिनांक 25 अक्टूबर 2012 को मुसलमानों के दुकानों व मकानों में लूटपाट व आगजनी हुई। 3. पीड़ित मुसलमानों की रिपोर्ट जानबूझकर थाने पर दर्ज नहीं की गयी। 4. पीड़ित मुसलमानों और उनके चश्मदीद गवाहों के ब्यान सही और निष्पक्षता के साथ दर्ज नहीं किये गये और यह अफवाह उड़ाई गयी कि मुआवज़े के लालच में मुसलमानों ने स्वयं आग लगा ली है। 5-कई पीड़ित मुसलमानों को अन्तरिम सहायता राशि भी प्राप्त नहीं हुई। 6-उमर की हत्या के मुकदमे की विवेचना सही और निष्पक्षता से नहीं करने का आरोप भी है और 20 ऐसे व्यक्तियों के शपथ पत्र के आधार पर बनिया वर्ग के संजय गुप्ता, अनिल गुप्ता राजेश गुप्ता राकेश गुप्ता और राजकुमार गुप्ता, पप्पू सोनी, आनन्द सोनी को धारा 169, के अंतर्गत हत्या के आरोप से बरी कर दिया जबकि उनके विरुद्ध चश्मदीद गवाही मौजूद है इसलिए वास्तविक अपराधियों की जांच करके कार्रवाई की जानी चाहिए।

संलग्नक -ख

फैजाबाद नगर की घटनाएं

देवकाली मंदिर मूर्ति चोरी की घटना की आड़ में नगर फैजाबाद में सांप्रदायिक नफरत फैलाई गयी। दिनांक 24 अक्टूबर 2012 को मूर्ति विसर्जन जुलूस आयोजित किया गया था। कार्यालय जिला मजिस्टेट श्री दीपक अग्रवाल ने आदेश जारी किया और शांति व्यवस्था बनाने के लिए अधिकारियों को क्षेत्र आवंटित किये। नगर फैजाबाद में श्री तिलक धारी सिंह यादव को शान्ति व्यवस्था का प्रभार दिया गया। श्री ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव, डिप्टी कलेक्टर को जुलूस के पीछे रहकर शांति व्यवस्था सुनिश्चित करनी थी। जुलूस के प्रारंभ होने का समय प्रातः 10 बजे निर्धारित था। श्री भुल्लन यादव, निरीक्षक, फैजाबाद कोतवाली ने समिति को अपना लिखित बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि दोपहर 2.30 बजे जी.आई.सी. कालेज से क्रमवार निकल रही मूर्तियों के क्रम को तोड़कर कुछ मूर्तियां जुलूस में प्रवेश कर रही थीं। जिससे विवाद पैदा हो गया। करीब 5.30 बजे जुलूस रिकाबगंज में था। प्रश्न यह है कि जिस जुलूस को प्रातः 10 बजे प्रारम्भ होना था वह जुलूस शाम को 5.30 बजे रिकाबगंज पहुंचा। प्रश्न यह है कि जब जुलूस रिकाबगंज पहुंचा तो कितनी ट्राली रिकाबगंज से आगे निकल चुकी थी और कितनी रिकाबगंज से जीआईसी कालेज तक खड़ी थीं। श्री मनोज जायसवाल जो केन्द्रीय

दुर्गापूजा समिति के अध्यक्ष हैं, ने अपना बयान लिखित समिति के समक्ष दिया है और जुलूस में शामिल 130 ट्रालियों की सूची भी दी है अपने बयान में उन्होंने कहा है कि वह जुलूस में आगे चल रहे थे और चार बजे मीरानघाट पहुंच गये थे और 17 नम्बर तक की मूर्तियों का विसर्जन करा चुके थे। 18 से 43 नम्बर तक की मूर्तियां सदर बाजार से टीवी टावर तक रोक ली गयी थीं। यह लोग विसर्जन नहीं कर रहे थे। 44 से 120 नम्बर तक की मूर्तियां रिकाबगंज से चौक फतेहगंज में रुकी थीं। श्री मनोज जायसवाल ने आगे अपने बयान में कहा कि सूर्यकान्त पाण्डेय, प्रशासन और अन्य लोगों ने उन्हें फोन पर कहा कि जुलूस को आगे बढ़वाइये तब वे मीरनघाट से रिकाबगंज पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया तो नौजवान लोग उन पर उत्तेजित हो गए और उनको घेर लिया और कहा कि मूर्तियों को हम विसर्जित नहीं करेंगे क्योंकि पापुलर गली की घटना छेड़खानी और पथराव पर उन्हें रोष था और लोग गुस्से में थे। श्री जायसवाल ने अपने बयान में आगे कहा कि मीरनघाट पर टेलीफोन पर सूचना मिली कि 45 और 46 नम्बर की मूर्ति जो पापुलर गली के पास थी उन्हें रोक दिया गया है क्योंकि लड़की से छोड़खानी को लेकर कुछ विवाद हो गया है और पथराव हुआ है। मौके पर एसपी सिटी और चौकी प्रभारी पहुंच गए थे। तब तक मनोज जायसवाल मौके पर नहीं थे और रात्रि 8 बजे जुलूस को आगे बढ़ाने के लिए जब वह रिकाबगंज चौराहे पर पहुंचे तो दुकानों में तोड़फोड़ व आगजनी की उन्हें जानकारी हुई।

श्री मनोज जायसवाल के उपर्युक्त बयान से यह निष्कर्ष निकलता है कि पापुलर गली के सामने 45 व 46 नम्बर की ट्राली खड़ी थी जिनमें 45 नम्बर की ट्राली मां शारदा शक्ति दुर्गापूजा समिति, अंजनीपुरम, देवकाली की थी और 46 नम्बर की ट्राली जय मां विन्ध्यवासिनी दुर्गापूजा समिति सिटी स्टेशन की थी। श्री मनोज जायसवाल द्वारा आधी जानकारी अपने बयान में दी गयी है परन्तु उन्होंने यह स्वीकार किया है कि वे घटना स्थल पर मौजूद थे और 8 बजे तक रिकाबगंज चौक में मौजूद थे जब लूटपाट और आगजनी हो रही थी। श्री मनोज जायसवाल जो दुर्गापूजा आयोजन समिति के अध्यक्ष थे और जिनके पास ट्रालियों की पूरी सूची और जानकारी थी वे अवश्य जानते थे कि किस ट्राली पर कौन कौन लोग बैठे हैं और कौन साथ में हैं। क्योंकि जिन नौजवानों ने उन्हें घेरा वे यही कह रहे थे कि मूर्तियों का विसर्जन नहीं करेगे और वे पापुलर गली की छेड़खानी और पथराव से नाराज थे। उनका कहना था कि यह कोई भीड़ नहीं थी की उसमें शामिल अभियुक्तों की पहचान न हो सके। बल्कि विभिन्न दुर्गा पूजा समितियों के रूप में जुलूस में शामिल एक संगठित समूह था। यदि विसर्जन ट्रालियों के मालिकों और उन पर बैठे और साथ चल रहे लोगों का किसी छेड़छाड़ की घटना और पथराव से कोई लेना देना नहीं था तो उन्होंने जुलूस को क्यों रोका? इतने सारे प्रश्नों का कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं है। क्या लड़की से छेड़-छाड़ की घटना और पथराव की कहानी गढ़ना दंगे की साजिश थी? इस पर विचार करने के लिए कुछ अन्य तथ्यों व साक्ष्यों को भी देखना होगा।

तत्कालीन एस.पी. सिटी, श्री राम जीत यादव ने अपने लिखित बयान में समिति को बताया कि जब वे पापुलर गली में पहुंचे तो शोर मचाया जा रहा था कि हमारे त्योहार पर दूसरे वर्ग द्वारा व्यवधान डाला जाता है और उनमें से कुछ लोगों द्वारा कहा जा रहा था कि मुस्लिम लड़के ने हमारी बहन को छेड़ा है और कुछ यह कह रहे थे कि लोगों ने जुलूस पर पत्थर फेंका है। श्री यादव ने उनसे कहा कि आप लोग एफआईआर करवायें परन्तु उपद्रवी लोग द्वारा उनकी बातें न हीं सुनी और समझी जा रही थीं। इसी बीच जुलूस से कुछ लोग चिल्लाये कि देखिये गली में तीनों भागे हैं और पथराव शुरु हो गया। उपद्रवी गली में घुसने का प्रयास कर रहे थे जिन्हें पुलिस रोक रही थी।

श्री रामजी सिंह यादव के उपर्युक्त बयान से यह निष्कर्ष निकलता है कि उपद्रवियों द्वारा तीन अलग अलग बातें कही गयीं। प्रथम यह कि दूसरा वर्ग त्योहार पर विघ्न डाल रहा है। दूसरा यह कि हमारी बहन को छेड़ा है परन्तु कोई महिला इस आरोप के समर्थन में सामने नहीं आई और न ही कोई गवाह सामने आया और न ही कोई रिपोर्ट दर्ज हुई। जिन तीन लोगों के भागने की बात कही गयी वे कहां से गली में भागे थे और क्या सड़क पर ही खड़े थे कि वहां गली में भागे। चूंकि इसका संतोषजनक उत्तर नहीं है इसलिए यह कहानी गढ़ी हुई प्रतीत होती है। श्री भुल्लन यादव तत्कालीन कोतवाल द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 3779/12 आई पी सी की धारा 147,323,307,436 के अंतर्गत दिनांक 26 अक्टूबर को सुबह 3 बजे कोतवाली में दर्ज करवाया है जिसके अनुसार जुलूस में चल रहे लोगों का वाहिद से विवाद हो गया था और जुलूस में शामिल लोगों ने लूटपाट व आगजनी की। इस रिपोर्ट में विवाद का कारण किसी महिला से छेड़खानी होना नहीं बताया गया है और यह रिपोर्ट भी दो दिन की देरी से दर्ज कराई गयी है। दिनांक 26 अक्टूबर 2012 के समाचारपत्र अमर उजाला, हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय सहारा में छपे समाचारों में विवाद का कारण महिला से छेड़खानी बताया गया। जबकि इस संबंध में अभी तक कोई एफ आई आर दर्ज होना प्रकाश में नहीं आया है। इसलिए साबित है कि मुसलमानों द्वारा महिला से छेड़छाड़ और पथराव किया जाना, एक बनायी हुई झूठी कहानी है जिसके आधार पर दंगा, लूटपाट और आगजनी करने का बहाना दंगाइयों को मिल गया। श्री भुल्लन यादव ने यह भी बयान दिया है कि जुलूस में शामिल लोग शराब के नशे में थे और मुख्य लापरवाही केन्द्रीय दुर्गापूजा समिति की थी जिसके पदाधिकारी जुलूस में मौजूद थे। नगर फैजाबाद में 24 अक्टूबर 2012 की शाम 7 बजे से मध्य रात्रि तक लगभग 100 दुकानों को लूटा और जलाया गया जिनमें 95 प्रतिशत पीड़ित मुस्लिम वर्ग के हैं। प्रशासन द्वारा इनकी सुरक्षा का इंतज़ाम नहीं किया गया वीडियों फिल्में देखने से ज्ञात होता है कि दंगाई पूरी आजादी से आगजनी कर रहे थे और पुलिस मूकदर्शक बनी थी। प्रशासन द्वारा कर्फ्यू लगाने का आदेश 25 अक्टूबर 2012 की सुबह दिया गया। दंगाइयों द्वारा चौक फैजाबाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ी को फूंक दिया गया और कर्मियों की पिटाई की गयी उनकी मोटरसाइकिलें जलाई गयीं। जहां तक समिति को जानकारी प्राप्त हुई है नगर फैजाबाद के सम्बन्ध में 60 से अधिक रिपोर्ट कोतवाली फैजाबाद में दर्ज हुई है और प्रार्थना पत्र दिये गये हैं।

श्री सुरेन्द्र नाथ राय एस एस आई कोतवाली फैजाबाद में दिनांक 23.11.12 अपना लिखित बयान समिति को दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वे कुछ अभियोगों के विवेचक हैं जिनकी विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि घटना की शुरुआत/विवाद पापुलर गली के पास वाहिद एवं तौहीद नामक लड़कों से मूर्ति विसर्जन हेतु जा रहे कुछ लड़कों से किसी छेड़छाड़ को लेकर हो गया। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में ईंट पत्थर एक दूसरे में चलने लगे। एक ईंट मूर्ति को भी लगी जिस पर लोग उत्तेजित हो गये और विवाद बढ़ गया।

समिति द्वारा घटना के समय की वीडियो फिल्म का अवलोकन किया गया जिसे असद हयात द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि लगभग एक घंटे तक जुलूस में शामिल लोगों द्वारा नारेबाजी की जा रही है और फिर ट्रैक्टर ट्राली पर चढ़ कर युवकों द्वारा रायल प्लाजा पर पथराव किया जाने लगा और पुलिस कर्मियों की लाठियों से पिटाई की जाने लगी जिसमें अखिलेश पाण्डेय को चोटें आयीं। श्री भुल्लन यादव ने अपने बयान में कहा है कि इस समय कोई मुस्लिम पापुलर गली पर नहीं था तब ऐसे समय जुलूस में शामिल लोगों द्वारा जुलूस रोक कर लगभग एक घंटे तक नारेबाजी और शोरशराबा करना और फिर रायल प्लाजा पर पथराव करना फिर पुलिस कर्मियों की पिटाई करना अराजकता पैदा करने वाला कृत्य ही कहा जायेगा। चूंकि किसी भी महिला द्वारा छेड़छाड़ की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गयी है तब इस सारी कार्रवाई को दंगा करने के साजिश के रूप में देखा जा सकता है। चूंकि कोई रिपोर्ट छेड़छाड़ के सम्बन्ध में दर्ज नही हुई और केवल विवेचना के दौरान ही यह तथ्य प्रकाश में आया है इसलिए यह कहा जायेगा कि यदि वास्तव में छेड़छाड़ की कोई घटना हुई थी तो महिला या उसके परिवार या समर्थकों द्वारा तभी कोई रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करायी गयी। विवेचना के दौरान इन तथ्यों का प्रकाश में आना पुलिस पर संदेश पैदा करता है कि उसके द्वारा उपद्रव/दंगा करने वाले तत्वों की कार्यवाही को एक झूठा बहाना दिया जा रहा है और जिससे साजिश के पहलू पर विवेचना न हो सके और इसे अचानक भड़के गुस्से और विवाद के कारण शुरू हुआ उपद्रव/दंगा मान लिया जाये। श्री भुल्लन यादव ने भी दो दिन देरी से दर्ज कराये मुकदमा अपराध संख्या 3779/12 में विवाद का कारण छेड़छाड़ नहीं बताया है। यदि यह छेड़छाड़ संबन्धी कोई विवाद वास्तव में हुआ था और उसकी जानकारी उन्हें वास्तव में थी तो उसका उल्लेख दर्ज कराई गयी रिपोर्ट में अवश्य ही आता परन्तु ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए छेड़छाड़ विवाद का कारण बनी यह कहानी सत्य प्रतीत नहीं होती और दंगे की साजिश के कारण के रूप में गढ़ी गयी है जिसके आधार पर कहा जा सके कि जुलूस में शामिल लोगों में गुस्सा पैदा हो गया।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि झूठे बहाने से और कहानी गढ़ कर फैजाबाद में दंगा सुनियोजित साजिश के तहत किया गया। इसका वातावरण देवकाली मूर्ति चोरी के पश्चात लगभग एक माह तक बनाया गया जिसका विवरण ऊपर आ चुका है और अल्हवाना ग्राम में दुर्गा प्रतिमा खंडित करने की झूठी खबर फैलाकर थाना रुदौली, पूरा कलंदर, थाना बीकापुर, थाना तारुन, मिल्कीपुर तहसील, भदरसा, शाहगंज में लूटपाट और आगजनी की घटनाएं एक आपराधिक साजिश के तहत सुनियोजित रूप से अंजाम दी गईं जिसका ऊपर विवरण आ चुका है।

बिन्दु नंबर-2 -सांप्रदायिक हिंसा के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों की अपने दायित्व निर्वहन में क्या भूमिका थी और उसमें रही चूक और गलती से क्या दुष्परिणाम हुआ?

फैजाबाद जनपद में जुलूस संचालन में हुई गलती

बिन्दु नम्बर एक पर तथ्यों का विश्लेषण करते समय अधिकारियों द्वारा दिये गये बयानों और साक्ष्यों का विस्तार से विवरण आया है।

श्रीकांन्त मिश्रा तत्कालीन अपर जिला मजिस्टेट, नगर (निलबित) द्वारा जिला अधिकारी का आदेश संख्या 743 दिनांक 20 अक्टूबर, 12 प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार श्री अमित कुमार अपर जिला अधिकारी को दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन जुलूस के आगे की व्यवस्था का प्रभार दिया गया था और श्री ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव, डिप्टी कलेक्टर को जुलूस के पीछे रहकर शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रभार दिया गया था और श्री कंचन राम उप जिला मजिस्ट्रेट, मिल्कीपुर को राजकीय इंटर कालेज फैजाबाद में उपस्थित रहकर शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रभार दिया गया था। श्री तिलकधारी सिंह यादव, नगर मजिस्टेट को नगर फैजाबाद की शांति व्यवस्था का प्रभार दिया गया था।

श्री सुरेन्द्र नाथ राय, श्री भुल्लन यादव ने अपने बयानों में कहा है कि दिनांक 24.10.12 की प्रातः 5 बजे तक सभी 120 मूर्तियां जी आई सी मैदान में आ चुकी थीं और 10:50 मिनट पर जुलूस जी.आई.सी मैदान से शुरु हुआ। जिस समय सायं लगभग 5 बजे कथित विवाद शुरू हुआ, उस समय केवल 43 ट्राली ही रिकाबगंज चौराहा पार कर चुकी थीं जिनमें से 1 से 17 तक का विसर्जन मीरनघाट पर हो चुका था और 18 से 43 नम्बर तक की मूर्ति ट्राली सदर बाजार से टीवी टॉवर तक रुकी थीं जो विर्जन नहीं कर रहे थे। यह प्रश्न विचारणीय है कि जो जुलूस सुबह 10.50 पर शुरू हुआ उसकी 43 ट्राली ही 5 बजे सायं तक लगभग 6 घंटे की अवधि में रिकाबगंज चौराहे से आगे निकली और 43 से 120 नम्बर तक की ट्राली रिकाबगंज में पापुलर गली से फतेहगंज तक खडी थी। आखिर क्या कारण था कि 6 घंटे की अवधि में यह पूरा जुलूस रिकाबगंज चौराहा पार नहीं कर सका और इस 6घंटे की अवधि में 44 नम्बर की ट्राली पापुलर गली तक पहुंची। स्पष्ट है कि जुलूस के संचालन में चूक हुई। जिम्मेदार अधिकारियों उपरोक्त द्वारा जुलूस 5 बजे तक रिकाबगंज चौराहे से आगे नहीं निकलवाया गया और सब कुछ जुलूस आयोजकों की मर्जी पर छोड़ दिया गया। पापुलर गली से जी आई सी की दूरी लगभग डेढ़ किलोमीटर है। प्रत्येक वर्ष सूरज छिपने तक जुलूस रिकाबगंज पार कर जाता था परन्तु इस वर्ष 44 नम्बर की ट्राली पापुलर गली तक ही पहुंच पाई ऐसा क्यों? 1 से 17 नम्बर तक की ट्राली सुबह 11 बजे जी आई सी से चलकर 5 घंटे की अवधि में लगभग 6 किलोमीटर का रास्ता तय करके 4 बजे मीरानघाट पहुंच जाती है परन्तु 44 नम्बर से आगे 119 नम्बर तक की ट्रालियां 5 घंटे में मात्र डेढ़ किलोमीटर का रास्ता भी तय नहीं कर सकीं और शाम 5 बजे पापुलर गली पर खड़ी हो गयीं। यदि अधिकारियों द्वारा सायं काल से पूर्व ही

जुलूस रिकाबगंज पार करा लिया जाता तो इतनी बड़ी घटना न होती इसके लिए उपर्युक्त सभी अधिकारी जिम्मेदार हैं जिन्हें जुलूस संचालन और शान्ति व्यवस्था का प्रभार दिया गया था

कर्फ्यू की घोषणा

कस्बा भदरसा में शाम 5.30 बजे और इसी समय नगर फैजाबाद में मूर्ति विसर्जन जुलूसों के दौरान दंगा प्रारम्भ हुआ जिनमें भारी हानि हुई और लोक व्यवस्था भी छिन्न-भिन्न हो गयी। भदरसा और फैजाबाद दोनों स्थलों पर लगभग 100-100 से अधिक दुकानों-मकानों को लूटा व जलाया गया। भदरसा और उसके समीपवर्ती गांवों में इसकी पुनरावृत्ति दिनांक 25,26, 27 अक्टूबर को भी हुई। जिनमें फिर जनहानि हुई। इसका विवरण थाना पूरा कलंदर की जी डी दिनांक 27 अक्टूबर 2012 में भी दर्ज है। 24 अक्टूबर को दिन के समय ग्राम अल्हवाना और भेलसर चौराहा की घटनाओं के पश्चात भदरसा फैजाबाद और शाहगंज में दंगा शुरु हुआ तब तुरन्त जिला प्रशासन को बड़े कदम उठाते हुए संपूर्ण जनपद के प्रभावित क्षेत्रों में कर्फ्यू की तुरंत घोषणा और हिंसा, उपद्रव रोकने के हर संभव उपाय कर देने चाहिए थें। परन्तु ऐसा नही किया गया। दंगाई पूरी आजादी के साथ बिना डर लूट पाट व आगजनी करते रहे और पुलिस मूक दर्शक बनी रही।

24 अक्टूबर को घटित घटनाओं को जिला प्रशासन ने जन-आदेश और कानून का उल्लंघन नहीं माना जिसमें दुकानों में भारी लूटपाट व आगजनी हुई। सरकारी वाहनों, फायर ब्रिगेड को तोड़ा व जलाया गया और पुलिस बलों पर हमला किया गया। क्या इससे कानून व्यवस्था की स्थिति को खतरा नहीं हुआ? परन्तु जब 25 अक्टूबर 2012 को प्रातः चौक में जली हुई दुकानों के मंजर को मुसलमानों द्वारा देखकर अपने गुस्से का इजहार नारो द्वारा किया गया और प्रशासन के अनुसार भीड़ ने पुलिस बलों पर पथराव शुरू कर दिया तो प्रशासन को लगा कि कानून व्यवस्था खतरे में पड़ गयी है। यह प्रशासनिक अधिकारियों की भेदभावपूर्ण मानसिकता को दर्शाता है। जिलाधिकारी श्री दीपक अग्रवाल जांच समिति के सम्मुख दिनांक 3 जनवरी 2013 को उपस्थित हुए और अपना बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि 24 अक्टूबर की रात जब वो घटना हुई तो मेरा पहला दायित्व दुकानों में लगी आग को बुझाना तथा सैकड़ों मूर्तियां, जो रास्ते में थीं, उनका विसर्जन कराना था। उन्होंने कहा कि कर्फ्यू में नागरिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर दिया जाता है, ऐसी स्थिति में दिनांक 25 अक्टूबर को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नागरिकों को समझाने का प्रयास किया गया तथा प्रयास किया गया कि 25 तारीख को कर्फ्यू न लगाना पड़े परन्तु कुछ भीड़ द्वारा नारे व पथराव करने के उपरान्त कर्फ्यू लगाने का निर्णय एस.एस.पी की रिपोर्ट के बाद लिया गया। कर्फ्यू का आदेश भी दोषपूर्ण है क्योंकि कर्फ्यू कहां लगाया गया उसकी कोई सीमा या विवरण आदेश में दर्ज नहीं है। इस आदेश में 24 अक्टूबर की घटनाओं को अंजाम देने वालो की उपद्रवी और 25 अक्टूबर को नारे तथा विरोध में छुटपुट पथराव करने वालो की पहचान धर्म के आधार पर की

गई हैं। यह सांप्रदायिक मानसिकता का परिचायक है। यह जांच समिति श्री दीपक अग्रवाल के उपर्युक्त मत से सहमत नही है। राज्य का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह प्रत्येक नागरिक को जानमाल की सुरक्षा प्रदान करे। यदि उनकी प्रथम वरीयता आग बुझाना थी तो दंगाई फैजाबाद और भदरसा दोनों स्थलों पर दुकानों मकानों के साथ-साथ फायर ब्रिगेड को अपना काम नहीं करने दे रहे थे और उसके वाहनों को जला रहे थे।उन्हें आग बुझाने के लिए मौके पर जाने से रोक रहे थे लेकिन पुलिस के अधिकारी शक्ति का प्रयोग करके गैर कानूनी हरकतों को रोकने के लिए तैयार नहीं थे। भले ही पुलिस के लोगों पर भी हमला हो रहा था। तब फिर और कौन से खराब हालात का इंतजार प्रशासन को था। देश का संविधान और कानून जुलूस निकालने वालों को इसकी अनुमति नहीं देता कि वे दंगा लूटपाट व आगजनी और सुरक्षाबलों पर हमला करे तथा आगजनी रोकने में बाधक बने।

यदि धार्मिक परंपरा के पालन में जुलूस निकालना उनका अधिकार है तो कानून व्यवस्था के अनुसार यह किया जायेगा किंतु कानून तोड़कर नहीं। यदि वे ऐसा करते हैं तो राज्य को उनके अधिकारों में हस्तक्षेप और उचित प्रतिबंध लागू करते हुए कानून व्यवस्था को संभालना चाहिए था और पीड़ितों को सुरक्षा देनी चाहिए थी। परन्तु जिला प्रशासन के इस गलत निर्णय से दंगाइयों को छूट मिली और उन्होंने मूर्ति विसर्जन करने के बजाय जमकर लूटपाट आगजनी तोड़फोड़ की और पुलिस बलों को भी पीटा। इससे पीड़ित मुस्लिम वर्ग की अपने मौलिक अधिकारों के प्रति आस्था और प्रशासन में विश्वास खत्म होने की स्थिति आयी। राज्य के पुलिस महानिदेशक श्री ए सी शर्मा ने कहा है कि उन्होंने तत्कालीन एस पी सिटी राम जी यादव को आंसू गैस छोड़ने और रबर बुलेट चलाने का आदेश दिया था परन्तु उन्होंने यह आदेश नहीं माना और अपना मोबाइल बन्द कर लिया। एस पी सिटी राम सिंह और अपर जिला मजिस्टेट नगर श्रीकान्त मिश्रा (दोनों निलम्बित) चौक और पापुलर गली में मौजूद थे परन्तु उन्होंने केन्द्रीय दुर्गापूजा समिति के पदाधिकारियों ट्रैक्टर ट्राली पर बैठे और साथ चल रहे दंगाइयों के विरुद्ध न तो कोई कार्रवाई की न मुकदमा दर्ज कराया और हालात पर काबू नहीं पाया जिससे दंगाइयों को लूटपाट व आगजनी का पूरा अवसर मिला। इसलिए यह समिति उन्हें भी दोषी मानती है। जो चोटें पुलिस जनों को लगीं वे साधारण हैं और गम्भीर नहीं है यदि अधिक संख्या में पुलिस बलों को तुरन्त लगा दिया जाता तो हालात पर काबू पाया जा सकता था। परन्तु अधिकारी दंगाइयों के खुद ही चले जाने का सुबह तक इंतजार करते रहे। यह प्रशासनिक अकुशलता एवं इच्छाशक्ति ही मानी जाएगी।

(इस सम्बन्ध में प्रधानमंत्री निवास पर मेरी उपस्थिति एवं जानकारी में यह तथ्य आया कि बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद राष्ट्रपति शासन के दौरान 7 नवम्बर 1992 को अयोध्या में प्रदेश तथा केन्द्रीय बलों की उपस्थिति में मुसलमानों के 264 घर और दूकानें जलाई गयी तथा 16 लोगों को आग में जलाकर या पीटकर मार डाला गया। लेकिन पुलिस ने इसे रोकने के लिए किसी प्रकार का शक्ति प्रयोग नहीं किया। मुसलमानों का एक प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री पी.वी.

नरसिंहराव से उनके निवास स्थान 7 रेसकोर्स पर प्रधानमंत्री के बुलावे पर गया। जब उसने यह शिकायत की तो प्रधानमंत्री ने कहा कि पुलिस गुप्तचर विभाग की रिपोर्ट में कहा गया था कि यदि भीड़ पर कार्रवाई की गयी तो इससे उसका गुस्सा बढ़ जायेगा जिससे हजारों लोगों की जानें जा सकती हैं इसलिए पुलिस तथा सशत्र बलों का प्रयोग नहीं किया गया। उन्होंने जिन 16 मुस्लिमों की हत्या इस घटना में हुई थी उन्हे दो-दो लाख रूपये की सहायता तथा घरों एवं दुकानों को बनाने के लिए अनुदान तथा सहायता दी थी।)

क्या यह दंगा भी उसी मानसिकता की पुनरावृत्ति थी कि अल्पसंख्यकों एवं घरों दूकानों को हानि से बचाना साम्प्रदायिक मानसिकता वालों पर कार्रवाई करना उसे उत्तेजित तथा नाराज करना होगा इससे बचा जाना चाहिए। इस संविधान विरोधी भेदभावपूर्ण मानसिकता को उचित नहीं माना जा सकता। जब फैजाबाद चौक की दुकानें उपद्रवियों द्वारा जलाई जा रही थीं उस समय बिजली संचालन व्यवस्था को जिला मजिस्टेट द्वारा यह कहकर बन्द करवाना कि इससे लोगों की जाने जा सकती हैं उचित नहीं प्रतीत होता क्योंकि जब अपराध हो रहे हों तो घटना स्थल पर अंधेरा करना तथा मुगलपुरा और हैदरगंज के जो शान्त क्षेत्र थे उनकी भी बिजली प्रशासनिक आदेश से काटना उचित एवं संगत नहीं प्रतीत होता। फैजाबाद में बिजली विभाग के मुख्य अभियंता का कहना है कि ऐसे अवसरों के लिए फ्यूज-ट्रंसफार्मर तथा सब स्टेशनों पर प्रतिरक्षा उपाय पहले से ही मौजूद है जिनके कारण बिजली की लाइन स्वतः कट जायेगी।

यह समिति थाना पूराकलन्दर थानाध्यक्ष चन्द्रभान यादव को भी इसका दोषी पाती है कि उन्होंने मामले की निष्पक्षता से जांच नहीं की। उन्होंने यह गलत कहा है कि भदरसा कस्बे में दंगे की शुरुआत मुसलमानों ने की। यदि उन्होंने तौहीद की रिपोर्ट दर्ज कर ली होती तो दुर्गा प्रसाद की गुत्पी द्वारा हत्या और रुदौली विधायक के संदेश आने के तथ्यों की भी विवेचना होती जिसमें उन्होंने रामबोध व अन्य को जुलूस रोकने व मूर्ति विसर्जन न करने के लिए कहा था जिसके बाद रामबोध व अन्य ने लूटपाट व आगजनी की जो कई दिन तक जारी रही। दुर्गा प्रसाद की हत्या के क्रास वर्जन की भी विवेचना होनी चाहिए थी। क्या यह हत्या सददू कुरैशी ने की जैसा कि अनुराग गुप्ता का आरोप है या यह हत्या गुप्ती ने की जैसा कि तौहीद का आरोप है।

यह समिति थाना इनायत नगर के एस ओ, राम स्वरूप कमल को भी दोषी पाती है कि उन्होंने मोहम्मद उमर की हत्या की जांच निष्पक्षता पूर्वक नहीं की और 25 अक्टूबर को जिन मुसलमानों की दुकानों व मकानों को लूटा व जलाया गया उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की और मूर्ति विसर्जन 24 अक्टूबर की रात्रि में ही सम्पन्न नहीं कराया जिसके कारण 25 अक्टूबर को लूट पाट व आगजनी की घटनाएं हुईं।

बिन्दु नबंर-3:- सांप्रदायिक हिंसा के दौरान मीडिया की अपने दायित्व निर्वहन में क्या भूमिका रही और उसमें रही चूक और गलती का क्या दुष्परिणाम हुआ?

जैसा कि बिंदु संख्या 1 और 2 पर विचार करते हुए विवरण में आया है कि पापुलर गली पर विवाद का कारण दंगाइयों द्वारा लड़की से छेड़छाड़ बताया जा रहा था परन्तु यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि यह उसी समय कहा जा रहा था या दंगे का कारण तलाशते हुए इसे बाद में गढ़ा गया। क्योंकि न तो काई महिला द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गयी और न ही कोई चश्मदीद गवाह सामने आया और न ही श्री भुल्लन यादव ने अपनी एफ आई आर दिनांक 26 अक्टूबर में इसका कोई जिक्र किया। समाचार दैनिक जागरण ने दिनांक 6.11.12 को समाचार प्रकाशित किया कि उपद्रव की जड़ में छेड़खानी ही वजह थी जबकि इससे पूर्व दिनांक 26 अक्टूबर को समाचार प्रकाशित किया गया था कि प्रशासन अभी तक उपद्रव की वजह नहीं तलाश सका है। राज्य के पुलिस महानिदेशक ने भी कहा कि दंगा एक सुनियोजित साजिश के तहत हुआ। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी अपने बयानों में इस घटना को सुनियोजित षडयंत्र की ही संज्ञा दी है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जगमोहन यादव ने भी इंडियन एक्सपेस में छपे बयान में इसे सुनियोजित बताया है। दिनांक 26 अक्टूबर 2012 को अमर उजाला, हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण में यही समाचार प्रकाशित हुआ कि महिला से छेड़खानी की गयी थी जब कि इसका कोई सबूत गवाह पीड़िता और एफ आई आर नहीं है। तब ऐसा संवेदनशील और विवादस्पद समाचार प्रकाशित करने से पूर्व इसकी छानबीन करनी चाहिए थी। तब कौन सा सूत्र था जिसके आधार पर महिला से छेड़छाड़ और मूर्ति पर पत्थर फेंकने की घटना होने के समाचार प्रकाशित कर दिये गए। समाचार पत्रों को ग्राम अल्हवाना की वास्तविकता भी प्रकाशित करनी चाहिए थी। जैसा कि थाना पूरा कलंदर की जी डी में दर्ज है कि उपर्युक्त समाचार पत्रों में 26 अक्टूबर को छपी खबरों से सांप्रदायिक तनाव बढ़ा तो यह साबित होता है कि समाचार पत्रों ने आधारहीन और मात्र अफवाहों पर गढ़े गए समाचारों को प्रकाशित करके अपने कर्तव्य निर्वहन में गलती की जिससे जनता में नफरत फैली और हालात बिगड़े। प्रकाशित समाचारों से यह संदेश गया कि सारी गलती मुसलमानों की थी। उपर्युक्त समाचार पत्रों ने दंगाइयों और उपद्रव करने वालों की निंदा नही की कि उनके द्वारा लूटपाट व आगजनी पुलिस बल को मारना उचित नहीं था बल्कि दिनांक 6.11.12 को हिन्दुस्तान समाचारपत्र ने रुदौली पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए संवाद्दाता की रिपोर्ट प्रकाशित की है। इसलिए समाचारपत्रों को भविष्य में अधिक सचेत रहने तथा वास्तविकताओं पर आधारित तथ्य ही प्रकाशित करने की सलाह या निर्देश दिये जाने चाहिए। उन्हें साप्रदायिक तनावों के दौरान प्रेस परिषद् द्वारा निधार्रित आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा।

अध्याय – IX

परिषद् का वित्त 2014-2015

परिषद् की निधि के मुख्य स्त्रोत है :- (i) भारतीय समाचारपत्र रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत समाचारपत्रों/पत्रिकाओं पर तथा समाचार एजेंसियों पर परिषद् द्वारा लगाया गया शुल्क और अन्य विविध प्राप्तियॉ यथा बैंक खाते पर ब्याज आदि और (ii) सूचना और प्रसारण मंत्रालय, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान ।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए परिषद् का बजट अनुमान, जैसाकि केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 2013-14 में स्वीकृत किया गया था, 613.00 लाख रूपये था । जनवरी 2015 में, वर्ष 2014-15 हेतु अनुमानों में परिशोधन करके केन्द्र सरकार ने परिषद् की 614.00 लाख रूपये का बजट (सहायता अनुदान) स्वीकार किया जिसमें परिषद् की अनुमानित राजस्व आवतियां 90.00 लाख+8.05 लाख रूपये शामिल हैं ।

परिषद् ने वर्ष 2014-15 में केंद्र सरकार से 614.00 लाख रूपये का कुल सहायता अनुदान प्राप्त किया जबकि परिषद् ने इस वर्ष के दौरान समाचारपत्रों/पत्रिकाओं व समाचार एजेंसियों पर लगाये गये शुल्क और अन्य विविध प्राप्तियों यथा बैंक खाते पर ब्याज, बैंक के एफ.डी.आर. पर ब्याज इत्यादि से 97.82 लाख रू. (5,11,00,000 रू. + 97,81,720.20 रू.) एकत्रित किये ।

प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 की धारा 22 में यह प्रावधान है कि भारतीय प्रेस परिषद् के लेखे उस विधि से रखे और लेखा परीक्षित किए जाएँगे जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से निर्धारित की जाए । वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए भारतीय प्रेस परिषद् के वार्षिक लेखे उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार रखे गए थे । लेखा परीक्षा महानिदेशक, केंद्रीय राजस्व, नई दिल्ली के लेखा परीक्षा दल ने उनकी लेखा परीक्षा करके प्रमाणित कर दिया है कि वे उनसे संतुष्ट हैं । परिषद् के वार्षिक लेखे इसके साथ संलग्न हैं ।

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु भारतीय प्रेस परिषद् के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

हमने प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 की धारा 22 के साथ पठनीय नियंत्रक और महा-लेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) के अन्तर्गत उस तिथि तक भारतीय प्रेस परिषद् के संलग्न तुलनपत्र और आय तथा व्यय लेखे/प्राप्तियां एवं भुगतान लेखों की 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु लेखा परीक्षा कर ली है । ये वित्तीय विवरण परिषद् प्रबंधन की जिम्मेदारी है । हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना हमारा दायित्व है ।

2. इस पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखा पद्धतियों के अनुरूप, लेखा स्तरों और मानकों का प्रकटीकरण आदि के संबंध में लेखा विवेचन पर ही नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां हैं । विधि, नियमों और विनियमों (औचित्य और नियमितता) और दक्षता-सह-निष्पादन के पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखा परीक्षा टिप्पणी, यदि कोई हो, की निरीक्षण रिपोर्टों/नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से अलग से रिपोर्ट की जाती है ।

3. हमने अपनी लेखा परीक्षा आमतौर पर भारत में स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप की है । इन मानको में अपेक्षित है कि वित्तीय विवरण गलत विवरण से मुक्त है अथवा नहीं, के बारे में समुचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम लेखा परीक्षा की योजना एवं निष्पादन करें । लेखा परीक्षा जांच आधार पर वित्तीय विवरणों के प्रकटन और राशि के समर्थन में साक्ष्य का परीक्षण सम्मिलित है । लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किये गये महत्वपूर्ण अनुमान के साथ-साथ वित्तीय विवरणों के संपूर्ण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है । हमारा मानना है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय के लिए समुचित आधार प्रदान करती है ।

4. हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर, हमारा प्रतिवेदन है कि :

i हमने सारी सूचना और स्पष्टीकरण, जोकि हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे, प्राप्त कर लिये हैं ;

ii तुलन पत्र, आय और व्यय लेखे/प्राप्तियां और भुगतान लेखे जिनका इस रिपोर्ट से संबंध है, को वित्त मंत्रालय द्वारा विहित फार्मेट में तैयार किया गया है ।

iii हमारी राय में, जहां तक इन बहियों के हमारे परीक्षण से दृष्टिगोचर होता है, प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 की धारा 19 एवं 20 के अनुसार भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा समुचित खाता बहियां और अन्य संबंधित रिकार्ड रखे गये हैं ।

iv हमारा आगे प्रतिवेदन है कि :

क तुलन पत्र

क.1 देयता

क.1.1 अंशदायी भविष्य निधि- 921.79 लाख रू0

परिषद् को अंशदायी भविष्य निधि खातों के लिए 84.42 लाख रू (83.78 लाख रू मियादी जमा पर और 0.64 लाख रू बचत खाते पर) का ब्याज प्राप्त हुआ है । हालांकि, अनुसूची-2 में अंशदायी भविष्य निधि पर ब्याज के रूप में केवल 60.67 लाख रू दर्शाए गए हैं । इसके कारण अंशदायी भविष्य निधि का विवरण कम और आय संबंधी विवरण 23.75 लाख रू अधिक हो गया है ।

ख सहायता अनुदान

भारतीय प्रेस परिषद् को सूचना और प्रसारण मंत्रालय से वर्ष 2014-15 के दौरान गैर-योजना के अंतर्गत 614.00 लाख रू. का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ जिसमें से 18.00 लाख रू. मार्च 2015 में प्राप्त हुए । पिछला अव्ययित शेष लौटा दिया गया । परिषद् ने अपने स्रोतों से 97.87 लाख रू. प्राप्त किए । परिषद् ने 711.34 लाख रू. का उपयोग किया तथा 31 मार्च 2015 को 0.53 लाख रू. की शेष राशि रह गयी ।

ग. प्रबंधन पत्र

उन कमियों को जिन्हें लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में शामिल नहीं किया गया है, उपचारी/ सुधारक कार्रवाई हेतु अलग से प्रबंधन पत्र के जरिये परिषद् के नोटिस में लाया गया है ।

(v) पूर्व अनुच्छेदों में हमारी टिप्पणियों के अधीन, हमारा प्रतिवेदन है कि तुलनपत्र, आय, व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, जिनका संबंध इस रिपोर्ट से था, खाता बहियों के अनुरूप है ।

(vi) हमारी राय और सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, कथित वित्तीय विवरण जोकि लेखों पर टिप्पणियों तथा लेखा नीतियों के साथ पठनीय है और उपर्युक्त महत्त्वपूर्ण मामलों तथा इस लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन के संलग्नक में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन हैं, भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सही और उचित पक्ष रखते हैं।

(क) जहां तक इसका संबंध 31 मार्च, 2015 को भारतीय प्रेस परिषद् के कार्य के तुलनपत्र से है, तथा

(ख) जहां तक इसका संबंध उस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए अधिशेष के आय एवं व्यय लेखे से है ।

भारत के नियंत्रक और महालेखा
परीक्षक हेतु और उनकी ओर से

नई दिल्ली
दिनांक- 29.10.2015

महानिदेशक लेखा परीक्षा
(केन्द्रीय राजस्व)

संलग्नक - I

1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

परिषद् की अपनी आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली नहीं है । परिषद् ने वर्ष 2014-15 तक अपनी आंतरिक लेखा परीक्षा चार्टरित लेखाकारों से करवायी है ।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तताः संकट निर्धारण एवं सूचना

संकट निर्धारण और प्रबंधन सूचना प्रणाली जोकि परिषद् की निर्विघ्न कार्यप्रणाली के लिए आवश्यक हैं, परिषद् में नहीं पाए गए थे ।

3. परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली

नियत परिसंपत्तियों का वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था ।

4. वस्तुसूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली

पुस्तकों और प्रकाशनों का प्रत्यक्ष सत्यापन 2012-13 तक और पेपर्स, स्टेशनरी एवं अन्य उपभोज्य वस्तुओं के स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन 2010-11 तक किया गया तथा किसी विसंगति की रिपोर्ट नहीं की गयी ।

5. देय राशि के भुगतान में नियमितता

लेखा बही के अनुसार 31 मार्च 2015 को सांविधिक देयता के संबंध में छह महीनों से अधिक भुगतान बकाया नहीं था ।

तुलन पत्र
31 मार्च, 2015 तक

भरतीय प्रेस परिषद्
31.3.2015 तक का तुलन पत्र

देयता	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
पूंजीगत निधि	1	10,38,34,285	9,15,23,044
अंशदायी भविष्य निधि	2	9,21,79,650	8,61,04,701
वर्तमान दायित्व और प्रावधान	3	30,21,198	22,62,861
कुल		**19,90,35,133**	**17,98,90,607**
परिसम्पत्ति			
नियत परिसम्पत्ति	4	55,19,123	61,94,924
निवेश-उद्दिष्ट निधि से	5	9,60,54,245	8,54,08,560
वर्तमान परिसम्पत्ति, ऋण, अग्रिम आदि	6	9,74,61,765	8,82,87,123
कुल		**19,90,35,133**	**17,98,90,607**

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	13
आकस्मिक देयता और लेखा टिप्पणियां	14

ह0/-
(सी.के.प्रसाद)
अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद्

ह0/-
(विभा भार्गव)
सचिव
भारतीय प्रेस परिषद्

भारतीय प्रेस परिषद्
31.3.2015 को समाप्त वर्ष के लिए
आय और व्यय लेखा

आय	**अनुसूची**	**चालू वर्ष**	**गत वर्ष**
लेवी शुल्क एवं अन्य से आय	7	1,44,01,594	1,30,98,537
सरकार से अनुदान	8	5,37,55,757	4,33,93,714
अर्जित ब्याज	9	92,26,206	81,44,355
कुल (क)		**7,73,83,557**	**6,46,36,606**
व्यय			
स्थापना व्यय	10	5,14,68,862	4,48,46,930
अन्य प्रशासनिक व्यय	11	1,29,35,230	1,26,31,069
वित्त खर्च	12	100	-
मूल्यह्रास (तालिका 5 के अनुरूप)		10,65,397	15,79,298
कुल (ख)		**6,54,69,589**	**5,90,57,297**
आय के व्यय से अधिक होने के कारण शेष राशि (क-ख)		1,19,13,968	55,79,309
- पूर्व अवधि समायोजन जमा (नामे)		-	4,03,881
- सामान्य रिजर्व में/से अंतरण			
अधिशेष/(घाटा) आय एवं व्यय खाते में ले जाया गया		1,19,13,968	59,83,190

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां 13

ह0/-
(सी.के.प्रसाद)
अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद्

ह0/-
(विभा भार्गव)
सचिव
भारतीय प्रेस परिषद्

भारतीय प्रेस परिषद्
अनुसूचियां जो 31.3.2015 के तुलन पत्र का अंग हैं

अनुसूची 1 - पूंजी निधि

	चालू वर्ष		*पिछला वर्ष*	
क. पूंजी निधि				
वर्ष के आरंभ में शेष	1,49,56,658		1,42,36,329	
जोड़े : वर्ष के दौरान पूंजीकृत निधियां	4,01,257		7,26,173	
जोड़े : आय एवं व्यय खाते से अंतरित राशि	-		-	
	1,53,57,915		1,49,62,502	
घटाएं : अनुपयोगी घोषित परिसंपत्तियों पर बट्टे खाते डाली गई राशि	-	1,53,57,915	(5,844)	1,49,56,658
ख. आय और व्यय लेखा :				
वर्ष के शुरू में शेष	7,65,66,386		7,05,83,197	
जोड़े/(घटाएँ): निवल आय/(व्यय) का शेष	1,19,13,968		59,83,190	
आय और व्यय खाते से अंतरित जोड़ें/(घटाएँ) अन्य समायोजन	(3,984)	8,84,76,370		7,65,66,386
योग		10,38,34,285.43		9,15,23,044

अनुसूची 2 - सी. पी. एफ. निधियां

	चालू वर्ष		*पिछला वर्ष*	
क) निधियों का अथ शेष		8,61,04,701		7,30,77,459
ख) निधियों में वृद्धि				
i सी.पी.एफ. में परिषद् का योगदान	17,26,108		17,49,377	
ii. सी.पी.एफ. अग्रिम	5,43,677		18,63,666	
iii. सी.पी.एफ. में कर्मचारियों का योगदान	93,65,766		90,29,326	
iv सी.पी.एफ. निधियों पर सरकार से ब्याज	60,67,226		69,64,563	
v पूर्व अवधि समायोजन	12,86,244	1,89,89,021		1,96,06,932
योग (क+ख)		10,50,93,722		9,26,84,391
ग) निधियों के उद्देश्यों पर उपयोग/व्यय				
सी.पी.एफ. प्रत्याहरण	(20,79,380)		(50,91,690)	
जा रहे कर्मचारियों को अंतिम भुगतान	(1,08,34,692)		-	
सीपीएफ अग्रिम	-		(14,88,000)	
सामान्य निधि खाते से प्राप्त किये जाने योग्य		- (1,29,14,072)		- (65,79,690)
वर्ष के अंत में निधि का निवल शेष (क+ख-ग)		**9,21,79,650**		**8,61,04,701**

अनुसूची 3 - चालू देयताएं और प्रावधान

(क) चालू देयता				
क. चालू देयता				
1 प्राप्त अग्रिम				
- शुल्क की अग्रिम उगाही	8,76,259		6,16,723	
- उगाही शुल्क उचंत	1,38,535	10,14,794	1,01,135	7,17,858
2 प्रतिभूति जमा		91,500		91,500
3 अव्ययित अनुदान		52,830		15,550
4 अन्य चालू देयताएं		13,44,243		10,47,624
5 पूर्व कर्मचारी के वारिस को देय		5,17,831		3,90,329
योग (क)		**30,21,198**		**22,62,861**
ख. प्रावधान		-		-
योग (क+ख)		**30,21,198**		**22,62,861**

अनुसूची: 4

अनुसूची जो 31.3.2015 के

विवरण	सकल ब्लॉक				
	01.04.2014 को लागत	वर्ष के दौरान वृद्धि		वर्ष के दौरान बिक्री/ अंतरण	31.03.2015 को लागत
		30 सितंबर को	30 सितंबर तक		
वातानुकूलक और कूलर	12,99,675.00	1,32,859.00	-	-	14,32,534.00
उपस्थिति रिकार्डिंग तंत्र	82,000.00	-	-	-	82,000.00
कार और बाइसिकल	23,76,431.00	-	-	-	23,76,431.00
कंप्यूटर/पेरिफ़रल	61,16,939.00	-	1,48,990.00	11,661.00	62,54,268.00
कांफ्रेंस तंत्र	27,820.00	-	-	-	27,820.00
ईपीएबीएक्स तंत्र	2,93,730.00	-	-	-	2,93,730.00
फ्रैंकिंग मशीन	1,28,526.00	-	-	-	1,28,526.00
फर्नीचर और फ़िक्सचर	45,20,333.00	-	1,09,197.00	-	46,29,530.00
हीट कन्वैक्टर और हीटर	37,364.00	-	-	-	37,364.00
पट्टे पर ज़मीन	15,63,767.00	-	-	-	15,63,767.00
पुस्तकालय की किताबें	8,84,828.46	-	-	-	8,84,828.46
मोबाइल फ़ोन	52,291.00	6510.00	-	-	58,801.00
रेफ्रिजरेटर	91,695.00	-	-	-	91,695.00
सौर वाटर हीटिंग तंत्र	1,10,227.00	-	-	-	1,10,227.00
स्टेबिलाइज़र	71,434.00	3,701.00	-	-	75,135.00
टेप रिकार्डर	6,618.00	-	-	-	6,618.00
टेलीविज़न	2,40,436.00	-	-	-	2,40,436.00
टाइपराइटर और डुप्लीकेटर	1,33,029.00	-	-	-	1,33,029.00
जल वितरक	71,964.00	-	-	-	71,964.00
योग	**1,81,09,107.46**	**1,43,070.00**	**2,58,187.00**	**11,661.00**	**1,84,98,703.46**

अनुसूची: 4

तुलन पत्र का अंग हैं

मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक		
मूल्यह्रास दर	**31.03.2014** तक	वर्ष हेतु	बट्टे खाते	कुल	**31.03.2015** को डब्ल्यू डी वी	**31.03.2014** को डब्ल्यू डी वी
15.00%	8,07,861.00	79,924.00	-	8,87,785.00	5,44,749.00	4,91,814.00
15.00%	57,683.00	3,648.00	-	61,331.00	20,669.00	24,317.00
15.00%	12,65,592.00	1,66,626.00	-	14,32,218.00	9,44,213.00	11,10,839.00
60.00%	53,85,324.00	5,21,366.00	-	59,06,690.00	3,47,578.00	7,31,615.00
15.00%	27,158.00	-	-	27,158.00	662.00	662.00
15.00%	2,13,192.00	12,081.00	-	2,25,273.00	68,457.00	80,538.00
15.00%	27,472.00	15,158.00	-	42,630.00	85,896.00	1,01,054.00
10.00%	30,75,552.00	1,55,398.00	-	32,30,950.00	13,98,580.00	14,44,781.00
15.00%	27,579.00	1,468.00	-	29,047.00	8,317.00	9,785.00
-	-	-	-	-	15,63,767.00	15,63,767.00
15.00%	5,58,713.43	48,917.00	-	6,07,630.43	2,77,198.03	3,26,115.03
15.00%	18,003.00	6,120.00	-	24,123.00	34,678.00	34,288.00
15.00%	47,721.00	6,596.00	-	54,317.00	37,378.00	43,974.00
15.00%	77,541.00	4,903.00	-	82,444.00	27,783.00	32,686.00
15.00%	55,911.00	16,661.00	-	72,572.00	2,563.00	15,523.00
15.00%	5,142.00	221.00	-	5,363.00	1,255.00	1,476.00
15.00%	1,09,528.00	19,636.00	-	1,29,164.00	1,11,272.00	1,30,908.00
15.00%	1,26,738.00	-	-	1,26,738.00	6,291.00	6,291.00
15.00%	27,473.00	6,674.00	-	34,147.00	37,817.00	44,491.00
	1,19,14,183.43	**10,65,397.00**	-	**1,29,79,580.43**	**55,19,123.03**	**61,94,924.03**

अनुसूची 5 - उद्दिष्ट निधियों से निवेश

	चालू वर्ष		*पिछला वर्ष*	
1. अनुसूचित बैंकों के पास सावधि निक्षेप				
- सी. पी. एफ. निधि के प्रति	8,47,98,353		7,82,36,032	
- उन पर प्रोद्भूत एफडीआर ब्याज	1,12,55,892	9,60,54,245	71,72,528	8,54,08,56
योग		**9,60,54,245**		**8,54,08,56**

अनुसूची 6 - चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि

	चालू वर्ष		*पिछला वर्ष*	
क. चालू परिसंपत्तियां				
1. विविध देनदार :				
- उगाही शुल्क के कारण	7,75,12,485	7,75,12,485	6,83,78,151	6,83,78,151
2. रोकड़ शेष				
(डाक टिकटों और अग्रदाय सहित)				
अग्रदाय लेखा शेष	50,000		10,000	
डाक टिकटें	30,124	80,124	40,048	50,048
3. बैंक शेष :				
- अनुसूचित बैंकों के पास : बचत खाते				
- स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद - सामान्य खाता	-		1,475	
- स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद - परिक्रामी खाता	2,23,096		7,16,603	
- स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद - उगाही शुल्क खाता	2,830		4,076	
- स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद - सी. पी. एफ. खाता	75,50,788	77,76,714	82,94,641	90,16,795
निक्षेप खाते				
- स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद - परिक्रामी खाता	38,63,928	-	27,79,077	-
पूर्व कर्मचारी लाभार्थियों के लिए एफडीआर				
- स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद - शशि टंडन	2,52,078		2,30,612	
- स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद - रमेश गोयल	1,39,335		1,27,470	
- स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद - संगीता मलिक	39,310			
- स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद - अजय मदान	48,822	43,43,473	-	31,37,159
योग (क)	**8,97,12,796**		**8,05,82,153**	

अनुसूची 6 - चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि

ख. ऋण, अग्रिम तथा अन्य परिसंपत्तियां				
1 स्टाफ को ऋण :				
- माननीय अध्यक्ष को सी.जी.एच.एस अग्रिम	-		3,500	
- साईकिल अग्रिम	-		125	
- कार अग्रिम	-		55,638	
- उत्सव अग्रिम	74,175		55,425	
- आवास निर्माण अग्रिम	5,08,504		6,72,031	
- स्कूटर अग्रिम	-	5,82,679	10,400	7,97,119
2 प्राप्य मूल्य के लिए रोकड़ या जिन्स में वसूल की जाने वाली अन्य राशियां और अग्रिम				
- पूंजीगत लेखे पर	-		-	
- पुस्तकों, पत्रिकाओं के लिए अग्रिम	9,200		15,060	
- पार्टियों को अग्रिम	55,57,109		49,07,109	
- यात्रा भत्ता अग्रिम	2,78,057		5,12,284	
- स्रोत पर काटा गया कर	7,91,434		7,87,762	
- अन्य				
- अन्य अग्रिम	40,047		2,45,043	
- पूर्व प्रदत्त ए.एम.सी.	14,398		4,205	
		66,90,245		64,71,463
3 प्रोद्भूत आय				
क) परिक्रामी खाते के निक्षेपों पर		4,18,285		3,68,267
ख) श्रीमती शशि टंडन (पूर्व कर्मी) के निक्षेपों पर		21,766		20,471
ग) श्री अजय मदान के निक्षेपों पर		2,816		-
घ) संगीता मलिक के निक्षेपों पर		961		-
ड.) श्री रमेश गोयल (पूर्व कर्मी) के निक्षेपों पर		12,743		11,776
4 विभिन्न विभागों के पास निक्षेप		19,474		35,874
योग (ख)		**77,48,969**		**77,04,970**
योग (क+ख)		**9,74,61,765**		**8,82,87,123**

अनुसूची 7- उगाही शुल्क से तथा अन्य आय

	चालू वर्ष		*पिछला वर्ष*	
1 समाचारपत्रों/पत्रिकाओं/समाचार एजेंसियों से प्राप्त उगाही शुल्कः	52,30,352		30,17,776	
जोड़ें : पिछले वर्ष के लिए उठाई गई मांग		-		-
जोड़ें : पिछले वर्षों का अग्रिम समायोजित	-		-	
जोड़ें : चालू वर्ष का बकाया शुल्क	1,40,74,150		1,14,16,605	
घटाएं : पिछले वर्षों के लिए प्राप्त शुल्क	(21,69,204)		(12,86,296)	
घटाएं : चालू वर्ष के लिए प्राप्त शुल्क	(27,70,612)			
घटाएं : अग्रिम/उचंत प्राप्त शुल्क	(2,96,936)	1,40,67,750	(2,43,260)	1,29,04,825
2 अन्य (स्पष्ट करें)				
- रद्दी कागज़ की बिक्री	-		12,960	
- सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना के लिए शुल्क		1,469		-
- स्मारिका में विज्ञापन से आय	25,000		-	
- अन्य	3,07,375	3,33,844	1,80,752	1,93,712
योग		**1,44,01,594**		**1,30,98,537**

अनुसूची 8 - अनुदान

	चालू वर्ष		*पिछला वर्ष*	
(प्राप्त अप्रतिसंहरणीय अनुदान और सहायिकी)				
- केंद्रीय सरकार (सूचना और प्रसारण मंत्रालय)				
- वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	6,14,00,000		5,11,00,000	
- जोड़ें : पिछले वर्ष का अव्ययित अनुदान	15,550		-	
	6,14,15,550		5,11,00,000	
- घटाएं : सी. पी. एफ. निधि पर ब्याज के लिए प्रयुक्त अनुदान	(71,90,156)		(69,64,563)	
- घटाएं : स्थिर परिसंपत्तियों के लिए प्रयुकत अनुदान	(4,01,257)		(7,26,173)	
- घटाएं : पिछले वर्ष के प्रतिलाभ से संबंधित अव्ययित अनुदान	(15,500)			-
- घटाएं : चालू वर्ष का अव्ययित अनुदान	(52,830)	5,37,55,757	(15,550)	4,33,93,714
योग		**5,37,55,757**		**4,33,93,714**

अनुसूची 9 - अर्जित ब्याज

	चालू वर्ष		*पिछला वर्ष*	
1 सावधि निक्षेपों पर				
क) अनुसूचित बैंकों के पास				
- सीपीएफ (खाता सामान्य निधि में अंतरित)	83,77,906		74,97,208	
- परिक्रामी निधि खाता	3,34,869		2,72,385	
- सामान्य निधि खाता	1,47,598		56,082	
		88,60,373		78,25,675
2 बचत खातों पर :				
क) अनुसूचित बैंकों के पास				
- सामान्य निधि खाता	1,74,330		1,88,180	
- सीपीएफ खाता (सामान्य निधि में अंतरित)	64,748		79,958	
- उगाही शुल्क खाता	28,402		16,987	
- परिक्रामी निधि (ऋण और अग्रिम)	19,560	2,87,040	21,543	3,06,668
3 ऋणों पर				
क) कर्मचारी/स्टाफ़				
- स्कूटर अग्रिम	1,600		760	
- आवास निर्माण अग्रिम	16,235		2,892	
- मोटर कार अग्रिम	60,958	78,793	8,360	12,012
योग	**92,26,206**		**81,44,355**	

अनुसूची 10 - स्थापना व्यय

		चालू वर्ष	*पिछला वर्ष*
क)	वेतन और मजदूरी	4,04,69,043	3,82,65,839
ख)	वेतन की बकाया राशि	7,73,715	15,46,727
ग)	समयोपरि भत्ता	15,578	19,625
घ)	ट्यूशन फ़ीस प्रतिपूर्ति	4,10,955	4,93,906
ड.)	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	29,42,162	18,57,582
च)	बोनस	2,00,048	2,02,055
छ)	एल. टी. सी.	7,22,749	5,51,621
ज)	अर्जित छुट्टी का नकदीकरण	14,23,736	1,23,619
झ)	भविष्य निधि में अंशदान	17,26,108	17,79,312
ञ)	स्टाफ़ को प्रशिक्षण	2,400	6,500
ट)	कर्मचारियों को दिया गया मानदेय	1,85,000	144
ठ)	स्टाफ़ को उपदान	25,97,368	-
	योग	**5,14,68,862**	**4,48,46,930**

अनुसूची 11 - अन्य प्रशासनिक व्यय

		चालू वर्ष	*पिछला वर्ष*
1	बिजली और पानी	32,34,746	39,75,918
2	कार्यालय व्यय	89,275	83,029
3	बीमा	-	-
4	मरम्मत और रखरखाव	20,02,832	6,29,559
5	वाहनों की मरम्मत और रखरखाव	3,68,140	2,90,185
6	यात्रा और परिवहन व्यय	32,74,455	30,64,357
7	किराया, पौर कर और कर	-	1,22,570
8	डाक टिकट, टेलीफोन और संचार प्रभार	8,54,186	8,76,989
9	मुद्रण और स्टेशनरी	10,29,956	7,56,942
10	समाचार और पत्रिकाएं	1,42,999	1,49,114
11	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी	4,920	58,152
12	हिंदी कार्यशाला	7,500	
13	हिंदी प्रोत्साहन पुरस्कार	11,000	16,040
14	पूर्णांकन	-	-
15	कानूनी और वृत्तिक प्रभार	5,02,008	7,06,301
16	मनोरंजन	1,04,326	98,521
17	प्रदर्शनी और संगोष्ठी	8,98,528	10,17,196
18	अन्य - विविध	1,00,284	3,730
19	विज्ञापन व्यय	2,81,051	7,73,966
20	ढुलाई एवं भाड़ा	130	-
21	अन्य व्यय	28,894	8,500
	योग	**1,29,35,230**	**1,26,31,069**

अनुसूची 12 - वित्त प्रभार

	चालू वर्ष	*पिछला वर्ष*
क) नियत ऋणों पर		
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित)	100	-
ग) अन्य (स्पष्ट करें)		
घ) पूर्व कर्मचारी को अदा किया गया ब्याज	-	-
योग	**100**	-

भारतीय प्रेस परिषद्

31.3.2015 को समाप्त वर्ष के लिए लेखाओं की अंश निर्माण संबंधी अनुसूची

अनुसूची 13- महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. लेखा परिपाटी

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परिपाटी, जब तक कि कोई अन्य विवेचित न की जाये, के आधार पर तैयार किये गये हैं ।

2. लेखा प्रणाली

परिषद् लेखा प्रोद्भवन प्रणाली का पालन कर रही है- जब तक कि कोई अन्य विवेचित न की जाये ।

3. निवेश

क. अंशदायी भविष्य निधि के विरूद्ध निवेश को उद्दिष्ट निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

ख. परिक्रामी (ऋण एवं अग्रिम) लेखे के विरूद्ध निवेश को वर्तमान परिसम्पत्तियाँ माना गया है ।

ग. निवेश को मूलधन मूल्य पर दर्शाया गया है क्योंकि उसपर प्रोद्भूत ब्याज से वृद्धि हुई ।

4. नियत परिसम्पत्तियाँ

क. नियत परिसम्पत्तियों को, उनपर ड्यूटी तथा कर सहित अर्जन की मूल्य लागत पर विवेचित किया गया है। अर्जन से सम्बद्ध अन्य प्रत्यक्ष व्ययों को पूँजी में परिणत नहीं किया गया है ।

ख. नियत परिसम्पत्तियों की मूल्य लागत को चिन्हित करने के लिए पूँजीगत कोष का संधारण किया गया है ।

5. मूल्यह्रास

आयकर नियमों के अन्तर्गत निम्नलिखित दर उदाहरणार्थ फर्नीचर और स्थिर वस्तुएँ 10% की दर पर कंप्यूटर/पेरिफेरल 60% की दर पर और अन्य परिसम्पत्तियाँ 15% की सामान्य दर पर मूल्यह्रास चार्ज किया जा रहा है ।

6. सरकारी अनुदान

(क) सरकारी अनुदान का लेखा नकद आधार पर रखा जाता है ।

(ख) नियत परिसम्पत्तियों में जोड़ के लिए प्रयुक्त अनुदान को पूँजीगत निधि में अंतरित किया गया है ।

(ग) अंशदायी भविष्य निधि पर ब्याज के लिए प्रयुक्त अनुदान को अंशदायी भविष्य निधि खाते में अंतरित किया गया है ।

(घ) वर्ष हेतु अव्ययित अनुदान को अगले वर्ष उपयोग करने के लिए आरक्षित और अतिरिक्त राशि में अंतरित किया गया है ।

7. सेवानिवृत्ति लाभ

(क) सेवानिवृत्ति लाभ का लेखा नकद आधार पर रखा गया है । उपदान देय, छुट्टी भुनाने आदि का कोई प्रावधान नहीं है ।

(ख) परिषद् अपनी अंशदायी भविष्य निधि का रख-रखाव कर रही है ।

ह0/-
(सी.के.प्रसाद)
अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद्

ह0/-
(विभा भार्गव)
सचिव
भारतीय प्रेस परिषद्

भारतीय प्रेस परिषद्

31.3.2015 को वर्ष की समाप्ति पर लेखाओं की अंश निर्माण संबंधी अनुसूची

अनुसूची 14 - आकस्मिक देयता और लेखाओं पर टिप्पणियाँ

क. आकस्मिक देयता

परिषद् के विरूद्ध दावे की ऋण के रूप में प्राप्ति स्वीकार नहीं की गई है-रूपये शून्य (गत वर्ष शून्य)

ख. लेखाओं पर टिप्पणियाँ

1. वर्तमान परिसम्पत्तियाँ, कर्ज एवं अग्रिम

क. विविध देनदारों, पुस्तकों और आवधिकों के लिए अग्रिमों में शेष और पक्षों को अग्रिम की सम्बद्ध पक्षों/विभागों से पुष्टि नहीं की गई है ।

ख. परिषद्-प्रबंधन की राय में, अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियों, कर्जों और अग्रिमों का वसूली योग्य मूल्य होता है जोकि कम से कम, साधारण व्यवसाय में तुलनपत्र में दर्शायी गयी राशि के समान है ।

2. कराधान हेतु प्रावधान

यह देखते हुए कि परिषद् की आय को कर से मुक्त रखा गया है, कराधान का कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है ।

3. गत वर्ष के तदनुरूप आँकड़ों का, जहाँ कहीं आवश्यक हो, पुनःसमूहीकरण/पुनःव्यवस्थित किया गया है ।

ह0/-
(सी.के.प्रसाद)
अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद्

ह0/-
(विभा भार्गव)
सचिव
भारतीय प्रेस परिषद्

भारतीय प्रेस परिषद्
31.3.2015 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियाँ और भुगतान

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
I. अथ शेष				
क) हाथ रोकड़(अग्रदाय लेखा)		10,000		10,000
ख) बैंक शेष				
- सामान्य निधि	1,475		20,56,117	
- शुल्क उगाही खाता	4,076		27,313	
- परिक्रामी निधि (ऋण और अग्रिम)	7,16,603		4,33,994	
- सी.पी.एफ खाता	82,94,641	90,16,795	62,86,470	88,03,894
ग) डाक टिकटें		40,048		17
II. प्राप्त अनुदान				
क) भारत सरकार (सूचना और प्रसारण मंत्रालय) से		6,14,00,000		5,11,00,000
III. प्राप्त ब्याज				
क) बैंक निक्षेपों पर				
- सावधि निक्षेप	47,26,991		91,91,034	
- बचत खाते	2,87,040	50,14,031	3,06,668	94,97,702
ख) ऋण, अग्रिम आदि		78,793		12,012
IV. अन्य आय (स्पष्ट करें)				
समाचारपत्रों/पत्रिकाओं/समाचार एजेंसियों से प्राप्त उगाही शुल्क		52,30,352		30,17,776
अन्य, परिसंपत्ति की बिक्री पर लाभ के अतिरिक्त		-		4,631
प्राप्त छुट्टी का वेतन		1,83,084		1,77,747
सूचना का अधिकार		1,469		4,583
विविध प्राप्तियॉ		9,056		
वसूली				
- वेतन (विविध)	5,476			
- पुस्तकें	440			
- ईओएल	1,09,319	1,15,235		
- स्मारिका में विज्ञापन से आय		25,000		

भुगतान	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
I. व्यय				
क) स्थापना व्यय (अनुसूची 10 के अनुसार)		5,12,97,037		4,48,16,995
ख) प्रशासनिक व्यय अनुसूची 11 के अनुसार)		86,78,189		89,31,586
ग) देय व्यय का भुगतान किया गया		10,44,781		2,15,023
II. निधियों के प्रति किए गए भुगतान				
परिक्रामी निधि के प्रति किए गए भुगतान (ऋण और अग्रिम)				
- ऋणों का संवितरण				
- उत्सव अग्रिम	1,39,500		97,500	
- स्कूटर अग्रिम	-		30,000	
- मोटर कार अग्रिम	-		-	
- माननीय अध्यक्ष को सी.जी.एच.एस.अग्रिम	12,000	1,51,500	-	1,27,500
सी.पी.एफ. निधि के प्रति				
- स्टाफ को अग्रिम/आहरण	34,26,280		65,97,690	
- जाने वाले कर्मचारियों को अंतिम भुगतान	1,08,78,437	1,43,04,717	-	65,97,690
III. किए गए निवेश और निक्षेप				
क) उद्दिष्ट/एन्डाउमेंट निधियों से				
- परिक्रामी निधि के प्रति (ऋण और अग्रिम)	25,04,235		13,59,693	
- सी.पी.एफ.निधि के प्रति	3,80,15,280		6,33,31,952	6,46,91,645
ख) अपनी निधियों से (निवेश-अन्य)	1,00,00,000		80,00,000	
कर्मचारी के लिए	-	5,05,19,515	-	80,00,000
IV. स्थिर परिसंपत्तियों और चल रहे पूँजीगत काम पर व्यय				
क) स्थिर परिसंपत्तियों की खरीद				
- पुस्तकालय की पुस्तकें			36,206	
- मोबाईल फोन	6,510		5,954	
- वातानुकूलक एवं कूलर	91,846		55,449	
- टेलीफोन उपकरण	-		2,400	
- जल वितरक	-		27,674	
- फर्निचर तथा अन्य	1,09,197			
- कंप्यूटर एवं पेरिफ़ेरल्स	88,990		1,61,493	
- स्टेबिलाइज़र	3,701		34,930	
- फ्रैकिंग मशीन	-			

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
V. परिपक्व निवेशों से प्राप्तियाँ				
एफडीआर को भुनाना				
- परिक्रामी निधि लेखा	14,19,384		11,49,170	
- सी.पी.एफ.लेखा	3,14,52,959		5,21,30,242	
- सामान्य निधि	1,00,00,000		80,00,000	
कर्मचारी हेतु	-	4,28,72,343	-	6,12,79,412
VI. कोई अन्य प्राप्तियाँ				
क) जमा राशि को भुनाना				
ख) अग्रिमों की वसूली				
- आवास निर्माण अग्रिम	1,63,527		1,75,668	
- पक्षों से	-		1,59,811	
- उत्सव अग्रिम	1,20,750		1,19,250	
- स्कूटर अग्रिम	10,400		20,000	
- मोटर कार अग्रिम	58,838		60,136	
- साइकिल अग्रिम	125		1,500	
- पंखा अग्रिम	-		-	
- माननीय अध्यक्ष को सी.जी.एच. एस. अग्रिम	15,500	3,69,140	6,000	5,42,365
ग) कर्मचारी से वसूली				
-यात्रा व्यय	23,051			
नियत परिसंपत्ति की बिक्री/अंतरण	11,661		-	
सी.पी.एफ. अंशदान	1,14,63,402	1,14,98,114	1,10,66,306	1,10,66,306
घ) सामान्य निधि से सी.पी.एफ. निधि में अंतरित राशि :				
- पीएफ में परिषद् के अंशदान के लिए	17,26,108		17,49,377	
- कर्मचारियों के अंशदान पर ब्याज के लिए	46,61,729		46,44,205	
- परिषद् के अंशदान पर ब्याज के लिए	25,28,427		23,20,358	
- अन्य	-	89,16,264	-	87,13,940
कूल		**14,47,79,723**		**15,42,30,385**

भुगतान	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
- रेफ्रिजरेटर	-			
ख) पूँजीगत काम पर व्यय				
V. अधिशेष धनराशि/ऋणों की वापसी				
क) भारत सरकार को				
- अधिक अव्ययित अनुदान	15,550	15,550	23,43,446	23,43,446
VI. वित्त प्रभार (ब्याज)				
VII. अन्य भुगतान (स्पष्ट करें)				
क) सामान्य निधि से सी.पी.एफ. निधि में अंतरित राशि :				
- कर्मचारियों के अंशदान पर ब्याज के लिए	46,61,729		46,44,205	
- परिषद् के अंशदान पर ब्याज के लिए	25,28,427		23,20,358	
- अन्य	-	71,90,156	-	69,64,563
ख) अग्रिम				
- पुस्तकों और पत्रिकाओं के लिए	9,200		15,060	
- स्टेशनरी खरीदने के लिए	32,366			
- पूँजीगत परिसंपत्तियों के लिए	60,000		54,013	
- अन्य के लिए	33,15,857	34,17,423	16,92,828	17,61,901
ग) स्रोत पर कर की कटोति		3,672		
VIII. इति शेष				
क) हाथ रोकड़ (अग्रदाय खाता)		50,000		10,000
ख) बैंक शेष				
- सामान्य निधि	1		1,475	
- शुल्क उगाही खाता	2,830		4,076	
- परिक्रामी निधि (ऋण और अग्रिम)	2,33,096		7,16,603	
- सी.पी.एफ. खाता	75,50,788	77,76,715	82,94,641	90,16,795
ग) डाक टिकटें		30,124		40,048
		14,47,79,723		**15,42,30,385**

ह0/-
(सी.के.प्रसाद)
अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद्

ह0/-
(विभा भार्गव)
सचिव
भारतीय प्रेस परिषद्

संलग्नक - क

मामलों का विवरण
(1 अप्रैल, 2014 से 31 मार्च, 2015)

क्रम सं0	विवरण	धारा-13	धारा-14	कुल
1.	31 मार्च, 2014 को लंबित मामले	121	821	942
2.	1 अप्रैल, 2014 से 31 मार्च, 2015 के बीच दर्ज़ मामले	199	1050	1249
3.	1 अप्रैल, 2014 से 31 मार्च, 2015 के बीच निर्णीत मामले	13	65	78
4.	परिषद् के सम्मुख सीधे प्रस्तुत मामले	2	1	3
5.	1 अप्रैल, 2014 से 31 मार्च, 2015 के बीच जांच विनियम 1979 के विनियम 5(1) के प्रावधान के अन्तर्गत निर्णीत मामले	188	661	849
6.	31 मार्च, 2015 को लंबित मामले	117	1144	1261

भारत का राजपत्र

असाधारण

भाग-III खण्ड-4

प्राधिकार से प्रकाशित

सं. 126 नई दिल्ली, ब्रहसपतिवार, 1 मई, 2014/बैसाख 11, 1936

भारतीय प्रेस परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2014

सं. 19/1/2014-पी.सी.आई.भारतीय प्रेस परिषद् प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 (1978 का 37) धारा 5 की उप-धारा (4) के अनुसरण में उक्त धारा (3) के खंड (क) एवं खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रवर्गों के निम्नलिखित व्यक्ति संगमों और खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए समाचार अभिकरणों को परिषद् के बारहवें तीन वर्षीय सत्र के प्रयोजनों के लिए एतद्वारा अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

(I) धारा 5 की उप-धारा (3) के खंड (क) में निर्दिष्ट प्रवर्गों के व्यक्ति संगमः-

(1)	एडीटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, नई दिल्ली	श्रमजीवी पत्रकारों के प्रतिनिधि निकायों के रूप में, जोकि संपादक है
(2)	ऑल इंडिया न्यूजपेपर्स एडीटर्स कान्फ्रेंस, नई दिल्ली	
(3)	हिंदी समाचारपत्र सम्मेलन, लखनऊ	
(4)	अखिल भारतीय समाचारपत्र एसोसिएशन, कानपुर	
(5)	इंडियन जर्नलिस्टस यूनियन, नई दिल्ली (अध्यक्ष, श्री एस.एन सिन्हा)	संपादकों से भिन्न श्रमजीवी पत्रकारों के प्रतिनिधि निकायों के रूप में
(6)	दी प्रेस एसोसिएशन, नई दिल्ली	
(7)	वर्किंग न्यूज कैमरामैन्स एसोसिएशन, नई दिल्ली	
(8)	नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्टस (इंडिया), नई दिल्ली	

(II) धारा 5 की उप-धारा (3) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रवर्गों के व्यक्ति संगमः-

(1)	दी इंडियन न्यूजपेपर सोसायटी, नई दिल्ली	बड़े मध्यम और छोटे समाचारपत्रों के स्वामियों और प्रबंधकों के प्रतिनिधि निकाय के रूप में
(2)	ऑल इंडिया स्माल एंड मीडियम न्यूजपेपर्स फैडरेशन, नई दिल्ली	मध्यम एवं छोटे समाचारपत्रों के स्वामियों के प्रतिनिधि निकायों के रूप में
(3)	एसोसिएशन ऑफ स्माल एंड मीडियम न्यूजपेपर्स ऑफ इंडिया, कानपुर	

(III) धारा 5 की उप-धारा (3) के खंड (ग) में से किसी व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करने के प्रयोजन के लिए समाचारपत्र अभिकरणः-

(1) द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली

विभा भार्गव, सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./149/14]

भारत का राजपत्र

असाधारण

भाग II-खण्ड 3-उप खण्ड (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

सं. 2063 नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 10, 2014/अश्विन 18, 1936

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 2014

का.आ. 2608(अ)— केंद्रीय सरकार प्रेस परिषद् (सदस्यों के नामनिर्देशन के लिए प्रक्रिया) नियम, 1978 के नियम 3 और नियम 4 के साथ पठित प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 (1978 का 37) की धारा 5 की उपधारा (5) के अनुसरण में, भारतीय प्रेस परिषद् के सदस्यों के रूप में नामनिर्देशित निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

श्रमजीवी पत्रकार-संपादक [धारा 5 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन नामनिर्दिष्ट]:

(1)	श्री रमेश गुप्ता संपादक, वीकली तेज 8-बी, बहादुरशाह जफर मार्ग नई दिल्ली-110002 निवासः सी-40, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली-110049	भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों के संपादक
(2)	श्री बिपिन नेवाड़ संपादक, छपते छपते 26-सी, क्रीक रो, कोलकाता-700014 निवासः लक्ष्मी टावर, फ्लैट 5 बीडी, 541ए, रवीन्द्र सरनी, कोलकाता-700003	
(3)	श्री उत्तम चन्द्र शर्मा संपादक, मुजफ्फर नगर बुलेटिन 224-सिविल लाइन्स, साउथ मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश निवासः 223, सिविल लाइन्स, साउथ मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश	

(4) डॉ. सुमन गुप्ता, संपादक, जनमोर्चा जनमोर्चा दैनिक, बजाजा, फैजाबाद-224001 निवासः एल-30, नील विहार कालोनी, रामनगर, फैजाबाद पत्राचारः ए-603, लालबाग आफिसर्स कालोनी, लालबाग, लखनऊ - 226001 (5) श्री प्रकाश दुबे ग्रुप संपादक, दैनिक भास्कर विश्म्भर भवन, 17-ए, ग्रेट नाग रोड, नागपुर-440009 निवासः 602, निशिगंधा अपार्टमेंट्स, प्रशांत नगर, नागपुर-440015	भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों के संपादक
(6) श्री कृष्ण प्रसाद मुख्य संपादक, आउटलुक (अंग्रेजी) एबी-10, सफदरगंज एनक्लेव, नई दिल्ली-110029 निवासः एम-24, ग्राउंड फ्लोर, लाजपत नगर, भाग-3, नई दिल्ली-110024	अंग्रेजी भाषा के समाचारपत्रों के संपादक

संपादकों से भिन्न श्रमजीवी पत्रकार-संपादक [धारा 5 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन नामनिर्दिष्ट]:

(7) श्री कोसरी अमरनाथ एपीयूडब्ल्यूजे आफिस, देशोधारक भवन, बशीरबाग, हैदराबाद-500001 निवासः 6-3-14/101, साई निवास, हस्तिनापुरी कालोनी, सैनिक पुरी, हैदराबाद-500091 (8) श्री प्रभात कुमार दास प्रतिदिन (उड़िया दैनिक) टीएस-3/193, मनचेश्वर औद्योगिक क्षेत्र, भुवनेश्वर, ओडीशा निवासः प्लाट नं.-60, बुधेश्वरी कालोनी, भुवनेश्वर, ओडीशा- 751006 (9) श्री राजीव रंजन नाग आज समाज मीडिया हाउस, 116-बी, ओखला, फेज-2, नई दिल्ली निवासः 8डी, स्काई लार्क अपार्टमेंट्स, गाजीपुर, नई दिल्ली-110096 (10) श्री प्रजनानंद चौधुरी अनन्दा बाजार पत्रिका एबीपी प्राईवेट लिमिटेड, 6, प्रफुल्ल सरकार स्ट्रीट, कोलकाता-700001 निवासः 244/1, बी.बी. चटर्जी रोड, कोलकाता-700042	भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों के (संपादकों से भिन्न) श्रमजीवी पत्रकार

(11) श्री एस.एन. सिन्हा (कार्यालय/निवास): 7/102, ईस्ट एंड अपार्टमेंट्स, मयूर विहार, फेज-1, एक्सटेंशन, दिल्ली-110096	
(12) श्री सोनदीप शंकर (कार्यालय/निवास): आई-3, जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110014	भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों से भिन्न समाचारपत्रों के (संपादकों से भिन्न) श्रमजीवी पत्रकार
(13) श्री सी.के. नायक दि शिलांग टाइम्स रिलबाग, शिलांग निवास: 167 समाचार अपार्टमेंट्स, मयूर विहार, फेज-1, एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110091	

व्यक्ति, जो समाचार पत्रों के स्वामी या प्रबंध का कारोबार करते हों [धारा 5 की उपधारा (3) के खंड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट]:

(14) श्री होरमुसजी एन. कामा दि बाम्बे समाचार रेड हाउस, होरनीमन सर्कल, सईद अब्दुल्ला ब्रेल्वी रोड, फोर्ट, मुम्बई-400001 निवास: 1ई, नवरोज अपार्टमेंट्स, 35, भुलाभाई देसाई रोड, मुम्बई-400026	बड़े समाचारपत्रों के प्रवर्ग से
(15) श्री रवीन्द्र कुमार संपादक और प्रबंध निदेशक, दि स्टेट्समैन, स्टेट्समैन हाउस, 4, चौरंगी एस्क्वायर, कोलकाता-700001 निवास: 8ए, मिन्टो पार्क सिंडिकेट, 13 डीएल खान रोड, अलीपोर, कोलकाता-700027	

(16) श्री कुंदन रमन लाल व्यास कच्छ मित्र जन्मभूमि ग्रुप ऑफ न्यूजपेपर्स, जन्मभूमि भवन, जन्मभूमि मार्ग फोर्ट, मुम्बई-400001 निवासः 402, बी-विंग, भगवान भुवन, महालक्ष्मी मंदिर लेन, भुलाभाई देसाई रोड, मुम्बई-400026	मध्यम समाचारपत्रों के प्रवर्ग से
(17) श्री गुरिन्दर सिंह इंडियन आबजरवर एफ-26, कनॉट प्लेस, प्रथम तल, नई दिल्ली-110001 निवासः डी-253, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली-110024	
(18) श्री विजय कुमार चोपड़ा हिन्द समाचार पंजाब केसरी बिल्डिंग, सिविल लाइन्स, जालंधर-144001, पंजाब निवासः ईआर-129, पक्का बाग, जालंधर-144001, पंजाब	छोटे समाचारपत्रों के प्रवर्ग से
(19) श्री केशव दत्त चंदोला राजपूत मर्यादा 12/480, मैकरॉबर्टगंज कानपुर-208001	

व्यक्ति, जो समाचार एजेंसियों का प्रबंध करते हों [धारा 5 की उप-धारा (3) के खंड (ग) के अधीन नामनिर्दिष्ट]:

(20) श्री जी. सुधाकर नायर संपादक, दि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड, पीटीआई बिल्डिंग, 4, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001 निवासः 31, समाचार अपार्टमेंट्स, मयूर विहार, फेज-1, एक्सटेंशन, दिल्ली-110091	

व्यक्ति, जिन्हें शिक्षा और विज्ञान, विधि और साहित्य तथा संस्कृति के बारे में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो [धारा 5 की उप-धारा (3) के खंड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट]:

(21) श्री पंकज वोहरा जे- 1063, पालम विहार, गुडगांव - 122017	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामनिर्देशित
(22) श्री रामचन्दर राव एन. ज्येष्ठ अधिवक्ता, सदस्य, बार काउंसिल ऑफ इंडिया 12-13-336/1, स्ट्रीट नं. 2, लेन नं. 6, सांधी कालेज के पीछे, तरनाका, सिकन्दराबाद	बार काउंसिल आफ इंडिया द्वारा नामनिर्देशित
(23) डॉ. के. श्रीनिवासराव सचिव, साहित्य अकादमी, रबीन्द्र भवन, 35, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली-110001	साहित्य अकादमी द्वारा नामनिर्देशित

संसद सदस्य [धारा 5 की उप-धारा (3) के खंड (ङ) के अधीन नामनिर्दिष्ट]:

(24) श्रीमती मीनाक्षी लेखी वर्तमान/स्थायी पताः सी-98ए, साउथ एक्सटेंशन, पार्ट-2, नई दिल्ली-110049	लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित
(25) श्री राजीव प्रताप रूड़ी वर्तमान पताः एबी-97, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110003 स्थायी पताः 3, शिवनंदन भवन, बोरिंग रोड, पटना-800001, बिहार	
(26) श्री जी. हरि वर्तमान पताः ओल्ड तमिलनाडु हाउस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021 स्थायी पताः 1, मुरूगप्पा नगर, 1 स्ट्रीट, तिरूतनी, जिला तिरूवल्लूर, तमिलनाडु	

(27) श्री प्रभात झा वर्तमान पताः 28, मीना बाग, नई दिल्ली-110011 स्थायी पताः 5, अशोका अपार्टमेंट्स, मध्य भारत खादी संघ, हनुमान मंदिर के पास, जीवाजीगंज, लश्कर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	राज्य सभा के सभापति द्वारा नामनिर्देशित
(28) श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी वर्तमान पताः एबी-92, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110011 स्थायी पताः तोरिया हाउस, छतरपुर, जिला- छतरपुर, मध्य प्रदेश	

[फा. सं. एम- 22011/1/2014-प्रेस]
अनुराग श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

संलग्नक - घ

भारत का राजपत्र

असाधारण

भाग II-खण्ड-3-उप-खण्ड (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

सं. 2388 नई दिल्ली, मंगलवार, नवंबर 25, 2014/अग्रहायण 04, 1936

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2014

का. आ. 2972 (अ). - केंद्रीय सरकार, प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 (1978 का 37) की धारा 5 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री सी. के. प्रसाद का नामनिर्देशन भारतीय प्रेस परिषद् के अध्यक्ष के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. एम-22011/3/2014- प्रेस]
अनुराग श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

संलग्नक-ड.

न्याय-निर्णयों का आलेख

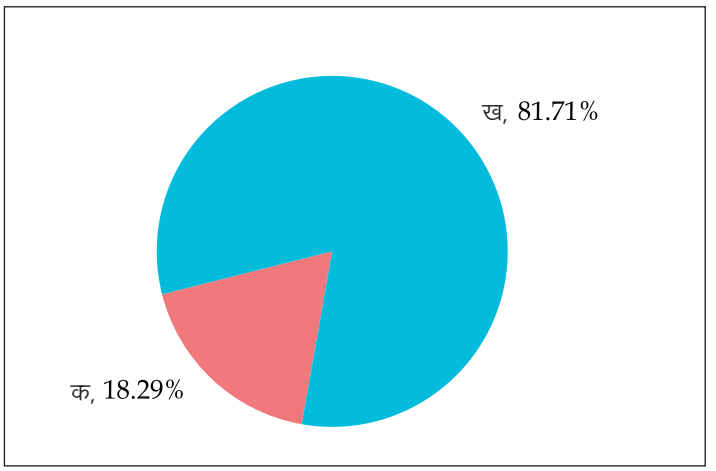

प्राधिकारियों के विरूद्ध

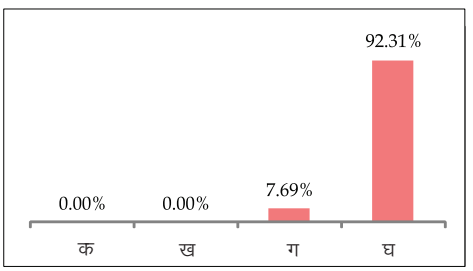

प्रेस के विरूद्ध

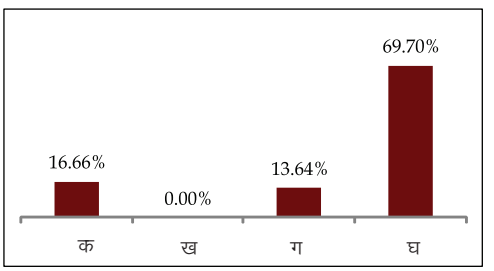

पाद टिप्पणी:

क. अनुमोदित
ख. अस्वीकृत
ग. आश्वासन/निपटान/संशोधित
घ. जारी न रखने/ प्रत्याहरण/ न्यायाधीन/ निराधार होने के कारण बंद

संलग्नक-च

ग्यारहवीं सेवावधि के मामलों का विवरण
(1 अप्रैल,2011 - 31 मार्च 2014)

	प्रेस द्वारा	प्रेस के विरूद्ध	योग
दर्ज मामले			
(1 अप्रैल, 2011 - 31 मार्च, 2012)	170	715	885
(1 अप्रैल, 2012 - 31 मार्च, 2013)	175	876	1051
(1 अप्रैल, 2013 - 31 मार्च, 2014)	199	1215	1414
योग	544	2806	3350
अधिनिर्णय	25	86	111
(1 अप्रैल, 2011 - 31 मार्च, 2012)			
(1 अप्रैल, 2012 - 31 मार्च, 2013)	35	155	190
(1 अप्रैल, 2013 - 31 मार्च, 2014)	52	188	240
योग	112	429	541
प्रारंभिक स्तर पर खारिज किये गये मामले	228	777	1005
(1 अप्रैल, 2011 - 31 मार्च, 2012)			
(1 अप्रैल, 2012 - 31 मार्च, 2013)	124	683	807
(1 अप्रैल, 2013 - 31 मार्च, 2014)	186	916	1102
योग	538	2376	2914

संलग्नक-छ

1 अप्रैल,2011 से 31 मार्च,2014 की समयावधि के मामलों के विवरण का आलेख

क.	दर्ज मामलों की संख्या	3350
ख.	निर्णीत मामलों की संख्या	541
ग.	प्राथमिक स्तर पर खारिज मामलों की संख्या	2914

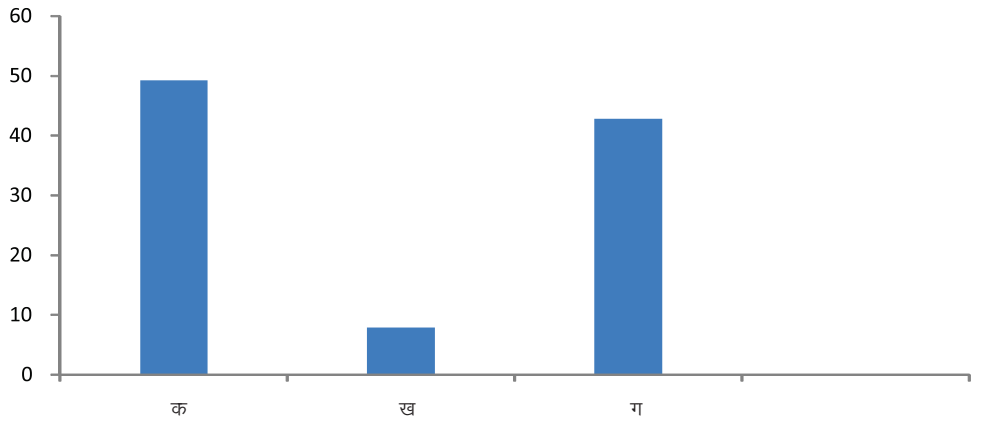

संलग्नक-ज

परिषद् की बैठकों में उपस्थिति का विवरण
(1 अप्रैल, 2011 - 31 मार्च, 2014) XIवीं सेवावधि

क्रम सं0	सदस्यों के नाम	परिषद् की बैठकों की कुल संख्या	परिषद् की बैठकें जिनमें सदस्य उपस्थित थे	बैठक की तिथि
1.	श्री के. एस. एस. मूर्ती	15	7	15.7.2011
2.	श्री एस. के. गर्ग	15	13	15.7.2011
3.	श्री जे. एस. दर्दी	15	11	19.9.2011
4.	श्री शीतला सिंह	15	15	17.11.2011
5.	श्री अनिल अग्रवाल	15	6	27.3.2012
6.	श्री बिशंभर नेवाड़	15	14	26.4.2012
7.	श्री आर. आर. नाग	15	14	27.8.2012
8.	श्री यू. लक्ष्मण	15	15	21.12.2012
9.	श्री ए एस तेंगसे	15	9	18.2.2013
10.	श्री के. अमरनाथ	15	14	27.3.2013
11.	श्री कल्याण बरूआ	15	12	15.11.2013
12.	श्री सोनदीप शंकर	15	14	10.1.2014
13.	श्री अरूण कुमार	15	12	26.3.2014
14.	श्री विजय कुमार चोपड़ा	15	8	23.4.2014
15.	श्री संजय गुप्ता	15	4	2.6.2014
16.	श्री गुरिन्दर सिंह	15	13	
17.	श्री वी. के. चोपड़ा	15	7	
18.	डॉ आर. लक्ष्मीपति	15	3	
19.	श्री नीरज बाजपेई	15	12	
20.	श्री राजीव साबाड़े	15	14	
21.	श्री एम. के. डे	11	6	
22.	श्री ए कृष्णामूर्ति	12	2	
23.	कुमारी मीनाक्षी नटराजन संसद सदस्य(लोक सभा)	4	0	
24.	श्री हरीन पाठक संसद सदस्य(लोक सभा)	14	4	
25.	श्री संजय दीना पाटिल संसद सदस्य(लोक सभा)	15	6	
26.	श्री राजीव शुक्ला संसद सदस्य(राज्य सभा)	15	2	
27.	श्री प्रकाश जावड़ेकर संसद सदस्य	15	5	
28.	श्री रामचन्दर राव एन	5	2	
29.	डॉ महेश जोशी	3	2	
30.	के. श्रीनिवासराव	4	1	

संलग्नक-झ

जांच समिति की बैठकों में उपस्थिति का विवरण (1 अप्रैल, 2011 - 31मार्च, 2014) XIवीं सेवावधि

क्रम सं0	सदस्यों के नाम	जांच समिति की बैठकों की कुल संख्या	बैठकें जिनमें सदस्य उपस्थित थे
1.	श्री के. एस. एस. मूर्ती	16	15
2.	श्री एस. के. गर्ग	16	15
3.	श्री जे. एस. दर्दी	16	7
4.	श्री शीतला सिंह	16	15
5.	श्री अनिल अग्रवाल	16	5
6.	श्री बिशंभर नेवाड़	16	15
7.	श्री आर. आर. नाग	16	16
8.	श्री यू. लक्ष्मण	16	15
9.	श्री ए एस तेंगसे	16	11
10.	श्री के. अमरनाथ	16	13
11.	श्री कल्याण बरूआ	16	13
12.	श्री सोनदीप शंकर	16	15
13.	श्री अरूण कुमार	16	13
14.	श्री विजय कुमार चोपड़ा	16	7
15.	श्री संजय गुप्ता	16	1
16.	श्री गुरिन्दर सिंह	16	6
17.	श्री वी. के. चोपड़ा	16	3
18.	डॉ आर. लक्ष्मीपति	16	0
19.	श्री नीरज बाजपेई	16	9
20.	श्री राजीव साबाड़े	16	13
21.	श्री एम. के. डे	7	4
22.	श्री ए कृष्णामूर्ति	9	0
23.	कुमारी मीनाक्षी नटराजन संसद सदस्य (लोक सभा)	2	1
24.	श्री हरीन पाठक संसद सदस्य (लोक सभा)	16	1
25.	श्री संजय दीना पाटिल संसद सदस्य (लोक सभा)	16	4
26.	श्री राजीव शुक्ला संसद सदस्य (राज्य सभा)	16	0
27.	श्री प्रकाश जावड़ेकर संसद सदस्य	16	2
28.	श्री रामचन्दर राव एन	8	6
29.	डॉ महेश जोशी	6	3
30.	के. श्रीनिवासराव	3	1

संलग्नक - ञ

प्रेस की स्वतंत्रता को खतरे संबंधी शिकायतों में न्यायनिर्णयों की विषयगत सारिणी (2014-2015)

क्र.सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	श्रेणी
समाचारकर्मियों का उत्पीड़न			
1.	श्री जीतेन्द्र मिश्रा, पत्रकार, राष्ट्रीय सहारा, कोंच, गया, बिहार की (i) श्री सुनील सौरभ, पत्रकार, चौथी दुनिया, गया, (ii) श्री गोपाल प्रसाद सिंघा, ब्यूरो प्रमुख, राष्ट्रीय सहारा, गया, (iii) श्री दिनेश कुमार राय, पटना, बिहार के विरूद्ध शिकायत ।	2 जून, 2014	अनुपस्थिति के कारण मामला खारिज
2.	श्री विपिन त्रिपाठी, संवाद्दाता, सच का तीर, महासमुंद, छत्तीसगढ़ की सामाज-विरोधी तत्वों व पुलिस प्राधिकारियों के विरूद्ध शिकायत।	,,	अनुपस्थिति के कारण मामला खारिज
3.	श्री रामशंकर सिंह पासी, मुख्य संपादक, न्याय की कलम, विदिशा, मध्य प्रदेश की श्री राजेंद्र सिंह ठाकुर, उप-निरीक्षक, मध्य प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।	13, मार्च 2015	न्यायाधीन
4.	श्री रामवीर सिंह, पत्रकार, सच कहूं, गौतमबुद्ध नगर, उ0 प्र0 की श्री प्रभात राम, उप-महाप्रबंधक (एचआर), एनटीपीसी लिमि., पोस्ट विद्युतनगर, गौतमबुद्ध नगर, उ0 प्र0 के विरूद्ध शिकायत ।	,,	अनुपस्थिति के कारण मामला खारिज
5.	श्री बलजिंदर कोटभारा, संवाद्दाता, नवां ज़माना, भटिंडा (पंजाब) की ऑर्बिट बस कंपनी के ड्राइवर, कंडक्टर एवं हेल्पर, भटिंडा (पंजाब) के विरूद्ध शिकायत ।	,,	अनुपस्थिति के कारण मामला खारिज

क्र.सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	श्रेणी
6.	श्री त्रिभुवन पोदार, संपादक, विश्वासमत टाइम्स, शकरपुर, दिल्ली की श्री किशनवीर भाटी, उप-निरीक्षक, थाना गीता कालोनी, दिल्ली के विरूद्ध शिकायत ।	13 मार्च, 2015	अनुपस्थिति के कारण मामला खारिज
7.	श्री सुरेश जैसवाल उर्फ सुरेश गांधी, ब्यूरो प्रमुख, जनसंदेश टाइम्स,भदोही (उ0 प्र0) की पुलिस एवं प्रशासन, उ0 प्र0 के विरूद्ध शिकायत ।	,,	अनुपस्थिति के कारण मामला खारिज
प्रेस को सुविधायें			
8.	श्री एम एस रजनीकर, प्रकाशक, रेपको न्यूज़, फरीदाबाद, हरियाणा की श्री लेखराज नोनिहाल, अध्यक्ष, सेवा समिति तथा हरियाणा पुलिस के विरूद्ध शिकायत ।	2 जून, 2014	अनुपस्थिति के कारण मामला खारिज
9.	डॉ प्रवीण गुप्ता, मुख्य संवाद्दाता, पब्लिक न्यूज़, दिल्ली की प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, दिल्ली के विरूद्ध शिकायत ।	13, मार्च 2015	अनुपस्थिति के कारण मामला खारिज
10.	श्री सी. एस. कालरा, संपादक एवं प्रकाशक, युनिवर्सिटी टुडे, नई दिल्ली की प्रो0 राजबीर सिंह, निदेशक, कॉन्सॉर्टियम ऑफ एजुकेशनल कॉम्यूनिकेशन (सीईसी), नई दिल्ली के विरूद्ध शिकायत ।	,,	अनुपस्थिति के कारण मामला खारिज
11.	श्री संजीव कुमार, संपादक, सत्ता की परख, मेरठ, उ0 प्र0 की निदेशक, सूचना एवं जन-संपर्क विभाग, उ0 प्र0 प्रशासन, लखनऊ, उ0 प्र0 के विरूद्ध शिकायत ।	,,	अनुपस्थिति के कारण मामला खारिज
12.	श्री मोहम्मद इर्शाद रहिने, श्रमजीवी पत्रकार, दैनिक विश्व परिवार, महोबा(उ0 प्र0) की श्री राम खिलावन, जिला सूचना एवं जन-संपर्क विभाग, महोबा (उ0 प्र0) के विरूद्ध शिकायत	,,	निराधार होने पर खारिज
13.	श्री धर्मेंद्र शर्मा, महाप्रबंधक, आधुनिक आवश्यकता, प्रतापगढ़, उ0 प्र0 की सूचना एवं जन-संपर्क विभाग, उ0 प्र0 के विरूद्ध शिकायत ।	,,	आश्वासन

संलग्नक - ट

प्रेस के विरूद्ध दर्ज़ की गयी शिकायतों में न्यायनिर्णयों की विषयगत सारिणी (2014-2015)

क्र.सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	श्रेणी
सिद्धांत और प्रकाशन			
1.	श्रीमती संध्या आचार्य और डॉ लीज़ा वार्डन, निदेशक, डॉगस्टॉप, अहमदाबाद, गुजरात की संपादक, एहमदाबाद मिरर, गुजरात के विरूद्ध शिकायत ।	2 जून, 2014	निराधार होने के कारण मामला खारिज
2.	डॉ देवेंद्र सिंह, अध्यक्ष, बाल रोग विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, जिला अस्पताल, सिद्धि, मध्य प्रदेश की संपादक, नवभारत, भोपाल, मध्य प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।	,,	अनुपस्थिति के कारण मामला खारिज
3.	मैसर्स एयरपोर्टस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रांची की संपादक, दैनिक भास्कर, रांची के विरूद्ध शिकायत।	,,	निदेश
4.	श्री दामजी भानुशाली, सचिव, श्री कच्छी भानुशाली समाज सरोवर, कच्छ, गुजरात की संपादक, कच्छ उदय, कच्छ, गुजरात के विरूद्ध शिकायत ।	,,	निपटारा
5.	कर्नल के. गोन्ज़ाल्वेज़, सचिव, द सालसैट कैथॉलिक कॉपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, मुंबई की संपादक, डीएनए, मुंबई के विरूद्ध शिकायत ।	,,	अनुपस्थिति के कारण मामला खारिज
6.	श्री मानस दास गुप्ता, जिला हुगली की संपादक, संघबाद प्रतिदिन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल के विरूद्ध शिकायत ।	,,	अनुपस्थिति के कारण मामला खारिज
7.	डॉ राजीव जोशी, पुणे की संपादक, लोकमत, मुंबई, महाराष्ट्र के विरूद्ध शिकायत ।	,,	अनुपस्थिति के कारण मामला खारिज
8.	श्री क्रिस्टोफर फॉन्सेका, सचिव, कॉम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, गोवा राज्य परिषद्, गोवा की संपादक, नवहिंद टाइम्स, पणजी, गोवा के विरूद्ध शिकायत।	,,	अनुपस्थिति के कारण मामला खारिज

क्र.सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	श्रेणी
9.	श्री नितिन कुमार अग्रवाल, जिला चुरू, राजस्थान की संपादक, दैनिक नव ज्योति, अजमेर, राजस्थान के विरूद्ध शिकायत ।	2 जून, 2014	अनुपस्थिति के कारण मामला खारिज
10.	श्री हेमंत कुमार, प्रमुख, जन-संपर्क, एनसीईआरटी, नई दिल्ली की संपादक, आउटलुक, नई दिल्ली के विरूद्ध शिकायत ।	13, मार्च 2015	अनुपस्थिति के कारण मामला खारिज
11.	श्री सय्यद सहाबुद्दीन, आईएफएस (सेवानिवृत्त) तथा पूर्व संसद सदस्य, दिल्ली की संपादक, सहफत, लक्ष्मी नगर, दिल्ली के विरूद्ध शिकायत ।	,,	समाप्त
12.	डॉ टेरेंस नज़ारथ, मुंबई की संपादक, डीएनए, मुंबई के विरूद्ध शिकायत ।	,,	अनुपस्थिति के कारण मामला खारिज
13.	श्री जय सिंह परिहार, फतेहपुर, उ0 प्र0 की संपादक दैनिक जागरण, उ0 प्र0 के विरूद्ध शिकायत ।	,, वि0 ,,	अनुपस्थिति के कारण मामला खारिज
14.	श्री जय सिंह परिहार, फतेहपुर, उ0 प्र0 की संपादक राष्ट्रीय सहारा, उ0 प्र0 के विरूद्ध शिकायत ।		अनुपस्थिति के कारण मामला खारिज
15.	मैसर्स राजस्थान पत्रिका प्रा. लि., जयपुर (राजस्थान) की संपादक, 'दैनिक भास्कर', जयपुर, राजस्थान के विरूद्ध शिकायत ।	वि0	अनुपस्थिति के कारण मामला खारिज
16.	मैसर्स राजस्थान पत्रिका प्रा. लि., जयपुर (राजस्थान) की संपादक, 'दैनिक भास्कर', जयपुर, राजस्थान के विरूद्ध शिकायत ।		अनुपस्थिति के कारण मामला खारिज
17.	सुश्री अदिति कटरक, गुड़गांव, हरियाणा की संपादक, हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली के विरूद्ध शिकायत ।	,,	निदेशों सहित समाप्त
18.	श्री पी. के. शर्मा, नई दिल्ली की संपादक, अमर उजाला, अलीगढ़ (उ0 प्र0) के विरूद्ध शिकायत ।	,,	अनुपस्थिति के कारण मामला खारिज

क्र.सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	श्रेणी
19.	श्री कैलाश सोनी, जोधपुर (राजस्थान) की संपादक, जोधपुर जगत, सांध्य दैनिक, जोधपुर, राजस्थान के विरूद्ध शिकायत ।	13, मार्च 2015	जारी न रखे जाने के कारण मामला खारिज
20.	श्री प्रमल कुमार ओहरी, जिला कपूरथला, पंजाब की संपादक, कपूरथला-फगवाड़ा भास्कर, पंजाब के विरूद्ध शिकायत ।	''	निपटारा
21.	श्री प्रमल कुमार ओहरी, जिला कपूरथला, पंजाब की संपादक कपूरथला जागरण सिटी, पंजाब के विरूद्ध शिकायत ।	वि0	निपटारा
22.	श्री प्रमल कुमार ओहरी, जिला कपूरथला, पंजाब की संपादक फगवाड़ा-कपूरथला केसरी, पंजाब के विरूद्ध शिकायत ।		निपटारा
23.	श्री संतु उर्फ श्री सर्वेश कुमार लोधी, बांदा (उ0 प्र0) की संपादक, दैनिक आज, कानपुर (उ0प्र0) के विरूद्ध शिकायत ।	''	अनुपस्थिति के कारण मामला खारिज
24.	श्री जसपाल सिंह चुग, एडवोकेट, पूर्व अपर जिला एवं सेशन जज, लुधियाना की संपादक, द ट्रिब्यून, चंडीगढ़ के विरूद्ध शिकायत ।	''	अनुपस्थिति के कारण मामला खारिज
प्रेस और मानहनि			
25.	महासचिव, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, कालिंदी कुंज, नई दिल्ली की संपादक, द संडे गार्जियन, नई दिल्ली के विरूद्ध शिकायत ।	2 जून, 2014	आश्वासन दिए जाने पर समाप्त
26.	महासचिव, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, कालिंदी कुंज, नई दिल्ली की संपादक, द एशियन ऐज, नई दिल्ली के विरूद्ध शिकायत ।	''	आश्वासन दिए जाने पर समाप्त
27.	महासचिव, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, कालिंदी कुंज, नई दिल्ली की संपादक, द पायनियर, नई दिल्ली के विरूद्ध शिकायत ।	''	आश्वासन दिए जाने पर समाप्त

क्र.सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	श्रेणी
28.	श्रीमति रिकी सिंह (अपने भाई, श्री रवि कुमार सिंह के जरिये), नई दिल्ली की संपादक, जन संदेश टाइम्स, वाराणसी, उ0 प्र0 के विरूद्ध शिकायत ।	2 जून, 2014	परिनिंदित और भर्त्सना
29.	श्री उमा शंकर शुक्ला एवं साकेत शुक्ला, बसतर, छत्तीसगढ़ की संपादक, चैनल इंडिया, छत्तीसगढ़ के विरूद्ध शिकायत ।	''	परिनिंदित और भर्त्सना
30.	श्री मोहम्मद ज़ाकिर, जिला सवाई, राजस्थान की संपादक, राजस्थान पत्रिका, जयपुर, राजस्थान के विरूद्ध शिकायत ।	''	अनुपस्थिति के कारण मामला खारिज
31.	श्री संतोष नारायण शर्मा, मेरठ की संपादक, दैनिक जनवाणी, मेरठ, उ0 प्र0 के विरूद्ध शिकायत ।	''	अनुपस्थिति के कारण मामला खारिज
32.	कार्यपालक समिति, जॉर्जिया में भारतीय छात्रों के लिए अभिभावक संघ की संपादक, द पायनियर, नई दिल्ली के विरूद्ध शिकायत ।	''	अनुपस्थिति के कारण मामला खारिज
33.	श्री एल के महाजन, शिमला, हिमाचल प्रदेश की संपादक, अमर उजाला, शिमला, हिमाचल प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।	''	निराधार
34.	श्री पी के जडेजा, डीएसपी, एंटी करप्शन ब्यूरो, अहमदाबाद की संपादक, लीडर ऑफ द क्राइम न्यूज़, अहमदाबाद के विरूद्ध शिकायत।	''	निराधार
35.	श्री राजेन्द्र प्रसाद बृजभूषण चौबे, नगर काउंसलर, मुंबई की संपादक,तूफान समाचार, मुंबई के विरूद्ध शिकायत ।	''	अनुपस्थिति के कारण मामला खारिज
36.	श्रीमति जयंती चैटर्जी, जिला असनसोल (पश्चिम बंगाल) की संपादक, संबाद प्रतिदिन, कोलकाता के विरूद्ध शिकायत ।	''	अनुपस्थिति के कारण मामला खारिज

क्र.सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	श्रेणी
37.	श्री मदन मोहन सोरेन, मुख्य टिकट अधिकारी(लाइन), झारखंड की संपादक, प्रभात खबर, जमशेदपुर, झारखंड के विरूद्ध शिकायत ।	2 जून, 2014	निदेशों सहित समाप्त
38.	श्री आर एन शेख, ट्रैफिक उप-प्रबंधक, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, ट्रैफिक विभाग, मुंबई की संपादक, आफ्टरनून डिस्पैच एंड कोरियर, मुंबई के विरूद्ध शिकायत ।	''	परिनिंदित
39.	श्री एल.आर.विश्वनाथ,अपर महानिदेशक (आई/सी) गीत और नाटक प्रभाग, एमआईबी, नई दिल्ली की संपादक, न्यूज़ हॉर्न, गुड़गांव के विरूद्ध शिकायत।	''	निदेशों सहित समाप्त
40.	श्री गाज़ी राम मीणा, पुलिस आयुक्त, जिला रेवा, मध्य प्रदेश की संपादक, प्रदेश टुडे, भोपाल, मध्य प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।	''	भर्त्सना एवं परिनिंदित
41.	श्री राजेश भार्गव, अध्यक्ष, अस्पतालों का सीएचएल ग्रुप, इंदौर, मध्य प्रदेश की संपादक, दैनिक अग्निबाण, इंदौर, मध्य प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।	''	अनुपस्थिति के कारण मामला खारिज
42.	डॉ ज़हीरूद्दीन, डेंटल सर्जन, महारिषी वाल्मिकी अस्पताल, नई दिल्ली की संपादक, दौड़ती दिल्ली, नई दिल्ली के विरूद्ध शिकायत ।	''	भर्त्सना एवं परिनिंदित
43.	डॉ चारू वलीखन्ना, सदस्य, महिला राष्ट्रीय आयुक्त, नई दिल्ली की संपादक, दैनिक भास्कर, नॉयडा, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।	''	भर्त्सना एवं परिनिंदित
44.	श्री शंकरदयाल नत्थूलाल, अमरावति, महाराष्ट्र की संपादक, अमरावति दर्पण के विरूद्ध शिकायत ।	''	अनुपस्थिति के कारण खारिज

क्र.सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	श्रेणी
45.	श्रीमति ऊषा यादव, अध्यक्ष, नव उदय नारी उत्थान समिति, भोपाल, मध्य प्रदेश की संपादक, पत्रिका, भोपाल, मध्य प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।	2 जून, 2014	भर्त्सना एवं परिनिंदित
46.	श्री नितिन कुमार अग्रवाल, चुरू, राजस्थान की संपादक,दैनिक भास्कर,राजस्थान के विरूद्ध शिकायत।	''	अनुपस्थिति के कारण खारिज
47.	श्रीमति आरती लूनिया, कार्यपालक निदेशक (सीएडी), स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लिमि., नई दिल्ली की संपादक, सकल टाइम्स, पुणे, महाराष्ट्र के विरूद्ध शिकायत ।	13,मार्च 2015	अनुपस्थिति के कारण खारिज
48.	श्री प्रदीप कुमार सिंह कसलीवाल, सदस्य, दिगंबर जैन समाज, इंदौर की संपादक, लोक का विश्वास, इंदौर के विरूद्ध शिकायत ।	''	अनुपस्थिति के कारण खारिज
49.	श्री टी. उमा महेश्वरा राव, विशाखापटनम, आंध्र प्रदेश की संपादक, इंडिया टुडे, नॉयडा के विरूद्ध शिकायत ।	13,मार्च 2015	अनुपस्थिति के कारण खारिज
50.	मैसर्स कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमि.,केरल की संपादक,मंगलम दैनिक,केरल के विरूद्ध शिकायत।	''	निपटारा
51.	श्री भीमसेन, नई दिल्ली की संपादक द टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, के विरूद्ध शिकायत ।	''	अनुपस्थिति के कारण खारिज
52.	श्री भीमसेन, नई दिल्ली की संपादक, मेल टुडे, नॉयडा के विरूद्ध शिकायत ।	वि	अनुपस्थिति के कारण खारिज
53.	श्री कुलदीप राय सूद, एडवोकेट, आगरा, उ0 प्र0 की संपादक,हिंदुस्तान,आगरा,उ0 प्र0 के विरूद्ध शिकायत।	''	अनुपस्थिति के कारण खारिज
54.	श्री कुलदीप राय सूद, एडवोकेट, आगरा, उ0 प्र0 की संपादक, दैनिक जागरण, आगरा, उ0 प्र0 के विरूद्ध शिकायत ।	वि0	अनुपस्थिति के कारण खारिज

क्र.सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	श्रेणी
55.	श्री रूपेश सिंघवी, (आईआरएएस) वरिष्ठ प्रभागीय वित्त प्रबंधक, उत्तर पश्चिमी रेलवे, जोधपुर (राजस्थान) की संपादक, दैनिक नवज्योति, जोधपुर राजस्थान के विरूद्ध शिकायत ।	13 मार्च, 2015	निदेशों सहित समाप्त
56.	श्री पुनीत अग्रवाल, आगरा, उ0 प्र0 की संपादक, हिंदुस्तान, आगरा, उ0 प्र0 के विरूद्ध शिकायत ।	''	जारी न रखे जाने के कारण मामला खारिज
57.	श्री पुनीत अग्रवाल, आगरा, उ0 प्र0 की संपादक, दैनिक जागरण,आगरा, उ0 प्र0 के विरूद्ध शिकायत।	वि0	जारी न रखे जाने के कारण मामला खारिज
58.	श्री रवींद्र, परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, गाजियाबाद, उ0प्र0 की संपादक, दैनिक जागरण, कानपुर, उ0 प्र0 के विरूद्ध शिकायत ।	''	सही विवरण के साथ-साथ माफीनामा प्रकाशित करने के निदेश
59.	डॉ चरणजीत सिंह प्रुथी, प्रबंध निदेशक, बाबा बुद्धा साहिब कार्डियक सेंटर लि., प्रुथी अस्पताल, जालंधर की संपादक, द ट्रिब्यून,चंडीगढ़ के विरूद्ध शिकायत।	''	अनुपस्थिति के कारण खारिज
60.	श्रीमति विमलेश उर्फ गुड्डी शर्मा, अलीगढ़, उ0 प्र0 की संपादक, अमर उजाला, अलीगढ़, उ0 प्र0 के विरूद्ध शिकायत ।	''	अनुपस्थिति के कारण खारिज
61.	श्री सुरेंद्र बहादुर यादव, सहायक अधीक्षक, पोस्ट ऑफिस (मुख्यालय), बांदा, उ0 प्र0 की संपादक, राष्ट्रीय सहारा, कानपुर, उ0 प्र0 के विरूद्ध शिकायत।	''	परिनिंदित
62.	श्री वकुल गोयल, साकेत, मेरठ, उ0 प्र0 की संपादक, आज की दास्तां, मेरठ छावनी, उ0 प्र0 के विरूद्ध शिकायत ।	''	अनुपस्थिति के कारण खारिज

क्र.सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	श्रेणी
63.	श्री हरीश बत्रा, अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, आदर्श नगर, दिल्ली की संपादक, रविवार दिल्ली, दिल्ली के विरूद्ध शिकायत ।	13 मार्च, 2015	अनुपस्थिति के कारण खारिज
प्रेस और नैतिकता			
64.	सुश्री कविता श्रीवास्तव, महासचिव, पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीस, राजस्थान यूनिट, जयपुर की संपादक, डीएनए, जयपुर के विरूद्ध शिकायत ।	2 जून, 2014	निदेश के साथ समाप्त
65.	श्री हरि कृष्ण वापता, पुणे की संपादक, द टाइम्स ऑफ इंडिया, पुणे के विरूद्ध शिकायत।	,,	अनुपस्थिति के कारण खारिज
साम्प्रदायिक जातीय, राष्ट्र विरोधी एवं पंथ विरोधी लेखन			
66.	श्री एल एस हर्देनिया, भोपाल की संपादक, पंचजन्य, नई दिल्ली के विरूद्ध शिकायत ।	2 जून, 2014	अनुपस्थिति के कारण खारिज

संलग्नक - ठ

प्रेस की स्वतंत्रता को खतरे से संबद्ध शिकायतों में न्यायनिर्णयों में दर्ज सिद्धांतों की सूची

प्रेस को सुविधायें

समाचारपत्र, विज्ञापनों के लिए अधिकारपूर्वक दावा नहीं कर सकते । विज्ञापन जारी करने ये नामिकायन, प्राधिकारियों द्वारा अधिसूचित नीति और दी गयी समयावधि की निर्धारित सीमा में सुनिश्चित किये जाने होंगे । लोक निधि के अभिरक्षक के रूप में कार्य करते हुए यह सुनिश्चित करना प्राधिकारियों का कर्त्तव्य है कि यह शक्ति उचित और साम्यपूर्ण है और इसका दुरूपयोग नहीं किया जा रहा है । **(श्री धर्मेंद्र नाथ शर्मा, मुख्य प्रबंधक, आधुनिक आवश्यकता, प्रतापगढ़, उ0 प्र0 बनाम सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार)**

संलग्नक - ड

प्रेस के विरूद्ध दर्ज की गयी शिकायतों में न्याय-निर्णयों में दर्ज सिद्धांतों की सूची

सांप्रदायिक, जातीय, राष्ट्र-विरोधी तथा पंथ-विरोधी लेख

परिषद् का मानना है कि जहां समाचारपत्र को विश्लेषण करने एवं विचार प्रकट करने का हक था, वहीं, साथ-ही-साथ, यह सुनिश्चित करना प्रेस का कर्त्तव्य था कि वह सांप्रदायिक शत्रुता पैदा करने वाले प्रकाशन से सावधान रहे । (श्री एल एस हर्देनिया, भोपाल, मध्य प्रदेश बनाम संपादक, पंचजन्य, नई दिल्ली)

प्रेस एवं मानहानि

परिषद् का यह मानना है कि जब भी समाचारपत्र में किसी सीडी या अन्य ऐसे उपकरण के आधार पर किसी के चरित्र को प्रभावित करने वाला समाचार प्रकाशित करने का प्रस्ताव दिया जाता है तो सबसे पहले किसी फॉरेंसिक विशेषज्ञ द्वारा ऐसे साक्ष्य की प्रामाणिकता की जांच की जानी चाहिए । किसी के चरित्र पर लांछन लगाना गंभीर आरोप है और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए । **(श्रीमती ऊषा यादव, अध्यक्ष, नव उदय नारी उत्थान समिति, भोपाल, मध्य प्रदेश बनाम संपादक, पत्रिका, भोपाल, मध्य प्रदेश)**

परिषद् का मानना था कि आक्षेपित लेख में राजनीतिक टिप्पणी के परिपेक्ष्य में 'असक्षम' या 'नपुंसक' शब्द का प्रयोग अनादरसूचक नहीं माना जा सकता । तदनुसार, परिषद् ने इस मामले को आगे बढ़ाने से मना कर दिया । **(श्री टी उमामहेश्वरा राव, विशाखापटनम, आंध्र प्रदेश बनाम संपादक, द इंडिया टुडे, नॉयडा, उत्तर प्रदेश)**

संपादक को पत्र

परिषद् ने गौर किया कि आपत्तिजनक प्रकाशन की अंतर्वस्तु मूर्त रूप से शिकायतकर्ता द्वारा लिखी गयी अंतर्वस्तु से बिलकुल अलग है और उन्हें संशोधन के अधिकार से भी वंचित रखा गया। इस आचरण को अस्वीकार करते हुए उसने गौर किया कि प्रतिवादी ने प्रकाशन में हुई गलती के संबंध में शिकायतकर्ता को सूचित करने और उनसे माफी मांगने का वचन दिया है। **(सुश्री अदिति कटरक, गुड़गांव, हरियाणा बनाम संपादक, हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली)**

संलग्नक 'ढ'

प्रेस एवं पंजीकरण अपील बोर्ड द्वारा पारित आदेशों की विषयगत सारिणी (2014-2015)

क्रम सं0	पक्ष	आदेश की तिथि	वर्ग
1.	सर्व/श्री संजय अग्रवाल एवं रमेश चंद तिवारी की दैनिक भास्कर, देहरादून की घोषणा को रद्द करने के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून, उत्तराखंड द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.5.2009 के विरूद्ध अपील ।	16 जनवरी, 2015	स्थगित
2.	श्री विष्णु गोयल एवं अन्य, इंदौर की एडीएम, इंदौर, मध्य प्रदेश द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.9.2010 के विरूद्ध अपील पर बोर्ड के आदेश दिनांक 9 जनवरी, 2013 पर अपीलकर्ता के परामर्शदाता द्वारा स्पष्टीकरण की मांग ।	16 जनवरी, 2015	स्थगित
3.	श्री लोकेंद्र जैन, मुद्रक एवं प्रकाशक, बंधविया समाचार, भोपाल, मध्य प्रदेश की विद्वान एसडीएम, तेहसील-हुज़ूर, जिला रेवा, मध्य प्रदेश द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.7.2012 के विरूद्ध अपील ।	16 जनवरी, 2015	खारिज
4.	श्री लोकेंद्र जैन, मुद्रक एवं प्रकाशक, बंधविया समाचार, भोपाल, मध्य प्रदेश की भारतीय समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.7.2013 के विरूद्ध अपील ।	16 जनवरी, 2015	खारिज
5.	श्री अविनाश वसंतराव शेलर, मालिक/संपादक, श्री पुधारी बवादा टाइम्स, कोल्हापुर, महाराष्ट्र की अपर जिला मजिस्ट्रेट, कोल्हापुर, महाराष्ट्र द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.12.2013 के विरूद्ध अपील ।	16 जनवरी, 2015	अपीलकर्ता को नयी घोषणा दर्ज करने तथा यदि नयी घोषणा दर्ज की जाती है, तो विद्वान मजिस्ट्रेट को उस पर गुण-दोषों के आधार पर विचार करने के निदेश के साथ खारिज ।

क्रम सं0	पक्ष	आदेश की तिथि	वर्ग
6.	श्री केशव दत्त चंदोला, प्रकाशक, नागराज दर्पण, हिंदी साप्ताहिक, देहरादून की जिला सूचना अधिकारी, हरिद्वार, उत्तराखंड के विरूद्ध उनके समाचारपत्र के हरिद्वार संस्करण के संबंध में की गयी घोषणा को स्वीकार करने में विलंब के संबंध में अपील ।	3 मार्च, 2015	स्थगित
7.	श्री ध्यानेश्वर सीताराम कारालें, संपादक, स्वरविहार साप्ताहिक, जिला पुणे, महाराष्ट्र की उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट, हवेली उप-प्रभाग, पुणे, महाराष्ट्र द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.3.2014 के विरूद्ध अपील ।	3 मार्च, 2015	स्थगित
8.	श्री अनवर नूरी, मुख्य संपादक एवं प्रकाशक, 'मुंबरा समाचार', जिला थाणे, महाराष्ट्र की उप-प्रभागीय अधिकारी, जिला थाणे, महाराष्ट्र द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.6.2014 के विरूद्ध अपील।	3 मार्च, 2015	दिनांक 22.7.2014 को पारित किया गया रोक आदेश अगले आदेश तक जारी रहेगा।
9.	श्री जे जॉनसन, संपादक एवं प्रकाशक, नेल्लई काथीरावन, तमिल दैनिक की जिला राजस्व अधिकारी, थिरूनेलवेली, तमिलनाडु तथा उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.7.2012 के विरूद्ध रोक आवेदन ।	3 मार्च, 2015	स्थगित
10.	श्री बिस्वजीत महापात्रा की अपने एडवोकेट श्री आर. एस. जेना, जिला कट्टक, ओडीशा के जरिये विद्वान कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, खुरदा, ओडीशा द्वारा पारित आदेश दिनांक 1.8.2014 के विरूद्ध क्रॉस-अपील ।	3 मार्च, 2015	अपीलकर्ता को अपील वापिस लेने और वाद को आगे जारी रखने की अनुमति के साथ समाप्त ।

क्रम सं0	पक्ष	आदेश की तिथि	वर्ग
11.	श्री शशि कृष्णकुमार शर्मा, संपादक एवं प्रेस रिपोर्टर, 'दबंग खबरें', साप्ताहिक, थाणे की माननीय उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट, थाणे प्रभाग, थाणे, महाराष्ट्र द्वारा पारित आदेश दिनांक 5.1.2015 के विरूद्ध अपील ।	3 मार्च, 2015	एसडीएम द्वारा पारित आक्षेपित आदेश पर रोक।
12.	श्री अनवर कासिम शेख, संपादक, थाणे का तहलका, राष्ट्रीय हिंदी साप्ताहिक, थाणे की उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट, थाणे प्रभाग, थाणे, महाराष्ट्र द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.9.2014 के विरूद्ध अपील ।	3 मार्च, 2015	एसडीएम द्वारा पारित आक्षेपित आदेश पर रोक।